# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF

## 4th
## LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit 17-7-92
Fumigated On 24-1-84
Parliament Library

[ सातवां सत्र
Seventh Session ]

[ खंड 26 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 21 to 30 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price : One Rupee*

# विषय-सूची/CONTENTS

अंक 27 मंगलवार, 25 मार्च, 1969/4 चैत्र, 1891 (शक)

No. 27—Tuesday, March 25, 1969/Chaitra 4, 1891 (Saka)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| *ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 691. | मद्यनिषेध के बारे में राष्ट्रीय नीति | National Policy on Prohibition | 1—4 |
| 692. | कुछ उद्योगों में उत्पादन के लिए दोहरे प्रयास | Duplication of Production Efforts in certain Industries | 4—10 |
| 694. | मतपत्र | Ballot Papers | 11—14 |
| 695. | मतदाताओं के लिए परिवहन सुविधा | Transport Facilities to voters | 14—16 |
| | **अल्पसूचना प्रश्न** | | |
| 9. | वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि | Rise in prices of Vanaspati Ghee | 16—21 |


## प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTION


| | | | |
|---|---|---|---|
| 693. | होशियारपुर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुए उप-चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग | Misuse of Government Machinery in Hoshiarpur Parliamentary Seat | 21 |
| 696. | तेल के बरलों तथा तारकोल के ड्रमों का निर्माण | Manufacture of oil Barrels and Bitumen Drums | 21—22 |
| 697. | सरकारी क्षेत्र में उद्योग | Industries in Public Sector | 22 |
| 698. | चौथी योजना की अवधि में इस्पात का उत्पादन | Production of Steel during Fourth Plan period | 22—23 |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 699. | भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार सम्बन्धी समिति | Committee on Expansion of Bhilai Steel Plant | 23 |
| 700. | छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण | Manufacture of small Tractors | 23—24 |
| 701. | भद्रावती इस्पात कारखाने के लिए ऋण | Loan for Bhadravati Steel Plant | 24 |
| 702. | औद्योगिक सलाहकार समिति की सिफारिशें | Recommendations of Industrial Consultative Committee | 24—25 |
| 703. | कम्पनियों के अंशधारियों के हितों की रक्षा करने के लिए उपाय | Measures to Safeguard the interests of Share Holders of Companies | 25 |
| 704. | कारखानों में उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना | Fixation of Responsibility for achieveing production Targets in Factories | 25 |
| 705. | गुजरात में नई रेल लाइनें | Rail Links in Gujarat | 26 |
| 706. | रेल भाड़ा | Railway Freight | 26 |
| 707. | बोकारो इस्पात कारखाना | Bokaro Steel Plant | 27 |
| 708. | मोदी के फेब्रिक्स, मोदी नगर द्वारा राजनीतिक दलों को दिये गये चन्दे | Donations by Modi Fabrics, Modinagar to Political Parties | 27—28 |
| 709. | नाईयों द्वारा हरिजनों के बाल काटने से इंकार | Refusal by Barbers to cut hair of Harijans | 28 |
| 710. | केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का कल्याण | Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Kerala | 28—29 |
| 711. | दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन | Law Commission's Report on Reforms of Criminal Procedure Code | 29 |
| 712. | नई दिल्ली और हावड़ा स्टेशनों के बीच सुपर एक्सप्रैस रेलगाड़ी का चलाना | Running of Supper Express between New Delhi and Howrah | 29 |
| 713. | उत्तर प्रदेश में हुए मध्यावधि चुनावों के मतपत्रों में गलतियां | Mistakes in Ballot Papers in Mid Term Elections in U.P. | 30 |

| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 714. | दक्षिण पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ | South Eastern Railwaymen's Federation | 30—31 |
| 715. | दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन में कमर्शियल क्लर्क | Commercial Clerks in Madurai Division of Southern Railway | 31 |
| 716. | मध्यावधि चुनावों में दिये गये मत | Votes Polted in Mid Term Elections | 31—32 |
| 717. | शाहडोल, मध्य प्रदेश में मृत्तिका उद्योग सम्बन्धी मशीनों का निर्माण | Manufacture of Ceramic Machinery at Shahdel, Madhya Pradesh | 32—33 |
| 718. | उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में मीटर गेज लाइनों की बड़ी लाइनों में बदला जाना | Conversion of M. G. Line into B.G. in Eastern Uttar Pradesh Districts | 34 |
| 719. | गुजरात में हलपति आदिवासियों में दास प्रथा को समाप्त करना | Treatment to Adivasi Halpatis in Gujarat | 34 |
| 720. | बम्बई जाने वाली फ्रन्टियर मेल और वातानुकूलित डीलक्स गाड़ियों में बिना आरक्षण वाले तीसरे दर्जे के स्थान | Non-reserved Third Class Seats in Bombay bound Frontier Mail and Acc De-luxe Trains | 35 |

## अतारांकित प्रश्न संख्या
U. S. Q. Nos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4235. | सिनेमा प्रोजेक्टरों का निर्माण | Manufacture of Cinema Projectors | 35—36 |
| 4236. | चौथी योजना में छोटी कार परियोजना | Small Car Project in the Fourth Plan | 36 |
| 4237. | बहादुरगढ़ स्टेशन पर पीने का पानी | Drinking Water at Bahadurgarh Station | 36—37 |
| 4238. | ग्रामीण शिल्पी प्रशिक्षण संस्था, कोप्पल, मैसूर | Rural Artisan Training Institute, Koppal, Mysore | 37 |
| 4239. | बिना चौकीदारा वाले रेलवे फाटक | Unmanned Level Crossings | 37 |
| 4240. | अल्प-आय वग के विद्यार्थियों को छात्र वृत्तियां | Scholarships to low income Group Students | 38 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 4241. | दक्षिण पूर्व रेलवे के नीलगिरी रोड स्टेशन पर रेल फाटक | Level Crossing at Nilgiri Road Station on South Eastern Railway | 38 |
| 4242. | रेलवे प्रयोक्ता समिति बाला | Demands of Railway Users' Committee, Balasore (SE Rly) | 39 |
| 4243. | तमिल नाडु में उद्योग | Industries in Tamil Nadu | 39—40 |
| 4244. | गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के होस्टल के लिए दी गई राशियों का दुर्विनियोग | Misappropriation of Funds granted for Hostel for Scheduled Castes in Gorakhpur, U.P. | 41 |
| 4245. | उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां | Industrial Estates in U.P. | 41—42 |
| 4246. | गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्तियां के लिये आवेदन पत्र | Applications by Scheduled Caste students for Scholarships in Gorakhpur, U.P. | 42 |
| 4247. | लवण आयुक्त जयपुर के कार्यालय का गुजरात को स्थानान्तरण | Shifting of office of salt commissioner, Jaipur to Gujarat | 42 |
| 4248. | रेलवे से माल की चोरी | Theft of Goods from Railways | 42—43 |
| 4249. | ओखला औद्योगिक क्षेत्र (दिल्ली) में किराये की किस्तों की बकाया राशि | Arrear of Rent instalments in Okhla Industrial Area (Delhi) | 43—44 |
| 4250. | आन्ध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनें | New Railway Lines in Andhra Pradesh | 44 |
| 4251. | आन्ध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनें | New Railway Lines in Andhra Pradesh | 44—45 |
| 4252. | औद्योगिक विकास, आँतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाना | Extension to Class I Officers in the Ministry of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs | 45 |
| 4253. | चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को अन्यत्र ले जाया जाना | Shifting of Chandigarh Railway Station | 46 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 4254. | चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन | Chandigarh Railway Station | 46 |
| 4255. | यात्री सुविधाओं की व्यवस्था | Providing of Passenger Amenities | 46—47 |
| 4256. | उत्तर गुजरात में ऊंझा टाउन में माल डिब्बों का सम्भरण | Supply of Wagons at Unjha Town in North Gujarat | 47 |
| 4257. | सौराष्ट्र एक्सप्रैस के विरामगाम् हावड़ा डिब्बे में भीड़ | Rush in Viramgam Howrah Coach of Saurashtra Express | 47—48 |
| 4258. | नलों, रस्सों तथा तारों का निर्यात | Export of Pipes, Ropes and Cables | 48—49 |
| 4259. | एक्सप्रैस तथा डाक गाड़ियों के साथ विद्यार्थियों के लिए डिब्बे जोड़ना | Attaching of Bogies carrying Students to Express and Mail Trains | 49 |
| 4260. | हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हैदराबाद | Hindustan Machine Tools, Hyderabad | 49 |
| 4261. | बम्बई की उपनगरीय गाड़ियों में तृतीय श्रेणी के डिब्बों में बैठने तथा खड़ा होने का स्थान | Seating and Standing capacity of Third Class Railway Coaches on Suburban Train in Bombay | 49—50 |
| 4262. | अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यक क्लर्क संघ | All India Railway Commercial Clerks Association | 50 |
| 4263. | रेलवे के सफाई कर्मचारियों का कल्याण | Welfare of Scavenger Class of Railway Employees | 51 |
| 4264. | इस्पात कारखाने में नई भर्ती पर प्रतिबन्ध | Ban on Fresh Recruitment in Steel Plants | 51 |
| 4265. | पूर्वी रेलवे के धनबाद कोष में चोरी | Theft in Dhanbad Treasury of Eastern Railway | 52 |
| 4266. | गुजरात में रेलवे लाइनें | Railway Lines in Gujarat | 52 |
| 4267. | भद्रावती आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड के बारे में पश्चिमी जर्मनी से करार | Agreement with West Germany Regarding Iron and Steel Ltd. Bhadravati | 53 |
| 4268. | निरमली (पूर्वोत्तर रेलवे) से कुनौली तक रेलवे लाइन | Railway line from Nirmali (N. E. Railway) to Kunauli | 53—54 |
| 4269. | चलती गाड़ियों में डाके, लूटमार तथा हत्यायें | Dacoity loot & murger in Running Trains | 54 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 4270. | उत्तर रेलवे तथा पूर्व रेलवे पर बिना टिकट यात्रा | Ticketless travel on North Eastern and Eastern Railways | 54 |
| 4271. | भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित इस्पात का मानक | Standards of Steel set by ISI | 54—55 |
| 4272. | झुन झुन वाला जर्विस लिमिटेड, बम्बई | Jhunjhunwala Jarvis Ltd., Bombay | 55 |
| 4273. | रेल डिब्बों में पंखे तथा बल्ब | Fans and bulb in Railway Compartments | 55—56 |
| 4274. | वाराणसी गोरखपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना | Conversion of Varanasi Gorakhpur M.G. line into B.G. | 56 |
| 4275. | उड़ीसा में फाटकों पर नीचे के पुल तथा उपरि पुल | Under and over bridges at level crossings in Orissa | 56—57 |
| 4276. | केरल में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन | Incentive to small scale industries in Kerala | 57 |
| 4277. | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के मकानों के निर्माण के लिए अनुदान | Grants for construction of Houses by Scheduled Castes and Scheduled Tribes | 58 |
| 4278. | सामान बुक करने में रेलवे प्रशासन का दायित्व | Liability of Railway Administration in Booking Luggage | 58—59 |
| 4279. | भारी इंजीनियरिंग निगम के चेयरमैन | Chairman of Heavy Engineering Corporation | 59 |
| 4280. | मृत्यु दण्ड पर विधि आयोग की सिफारिश | Law commission's Recommendation on Death Sentence | 59—60 |
| 4281. | भारत हंगरी सहयोग | Indo Hungarian collaboration | 60 |
| 4282. | राजस्थान में बड़ी रेलवे लाइनें | B.G. Railway Lines in Rajasthan | 60—61 |
| 4283. | डायमंड हार्बरक रेलवे स्टेशन | Diamond Harbour Railway Station | 61 |
| 4284. | हल्दिया में सहायक उद्योग | Ancillary Industries in Haldia | 61—62 |
| 4285. | पश्चिमी बंगाल में उद्योगों के लिए लाइसेंस | Licences for Industries in West Bengal | 62 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 4286. | ट्रेन क्लर्कों का चयन | Selection of Train Clerks | 62—63 |
| 4287. | रेलवे बोर्ड में प्रपत्रों का हिन्दी में अनुवाद | Translation of Forms in Hindi in Railway Board | 63 |
| 4288. | इंजिन ड्राइवर के लिए पृथक पदालि | Separate Cadre for Loco Drivers | 63—64 |
| 4289. | हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड | Hindustan Steel Ltd. | 64 |
| 4290. | पश्चिम बंगाल रेलवे के दिल्ली स्थित यातायात लेखा कार्यालय के फालतू कर्मचारी | Surplus staff in Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi | 64—65 |
| 4291. | बम्बई तथा आन्ध्र प्रदेश में हुए दंगों के परिणामस्वरूप रेल सम्पत्ति को हुई क्षति | Damage to Railproperty as a sequel to Riots in Bombay and Andhra Pradesh | 65 |
| 4292. | सरकारी परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब | Delays in Execution of public Sector Projects | 65—66 |
| 4293. | रेलवे के संचालन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता | T.A. to Railway running staff | 66 |
| 4294. | उत्तर प्रदेश में मध्यावधि निर्वाचन के लिए रेलवे का विश्राम गृह | Railway Rest House for Midterm Election in U.P. | 66—67 |
| 4295. | उत्तर बिहार में रेलवे में अपराधों में वृद्धि | Increase in Crimes in Railways in North Bihar | 67—68 |
| 4296. | रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करना | Issue of Medical certificate to Railway Employees | 68 |
| 4297. | इस्पात कारखानों में इस्पात सिलों, पृष्ठ निक्षेपों और बिलेटों का निर्माण | Production of ingots, Blooms and Bullets in Steel Plants | 68—69 |
| 4298. | निर्मित तथा अर्द्धनिर्मित इस्पात का निर्माण | Production of semis and Finished Steel | 69—70 |
| 4299. | भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन | Production in Bhilai Steel Plant | 70—71 |
| 4300. | दक्षिण पूर्व रेलवे के अदड़ा डिवीज़न को समाप्त किया जाना | Abolition of Adra Division of South-Eastern Railway | 71 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 4301. | अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ का प्रतिनिधि मण्डल | Delegation of All India Station Master's Association | 71—72 |
| 4302. | बड़े व्यापार गृहों में वृद्धि के बारे में सर्वेक्षण | Survey about the Growth of big Business Houses | 72 |
| 4303. | कृषि जन्य पदार्थों में सट्टे-बाजी | Speculation in Farm Commodities | 72—7 |
| 4304. | रेल दुर्घटना जांच समिति का—अजमेर जाना | Visit of Railway Accidents Enquiry Committee to Ajmer | 73 |
| 4305. | भरतपुर में रेल माल डिब्बे बनाने का कारखाना | Railway Wagon Manufacturing Factory, Bharatpur | 73—74 |
| 4306. | हावड़ा स्टेशन पर आने जाने वाली रेल गाड़ियों का नियंत्रण करने वाली मशीन | Machine to check incoming and outgoing trains at Howrah Station | 74 |
| 4307. | उत्तर रेलवे में स्टेनोग्राफरों की वरिष्ठता | Seniority of stenographers on N. Rly. | 74 |
| 4308. | उत्तर रेलवे में अधिक वेतन क्रम के पदों पर जूनियर स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति | Promotion of Junior Stenographers to Higher Grade on the Northern Railway | 74—75 |
| 4309. | उत्तर रेलवे में स्टेनोग्राफरों का चयन | Science of Stenographers on Northern Railway | 75 |
| 4310. | अधिक वेतन क्रम के लिए स्टेनोग्राफरों का चयन | Selection of Stenographers for Higher Grade | 75—76 |
| 4311. | उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों के पदों का दर्जा बढ़ाना | Upgradation of Stenographers' posts on Northern Railway | 76 |
| 4312. | अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के छात्रों को मेट्रिको-परान्त छात्रवृत्ति | Post matric scholarship to scheduled castes and scheduled tribes students | 77 |
| 4313. | रेलवे में स्टेनोग्राफरों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा | Incentive Test for Stenographers on the Railway | 77—78 |
| 4314. | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र | Registration by the Chairman of Heavy Engineering Corporation | 78 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 4316. | राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का किराया खरीद कार्यक्रम | Hire-purchase programme of National Small Industries Corporation | 78—79 |
| 4317. | ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस | G. T. Express | 79 |
| 4318. | रेलवे में युद्ध सेवा कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करना | Fixation of pay of war service Employees in Railways | 79 |
| 4319. | सहायक स्टेशन मास्टर | Assistant Station Masters | 79—80 |
| 4320. | युद्ध सेवा वाणिज्यिक क्लर्कों की सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों पर पदोन्नति | Promotion of War Service Commercial Clerks as Assistant Station Masters | 80 |
| 4321. | आरक्षित रिक्त स्थानों पर युद्ध सेवा कर्माशयल क्लर्कों की नियुक्ति | Appointment of war service commercial clerks against Reserved vacancies | 80 |
| 4322. | टायरों के मूल्यों में वृद्धि | Increase in Tyre Prices | 80—81 |
| 4323. | भारतीय रेलवे की वाणिज्यिक शाखाओं के क्लर्कों की वाणिज्यिक निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति | Promotion of clerks of commercial Branches of the Indian Railways as commercial inspectors | 81—82 |
| 4324. | सियालदाह डिवीजन के कैरिज और वैगन कारीगर कर्मचारी | Carriage and Wagon artisan staff of Sealdah Division | 82 |
| 4325. | हीरा सीमेंट फैक्टरी, बारगढ़ | Hira Cement Factory Bargarh | 82 |
| 4326. | मीपुर में लघु उद्योगों का विकास | Development of small scale industries in Manipur | 83 |
| 4327. | मनीपुर में नालीदार लोहे की चादरों के मूल्यों में वृद्धि | Rise in price of C.I. Sheet in Manipur | 83 |
| 4328. | पुराने इंजन | Overage Locomotives | 83—84 |
| 4329. | रेलवे जोन | Railway Zones | 84 |
| 4330. | रेलवे में विचाराधीन दावे | Claim cases pending on Railways | 85—86 |
| 4331. | भारतीय रेलवे में पदों का दर्जा बढ़ाया जाना | Upgrading of posts on Indian Railways | 86 |
| 4332. | लखनऊ और बम्बई के बीच सीधी गाड़ियाँ | Direct Trains between Lucknow and Bombay | 86 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 4333. | प्रशीतन (रेफ्रिजरेशन उपकरणों का मूल्य) | Cost of Refrigeration Equipment | 86—87 |
| 4334. | चाकिया रेलवे स्टेशन | Chakia Railway Station | 87 |
| 4335. | कांटी और मोतीपुर स्टेशनों के बीच हड़ताल स्टेशन | Halt station between Kanti and Motipur Stations | 87 |
| 4336. | मध्य प्रदेश में औद्योगिक एककों का बन्द हो जाना | Closure of Industrial Units in Madhya Pradesh | 88 |
| 4337. | मध्य रेलवे पर विभागीय कैंटीन | Department canteen on Central Railway | 88 |
| 4338. | खिरकिया स्टेशन के शौचालय का स्थानान्तरण | Shifting of lavatory at Khirkiya Station | 89 |
| 4339. | मध्य प्रदेश में माल डिब्बों की अनुपलब्धता | Non-availability of Wagons in Madhya Pradesh | 89 |
| 4340. | एक सदस्यीय न्यायाधिकरण | One man tribunal | 89—90 |
| 4341. | सोडियम नाइट्रेट का आयात | Import of Nitrate of Soda | 90 |
| 4342. | सोडियम नाइट्रेट का मूल्य | Price of Nitrate of Soda | 90—91 |
| 4343. | रतनगढ़ से अहमदाबाद तक रेल यात्रा | Rail Journey from Bikaner to Ahmedabad | 91 |
| 4344. | मारवाड़ जंकशन होकर बीकानेर से अहमदाबाद तक रेल यात्रा | Rail Journey from Bikaner to Ahmedabad via Marwar Junction | 91—92 |
| 4345. | रेलवे कर्मचारियों का स्थायीकरण | Confirmation of Railway Employees | 92 |
| 4346. | निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण | Transfer of Railway Employees after expiry of prescribed period | 92 |
| 4347. | रामपुर से हलद्वानी तक बड़ी लाइन | Broad gauge Railway line from Rampur to Haldwani | 92—93 |
| 4348. | चौथी योजना में उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए धन का नियतन | Financial allocation for public sector projects in U.P. in Fourth Plan | 93 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
| --- | --- | --- | --- |
| 4349. | गुजरात में एक रेलगाड़ी के नीचे सत्याग्रहियों को कुचल दिया जाना | Over run of Satyagrahis by a Train in Gujarat | 93—94 |
| 4350. | सवाई माधोपुर में नगर बुकिंग कार्यालय | City Booking Office in Sawai Madhopur | 94 |
| 4351. | दिल्ली हावड़ा दिल्ली डीलक्स गाड़ी का चलाया जाना | Running of Delhi/Howrah/Deluxe Train | 95 |
| 4352. | देसी ट्रैक्टर | Indigenous Tractors | 95—96 |
| 4353. | ट्रैक्टर उद्योग के लिए लाइसेंस की शर्तें | De-licensing of Tractor Industry | 97 |
| 4354. | पंढरपुर के यालेकार सेवा संघ का अभ्यावेदन | Representation from the Yatrekaru Sevasangh of Pandharpur | 97—98 |
| 4355. | नई दिल्ली क्षेत्र में रेलवे अधिकारियों के लिए गोदामों का आवंटन | Allotment of Godowns to Railway Officers in New Delhi Area | 98 |
| 4356. | रेलवे क्वार्टरों में अतिरिक्त पंखे तथा नल आदि लगाना | Additional Fan and Sanitary Fittings in Railway Quarters | 98—99 |
| 4357. | नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आयातित प्लेट प्यालों आदि का प्रयोग | Use of Imported Crockery at New Delhi Railway Station | 99 |
| 4358. | केरल में समाज कल्याण संस्थाओं को दिया गया धन | Funds given to Social Welfare organisations in Kerala | 99 |
| 4359. | मैसूर में छोटी कार परियोजना | Small Car Project in Mysore | 100 |
| 4360. | काजू उद्योग की कठिनाइयां | Difficulties of Cashewnut Industry | 100—101 |
| 4361. | पोलिंग अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें | Complaints against polling officers | 101 |
| 4362. | पूर्वोतर सीमा रेलवे में डिवीजन बनाना | Creation of Divisions on the North East Frontier Railway | 101—102 |
| 4363. | बिड़ला उद्योग समूह को लाइसेंस | Licences to Birla Group of Iudustries | 102 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos, | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 4364. | माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के कारखाने में उत्पादन | Production in Mining and Allied Machinery Corporation | 102—103 |
| 4365. | माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड दुर्गापुर | Mining and Allied Machinery Corporation Ltd. Durgapur | 103 |
| 4366. | माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, में अधिक माल जमा होना | Surplus Stores in Mining and Allied Machinery Corporation Ltd. | 103—104 |
| 4367. | माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के लिए पानी के मीटर | Water Meters for Mtning and Allied Machinery Corrporation | 104 |
| 4368. | पश्चिम बंगाल में ग्रामीण औद्योगिक विकास परियोजनाएं | Rural Industrial Development projects in West Bengal | 104—105 |
| 4369. | पश्चिम बंगाल में नये उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र | Application for setting up New industries in West Bengal | 105 |
| 4370. | पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एकक | Industrial Units in West Bengai | 105 |
| 4371. | मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड | M/s Hind Galvanising & Engineering Co. (P) Ltd. | 106 |
| 4372. | बेलाराम बाजार स्टेशन (हैदराबाद) पर हमला | Rail on Belaram Bazar Station (Hyderabad) | 106—107 |
| 4373. | समाज कल्याण गोष्ठी | Social Welfare Seminar | 107 |
| 4374. | मध्य प्रदेश का औद्योगिकीकरण | Industrialisation of Madhya Pradesh | 107—108 |
| 4375. | अस्पृश्यता निवारण समिति के प्रतिवेदन में सेवाओं का अध्याय सम्मिलित किया जाना | Inclusion of Services Chapter in report of Committee on Untouchability | 108—109 |
| 4376. | कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण | Manufacture of Agricultural Tractors | 109 |
| 4377. | अमरीकी सहयोग से फोर्ड ट्रैक्टरों का निर्माण | Manufacture of Ford Tractors with American Collaboration | 109—110 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 4378. | विदेशी सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण | Manufacture of Tractors with Foreign Collaboration | 110—111 |
| 4379. | उत्तर रेलवे में टाइपिस्ट | Typists on Northern Railway | 111—112 |
| 4380. | दक्षिण रेलवे में हानि | Loss on Southern Railway | 112—113 |
| 4381. | भारतीय मानक संस्था (इंडियन स्टैण्डर्ड इंस्टीट्यूट) | Indian Standards Institution | 113 |
| 4382. | छोटी कार परियोजना | Small Car Project | 114 |
| 4383. | हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन | Reorganisation of Hindustan Steel Ltd. | 114—115 |
| 4384. | शराब के कारखाने के लिए लाइसेंस | Licences for Wine Factory | 115 |
| 4385. | पुनर्वेलन (रि-रोलिंग) उद्योग के लिए इस्पात के बिलेटों की कमी | Shortage of Steel Billets for re-rolling Industry | 115—116 |
| 4386. | दार्जिलिंग हिमालय सैक्शन को पुनः खोलना | Re-opening of Darjeeling Himalayan Section | 116 |
| 4387. | दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रैक्टरों के पुर्जों के बजाय ईंटों का रखा जाना | Replacement of Tractor parts by Bricks at Delhi Railway Station | 116—117 |
| 4389. | इस्पात का आयात | Import of Steel | 117 |
| 4390. | रेलवे में सहशिक्षा वाले स्कूलों में शिक्षा शुल्क की प्रतिपति | Reimbursement of School Fees in Railway Mixed Schools | 118 |
| 4391. | झांसी माणिकपुर शाखा लाइन पर यात्री गाड़ियों का देर से चलना | Late running of Passenger Train on Jhansi Manikpur Branch Line | 118 |
| 4392. | विशेष रेलगाड़ियों का देर से चलना | Late Running of special Trains | 118—119 |
| 4393. | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची | Heavy Engineering Corporation Ranchi | 119—120 |
| 4394. | केरल में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं | Rural Industrial Projects in Kerala | 120 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 4395. | गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों के लिये चन्दे | Donnations to Political Parties by Private Companies | 120 |
| 4396. | दिल्ली समस्तीपुर बोगी की देखभाल | Maintenance of Delhi Samstipur Bogie | 121 |
| 4397. | कुष्ठ रोगियों का कल्याण | Welfare of lepers | 121 |
| 4398. | उद्योग (विकास तथा विनियम अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन | Violation of the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act | 121—122 |
| 4399. | हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर दक्षिण भारत के भोजन की बिक्री | Sale of South Indian Dishes at Hardwar Railway Station | 122—123 |
| 4400. | रेलवे में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति | Promotion of Scheduled Caste Employees in Railways | 123 |
| 4401. | पूर्वोत्तर रेलवे का डिवीजनों में बाँटा जाना | Divisionalisation of North Eastern Railway | 123 |
| 4402. | रेलवे बोर्ड के लेखापालों द्वारा कब्जे में लिये गये क्वार्टर | Railway Quarters occupied by Accounttants of Railway Board | 123—124 |
| 4403. | मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड भद्रावती | Mysore Iron and Steel Ltd. Bhadravati | 124 |
| 4404. | माल उतारने तथा चढ़ाने के काम पर कमीशन | Commission on loading and unloading of goods | 124—125 |
| 4405. | मेरठ सिटी स्टेशन के पत्र व्यवहार क्लर्क पर आक्रमण | Assault on correspondence clerk of Meerut City Station | 125—126 |
| 4406. | लखनऊ डिवीजन (उत्तर रेलवे में भण्डारों की लेखा परीक्षा) | Auditing of stores in Lucknow Division (Northern Railway) | 126 |
| 4407. | लखनऊ डिवीजन के डिवीजनल इलैक्ट्रिकल इंजीनियर तथा इलैक्ट्रिकल चार्जमैन | Divisional Electrical Enginners and Electrical Chargemen of Lucknow Division | 126 |
| 4408. | शटल गाड़ियों में बुक किये गये टमाटरों के पार्सलों का देर से पहुंचना | Late arrival of parcels of tomatoes booked in shuttle train | 127 |

| अता०प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance Resolution of West | 127—129 |
| पश्चिम बंगाल विधान परिषद् का उत्सादन करने के बारे में | Bengal Regislative Assembly to abolish | 127—129 |
| पश्चिमी बंगाल विधान सभा का संकल्प | West Bengal Regislative Council | 128 |
| ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में | Re. Calling Attention Notice | 129—130 |
| विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में | Re. Question of Privilege | 130—131 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table | 131 |
| राज्य सभा से सन्देश | Messages from Rajya Sabha | 131—132 |
| प्राक्कलन समिति | Estimates Committee | 132 |
| पैंसठवां प्रतिवेदन | Sixty-fifth Report | 132 |
| लोक-लेखा समिति | Public Accounts Committee | 132 |
| च्वालीसवां प्रतिवेदन | Forty Fourth Report | 132 |
| सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक | Government (Liability in Torts) Bill | 132 |
| संयुक्त समिति का प्रतिवेदन साक्ष्य तथा ज्ञापन | Report of Joint Committee ; Evidence ; and Memoranda | 132—133 |
| संविधान बाइसवां संशोधन विधेयक | Constitution (Twenty-Second Amendment) | 133—157 |
| संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में | Bill as reported by Joint Committee *Contd.* | 133 |
| विचार करने का प्रस्ताव जारी | Motion to Consider—*Contd.* | 133 |
| श्री ओम प्रकाश त्यागी | Shri Om Prakash Tyagi | 133 |
| श्री विश्वनारायण शास्त्री | Shri Biswanarayan Shastri | 133—135 |
| श्री गणेश घोष | Shri Ganesh Ghosh | 135—137 |
| श्री रा० बरुआ | Shri R. Barua | 137—139 |
| श्री एस० एम० जोशी | Shri S. M. Joshi | 139 |
| श्री जे० एन० हजारिका | Shri J. N. Hazarika | 140—141 |
| श्री रंगा | Shri Ranga | 141—143 |
| श्री बेदब्रत बरुआ | Shri Bedabrata Barua | 143—144 |
| श्री धीरेश्वर कलिता | Shri Dhireswar Kalita | 144—145 |

| अता० प्र० संख्या विषय | Subject | पृष्ठ |
|---|---|---|
| U. S. Q. Nos. | | Pages |
| श्री बसुमतारी | Shri Basumatari | 145—146 |
| श्री हेम बरुआ | Shri Hem Barua | 146—148 |
| श्री पे० वेंकटासुब्बया | Shri P. Venkatasubbaiah | 148—149 |
| श्री स्वैल | Shri Swell | 149—151 |
| श्री जयपाल सिंह | Shri Jaipal Singh | 151 |
| श्री लोबो प्रभु | Shri Lobo Prabhu | 151—152 |
| श्री अब्दुल गनी दार | Shri Abdul Ghani Dar | 152 |
| श्री यशवन्त राव चव्हाण | Shri Y. B. Chavan | 152—153 |
| खण्डवार विचार | Consideration of clauses | 153—157 |
| भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक | Indian Medicine and Homoeopathy Central Council Bill— | 157—158 |
| सहमति के लिए प्रस्ताव | Motion for concurrence | 157 |
| श्री ब० सु० मूर्ति | Shri B. S. Murthy | 157 |

# लोक-सभा

## LOK SABHA

मंगलवार, 25 मार्च, 1969/4 चैत्र, 1891 (शक)
Tuesday, March 25, 1969/Chaitra 4, 1891 (Saka)

———

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### मद्यनिषेध के बारे में राष्ट्रीय नीति

*691. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने 1 दिसम्बर, 1968 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि मद्यनिषेध के बारे में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने हेतु सभी दलों की एक बैठक, जिसमें राज्यों, संघ राज्यक्षेत्रों तथा सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हों, आयोजित की जानी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में इस समिति ने और क्या-क्या सिफारिशें की थीं तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

**विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :** (क) केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की बैठक 30 नवम्बर, 1968 को हुई और उसने एक सर्वदलीय बैठक की सिफारिश की।

(ख) यह विषय विचाराधीन है। एक अनौपचारिक टिप्पणी मुख्य मंत्रियों को उनके राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में आने पर मतों के सम्भावित विनिमय के लिए घुमाई जा रही है।

(ग) उस बैठक के कार्यक्रम की एक प्रतिलिपि जिसमें केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की सिफारिशें दी हैं, सभा पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 482/69] सम्बन्धित समुचित अधिकारियों के परामर्श से इन पर विचार किया जा रहा है।

**श्री चेंगलराया नायडू** : क्या यह सच नहीं है कि गणराज्य के इतिहास में प्रथम बार मद्य-निषेध लागू होने के बाद अत्यधिक भ्रष्टाचार फैला है जिससे सरकारी संस्थाओं की बदनामी हुई है। क्या सरकार मद्यनिषेध को जबरदस्ती लागू करने के स्थान पर प्रचार का माध्यम अपनाने पर विचार करेगी जैसा कि परिवार नियोजन के लिये किया जा रहा है ?

**डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह** : माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिये हैं हम निश्चय ही उन पर विचार करेंगे। मैं इतना बता देना चाहती हूँ कि प्रचार के लिये एक मद्यनिषेध समिति बनी हुई है और उन्हें भारत सरकार से धन दियाँ जाता है।

**श्री चेंगलराया नायडू** : लोगों को शराब पीने से रोकने के बजाय क्या सरकार इस कार्य को मंत्रियों के. उनके पुत्रों के और फिर संसद सदस्यों के स्तर से आरम्भ करेगी ? तभी हमें जनता से कहना चाहिए कि वे शराब न पियें।

**विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** : यह ठीक है कि दूसरे लोगों को को उपदेश देने से पूर्व अपना सुधार करना चाहिये।

**श्री स० कण्डप्पन** : दुर्भाग्य से इस समिति की सिफारिशों पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाता। अब तक केवल मौखिक सहानुभूति व्यक्त की जाती है। मद्यनिषेध नीति को केवल कानूनी उपायों से लागू किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समिति एक ठोस सुझाव देना चाहती है परन्तु वह बहुत अस्पष्ट है। एक स्थान पर लिखा है।

"......और पांच वर्ष की संक्रमणीय अवधि के लिये मद्यनिषेध विस्तारण कार्यक्रम को आरम्भ करने हेतु प्रेरणा देने के लिये केन्द्रीय सरकार उत्पादन शुल्क की 50 प्रतिशत हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिये तैयार।"

इस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने 50 प्रतिशत रियायत देने का पहले ही निर्णय कर लिया है ? क्या यह रियायत केवल उन्हीं राज्यों को दी जायेगी जहां अब मद्य-निषेध बिल्कुल नहीं है और वे मद्यनिषेध लागू करने के लिये तैयार हैं अथवा क्या यह रियायत उन सभी राज्यों को दी जायेगी जो मद्यनिषेध नीति को पहले से क्रियान्वित कर रहे हैं ?

**श्री गोविन्द मेनन** : अभी यह पेशकश उन राज्यों के लिये है जहाँ मद्यनिषेध अब लागू किया गया है।

**श्री मनुभाई पटेल** : क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूँ कि अन्य सभी राज्यों में 2 अक्तूबर, 1969 से मद्यनिषेध आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण के पृष्ठ (6) में (ञा) के सामने लिखा है : "नशीली शराबों अथवा औषधियों के निर्माण/बिक्री के लिये लायसेंस नहीं दिये जाने चाहिये।" यह समिति की सर्वसम्मत सिफारिश है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? और उसी पृष्ठ पर (ड) के सामने लिखा है कि राजपथों, पवित्र स्थानों, शिक्षा संस्थाओं अदि से शराब की दुकाने हटायी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

टेकचन्द आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के बारे में एक सर्वसम्मत निर्णय किया

गया था। क्या सरकार उस पर विचार करेगी और क्या उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गोआ अधिवेशन में पारित संकल्प को क्रियान्वित करने के लिये क्या मंत्री महोदय अपने नेता से सिफारिश करेंगे कि शराब पीने वाले मंत्रियों को मंत्रालय से हटा दिया जाये ?

**श्री गोविन्द मेनन** : जहाँ तक मद्यनिषेध के क्रियान्वन का सम्बन्ध है अन्तिम मद को छोड़कर उस पर राज्य सरकारों ने कार्यवाही करनी है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेने के लिये आने वाले मुख्य मंत्रियों में इस सम्बन्ध में एक अनौपचारिक विवरण परिचालित किया जायेगा। यह सब जानते हैं कि उत्पादन शुल्क और मद्यनिषेध राज्यों के विषय हैं। गोआ संकल्प भी राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसीलिये वित्तीय प्रेरणा की पेशकश दी जा रही है।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : The Hon'ble Minister has stated that it is for the States to implement prohibition. But Central Government is also responsible in respect of certain territories. On one hand Government is propagating prohibition but on the other hand Central and State Governments are issuing licencces for opening new liquor shops. On one hand Government has been reinding illicit-liquor distillaries and recovering illicit liquor, which is sold by the Government on higher rates and on the other hand they are giving contracts for liquor shops. How can success be achieved by adopting such double edged policy ? Either Government should stop issuing licences or people should be given liberty.

**श्री गोविन्द मेनन** : मेरे विचार में माननीय सदस्य का अभिप्राय संघ राज्य-क्षेत्रों से है। संघ राज्य क्षेत्रों में भी लगभग राज्य सरकारों की तरह ही प्रशासनों की स्थापना की गई है। इस प्रकार के मामलों का प्रशासन भी उन्हीं के हाथ में है। केन्द्रीय सरकार मद्यनिषेध के बारे में राज्य सरकारों पर केवल नैतिक दबाव डाल सकती है।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : Will you not stop issuing licences ?

**Shri Nitiraj Singh Chaudhary** : May I know whether the 50 per cent grant is meant for prohibition only or it includes all other intoxicating drugs also ?

**श्री गोविन्द मेनन** : हम नशीली शराबों को बन्द करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार दुलमुल नीति अपनाने के बजाये वास्तविकता को पहचानेगी और मद्यनिषेध को समाप्त करेगी जिससे देश में भ्रष्टाचार कम हो ?

**श्री गोविन्द मेनन** : यह कार्य भी राज्य सरकारों को करना है और कुछ राज्य सरकारें यह कार्य कर भी रही हैं।

**डा० सुशीला नैयर** : क्या सरकार को पता है कि 75 प्रतिशत से अधिक, लगभग 90 प्रतिशत भ्रष्टाचार शराब के कारण होता है ? दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा अन्य सभी नगरों में प्रत्येक बड़े क्लब में प्रत्येक बड़े व्यापरी के अपने सम्पर्क अधिकारी है। यही लोग शराब पीते और पिलाते हैं (**व्यवधान**) यह बात सभी लोग जानते हैं कि शराब का ग्लास पीकर जो मित्रता स्थापित की जाती है वह चिरस्थायी होती है ; जब कोई अधिकारी किसी के साथ मिलकर

शराब पी रहा हो और उस व्यक्ति का लाइसेंस आदि कोई वस्तु उसके सामने हो तो, भ्रष्टाचार के साथ साथ उस मित्रतापूर्ण सम्बन्ध में किसी का भी संतुलन बिगड़ सकता है। अतः क्या सरकार का विचार क्लबों अथवा किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर सरकारी अधिकारियों द्वारा शराब पीने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का है ?

**श्री गोविन्द मेनन** : यह एक सुझाव है और इस गृह-कार्य मंत्रालय को भेज दिया जायेगा।

**Shri Prakash Vir Shastri** : May I know the amount spent by the Government in connection with drafting the report of Tek Chand Committee on Prohibition. Whether this Report was sent to State Governments and if so, names of such States and the States which have concurred or not concurred with the report ? May I know whether Government would announce any concrete policy on prohibition in the Gandhi centenary year or the policy of indecision would continue as in other cases ?

**श्री गोविन्द मेनन** : टेकचन्द समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकारों को भेजा गया है और मेरे विचार से उसके बाद किसी राज्य सरकार ने मद्यनिषेध के क्षेत्र को नहीं बढ़ाया है। टेकचन्द समिति पर कितनी धन राशि खर्च की गई, इस सम्बन्ध में पूर्व सूचना की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी नीति की घोषणा किये जाने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि केवल राज्य सरकारें ही इस नीति को क्रियान्वित कर सकती हैं। केन्द्रीय सरकार केवल प्रेरणा दे सकती है जो वह देती रही है। संविधान में जो कुछ लिखा है वह सब कुछ केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

**कुछ उद्योगों में उत्पादन के लिये दोहरे प्रयास**

*692. **श्री रा० की० अमीन** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई वस्तुओं जैसे ढाँचों, इस्पात ढलाई, माल डिब्बों निर्माण, जेनरेटरों, पम्पों और कम्प्रेसरों आदि का सरकारी क्षेत्र में निर्माण करने के लिए दोहरा प्रयास किया जा रहा है जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र में क्षमता बेकार पड़ी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में इस सम्बन्ध में समन्वय करने के लिये किसी प्रकार की व्यवस्था कायम करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में क्षमता धीरे-धीरे स्थापित की जाती है जिसका भविष्य में विकास करने का पूरा उत्तरदायित्व राज्य का होगा तथा वे उद्योग जो धीरे-धीरे राज्यों के अधीन हो जायेंगे किन्तु इनमें गैर-सरकारी उद्यम को भी राज्य के प्रयत्नों को बढ़ावा देने में सहायता करने की अनुमति होगी। दूसरे किस्म के मामलों में जहां सरकार

सरकारी क्षेत्र में क्षमता स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है उनमें निर्माण की जाने वाली वस्तु की भावी माँग को ध्यान में रखने के अतिरिक्त उनके निर्माण के लिए पहले से विद्यमान अथवा लाइसेंस प्राप्त क्षमता तथा किन-किन वस्तुओं का उत्पादन होगा, दूसरा भी ध्यान में रखा जाता है। सरकारी उपक्रमों में नई क्षमता केवल उन्हीं वस्तुओं के लिये स्थापित की जाती है जिनकी विद्यमान क्षमता से मांग पूरी न हो सकती हो, जैसा कि ढांचों के सम्बन्ध में हैं अथवा ये वस्तुएं ऐसी हों जिनमें अपेक्षित प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित न हों, जैसा कि ढली वस्तुओं के मामले में हैं। इसके साथ-साथ पम्पों और कम्प्रेसरों के मामले में दूसरा सुनिश्चय करने के लिए भी ध्यान दिया जाता है कि सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में पहले से उपलब्ध सुविधायें जान-बूझ कर फिर से नहीं उपलब्ध कराई जायेगी।

मंदी की अवधियों में जिसमें से एक अवधि से हम हाल ही में निकल चुके हैं, शायद एक ही दो मामलों में अधिक क्षमता उत्पन्न हुई हो जिसका प्रमुख कारण मांग का गिर जाना था। सौभाग्य से मंदी के समय में एकाध मामले में अधिक क्षमता उत्पन्न हो जाना एक अस्थायी चीज है जिसे सहन करना पड़ता है।

**श्री रा० की अमीन** : जहाँ तक औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प का सम्बन्ध है, दूसरी तथा तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करने का तरीका ठीक था, परन्तु सरकार ने अब पंचवर्षीय योजना छोड़कर वार्षिक योजना बनाना आरम्भ किया है और इस दृष्टि से क्या सरकार औद्योगिक नीति तथा सरकारी क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करने के तरीके की घोषणा करेगी जिससे सरकार तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उत्पादन के दोहरे प्रयास समाप्त किये जा सकें ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उद्योगों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है और इस आधार पर हमने इस प्रश्न पर विचार करना है। (एक) कुछ उद्योग केवल सरकारी क्षेत्र के लिये आरक्षित हैं। (दो) वे उद्योग, जो धीरे-धीरे सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे और (तीन) वह वर्ग जिसमें हमने गैर-सरकारी क्षेत्र को उद्योग स्थापित करने की अनुमति दे रखी है सिवाय इसके जहाँ वे मांग पूरी नहीं कर सकते अथवा जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहे जो देश के लिये अनिवार्य हैं। जहां तक पहले वर्ग का सम्बन्ध है वह हमारी माँग का प्रश्न है और माँग के आधार पर सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये जाते हैं। यह ठीक है कि एक या दो मामलों में हमने मांग को आधार बनाया परन्तु वास्तव में मांग सिद्ध नहीं हुई जिसका परिणाम यह निकला कि क्षमता बेकार पड़ी रही। अब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या भविष्य में मांग को ध्यान में रखकर सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये जायें। अब जैसे पम्पों और कम्प्रैसरों का मामला है। पहले हम लगभग 16000 टन की क्षमता वाला एक कारखाना स्थापित कर रहे थे परन्तु विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद और गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादन को ध्यान में रखते हुये हमने क्षमता को 16000 से घटाकर 6000 कर दिया है। फिर जहाँ उद्योग स्थापित नहीं किये गये हैं वहां हम सम्भावित माँग पर विचार करके आँकड़ों में संशोधन कर रहे हैं। जहां तक दूसरे वर्ग का सम्बन्ध है, लायसेंस जारी करने से पूर्व हम मांग, सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन पर विचार करते हैं। जो वस्तुएं गैर-सरकारी क्षेत्र में

नहीं बनाई जा सकती और जिनकी मांग केवल सरकारी क्षेत्र पूरी कर सकता है, वही सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये जाते हैं। जहां तक तीसरे वर्ग का सम्बन्ध है सरकारी क्षेत्र ने केवल कुछ ही वस्तुओं का निर्माण आरम्भ किया है जिनका निर्माण अब तक सरकारी क्षेत्र में नहीं किया जा रहा था।

**श्री रा० की० अमीन** : मेरा प्रश्न इससे भिन्न था। वर्ष 1956 में स्वीकृत यह मशीनरी तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जाने वाले कारखाने के लिये उपयुक्त हो सकती है। परन्तु अब आप एक वार्षिक योजना को स्वीकार कर रहे हैं और जबकि इस सम्बन्ध में काफी ढील दे दी गई है तथा लाइसेंस देने की प्रणाली समाप्त कर दी गई है तो एक नई प्रकार की मशीनरी का होना आवश्यक है। आप इस मशीनरी का आयात करने जा रहे हैं अथवा नहीं ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : यह सच है कि सामान्यत: तीसरी योजना के लिये निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर आवश्यकता और उत्पादन का ध्यान रखा जाता है। परन्तु अब हम वार्षिक योजनाओं के आधार पर धनराशि दे रहे हैं तथा इस उद्देश्य के लिए हम पता लगायेंगे कि क्या कभी आयेगी, क्या उत्पादन होगा, उसी आधार पर लाइसेंस दिये जा रहे है तथा सरकारी क्षेत्र में उपक्रम स्थापित किये जा रहे हैं।

**श्री रा० की० अमीन** : मेरा अगला प्रश्न यह है, कि टेलीफोन के बिलों के बारे में पहले से ही अधिक क्षमता विद्यमान है। क्या सरकार उस क्षेत्र में एक नया करखाना खोलने का विचार कर रही है ?

**श्री भानु प्रकाश सिंह** : टेलीफोन केबल कारखाने को हम सरकारी क्षेत्र में खोलने का विचार नहीं रखते, परन्तु आयोजना आयोग ने कहा है कि यदि सम्भव हो तो यह कार्य गैर सरकारी क्षेत्र को दिया जा सकता है और अब मामले पर विचार किया जा रहा है ;

**श्री एस० आर० दामानी** : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कई इन्जीनियरी उद्योगों में पिछले दो वर्षों से क्षमता बेकार पड़ी है। इस अवधि में मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि उत्पादन में विविधता लाने के लिए तथा बढ़ती मांगों को देखकर हम कुछ कारखाने स्थापित कर रहे हैं। क्या मैं विशिष्ट रूप से यह जान सकता हूँ कि देश में कारखानों की मांगों तथा मशीनरी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : इस सम्बन्ध में भी यह सच है कि इन्जीनियरी उद्योग भी मन्दी के दौर से कुप्रभावित होने वाले उद्योग में से एक था। परन्तु मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूँ कि स्थिति में काफी सुधार हो गया है विशेष रूप से इस बात को देखते हुए हमें विदेशों से काफी निर्यात-आदेश प्राप्त हो रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि माल डिब्बों की निर्माण क्षमता के बारे में भी हम निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं कर पाये हैं विविधीकरण के फलस्वरूप तथा प्राप्त होने वाले निर्यात आदेशों तथा रेलवे में बढ़ती हुई माँग को देखकर मुझे आशा है कि इस वर्ष के आने वाले महीनों में इस उद्योग का सुधार होगा।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मन्त्री महोदय उद्योगनीति संकल्प के बारे में बोल रहे हैं। क्या

यह संकल्प राज्यों पर भी लागू होता है ? यदि हां, तो क्या इस नीति के अधीन सरकारी क्षेत्र के एककों को गैर सरकारी हाथों में सौंपा जा सकता है ? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या सरकार को यह मालूम है कि उड़ीसा में कुछ सरकारी उपक्रमों को स्वतन्त्र दल की सरकार द्वारा और गैर-सरकारी प्रबन्धकों को सौंपा जा रहा है क्या ऐसे मामलों में यह भी नीति है कि यदि राज्य केन्द्र सरकारों द्वारा स्वीकृत नीति से भिन्न यदि कोई नीति पर चलें तो पहले उन्हें आपसे सलाह लेनी चाहिये तथा बाद में कुछ करना चाहिए ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : नीति संकल्प राज्यों पर भी लागू होता है । माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योग प्रबन्ध के लिये गैर सरकारी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिये गये हैं । मैं तो यही कह सकता हूँ कि वे उस श्रेणी दूसरी में आते हैं जहां सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में प्रतियोगिता की अनुमती है ।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : यह तो केन्द्र द्वारा प्रस्तावित है । प्रबन्ध गैर सरकारी हाथों में दिया गया है ।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि पहली श्रेणी के उद्योग केवल सरकारी क्षेत्र के अधीन ही रहेंगे । परन्तु यह एक उद्योग दूसरी क्षेणी का है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्र कार्य कर सकते हैं ।

**श्री बेदब्रत बरुआ** : अब यह सर्वविदित हो गया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के सम्मुख विशेष रूप से इस्पात आयोग में पर्याप्त मात्रा में मांग रखने में सरकार की असफलता के फलस्वरूप मंदी की शुरूआत हुई जिसने सारे देश की अर्थव्यवस्था को मन्दी का शिकार बना दिया । क्या योजना में धन न लगने तथा मांगों की कमी के कारण हमें फिर भी मन्दी का खतरा उत्पन्न हो सकता है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि स्वयं सरकारी क्षेत्र की ओर से ही या सरकार की ओर से पर्याप्त मात्रा में मांगें पेश की जायेंगी ताकि ये उद्योग बिना अधिक हानि उठाये अथवा बेकार क्षमता रखे ही चल सकें ?

**फखरुद्दीन अली अहमद** : सभी सरकारी उपक्रमों के बारे में उत्तर देना कठिन है परन्तु मैं कह सकता हूँ कि मेरे विभाग के अधीन तो केवल कुछ ही उद्योग ऐसे हैं जिनके तो पास वर्ष 1970-71 के लिए काफी आदेश हैं और जब तक आदेशों सम्बन्धी स्थिति में सुधार नहीं होता, विशेष रूप से हैवी इलैक्ट्रिकल्स और भारत कम्पनी में, निष्कार्य क्षमता बराबर बनी रहेगी । यह तो पूर्णरूपेण इस बात पर आश्रित होगा कि अगली चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी बिजली पैदा की जाती है । केवल इसी आधार पर हम क्रमादेशों की आशा कर सकते हैं तथा आगे कार्यवाही कर सकते हैं । यह योजना अभी विचाराधीन है यह बात इस पर ही आधारित होगी कि हम विभिन्न मदों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित करने जा रहे हैं । यह सच है कि वर्ष 1971 के बाद क्रमादेशों सम्बन्धी स्थिति अधिक स्पष्ट नहीं है और जब तक योजना स्वीकृत नहीं होती मेरे लिये कुछ कहना कठिन है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मन्त्री महोदय ने कहा है कि यदि वह गैर सरकारी क्षेत्र में निष्कार्य क्षमता मौजूद है तो सरकारी क्षेत्र में क्षमता न उत्पन्न की जाये या उसे प्रतिबन्धित कर दिया

जाये। मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह बात सच है या नहीं कि यदि सरकारी क्षेत्र में निष्कार्य क्षमता रहती है तो क्या वे गैर सरकारी क्षेत्र में नई क्षमता उत्पन्न करने देंगे ? हिन्दुस्तान केबल कारखाने में, जिसका कि जिक्र किया गया है, निष्कार्य क्षमता विद्यमान है और फिर भी वे गैर-सरकारी क्षेत्र को अपना कारखाना लाने के लिए लाइसेंस देन की सोच रहे हैं। इस बारे में क्या नीति है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** पहले तो मैं यही नहीं समझा कि मुझे किसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** उपमन्त्री ने यह कहा था।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** उन्होंने तो यह कहा था कि क्षमता और आवश्यकता का विचार रखते हुए हमें गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा पैदा की गई क्षमता का भी ध्यान रखना है। इस लिए हम गैर सरकारी क्षेत्र की क्षमता की उपेक्षा नहीं कर सकते।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या आप इस बारे में परस्पर विरोध नहीं पाते ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** जी नहीं। जब भी गैर सरकारी क्षेत्र को लाइसेंस दिया जाता है, सरकारी उपक्रमों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी हम ध्यान में रखते हैं। सरकारी केबल उद्योग में कोई निष्कार्य क्षमता नहीं है। वह अपनी क्षमतानुसार कार्य कर रहा है।

**Shri Shashi Bhushan :** Many factories are lying idle under our Public Sector. May I know whether you have already set up or going to set up any Commission to advice the Government in regard to eliminating idle capacity there. Have the Government prepared any scheme to save these factories from loss.

My second question is that the workers and the officers of the Hindustan Cables want their capacity should be doubled. Yet you are giving licence to others. There is enough scope of manufacturing diesel engines, structures, railway wagons, but in spite of that you are placing orders on some other firms. I want to know why do not you co-ordinate all that ?

**Shri F. A. Ahmed :** We have recently taken steps for co-ordination. As regards Engineering and Steel, they have put under one Ministry. They will see that the work done in these undertakings benefits other industries also, Similarly a consortium has been set up for all the electrical industries so as to co-ordinate their activities. After joining the public undertakings together, and also linking the similar private sector industries, our effort is to eradicate idle capacity in the whole country. We are considering this aspect. It is a big issue and cannot be solved in a couple of days. We wishes that there is a co-ordination between the public undertakings, and are thinking about joining hands with the private enterprises in the consortia.

**Shri Om Prakash Tyagi :** As a result of the present policy of the Government in regerd these industries and providing licences therefor, these industries are getting centralised in a few cities, and the result is that people from that area only get employment and others areas sit idle. Besides that, on account of increase in the population in the cities, many problems of accommodation etc. have crop up, and I want to know whether the Government propose to decentralise these industries with a view to developing them in all the regions of India and providing employment to the people in all those areas. Both in Public and Private Sectors, whether the Government would see the industries are not centralised at one place and they are decentralised throughout the counrty.

**Shri Bhanu Prakash Singh :** It is the policy of the Government to ensure that the industries are not centralised at one place. The purpose behind running these medium scale and small scale industries is to bring these industries to the villages so that the people from villages don't run to the cities.

As regards the big industries in the public sector, the decision depends upon the availability of raw material and also the economic and technical feasibility and the regional inbalances are also kept in view.

**Shri Om Prakash Tyagi :** The Hon'ble Minister has given a wrong reply. Raw-material gets collected in Bombay and Delhi and that raw-material can very well reach Aligarh and Moradabad also.

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मन्त्री महोदय ने कहा है कि काफी सुधार हुआ है तथा पिछले दो वर्षों में निष्कार्य क्षमता का उपयोग किया गया है। मैं जानना चाहूँगी की हैवी इन्जीनियरिंग लिमिटिड, हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्ज लिमिटेड में कितनी निष्कार्य क्षमता को उपयोग में लाया गया है। इन तीनों एककों में अब कितनी क्षमता है।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** जहां तक भारी उद्योग का सम्बन्ध है, मेरे विभाग में नहीं है...

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** कुछ समय पहले ये एकक आपके अधीन थे। मैं तो पीछे की ही बात कर रही हूँ।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** जो मुझे याद है मैं वह कहना चाहता हूँ। पिछले वर्ष के दौरान उत्पादन 8000 टन से बढ़कर 14000 टन हो गया। अब तो मुझे यही याद है। अतः वहाँ सुधार हुआ है। जहाँ तक हैवी इलैक्ट्रिकल्ज का सम्बन्ध है, उन्होंने काफी प्रगति प्रदर्शित की है तथा नुकसान कम होता जा रहा है।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं यह जानना चाहती हूं कि दो वर्ष पूर्व कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा था और अब कितनी क्षमता निष्कार्य पड़ी है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** मैं वे आंकड़े भी दे सकूंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सामान्य प्रश्न है और क्योंकि उत्तर लम्बा होगा इसलिये उसे सभा-पटल पर रख दिया जाये। उन्हें सभी क्षमताओं का व्योरा देने की आवश्यकता नहीं है परन्तु यह उत्तम होगा यदि वह एक विवरण सभा-पटल पर रख दें।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** मेरे पास सारे आंकड़े हैं। मैं एक विवरण सभा-पटल पर रख सकता हूँ।

**श्री स० कु० तापड़िया :** अब मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछूंगा। परस्पर विरोधी बातों का होना ही सरकार का दूसरा नाम हो गया है। विवरण में सरकार ने कहा है:

"जहां सरकारी क्षेत्र में क्षमता स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है उनमें निर्माण की जाने वाली वस्तु का भावी माँगों को ध्यान में रखने के अतिरिक्त उनके निर्माण के लिये पहले से विद्यमान अथवा लाइसेंस प्राप्त क्षमता तथा किन-किन वस्तुओं का उत्पादन होगा, दूसरा भी ध्यान में रखा जाता है।......

यह भी ध्यान में रखा जाता है कि सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में पहले से उपलब्ध सुविधायें जान-बूझ कर फिर से उपलब्ध नहीं कराई जायेगी ।"

इस आधार पर क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इस तथ्य के बारे में परस्पर विपरीत बातें नहीं हैं कि जहां एक विशिष्ट संस्थान को भूमिक्षरण के लिये तमिलनाडू में एक कारखाना स्थापित करने का लाइसेंस दिया गया है, वहाँ कुछ तकनीकी बातों को लेकर उसमें विलम्ब किया जा रहा है ; उदाहरणार्थ, इस बहाने को लेकर कि सरकार इससे सम्बन्धित सम्भावनाओं पर विचार कर रही है, क्या कोई सरकारी उपक्रम उस मांग को पूरा करने के लिये का विस्तार हो सकता है, अथवा नया सहयोग प्राप्त कर सकता है या और आगे क्षमता बढ़ा सकता है ? यदि एक लाइसेंस पहले से ही मौजूद है तो फिर सरकारी क्षेत्र में नई क्षमतायें स्थापित करने के क्या कारण हैं ।

**श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद** : इसमें परस्पर विरोधी कोई बात नहीं है । माननीय सदस्य को याद होगा कि मैंने अपनी एक उदाहरण दी थी कि जब किसी ऐसे सरकारी उपक्रम में पम्पों और कम्प्रेशरों के लिये कोई एकक स्थापित करने का निर्णय लिया गया था । जहाँ हमने 16,000 टन की क्षमता बनानी थी परन्तु जहां बाद में हमें मालूम हुआ कि गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों के उत्पादन को विचार में रखकर, हमारी आवश्यकता केवल 6,000 टन है तो हमने इस क्षमता को 16,000 से घटाकर 6,000 टन कर दिया । इसीलिये भूमिक्षरण के बारे में भी, उन मदों के लिये आवेदन पत्र आया था परन्तु जब हमने देखा कि उनमें से कुछ मदों के लिये हमारे यहाँ सरकारी उपक्रम हैं तो......

**श्री सु० कु० तापड़िया** : एक लाइसेंस दिया गया था ।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : हो सकता है, परन्तु जब हमने देखा कि उन्हीं चीजों को सरकारी उपक्रम में निर्मित किया जा सकता है तो विशेष रूप से उसी तथा ऐसी मद को गैर सरकारी क्षेत्र में निर्मित करने में कोई औचित्य नहीं है । अतः यह मामला विचाराधीन है और यदि हम किसी मद का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में कर सकते हैं तो वह मद सरकारी क्षेत्र को ही दी जायेगी ।

**श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या उनका यह अभिप्राय है कि विशेष रूप से इस मामले में, यदि और आगे विस्तार नहीं करना पड़ता, यदि केवल और नई मशीनरी नहीं लगाई जायेगी तथा यदि और आगे सहयोग की जरूरत नहीं होगी, तो वह सरकारी उपक्रम को ही वह मद निर्मित करने की अनुमति देंगे ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : सरकारी उपक्रम की निष्कार्य क्षमता को भी तो दूर करना हैं । अतः यदि सरकारी उपक्रम किसी मद के निर्माण का दायित्व ले सकता है तो निश्चय ही उसे वरीयता दी जायेगी ।

**Shri Tulshi Das Jadhav** : If there is no idle capacity in the public and private sectors, and if the private industrialists seek to set up their industries, may I know what machinery do the Government have to give all informations to and guide those people as to which industry should be beneficial for them to set up ?

**Shri Bhanu Prakash Singh** : If an industrialist approaches us with an application for a licence we certainly guide him in regard to the availability of capacity for the manufacture of that item, and also whether that will be beneficial to him or not. If he agrees, it is good, otherwise it is his sweet will. But we certainly guide him all about.

## Ballot Papers

***694. Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether arrangements were made for the signature of the Polling Officer on the ballot papers in the last mid-term elections held in several States ;

(b) whether Government have received complaints about the misuse of some ballot papers even after this arrangement ; and

(c) if so, whether Government propose to adopt some further special measures in future to remove such difficulties ?

**विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मु० यू० सलीम)** : (क) जी, हां। (मतपत्रों पर पीछे की ओर हस्ताक्षर, मतदान आरम्भ होने के पूर्व, मतदान केन्द्रों के पीठासीन आफिसरों द्वारा किए जाते हैं, न कि मतदान आफिसरों द्वारा जैसा कि प्रश्न में कहा गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Shri Prakash Vir Shastri :** In view of the fact that complaints have been received at times to the effect that political highups misuse the Goveanment machinery, can the possibility of any lacunae creeping into the system can be ruled out by simply getting the signature of one senior officer, if so, is the Election Commission considering any measures which would rule out my misuse of the ballot paper ?

**Shri M. Yunus Saleem :** The main objective of this provision is to ensure that the ballot paper is safe and it is to this end, then it has been provident that Presiding Officer is to sign but side by side the ballot box is sealed. If Polling Agent likes he can also put his signatures thereon.

**अध्यक्ष महोदय** : पूरी प्रक्रिया को बताने की आवश्यकता नहीं है यह माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये विशिष्ट प्रश्न का ही उत्तर दें। माननीय सदस्य अपना प्रश्न दोहरा दें।

**Shri Prakash Vir Shastri :** My question is simple. You have been receiving complaints from time to time about the misuse of Government machinery by the political leaders and under the system introduced by you a Government officer is required to sign on the ballot paper. Cannot that political leader use that officer for himself ? Has the Election Commission thought out any device to remove this lacunae.

**श्री गोविन्द मेनन** : पीटासीन अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने की पद्धति यह सुनिश्चित करने के लिए आरम्भ की गई है कि बाद में जाली मतपत्रों का प्रयोग न किया जा सके। प्रश्न यह है कि यदि पीठासीन अधिकारी भी दुर्व्यवहार करने लगें ? इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। मेरे साथी बता रहे थे कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा मतपत्रों पर हस्ताक्षर किये जाने के अतिरिक्त मत पेटियों आदि को सील करने की भी व्यवस्था है। इन सब उपायों के बावजूद भी यदि कोई त्रुटि रहती है तो हमें विचार करना होगा कि आगे क्या किया जाना चाहिये और इसके लिये अभी काफी समय है।

**Shri Prakash Vir Shastri :** Sir, I want explain my question. Bakhshi Ghulam Mohammad had shown some ballot papers as had been distributed to the voters one day

before the elections. In the last elections in Jammu and Kashmir these ballot papers bore official numbers and the Government machinery distributed them before hand and used them in its favour. Are Government contemplating any measures to prevent such misuse ?

**श्री गोविन्द मेनन** : इसका पता लगा लिया गया है कि यह व्यवस्था ठीक तरह से कार्य कर रही है। यदि इसके बावजूद भी कोई दुरुपयोग हुआ तो हम आगे इस पर विचार करेंगे।

**Shri Shiv Kumar Shastri** : Just now the Hon'ble Minister stated the provision regarding the signing of the ballot paper is meant for ensuring the safety of the ballot. But recently there was a petition from Rajasthan saying that while the ballot papers were being counted, the officer there put double stamps on them and his favourite candidate won the election and the ballot papers of the other candidate were got cancelled. Are you contemplating any measures to prevent such misuse ?

**श्री गोविन्द मेनन** : यह दुर्व्यवहार का आरोप है और मुझे विश्वास है, चुनाव न्यायाधिकरण इसकी जांच करेगा। आरोप यह है कि गिनती करते समय जब हस्ताक्षर नहीं पाये गये तो पीठासीन अधिकारी ने उनपर हस्ताक्षर कर दिये। यह निश्चय ही दुर्व्यवहार का मामला है।

**Shri Onkar Lal Bohra** : May I know whether Government have received reports during the last mid-term elections in four States to the effect that there has been massive balloting of bogus votes because of the ballot papers were given to the Presiding Officers before time and they filled the ballot boxes before the polling commenced ? Secondly, during the last mid-term elections the ballot boxes were sealed even before the time was expired, which was given to the agents of various political parties come and have the boxes sealed in their presence. The result of this was that where the number of voters was less, the ballot boxes were found to be fully packed. Do Government propose to conduct an enquiry into it ?

**अध्यक्ष महोदय** : ये सब अनियमितताएं हैं जिनका चुनाव आयोग को पता होना चाहिए।

**श्री गोविन्द मेनन** : यदि एजेंट समय पर नहीं पहुंचे, तो चुनाव उनकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। उन्हें समय पर पहुंचना चाहिए। बहुत कम शिकायतें आई हैं।

**श्री स० कुण्डू** : चुनाव के समय जब कोई मतदाता पीठासीन अधिकारी के सामने आता है, तो वह एक पर्ची देता है और पीठासीन अधिकारी मतदाता सूची में प्रविष्टि करने के पश्चात उसको एक मतपत्र दे देता है। जब कोई चुनाव सम्बन्धी विवाद होता है और मतपत्रों की जांच की जाती है। तो सूची की सहायता से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किस मतदाता ने किसको मत दिया। क्या माननीय मन्त्री मतदान में गोपनीयता बनाये रखने के लिये किन्हीं उपायों पर विचार कर रहे हैं ?

**श्री गोविन्द मेनन** : जब चुनाव सम्बन्धी याचिकाएं दी जाती हैं, तो कुछ आरोपों की जांच करने के लिये कभी कभी बक्सों को खोला जाता है। यह सच है कि कुछ मामलों में न्यायाधीश द्वारा गोपनीयता भंग की जाती है क्योंकि उसे यह पता लगाना होता है कि एक व्यक्ति जो वास्तव में मतदाता है, उसे मतपत्र मिला या नहीं और उसने मत दिया गया अथवा नहीं।

**श्री द्वा० ना० तिवारी** : मध्यावधि चुनावों में बिहार में दो चीजें प्रकाश में आई। बक्स में बहुत सारे मतपत्र बिना हस्ताक्षर के डाल दिये गये थे। दूसरे, कुछ मामलों में बक्सों में मतपत्रों की संख्या मतदाताओं की संख्या से अधिक थी। क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार उनकी जांच करके उन्हें रोकने के उपाय करेगी ?

**श्री मु० यूनस सलीम** : हमें अभी तक ऐसी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। यदि शिकायतें आईं, तो जांच की जायेगी।

**Shri Ghulam Mohammad Bakshi :** I do not wish to repeat what happened in last elections in Kashmir. So far 10 cases arising out of the election petitions have been decided and in all of them elections have been held void and strictures have also been passed by the High Court and the Supreme Court. As a result of that 10 by-elections are being held and out of these result in 6 has already been announced and in the remaining 4 it is going to be announced in 4-5 days. I therefore urge upon the Hon'ble Minister to take appropriate steps to have fair elections there.

During the last two by-elections in Kashmir, the Chief Election Commissioner was in Kashmir. The elections were being held in Srinagar and he was supervising them from Pahalgaum which is a cool place. May I know the steps being taken by the Hon'ble Minister to check the recurrence of such things.

**श्री गोविन्द मेनन** : माननीय सदस्य के कथनानुसार मैं चुनाव आयुक्त से कहूंगा कि इन सुझावों के अनुसार काम करें।

**Shri Ghulam Mohammad Bakshi :** Ask him to go to Gulmarg or other places where elections are held and not to Pahalgaum.

**श्री विश्वनाथ राय** : पिछले चुनावों में देश के कुछ भागों में निर्धन मतदाताओं की, विशेष रूप से हरिजनों को धमकी देकर बाध्य किया गया और उन्हें कहा गया कि वे चुनाव केन्द्रों पर मतपत्र लेने के लिये न जायें। क्या इस प्रकार की बाध्यता और मतदाताओं की जान और सम्पत्ति को संकट से बचाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

**श्री मु० यूनस सलीम** : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

**श्री पीलु मोदी** : किसी भी लोकतन्त्रात्मक पद्धति का पहला काम मतपत्र की गोपनीयता बनाये रखना है। विधि मन्त्री ने श्री कुण्दू के प्रश्न के उत्तर में बताया कि केवल अपवादात्मक मामलों में ही, जहां पर यह सिद्ध करना आवश्यक होता है कि एक विशिष्ट मत का क्या बना, न्यायाधीश पता लगा सकते हैं। इस देश में चुनाव गोपनीय मतपत्र द्वारा नहीं है, ज्यों ही एक मतदाता चुनाव केन्द्र पर जाता है, उसको मतपत्र दिया जाता है और उस मतपत्र पर दी हुई संख्या चुनाव रजिस्टर में उसके नाम के सामने दे दी जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि एक द्वेष भाव रखने वाली सरकार, अधिकारी अथवा मन्त्री के लिये, यदि वह चाहे तो हमेशा ही यह पता लगाना संभव होगा कि किसने किसको मत दिया। इस गन्दी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिये या फिर मतपत्र पर संख्या नहीं दी जानी चाहिए।

**श्री गोविन्द मेनन** : चुनाव सम्बन्धी सभी पत्र गिनने के पश्चात सील कर दिये जाते हैं और चुनाव आयुक्त की देखभाल में रख दिये जाते हैं। चुनाव अदालत में यदि कोई मामला जाये तो केवल तब ही मतपत्रों की छानबीन आवश्यक हो जाती है और केवल इन्हीं मामलों में मतदाता का पता लग सकता है।

**Shri Chandrika Prasad :** During elections it was noticed at various places that the genuine voters did not get the ballot papers. Will Government take steps to see that the genuine voters get the ballot papers.

**Shri M. Yunus Saleem :** We have not received such a complaint so far. But if any complaint is received we shall certainly took into that.

**श्री बलराज मधोक** : श्रीमन्, दो विशिष्ट आरोप हैं। एक तो यह की कुछ मामलों में पीठासीन अधिकारी सभी मतपत्रों को मतदाताओं को दे देते हैं चाहे उन्होंने उनपर हस्ताक्षर किये हों अथवा नहीं और चाहे वे सभी मतदाता वहां उपस्थित हों अथवा नहीं। यही कारण है कि बिहार तथा अन्य राज्यों में अनेक ऐसे मामले हुए हैं। ऐसा भी हुआ है कि जहां कुल मत संख्या 900 है वहां पर मतपत्रों की संख्या भी 900 या इससे अधिक पहुंच गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि पीठासीन अधिकारी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता या उसपर दबाव डाला जाता है।

दूसरा आरोप यह है कि कभी पीठासीन अधिकारियों की खुशामद की जाती है या उनपर दबाव डाला जाता है कि वह अन्य दलों के सभी चुनाव एजेंटों को हटा दें ताकि एक दल जिसका वहां जोर है और जिसका वहा बहुमत है किसी व्यक्ति को जो मतदाता हैं अथवा नहीं, वहाँ लाया जा सके और उससे मतपत्र लेकर मतपेटी में डाला जा सके। ये दो विशिष्ट शिकायतें हैं। सरकार इनको दूर करने के लिये क्या करने जा रही है ?

**श्री गोविन्द मेनन** : ये स्पष्ट रूप से दुर्व्यवहार हैं और इनके आधार पर चुनाव याचिकायें दी जा सकती हैं। इससे अधिक में क्या कह सकता हूँ ?

### Transport Facilities to Voters

***695. Shri Molahu Prashad :**
**Shri Ram Charan :**

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government propose to make transport facilities available to each voter only on the polling day during Elections so that candidates may not be able to provide free conveyance to the voters and thus take undue advantage thereof ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम)** : (क) जी, नहीं।

(ख) मतदान के दिन हर एक मतदाता को परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार के लिए न तो संभव है और न साध्य है। किन्तु निर्वाचन आयोग, वाहनों को अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने की बुराई का सामना करने के लिए कुछ प्रस्थापनाओं की परीक्षा कर रहा है।

**Shri Molahu Prashad :** Mr. Speaker, during the mid-term elections conveyance had been illegally provided to the voters by the candidates particularly of the ruling party and thus undue advantage was taken. The voters generally cast their votes in favour of those candidates who provide conveyance to them. May I know from the Hon'ble Minister what permanent steps are being taken to check this evil practice ?

**Shri M. Yunus Saleem :** If any candidate provides motor vehicles to the voters, it is a corrupt practice. In order to curb this corrupt practice, different measures are being adopted. A number of suggestions are under consideration. One of them is this that this corrupt practice should be made a penal offence. The second suggestion is this that the Law should be so amended that if a person is found plying any motor vehicle with a number of people on it, this should be thoroughly checked and in order to do so permits should be issued to such pliers in advance who want to use their vehicles on election day so that we are aware of the vehicles which are being used.

The third suggestion is this that if a vehicle is brought on the road and a complaint is received against its misuse, it should be seized and forfeited. These are the different suggestions which are under consideration. The relevant law should be amended suitably, so that this corrupt practice is checked.

**Shri Molahu Prasad :** The other day when the centre-States relations were being discussed the people of that side had alleged that the Members of the opposition parties are always criticising the judgments of the Judges and that they do not uphold them.

In this connection I want to read my unstarred question No. 2478 asked on 11th March, 1969 and the reply thereto :—

"(a) whether Government have re-considered the Judgment of Andhra High Court upheld by the Supreme Court in Dr. M. Channa Reddy's case that "Ministers misuse their positions in Elections, therefore they should relinquish office at least six months before", and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) :** (a) Yes, Sir.

(b) Government do not consider that Ministers should relinquish office before elections.

Now the Government itself is not implementing the decision of the judges. May I know what action is being taken by Government to implement the same.

**Shri M. Yunus Saleem :** The main question relates to transport facilities to voters and thus this question of the Hon'ble Member does not arise out of it.

**Shri Molahu Prasad :** I wanted to know as to what action is being taken to implement the judgment given by the High Court in Dr. M. Channa Reddi's case that Ministers should relinquish office at least 6 months before elections ?

**Shri M. Yunus Saleem :** So far as making motor vehicles etc. available to the voters by the candidates is concerned, I have already stated in detail that certain suggestions are under consideration. If any particular complaint is received that somebody has violated the election law, we will definitely get that matter enquired into.

**Shrimati Lakshmi Kanthamma :** Under the election law, conveyance cannot be provided to voters. May I know whether Government will make arrangement of conveyance for those lady voters who have to come from far off places and who have to stand in queues in the sun carrying their babies in their laps ?

**Shri M. Yunus Saleem :** This suggestion will be looked into.

**श्री रंगा** : कुछ समय पहले हमें समाचार पत्रों से मालूम हुआ था कि निर्वाचन आयोग चलटी फिरती मतपेटियों कीं व्यवस्था करने की सम्भावना पर गम्भीरता से विचार कर रहा है। इसके अन्तर्गत मतपेटियां मतदाताओं के यथासम्भव निकट ले जायी जा सकें और हर व्यक्ति को मत डालने का अवसर प्राप्त हो सके। इस बारे में अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है। यह सुझाव राजाजी पिछले डेढ़ वर्ष से दे रहे हैं। इस सुझाव की क्या स्थिति है ? दूसरे क्या सरकार कश्मीर में चुनावों के मामलों में दिये गये न्याय निर्णयों को पढ़ेगी और उनको ध्यान में रखते हुए क्या वह काश्मीर में निर्वाचन अधिकारियों को उपयुक्त सलाह देगी कि वहां पर होने वाले उप-चुनावों के लिये उचित, निष्पक्ष तथा अच्छा वातावरण बनाये रखा जाये ?

**विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** : चलते फिरते मतदान केन्द्रों के बारे में निर्वाचन आयोग

ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र तक 2 मील से अधिक न चलना पड़े ।

**डा० सुशीला नैयर** : उन्हें तो 4, 5 मील चलना पड़ता है......

**श्री गोविन्द मेनन** : जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं वही बता रहा हूँ । यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र तक 2 मील से अधिक न चलना पड़े । मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा है कि जहाँ तक ऐसे स्थानों का सम्बन्ध है, जहाँ हरिजन तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं जिन पर अनुचित दबाव डाला जाता है और जिनके विरुद्ध बलप्रयोग किया जाता है, वहां पर चलते फिरते मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । काश्मीर में निर्वाचनों के सम्बन्ध में श्री रंगा ने जो सुझाव दिया है, उसे अवश्य ध्यान में रखा जायेगा ।

**Rise in Prices of Vanaspati Ghee**

\+

**9. Shri Hardayal Devgun :**
**Shri Madhu Limaye :**
**Shri Yajya Datt Sharma :**
**Shri K. P. Singh :**
**Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have recently permitted the manufacturers of Vanaspati Ghee to raise the prices thereof ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government have taken into view the likely repercussions of the said increase and if so, the details thereof ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे)** : (क) जी हां, 8 मार्च, 1969 से 23 मार्च, 1969 से मूल्य में दोबारा वृद्धि करना आवश्यक हो गया था ।

(ख) पिछले पखवाड़े में वनस्पति तेलों के मूल्य में वृद्धि के कारण ।

(ग) वनस्पति का मूल्य कच्चे तेलों के मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है । कच्चे तेल के मूल्य में यदि कोई बढ़ोतरी अथवा कमी होती है तो उसके अनुसार ही वनस्पति के मूल्य में भी बढ़ोतरी या कमी होती है ।

**Shri Hardayal Devgun** : Government is collecting election funds from the mills to the tune of Lakhs of Rupees and allowing them to make profits with the result that every family has to incur an additional expenditure of Rs. 5/- every month. It is the duty of the Government to stabilise the prices. But so far as *Vanaspati* is concerned, it seems that it is not a Government but a chamber of speculation. As transactions are disposed of after every fourteen days in the stock exchange, similarly prices of *Vanaspati* are fixed. When the notice of this question was given the price of *Vanaspati* had been increased by 30 paise per kilo and now when the question has been admitted, its price has again been raised. Since the prices are to be raised after every fourteen days, the mill-owners are in a position to speculate. As soon as the prices of oils begin to rise, the stock of *vanaspati* disappears from the open market. Recently it was available in the black market at Rs. 3/- to Rs. 5/- per tin over and above the fixed price.

Had Government permitted the Government of Gujarat to procure ground-nuts as a levy and have the said State Government made any procurement of the same ?

Secondly, certain mills extract oil themselves. Sometime ago, the Minister of Industrial Development advised them to stop daily shopping. In the circumstances, may I know the reasons for raising the price of *vanaspati* after every fourteen days ? Is it a fact that ground-nut oil is being bought and sold in the forward market resulting in higher price ; and if so, whether Government will take any action to check speculation ?

**श्री अन्नासाहेब शिन्दे** : वनस्पति घी की कीमत पिछले 15 दिनों में खरीदे गये कच्चे तेल की औसत कीमत के आधार पर सांविधिक तौर पर निर्धारित की जाती है। इस सन्बन्ध में वित्त मंत्रालय में लागत लेखा शाखा ने कुछ सिद्धान्त बनाये हुए हैं। इसके अतिरिक्त यह मामला प्रशुल्क आयोग को भी सौंपा गया है जो इस पर अग्रेतर और विचार करेगा। वनस्पति घी की उपलब्धता के बारे में वर्तमान स्थिति ठीक है। हां, कुछ दिन पहले दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी थी कि इस मामले में कठिनाई है। परन्तु अब उन्होंने सूचित किया है कि अब यह बाजार में आसानी से उपलब्ध है अतः इसके बाजार में आने के बारे में कोई कठिनाई नहीं है।

**Shri Hardayal Devgun** : May I know whether the ground-nuts which had been procured by the Government of Gujarat, is being made available to the mills at fixed price and if so, whether Government will take a decision to this effect that the price of vanaspati should be reviewed after every six months instead of after every fourteen days because in the latter case the mill-owners indulge in hoarding ?

May I also know whether other people will be given an opportunity in this field so that there is open competition.

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : मेरे विचार में गत छः महीनों में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर तैयार शुदा माल की कीमत निश्चित करना व्यावहारिक नहीं है जैसाकि मैं पहसे बता चुका हूँ इस मामले को प्रशुल्क आयोग को निर्दिष्ट कर दिया गया है। यदि प्रशुल्क आयोग ने कोई ऐसा सुझाव दिया तो हम उस पर विचार करेंगे।

**Shri Madhu Lamaye** : It seems that the Department of Food has some magical powers with the result that every thing it touches, it turns with gold. Last year, they touched sugar and its price rose to Rs. 5/- to Rs. 6/- per kilo. Even to-day its price is more than Rs 3.50 per kilo. Similarly this time they touched *vanaspati* ghee and the price has started going up. May I know whether any scheme has been formulated to increase the production of ground-nuts and oil seeds ? May I know the extent up to which the farmers and the hoarders have been benefited as a result of their increase in the prices of ground-nuts and oilseeds and if the hoarders and profiteers have been benefited, will Government try to stabilise the prices after seizing the whole stock of oil seeds ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि कीमतों पर सांविधिक नियंत्रण है। मैं यह भी बता चुका हूँ कि मूल्य सम्बन्धी सारा मामला प्रशुल्क आयोग को विचारार्थ सौंप दिया गया है। मूंगफली आदि के उत्पादन में वृद्धि करने के मामले पर अलग से विचार किया जा सकता है। मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु कई योजनायें बनाई गई हैं और राज्य सरकारें आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

मैसूर, आँध्र प्रदेश तथा मद्रास जैसे कई क्षेत्रों में गत वर्षा न होने तथा मौसम के खराब रहने से मूंगफली के उत्पादन में कमी हुई है। वनस्पति उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोयाबीन तथा सूरज मुखी फूल के तेल का आवश्यक मात्रा में आयात करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

**Shri Madhu Limaye :** I wanted to know whether the farmers or the hoarders have been benefited by this increase in prices and if the profiteers have been benefited by it, why their stock is not being forfeited by the Government ?

**अध्यक्ष महोदय :** बात यह है कि यद्यपि उत्पादन मौसम की खराबी के कारण कम हुआ फिर भी मूल्यों में गिरावट आयी।

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** फसल आने के तत्काल बाद तो यह स्थिति थी परन्तु अब तो मूल्यों में वृद्धि हो गई है। माननीय सदस्य को यह जानकर हर्ष होगा कि उत्तरी क्षेत्र में जनवरी, 1968 से तेल के मूल्य में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वनस्पति के मूल्य में केवल 15.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी भाँति दक्षिणी क्षेत्र में भी यह वृद्धि क्रमशः 18.1 और 14.8 प्रतिशत रही। मूंगफली के मूल्यों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है।

**श्री क० प्र० सिंह देव :** माननीय मन्त्री ने यह बताया है कि मूल्यों से सम्बन्धित प्रश्न को प्रशुल्क आयोग को सौंप दिया गया गया है। परन्तु वनस्पति के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की बात नई नहीं है, ऐसी स्थिति तो 1963 से लगातार चली आ रही है। इस प्रश्न को प्रशुल्क आयोग को सौंपने से पूर्व वनस्पति के मूल्य सम्पूर्ण देश में स्थिर बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई। स्थायी नियन्त्रण से मूल्यों में उतार चढ़ाव आता रहा है। जनवरी से मार्च तक की अवधि में तीन बार मूल्य बढ़े और घटे हैं। इससे राज्य व्यापार निगम सट्टेबाजों या उपभोक्ता में से किसको लाभ होता है ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्य किये गये हैं। मूल्य के स्थिरीकरण के लिए उत्पादन का बढ़ना और वनस्पति का आसानी से उपलब्ध होना अनिवार्य है। वनस्पति उद्योग को लाइसेंस-व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप लगभग दस पार्टियों ने नये वनस्पति कारखाने लगाने के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। एकाधिकार को रोकने के लिये हमने केवल एक शर्त लगाई है कि 200 टन से अधिक उत्पादन की क्षमता वाला कोई भी कारखाना स्थापित नहीं किया जायेगा। जहाँ तक मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न है, मूल्यों में परिवर्तन पाक्षिक आधार पर होता है।

**श्री क० प्र० सिंह देव :** मूल्यों में उतार-चढ़ाव से किसे लाभ होता है।

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** माननीय सदस्य की यह धारणा गलत है कि सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात से राज्य व्यापार निगम लाभ कमा रहा है। यह ठीक है कि राज्य व्यापार निगम ऊंचे दामों पर सोयाबीन के तेल को बेचता है। परन्तु माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि अतिरिक्त लाभ के लिए एक कोष बनाया गया है जिससे मन्दी के समय राज्य व्यापार निगम अपना घाटा पूरा करेगा और जिसमें से कुछ धन मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करने के निमित्त खर्च किया जायेगा।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** The Minister said that the prices of Vanaspati increased due to lack of rains. But I would like to tell that the production of Vanaspati was 3,90,000 tons in 1967 which was increased to 4,60,000 tons in 1968. It means that there is increase in the production while the policy of Government is basically defective. The price of Vanaspati is controlled while there is no control on vegetable oil. That is why the price of vegetable oil went up every now and then and dishonest manufacturers or traders gain out of it. The system of distribution is also defective. In view of it

whether Government will consider to lift control from it totally so that it may be regulated by demand and supply rule and its prices may be controlled.

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : सरकार का वनस्पति के वितरण पर से नियंत्रण उठा लेने का कोई विचार नहीं है। वैसे हमने राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया है कि वे उन वितरकों या उत्पादकों के विरुद्ध वनस्पति डीलर्स लाइसेंसिंग आर्डर के अन्तर्गत कार्यवाही करे, जो मौके से लाभ उठाते हैं ताकि उपभोक्ता के हितों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े। उत्पादन निश्चय ही बढ़ रहा है। जहां तक मूल्य कम करने का सम्बन्ध है मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसके मूल्य नियंत्रित हैं।

**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** : क्या मन्त्री महोदय ऐसा आश्वासन दे सकते हैं कि मूंगफली के मूल्य कम होने पर वनस्पति के मूल्य नहीं बढ़ेंगे या कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्य उद्योग से सम्बद्ध हो जायेंगे।

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : मैं इस प्रकार का आश्वाशन नहीं दे सकता। निर्मित वस्तुओं के मूल्यों कच्चे माल के मूल्यों पर आधारित होते हैं। परन्तु हमारा ध्येय यह होता है कि किसानों और उत्पादकों के हितों की भी रक्षा होती रहे।

**Shri Jageshwar Yadav** : May I know whether it is a fact that the prices of Vanaspati are increased by Government because they want to compensate those licence-holders who give huge sums as subscription to Congress for election purposes ?

**श्री अन्नासाहब शिन्दे** : मैं यह कई बार कह चुका हूँ कि इसके मूल्य नियंत्रित हैं और इसके वितरण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारें आवश्यक कार्यवाही करेगी।

**श्री चेंगलराया नायडू** : वनस्पति के मूल्य किस आधार पर निश्चित किये जाते हैं। सोयाबीन तेल के आयात से यह समस्या नहीं सुलझेगी। इसके लिये तो मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाना होगा। मूंगफली का उत्पादन तभी बढ़ सकेगा, जबकि मूंगफली का समर्थन मूल्य निश्चित कर दिया जाये। अतः क्या सरकार मूंगफली का समर्थन मूल्य निश्चित करने के प्रश्न पर विचार करेगी और यदि हां तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिया जायेगा।

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को भली-भांति समझता हूँ। वह मूंगफली उत्पादकों के हितों के रक्षक हैं। हमने यह मामला कृषि मूल्य आयोग को सौंपा था और उनसे पूछा था कि क्या मूंगफली के न्यूनतम मूल्य कानून बनाकर निश्चित कर दिये जायेंगे। परन्तु कृषि मूल्य आयोग इसके लिए सहमत न हुआ और उन्होंने ऐसा कहा कि इस समय न्यूनतम मूल्य निश्चित करना वाँछनीय न होगा।

**श्री चेंगलराया नायडू** : उस आयोग को समाप्त करके नया आयोग नियुक्त कीजिये।

**श्री स० मो० बनर्जी** : वनस्पति उत्पादक इतने प्रभावशाली है कि सरकार उनसे बधाई की आकांक्षा करती है। पिछले बीस वर्षों में सरकार वनस्पति के लिए कोई ठीक रंग भी नहीं खोज पाई। क्या सरकार कोई ऐसा आयोग नियुक्त करेगी जो वनस्पति पर आने वाली उत्पादन लागत और उसके विक्रय मूल्य के बारे में जांच करेगा ? उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य में बहुत अधिक अन्तर है।

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को ठीक से नहीं समझा। प्रशुल्क

लोक-सभा

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

25 मार्च, 1969 । 4 चैत्र , 1891 (शक) का शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ संख्या | शुद्धि |
|---|---|
| XVI | नीचे से पाँचवीं पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िये :<br>खंड 2 — Clause 2 -<br>आवश्यक बहुमत से पारित नहीं हुआ । — Not carried by requisite majority. |
| 153 | नीचे से नौवीं पंक्ति में खण्ड 2 के पश्चात् निम्नलिखित पढ़िये :<br>(नये अनुच्छेद 244 क का जोड़ा जाना ) |
| 155 | ऊपर से 12 वीं पंक्ति में 'amendment ' के स्थान पर ' amendments' पढ़िये । |
| 155 | ऊपर से 19 वीं पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित पढ़िये :<br>प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।<br>The Motion was negatived. |

आयोग ऐसी संस्था है जो मूल्य संरचना पर विचार के लिए सक्षम थी । मेरे विचार से अब कोई नया आयोग स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

**Shri Randhir Singh :** Sir, I would like to ask why there is too much difference between the prices of sugar-cane and sugar, cotton and yarn, ground-nut and vanaspati i.e. the raw materials produced by farmers and the finished goods produced by industry. Secondly, will you find out a suitable colour for Dalda so that its adulteration with the pure Ghee may be checked.

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** उत्पादकों के हितों की रक्षा के उपायों पर मन्त्रालय विचार करता रहता है और इस दिशा में कई प्रकार के ठोस कार्य भी किये गये हैं ।

**Shri Abdul Gani Dar :** Sir, while facing the acute shortage of pure Ghee and milk people demand that a big Vanaspati plant should be set up by Government in public sector, so that they may get Vanaspati at cheaper rates. Will Government start such a project ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** मैं सरकार का ध्येय पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि कोई भी उपभोक्ता या उत्पादक का शोषण न करे । इसलिये यह मामला प्रशुल्क आयोग को सौंपा गया था ।

**Shrimati Jayaben Shah :** The whole matter is very much complicated. Vanaspati, Soyabean and ground-nut are related to each other. But the prices of Vanaspati are controlled while there is no control on the prices of ground-nut or groundnut oil. The prices of groundnut oil are much more than the prices of groundnut. Why it is so ? May I know whether Government will appoint a Committee to look into the whole matter ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** इन समस्याओं के अध्ययन के लिए एक समिति नियुक्त कर दी गई है ।

**श्री समर गुह :** क्या यह सच है कि कुछ वैज्ञानिकों ने यह राय प्रकट की है कि वनस्पति के लगातार प्रयोग से प्रयोक्ता अन्धा हो सकता है ? क्या भारत के चिकित्सक-विशेषज्ञों ने इस मत के सन्दर्भ में जांच की है यदि हाँ, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो क्या भारतीय वैज्ञानिक इस सम्बन्ध में परीक्षण करेंगे ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** वैज्ञानिकों की ओर से हमारे पास अब तक जो मत आये हैं उनमें से प्रत्येक से यह संकेत मिलता है कि यह मानवीय शरीर के लिए हानिप्रद नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय :** अन्तिम पूरक प्रश्न श्री शिवनारायण जी पूछेंगे ।

**श्री समर गुह :** किन-किन वैज्ञानिकों ने यह मत दिया है कि वनस्पति स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है और वे वैज्ञानिक कौन-कौन हैं जो यह कहते हैं कि इसके प्रयोग से प्रयोक्ता अंधा हो सकता है ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** यदि मुझे इसके लिए अलग से सूचना मिलेगी तो उनके नाम दिये जा सकते हैं ।

**Shri Sheo Narain :** Sir, it is decided in Congress Session at Jaipur that controls will be lifted. Similar is the demand being constantly made by public. The moment the control is imposed, the controlled commodities become scarce for consumers. They

do not get them on reasonable rates. May I know whether Government will introduce such a system as will make commodities easily available for consumers ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : इस समय देश के किसी भी भाग में वनस्पति की उपलब्धता के बारे में कोई कठिनाई नहीं है ।

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### होशियारपुर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुए उपचुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग

*693 **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुए उपचुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** : (क) जी, नहीं ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### तेल के बैरलों तथा तारकोल के ड्रमों का निर्माण

696. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1653 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रश्नों के बारे में अपेक्षित जानकारी अब एकत्रित करली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि मैसर्स कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड ने तारकोल ड्रमों के निर्माण के लिये विशाखापतनम स्थिति मैसर्स हिन्द कन्टेनर्स (प्राइवेट) लिमिटेड को 24 गेज की इस्पात की वे चादरें सप्लाई की थी जो धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1966-67 में उनके लिए किये गये 30 लाख रुपये के आवंटन के अन्तर्गत उनको मिलीं थीं ;

(घ) यदि हां, तो उसने ऐसा कैसे किया जबकि ऐसा बताया जाता है कि मैसर्स हिन्द कन्टेनर्स (प्राइवेट) लिमिटेड लघु उद्योग के अन्तर्गत पंजीकृत है ; और

(ङ) वर्ष 1968-69 से तेल के बैरल तथा तारकोल के ड्रम बनाने के लिये क्रमशः 18 गेज और 24 गेज के इस्पात की चादरों के लिये प्रत्येक तेल कम्पनी को दिये गये आयात लाइसेंसों का व्यौरा क्या है ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (ख). लोहा और इस्पात नियंत्रक अभी लाइसेंस देने वाले अधिकारियों से आंकड़े इकट्ठे कर रहा है ; ये आंकड़े शीघ्रातिशीघ्र सदन में पेश कर दिये जायेंगे ।

(ग) तत्कालीन पेट्रोलियम रसायन मंत्रालय ने मैसर्स कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड को खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1966-67 में विदेशी मुद्रा के नियतन में से 33 लाख

रुपये बिटूमन के ड्रमों की चादर के आयात के लिए दिये थे । तेल कम्पनी ने ये चादरें मेसर्स हिन्द कन्टेनर्स प्रा० लिमिटेड को बिटूमन ड्रमों के निर्माण के लिए दे दी थी ।

(घ) मैसर्स हिन्द कन्टेनर्स प्रा० लिमिटेड मेसर्स हिन्द गेलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा० लिमिटेड की जिनके पास मेसर्स कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड का ड्रम बनाने का ठेका है, एक सहायक फर्म है ।

## Industries in Public Sector

*697. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Onkar Singh :**
**Shri Gopal Saboo :** **Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of industries set up in the public sector and the capital invested in each of them ;

(b) the profit and loss position in case of each industry upto 31st March, 1968 ;

(c) the extent of production capacity being utilized in the case of each industry ; and

(d) the steps being taken by Government to ensure that the industries work properly ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :** (a) By the end of March 1968, 67 public enterprises excluding those under construction and the Life Insurance Corporation of India had come into operation. A statement (Annexure I) is laid on the Table of the House indicating the Capital (by way of equity and loans) invested in each of the undertakings set up, as also those under construction and the L I.C. [*Placed in Library. See* No. LT.—483/69.]

(b) A statement (Annexure II) is laid on the Table of the House indicating the figures of net profit/loss after depreciation, interest and tax during 1967-68 in respect of the 67 undertakings in operation. [*Placed in Library. See* No. LT —483/69.] In the case of Life Insurance Corporation the surplus as determined by the latest valuation covering the period of the two years from 1st April, 1965 to 31st March, 1967, amounted to Rs. 72.78 crores out of which Rs. 68.67 crores was allotted to policy-holders and Rs. 3 61 crores to the Government of India.

(c) A statement (Annexure III) is laid on the Table of the House showing the factual position regarding (i) installed capacity (ii) actual production and (iii) percentage utilisation during 1967-68 in respect of the major Public Sector Enterprises. [*Placed in Library. See* No. LT.—483/69]

(d) Effectiveness of the measures taken by the management and Government for fuller utilisation of the capacity, wherever this is under-utilised, would depend both on the demand for the products and also on improvements in managerial and operational efficiency. The steps taken towards this direction have been indicated in the pamphlet "Public Sector Enterprises—A Memorandum" circulated to the Members of the House as part of the Budget documents on 28.2.1969.

## चौथी योजना की अवधि में इस्पात का उत्पादन

698. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त में, जब सभी इस्पात कारखाने अपनी पूरी क्षमता पर कार्य कर रहे होंगे, इस्पात का अनुमानतः कुल कितना उत्पादन होगा ; और

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है ताकि देश में उत्पादित पूरे इस्पात का लाभ उठाया जा सके ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए लोहे और इस्पात का कार्यक्रम तैयार करने में योजना आयोग और सरकार की सहायता के लिए नियुक्त की गई कर्णधार समिति ने अनुमान लगाया है कि चौथी योजना (1973-74) में पूर्व आयोजित क्षमता से तैयार इस्पात की कुल उपलब्धि 7.8 मिलियन टन के लगभग होगी। चूंकि चौथी योजना में तैयार इस्पात की कुल माँग 8.4 मिलियन टन होने का अनुमान है (1.3 मिलियन टन निर्यात के लिए शामिल करने पर), कर्णधार समिति ने उत्पादन को उस स्तर तक लाने के लिए कई सुझाव दिए हैं।

कर्णधार समिति की शिफारिशें इस समय योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

(ख) इस्पात के उत्पादन का विकास कार्यक्रम चौथी योजना में औद्योगिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है।

### Committee on Expansion of Bhilai Steel Plant

***699. Shri Ranjit Singh :**
**Shri Ram Gopal Shalwale :**
**Shri Atal Bihari Vajpayee :**
**Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to State :

(a) whether the report of the Steering Committee on the expansion of Bhilai Steel Plant has been received ; and

(b) if so, their recommendations and the reaction of Government thereto ?

**The Minister of Steel and Heavy Engineering (Shri C. M. Poonacha)** : (a) Yes, Sir.

(b) The Steering Group has recommended the further expansion of the Bhilai Steel Plant from its existing 2 5 million tonne steel ingot capacity to 3.2 million tonnes. The recommendation will be considered by Government while finalising lhe Fourth Five Year Plan.

### Manufacture of Small Tractors

***700. Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken steps to manufacture small tractors in the country in view of their demand and utility ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) if so, the time by which these tractors would be available to the farmers ; and

(d) what will be the annual production of these tractors and the price of each tractor ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** : (a) and (b). The following steps have heen taken for the manufacture of small tractors in the country :—

(i) In order to encourage speedy establishment of new units, particularly for tractors in the lower horse power range, the tractor industry has been

exempted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. Following delicensing of the industry, four schemes for the manufacture of small tractors have been received. One of these schemes has been approved in principle. The remaining schemes are under examination.

(ii) A proposal to take up the manufacture of tractors of 20 H.P. in the public sector is being pursued.

(c) None of the schemes for the manufacture of small tractors under consideration has yet reached the stage at which the actual construction can be taken on hand or production established. It is, therefore difficult to say at this stage the time by which these tractors would be available to the farmers.

(d) The total capacity proposed in the four private sector schemes and one public sector scheme under consideration is about 50,000 Nos. per annum. It is too early to indicate at this stage the price at which such tractors would be sold.

**भद्रावती इस्पात कारखाने के लिये ऋण**

*701. **श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन री-कन्सट्रक्शन लोन कारपोरेशन मैसूर के भद्रावती इस्पात कारखाने को 3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण देने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह ऋण मिश्रित धातु इस्पात संयंत्र के लिये संतुलन उपकरण के आयात के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु दिया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कारपोरेशन ने कारखाने के लिये अब तक कुल कितना ऋण दिया है ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अब तक मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड ने जर्मन कारपोरेशन से तीन ऋण लिए हैं जिनकी कुल राशि 87.9 मिलियन जर्मन मार्क अर्थात् 16.57 करोड़ रुपये हैं ।

**Recommendations of Industrial Consultative Committee**

*702. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) the suggestions and recommendations received from the Central Industrial Consultative Committee in July last ; and

(b) the reaction of Government thereto, the steps taken and the results thereof ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :** (a) and (b). Presumably, the reference is to the last meeting of the Standing Committee of the Central Advisory Council of Industries held on the 2nd July, 1968. A statement furnishing the required information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) and (b). The Standing Committee of the Central Advisory Council of Industries at its last meeting held on the 2nd July, 1968 reviewed the current industrial situation in the country and also broadly considered certain issues having a bearing on

industrial policy such as the suggestions of the Planning Commission in its paper. 'Approach to the Fourth Five Year Plan' ; the treatment to be meted out to industries which have established capacity in excess of their licensed capacity and matters pertaining to repitative import of know-how etc. The deliberations of the meeting were more in the nature of exchange of views on these matters with the representatives of industry and other groups. Decisions regarding modifications in the industrial licensing policy would be taken by Government only after consideration of the Planning Commission's final recommendations in this regard together with the views of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee, whose report is expected shortly. The other suggestions and observations made in the meeting regarding supply of raw materials, import substitution, export promotion etc. have been taken note of by the concerned authorities for necessary action.

**कम्पनियों के अंशधारियों के हितों की रक्षा करने के लिये उपाय**

*703. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय समवाय विधि में संशोधनों के बाद इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के छोटे अंशधारी अपने उचित अधिकारों से बंचित हो गए हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि प्रबन्धक विभिन्न तरीक से अपना कर उन शेयरों को, जिन्हें सामान्यता अंशधारियों के लाभ के लिये रखे दिखाया जाता है, अपने नियंत्रण में रख रहे हैं, जिससे प्रबन्धकों को अतिरिक्त आय होती है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कम्पनी के छोटे अंशधारियों के हितों की सुरक्षा के लिसे सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) सरकार को यह ज्ञात नहीं कि कम्पनी अधिनियम के संशोधन में इस प्रकार का कोई प्रभाव है।

(ख) और (ग). कम्पनी के कुछ हिस्सेधारियों ने, कम्पनी के हिस्सों के एक संवर्ग के बारे में, जो "डलहौजी होल्डिंग्स" के नाम से विख्यात है, कम्पनी के प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायतें की थीं। इन शिकायतों की सक्रियता से परीक्षा की जा रही है।

**Fixation of Responsibility for achieving Production Targets in Factories**

*704. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether Government propose to make one single individual responsible for achieving the targets of production in Government factories, especially the cement factories and for making the products of those factories available at reasonable prices, and also to vest in him sufficient authority so as to enable him to discharge his responsibility ; and

(b) if so, whether Government propose to leave the final decision regarding the production in Government factories on persons concerned with those factories and not on the Prime Minister and other Ministers ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

## गुजरात में नई रेल लाइनें

*705. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** **श्री मनुभाई पटेल :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने गुजरात में कुछ नई रेलवे लाइनें बनाये जाने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन लाइनों में भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन का निर्माण और अंकलेश्वर-राजपिपला लाइन को बड़ी लाइन में बदलना भी शामिल है ;

(ग) क्या उक्त रेल लाइनों के बारे में सर्वेक्षण किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो यह कब तक किया जायेगा ; और

(च) नई लाइनों के निर्माण का कार्य किस तारीख से आरम्भ होने की आशा है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख) जी हां।

(ग), (घ) और (ङ) : अभी हाल में पश्चिम रेलवे ने भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन के लिए फिर से यातायात सर्वेक्षण किया है और उसने जो संशोधित रिपोर्ट दी है रेलवे बोर्ड कार्यालय में उसकी जांच की जा रही है। जहाँ तक अंकलेश्वर-राजपीपला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रश्न है, पश्चिम रेलवे इसकी समीक्षा कर रही है।

(च) संशोधित यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच पूरी हो जाने के बाद भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा। अंकलेश्वर राजपीपला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय भी इस समय की जा रही समीक्षा के परिणामों की जानकारी होने और रेलवे बोर्ड द्वारा उसकी जांच कर लिये जाने के बाद किया जाएगा।

## रेल भाड़ा

*706. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी श्रेणियों के मेंगेनीज अयस्क पर रेल भाड़ा कम करके वर्ष 1967 से पहले के रेल भाड़े के बराबर करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध से सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) 1967 में मैंगनीज अयस्क के भाड़े की दर में इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन निर्यात किया जाने वाला मेंगनीज अयस्क तथा निर्यात के लिए फैरो मेंगनीज बनाने के उद्देश्य से फैरों मेंगनीज संयंत्रों को भेजे जाने वाले मेंगनीज अयस्क पर जो रियायत दी जाती थी उसमें 15 जून, 1967 से कमी कर दी गयी। इसके विरोध में कुछ अभ्यावेदन मिले थे।

(ख) 15 जून, 1967 से पहले की दर फिर से लागू करने के सम्बन्ध में की गयी प्रार्थना अभी तक नहीं मानी गयी है। लेकिन इसमें कुछ कमी संभव है या नहीं, इस बारे में सरकार विचार कर रही है।

### बोकारो इस्पात कारखाना

*707. श्री रा० बरुआ : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिस्टर एस० स्केचकोव के नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधिमंडल ने "कैपिटल रिपेयर एजेन्सी" की स्थापना की सिफारिश की थी ताकि बोकारो इस्पात कारखाने की धमन भट्टियों और अन्य यूनिटों की समय पर मरम्मत की जा सके ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस एजेन्सी का प्रयोग अन्य सरकारी एक्कों के लिए भी किया जा सकेगा ;

(ग) इस बारे में प्रतिनिधि मंडल ने क्या तया सिफारिशें की हैं ; और

(घ) ये सिफारिशें सरकार द्वारा किस सीमा तक स्वीकार की गई है ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी, नहीं। बोकारो इस्पात कारखाने के बारे में नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). भारत सरकार और श्री स्केचकोव के नेतृत्व में भारत आये शिष्टमण्डल ने भिलाई इस्पात कारखाने के कार्यकरण पर संयुक्त रूप से विचार किया था। समस्त निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष यह था कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सभी इस्पात कारखानों की धमन भट्टियों, खुले मुंह की भट्टियों और कोक भट्टियों की भारी मरम्मत के लिए हिन्दुस्तान लिमिटेड के स्तर पर एक उपयुक्त संगठन की रचना की जाय। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इसके यथासम्भव क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

### मोदी के फेब्रिक्स, मोदीनगर द्वारा राजनीतिक दलों को दिये गये चन्दे

*708. श्री मधु लिमये : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में मोदी या उनकी कम्पनियों ने कांग्रेस अथवा भारतीय क्रान्तिदल को कोई धनराशि दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) मोदियों द्वारा उनकी वैयक्तिक क्षमता से अंशदान दी गई निधियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। एकाधिकार जांच आयोग रिपोर्ट में दिखाई गई संरचना के अनुसार, मोदी समूह से सम्बन्धित कुछ कम्पनियों ने, कांग्रेस को जो कुछ कोष अंशदान में दिया गया प्रतीत हुआ है, परन्तु 1966-67 तथा 1967-68 के वर्षों में, भारतीय क्रान्ति दल को कोई अंशदान दिया गया प्रतीत होता है।

(ख) सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा, अंशदान दी गई निधियों के ब्योरे निम्न प्रकार हैं :—

| कम्पनी का नाम | | कांग्रेस दल 1966-67 | 1967-68 |
|---|---|---|---|
| | | (रुपये) | (रुपये) |
| पटियाला फ्लोर मिल्स कं० लि० ... | ... | 11,000 | — |
| मोदी स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स कं० लि० | ... | 71,250 | 5,000 |
| मोदी इंडस्ट्रीज लि० ... ... | ... | 37,500 | 5,000 |
| | योग | 1,19,750 | 10,000 |

नोट— 1966-67 तथा 1967-68 के वर्षों की, अवधि से, 1 जुलाई से 30 जून तक का तात्पर्य है।

**नाईयों द्वारा हरिजनों के बाल काटने से इन्कार**

*709. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाईयों द्वारा हरिजनों के बाल काटने से इंकार किये जाने के बारे में अन्य राज्यों से भी उसी प्रकार की शिकायतें मिली हैं, जैसी शिकायत मुजफ्फरनगर जिले के सिसोली गांव के हरिजनों से प्राप्त हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो शिकायतें कितनी और क्या हैं ;

(ग) क्या नाई सार्वजनिक सेवा के अन्तर्गत आते हैं और क्या अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है ; और

(घ) सरकार का ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है, जिससे नाईयों को अन्य नागरिकों के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाने के लिए बाध्य किया जा सके ?

**विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे मामले अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 की धारा 6 की रिष्टि के अन्तर्गत आते हैं।

(घ) ये अपराध उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रज्ञेय हैं।

**केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का कल्याण**

710. **श्री अदिचन** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 में तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में अनुसूचित जातियों

तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के कल्याण के लिये कोई योजनाऐं सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी ।

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा और वित्तीय परिव्यय क्या है ;

(ग) इनको क्रियान्वित करने के किये कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई है । और

(घ) क्या सरकार ने उनकी स्वीकृति दे दी है ?

**विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** : (क) हाँ, श्रीमान ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 484/69**] ।

(ग) राज्य योजना परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता को दर अनुमोदित व्यवस्था की 60% अथवा वास्तविक खर्च, जो कम हो, है । केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र में 100% सहायता दी जाती है ।

(घ) चतुर्थ योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

### दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के बारे में विधि आयोग की रिपोर्ट

*711 **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के सम्बन्ध में विधि आयोग की रिपोर्ट पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता बहुत बड़ा विधान है । इस संहिता में संशोधन करने की प्रस्थापनाऐं सूक्ष्म तथा अनवरत अध्ययन के पश्चात ही की जा सकती है ।

### नई दिल्ली और हावड़ा स्टेशनों के बीच सुपर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चलाना

*712. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और हावड़ा स्टेशनों के बीच एक सुपर एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह गाड़ी कब चालू हो जाने की संभावना है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). महोदय, नयी दिल्ली और हावड़ा के बीच 102 डाउन/101 अप राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां 1-3-1969 से सप्ताह में दो बार चलायी जा रही हैं ।

### उत्तर प्रदेश में हुए मध्यावधि निर्वाचनों के मतपत्रों में गलतियां

*713. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** **श्री क० लकप्पा :**
**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** **श्री एस०एम०कृष्ण :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुए मध्यावधि निर्वाचन में मत-पत्रों की छपाई में अनेक गलतियां हुई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ?

**विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** : (क) और (ख). जिला हरदोई में उस जिले के 83-बेनीगंज और 85-अहिरोरी सभा निर्वाचन क्षेत्रों में बहुत से मामलों में मतपत्रों पर क्रमसंख्यांकों के मुद्रण को छोड़कर, मतपत्रों के मुद्रण में कोई भी त्रुटि नहीं हुई थी। त्रुटिपूर्ण संख्यांक वाले मतपत्रों के स्थान पर नये मतपत्रों के मुद्रण की तत्काल व्यवस्था की गई थी और पीठासीन आफिसरों को नये मतपत्र दिए गए थे। त्रुटिपूर्ण संख्यांक वाले मतपत्र रोक लिए गए और वे संयुक्त पीठासीन आफिसरों के पास नहीं भेजे गए वरन उन्हें मुद्राबन्द करके सुरक्षित अभिरक्षा में रख दिया गया है।

### दक्षिण-पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ

*714. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के प्रबन्धकों ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की देशव्यापी आम हड़ताल में भाग लेने के आरोप में दक्षिण-पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ की मान्यता समाप्त कर दी है।

(ख) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें प्रबन्धकों को पूर्व स्थिति बनाये रखने के लिये कहा गया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य खजान्ची द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 1958 के एक गोपनीयपरिपत्र द्वारा दक्षिण-पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ को कार्मिक गतिविधियाँ करने से क्यों रोक दिया गया है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : जी हां। इस यूनियन का नाम 'साउथ ईस्टर्न रेलवे-मेन्स यूनियन है 'फेडरेशन' नहीं।

(ख) 25-11-68 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपनी अन्तरिम निषेधाज्ञा द्वारा दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक और अन्य अधिकारियों को साउथ ईस्टर्न रेलवेमेन्स यूनियन की मान्यता वापिस देने से सम्बन्धित आदेश को लागू करने से रोक दिया है।

(ग) रोध आदेश के विभिन्न स्तरों से गुजरने और निचली स्थापनाओं तक पहुंचने से पहले ही इस रेल प्रशासन के मुख्यालय ने 23-11-68 को कुछ अनुदेश जारी किये थे। इस प्रकार वित्त सलाहकार और मुख्यलेखा अधिकारी ने 12-12-68 को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया था लेकिन अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी होने के बाद 31-1-69 को

सम्बन्धित अधिकारियों से निर्दिष्ट रूप से कह दिया गया कि याचिका का अन्तिम निबटारा होने तक, यूनियन को पहले से प्राप्त सुविधायें देना जारी रखा जाये।

**दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन में कर्माशियल क्लर्क**

*715. **श्री स० कुन्दू :** **श्री विश्वम्भरन :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दक्षिण रेलवे में मदुरै डिवीजन के कमर्शियल क्लर्कों की संख्या घटा दी है ;

(ख) क्या दक्षिण रेलवे में (माल तथा सवारी) रेलगाड़ियों की संख्या भी कम कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) जी हां।

(ख) और (ग). (i) **सवारी गाड़ियां :** मैट्टुपालयम और कोयम्बत्तूर के बीच तथा मैट्टुपालयम और ऊटी के बीच चलने वाली क्रमशः दो जोड़ी सवारी गाड़ियां इस कारण रद्द कर दी गयीं क्योंकि उसमें सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत कम थी। केरल को आवश्यक खाद्यान्न पहुंचाने के उद्देश्य से कोयम्बत्तूर ओलवक्कोट खंड में लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए मेट्टुपालयम और पालघाट के बीच चलने वाली एक जोड़ी सवारी गाड़ी के फेरे कम कर दिये गये।

(ii) **माल गाड़ियां :** माल गाड़ियों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि निकासी के लिए कितना माल यातायात आता है। 1968-69 में दक्षिण रेलवे में माल यातायात कम नहीं हुआ, बल्कि वास्तव में बढ़ा है। अप्रैल, 1968 से जनवरी, 1969 तक की अवधि में बड़ी और मीटर—दोनों लाइनों को मिलाकर कुल गाड़ी किलोमीटर 144 लाख था, जबकि 1967 से जनवरी, 1968 तक की अवधि में यह 134 लाख था।

**मध्यावधि चुनावों में दिये गये मत**

*716. **श्री हेम राज :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में हुये मध्यावधि चुनावों में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में राज्यवार कुल कितने-कितने मत दिये गये ; और

(ख) वैध तथा अवैध मतों की कुल संख्या कितनी-कितनी थी ?

**विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) :** (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :

सभा

| क्रम सं० | राज्य का नाम | डाले गए मतों की कुल संख्या | विधि मान्य मत | अविधि मान्य मत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बिहार | 15,391,256 | 14,940,955 | 450,301 |
| 2. | पंजाब | 4,836,135 | 4,707,086 | 129,049 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | 24,264,995 | 23,464,135 | 800,860 |
| 4. | पश्चिमी बंगाल | 13,758,000 | 13,404,238 | 353,762 |

**शाहडोल, मध्य प्रदेश में मृत्तिका उद्योग सम्बन्धी मशीनों का निर्माण**

717. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहडोल (मध्य प्रदेश) में मृत्तिका उद्योग सम्बन्धी मशीनरी के निर्माण हेतु कारखाना स्थापित करने के लिये गिडवाने ब्रादर्स, कलकत्ता को एक आशय पत्र जारी किया गया था और उस पार्टी ने मन्त्रालय द्वारा बताई गई सभी औपचारिकताओं को बाद में पूरा कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो पार्टी द्वारा बार-बार निवेदन किये जाने के बावजूद सरकार द्वारा उस को औद्योगिक लाइसेंस जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पार्टी के इस वक्तव्य को देखते हुए कि उन को अब विदेशी मुद्रा अथवा किसी विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं है परियोजना पर आगे कार्य आरम्भ करने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस का दिया जाना आवश्यक है ; और

(घ) सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी आवेदन पत्रों की मंजूरी में विलम्ब न हो और आवेदन पत्रों की जांच शीघ्र की जाये ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) और (ख). मे० गिडवानी ब्रादर्स, कलकत्ता को 29-5-1962 को 28-2-1962 तक के लिए मान्य एक आशय-पत्र जारी किया गया था जिसमें प्रतिवर्ष 150 लाख रु० के मूल्य की चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाने की मशीनों का निर्माण करने के लिए शहडोल, जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए सिद्धान्त रूप में उनकी योजना के लिए सहमति दी गई थी। इसे सरकार की संतुष्टि पर विदेशी सहयोग तथा पूंजीगत उपकरणों के आयात के लिए अंतिम रूप से प्रबंध कर लिये जाने के पश्चात एक औपचारिक औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया जाना था। 32 लाख रु० के मूल्य के पूंजीगत उपकरणों का आयात करने के लिए उनके आवेदन को 19-10-1963 को इस शर्त पर स्वीकृत दी गई थी कि वे इण्डस्ट्रियल क्रेडिट ऐण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि० इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन लि० से विदेशी मुद्रा ऋण के लिए पत्र व्यवहार करेंगे। अमरीका की एक फर्म के

साथ वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग के लिए उनके एक प्रस्ताव के लिए भी 29-11-1963 को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दे दी गई थी। इसके पश्चात नवम्बर, 1963 से मार्च, 1966 तक फर्म तैयार की जाने वाली वस्तुओं विदेशी तकनीकी सहयोग, और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में अपनी योजनाओं में परिवर्तन करती रही। इस प्रकार के अनेक परिवर्तनों के पश्चात उन्होंने 26-3-1966 और 2-6-67 को अंतिम रूप से सूचित किया कि वे किसी भी प्रकार के विदेशी सहयोग और पूंजीगत वस्तुओं का आयात किए बिना चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाने की मशीनों का निर्माण करने के लिए अपनी स्वीकृति योजना को कार्यान्वित कर सकने की स्थिति में हैं। इस योजना के मूल रूप से प्रस्तुत किए जाने के बाद से इसमें किए गये इतने अधिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए योजना के ब्यौरों पर जनवरी, 1968 में मन्त्रालय के एक अधिकारी ने फर्म के एक प्रतिनिधि से विचार विमर्श किया था। इन विचार-विमर्शों के पश्चात इस मामले को आशय-पत्र की मान्य अवधि 6 मास के लिए और बढ़ा देने हेतु लाइसेंस समिति के समक्ष रखा गया था। आशय पत्र जारी किए जाने तथा पार्टी के प्रस्तावों में किए गये अनेक परिवर्तनों के बीच जो समय बीत गया था, उसे ध्यान में रखते हुए समिति ने 8-4-1968 को हुई अपनी बैठक में और आगे समय बढ़ाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और यह सिफारिश की कि आशय पत्र रद्द कर दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश पार्टी को समय के अन्दर यह निर्णय न भेज सकने की चूक हो गई है। अब ऐसा किया जा रहा है।

(ग) इस परियोजना के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है क्योंकि चल अस्तियों पर खासकर इसका कुल विनियोजन 25 लाख रु० से अधिक भले ही पार्टी को किसी भी आयातित उपकरण या विदेशी सहयोग की आवश्यकता न हो।

(घ) 1963 में स्थापित उद्योग विकास कार्य-विधि समिति की सिफारिशों के आधार पर औद्योगिक लाइसेंस कार्य-विधियां निर्धारित कर दी गई हैं। पुनरीक्षित कार्य-विधि के अधीन आवेदक को यथाशीध्र ही इस बात का पता लग जाय कि सरकार उसके द्वारा रखे गये प्रस्ताव को स्वीकृत देती है या नहीं, यह प्रबन्ध किए गये हैं कि आशय-पत्र शीध्र ही जारी किये जाने चाहिए जिनमें सरकार की ओर से इस बात का संकेत दिया जाए कि आशय-पत्र में उल्लिखित शर्तें पूरी करने पर ही औद्योगिक लाइसेंस दिया जायेगा। लाइसेंस समिति की मुख्यालय उप-समिति की बैठकें औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों पर विचार करने के लिये जल्दी-जल्दी अब (पाक्षिक) होने लगी हैं। और प्रशासनिक मन्त्रालयों को कुछ किस्मों के मामलों का लाइसेंस समिति को उल्लेख किए बिना निपटारा करने का अधिकार दे दिया गया है। आवेदनों को निपटाने में लगने वाले समय में कमी करने की दृष्टि से सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंस कार्य-विधि की निरन्तर समीक्षा की जा रही है। औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति भी पिछले 10 वर्षों के दौरान अपनाई गई औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के कार्य संचालन की जांच कर रही है। विद्यमान लाइसेंस कार्य-विधि में कुछ और आगे परिवर्तन करने के बारे में सरकार द्वारा उक्त जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात विचार किया जायेगा जिसके जून, 1969 के अंत तक मिल जाने की आशा है।

**उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में मीटर गेज लाइनों का बड़ी लाइन में बदला जाना**

*718. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का, जहां पर मीटर गेज लाइन है केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है जिससे मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) सरकार को सर्वेक्षण रिपोर्ट के कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ;

(घ) इन लाइनों को कब तक बड़ी लाइनों में बदल दिया जायेगा ; और

(ङ) उन पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). वाराणसी (मडुआडीह) से भटनी होकर गोरखपुर तक और बाराबंकी से गोंडा होकर गोरखपुर तक (बाराबंकी और गोंडा के बीच एक अतिरिक्त बड़ी लाइन सहित) मीटर लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षणों की मंजूरी दी गयी है और काम चालू है। वाराणसी-भटनी-गोरखपुर भाग का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और रेल प्रशासन द्वारा रिपोर्ट संकलित की जा रही है। बाराबंकी-गोंडा गोरखपुर भाग के सर्वेक्षण के काम में अब तक 60 प्रतिशत प्रगति हो चुकी है।

(ग) (घ) और (ङ) सर्वेक्षण रिपोर्ट जून, 1969 तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही वस्तुतः इन खण्डों के आमान परिवर्तन के बारे में और विनिश्चय किया जायेगा। काम की अनुमानित लागत, इसमें लगने वाले समय और अन्य ब्यौरों का पता सर्वेक्षणों के पूरा होने के बाद ही लगेगा।

**गुजरात में "हलपति" आदिवासियों में दास प्रथा को समाप्त करना**

*619. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के कुछ भागों में "हलपति" आदिवासियों को अब भी दासों के रूप में खरीदा और बेचा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में दास प्रथा को समाप्त करने के बारे में भारतीय संविधान में दिये गये उपबन्ध को देखते हुये उपर्युक्त दास प्रथा के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**बम्बई जाने वाली फ्रंटियर मेल और वातानुकूलित डी-लक्स गाड़ियों में बिना आरक्षण वाले तीसरे दर्जे के स्थान**

*720. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-दिल्ली फ्रंटियर मेल और वातानुकूलित डी-लक्स गाड़ियों में तीसरे दर्जे की बिना आरक्षण वाली सीटें उपलब्ध होती हैं ;

(ख) यदि कोई स्थान उपलब्ध नहीं होता तो क्या इन गाड़ियों में तीसरे दर्जे की बिना आरक्षण वाली कम से कम एक-एक बोगी लगाने की व्यवस्था के लिये तुरन्त उपाय किये जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 485/69]

(ख) और (ग). वातानुकूल डीलक्स गाड़ियों में नियमित रूप से तीसरे दर्जे की अनारक्षित अतिरिक्त बोगी लगाने की गुंजाइस नहीं है। इन गाड़ियों में तीसरे दर्जे के किसी तरह के अनारक्षित स्थान की व्यवस्था नहीं होती । भीड़-भाड़ रोकने और लम्बी दूरी के यात्रियों की सुविधा के लिये लम्बी दूरी की इन लोकप्रिय तेज गाड़ियों में उपलब्ध तीसरे दर्जे के स्थान, आरक्षण के लिये अलग से निर्धारित कर दिये गये हैं। इन मार्गों पर चलने वाली दूसरी एक्सप्रेस गाड़ियों में तीसरे दर्जे के अनारक्षित स्थान की पर्याप्त व्यवस्था है ।

**सिनेमा प्राजेक्टरों का निर्माण**

4235. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भिन्न-भिन्न ब्रांडों के तथा भिन्न-भिन्न आकारों के सिनेमा प्रोजेक्टर बनाने वाले भारतीय स्वामित्व के, यदि कोई विदेशी सहयोगी भी हों तो उनके नाम भी बताये जायें, कारखानों के नाम क्या-क्या हैं तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं, उनमें कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई हैं, उन के निदेशकों के नाम क्या-क्या हैं तथा प्रत्येक कारखाने में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के सिनेमा प्रोजेक्टर तैयार किये जाते हैं तथा प्रत्येक कारखाने की लाइसेंस शुदा क्षमता कितनी-कितनी है ;

(ख) 35 एम०एम० और 16 एम०एम० सिनेमा प्रोजेक्टर बनाने के लिये कितने प्रतिशत तथा कौन-कौन से पुर्जे प्रयोग में लाये जाते हैं तथा प्रत्येक कारखाने को प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा व्यय करने की अनुमति दी जाती है ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक विदेशी सहयोगी ने मुनाफे, लाभांश अथवा स्वामित्व के रूप में कितनी-कितनी धनराशि अपने-अपने देशों में भेजी है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष किन-किन देशों से कितने-कितने किस-किस ब्रांड के तथा कितने-कितने मूल्य के विदेशी सिनेमा प्रोजेक्टर देश में आयात किये गये हैं ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (घ). सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**चौथी योजना में छोटी कार परियोजना**

4236. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 25 फरवरी, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 180 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विदेशी सहयोगियों के, यदि वे हैं, तो नाम क्या-क्या हैं जो भारत में छोटी कारें बनाने वाले 15 कारखानों में से प्रत्येक कारखाने को सहयोग देंगे ;

(ख) जिस कार को बनाने का विचार है उसका पेक क्या होगा, उस के इंजन की क्षमता कितनी होगी, उपभोक्ताओं के लिए उसका बिक्री मूल्य कितना होगा तथा पंद्रह कारखानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी होगी ;

(ग) विदेशी पूंजी कितने प्रतिशत होगी तथा प्रत्येक मामले में विदेशी मुद्रा पुर्जे कितनी-कितनी मात्रा में होंगे ;

(घ) क्या सभी कारखानों ने विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किये जाने के लिये अपनी अपनी प्रस्तावित छोटी कारों का नमूना भी सरकार को भेजा है ;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त 15 प्रस्ताव चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिये योजना आयोग के निर्णयाधीन पड़े हैं ; और

(च) उन पर सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय लिया है ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण (अंग्रेजी उत्तर के साथ) संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 486/69]

(घ) किसी भी पार्टी ने कोई आधरूप प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ङ) तथा (च). जब तक इस सामान्य मामले पर निर्णय नहीं कर लिया जाता है कि चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में छोटी कार परियोजना को लागू किया जाय अथवा नहीं तब तक इन प्रस्तावों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता ।

**बहादुरगढ़ स्टेशन पर पीने का पानी**

4237. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर पीने का अच्छा पानी नहीं मिलता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय नगरपालिका द्वारा केवल रेलवे की सीमा तक ही पानी मुहैया किया जाता है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या नगरपालिका को कहा गया है कि वह बहादुरगढ़ के लोगों तथा

रेलवे कर्मचारियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करे तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। नगरपालिका के अंतिम निर्णय की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

## ग्रामीण शिल्पी प्रशिक्षण संस्था, कोप्पल, मैसूर

4238. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के रायचूर जिले में कोप्पल स्थित ग्रामीण शिल्पी प्रशिक्षण संस्था में केन्द्रीय सहायता से चमड़ा कमाने का काम शुरू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और मशीनरी, उपकरणों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर कितना व्यय किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि मशीनों के कुछ पुर्जों के अभाव हेतु चमड़ा कमाने का काम शुरू ही नहीं हो रहा है क्योंकि निर्माताओं द्वारा उन पुर्जों को सप्लाई नहीं किया गया था ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि चमड़ा कमाने वाला विशेषज्ञ बिना किसी व्यय के गत छः वर्षों से अधिक समय से बेकार बैठा है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक

4239. **श्री चपला कान्त भट्टाचार्य** : क्या **रेलवे** मंत्री 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1731 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना चौकीदार वाले ऐसे रेलवे फाटकों की संख्या कितनी है जिनमें हाल में आविष्कार की गई सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है ;

(ख) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर कितना-कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) एक।

(ख) चूंकि यह व्यवस्था परीक्षण के तौर पर की गई है, इसलिए इसका सारा खर्च, जो कि लगभग 20,000 रुपए है, केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया गया।

(ग) उपस्कर संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है।

### अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

4240. **श्री किरु-तिनन : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विद्यार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है जिन्हें केन्द्रीय सरकार की ओर से वर्ष 1968 में अल्प आय वर्ग की छात्रवृत्तियाँ दी गई थीं ;

(ख) इस सम्बन्ध में राज्यवार कितना-कितना धन दिया गया ; और

(ग) भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों ने छात्रवृत्तियाँ देने के बारे में आय की कितनी कितनी सीमा पर जोर दिया है ?

**समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुत्याल राव)** : (क) और (ख). विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ राज्य सरकारें मंजूर करती हैं तथा वे ही उनकी अदायगी करती हैं। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों की ठीक संख्या तथा कुल खर्च वित्तीय वर्ष 1968-69 के समाप्त होने के बाद पता चलेंगे।

(ग) भारत सरकार ने निम्नलिखित उच्च आय सीमायें विहित की हैं, जो सभी राज्यों में समान रूप से लागू होती हैं।

तकनीकी पाठ्यक्रमों में 2400 रुपए प्रति वर्ष।
गैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों में 2000 रुपए प्रति वर्ष।

### दक्षिण पूर्व रेलवे के नीलगिरि रोड स्टेशन पर रेल फाटक

4241. **श्री स० कुन्डू : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि रेल फाटक के निर्माण पर आने वाली लागत के आधे भाग को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए ;

(ख) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के नीलगिरि रोड स्टेशन पर किसी रेल फाटक की व्यवस्था की गई है जैसा कि बस्ती के लोगों द्वारा मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार को फाटक के निर्माण पर आने वाली लागत के आधे भाग को वहन करने के बारे में कोई पत्र लिखा है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) 1260 फुट की दूरी पर स्थित वर्तमान समपार के अलावा नीलगिरि रोड स्टेशन पर एक नया समपार खोलने की माँग की गई है। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत इस पर होने वाला खर्च, अर्थात दोनों प्रारम्भिक तथा वार्षिक आवर्ती आदि सड़क प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। प्रस्ताव का आवश्यक ब्यौरा और वित्तीय फलितार्थ उड़ीसा सरकार को उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। उनके अन्तिम निर्णय की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

**रेलवे प्रयोक्ता समिति, बालासौर (दक्षिण पूर्व रेलवे) की माँगें**

4242. **श्री स० कुन्दू** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्टेशन अथवा रेल प्रयोक्ता समिति के संगठन में किसी कसौटी का अनुसरण करती है ; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन समितियों में उस क्षेत्र के विधान सभा सदस्य तथा नगर पालिका के चेयरमैन जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाता है ;

(ग) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के बालासौर स्टेशन की स्टेशन अथवा रेल प्रयोक्ता समिति ने (एक) विश्रामालयों (दो) तीसरे दर्जे के विद्यमान प्रतीक्षालयों को बढ़ाने तथा उस पर छत डालने (तीन) साइकिल स्टैण्ड की व्यवस्था करने (चार) महिलाओं तथा पुरुषों के प्रथम तथा दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों की स्थिति को सुधारने और (पांच) उपरि-पुलों को बढ़ाने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनकी मांगों को पूरा कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). रेलवे के खण्डीय और डिविजनल/प्रादेशिक मुख्यालयों में और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केन्द्रों में स्थित स्टेशनों में भी रेलवे प्रयोक्ताओं की सलाहकार समितियां बनाई गई हैं । इन समितियों में नामांकन विधान सभाओं के सदस्यों और सभापतियों अथवा नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों सहित रेलवे प्रयोक्ताओं के विभिन्न प्रमुख और महत्वपूर्ण वर्गों को, जहां तक व्यवहार्य है अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने के सिद्धान्त पर आधारित है ।

(ग) और (घ), एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 487/69]

**तमिल नाडू में उद्योग**

2443. **श्री किरुत्तिनन** : क्या औद्योगिक विकास, आँतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थामिरझगा अरासू ने 1968-69 तथा 1969-70 में तमिलनाडू में मध्यम दर्जे के उद्योगों के विकास के बारे में कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना का प्रारूप और अन्य ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक उद्योग में कितनी अतिरिक्त क्षमता बढाई जायेगी ;

(ग) क्या सरकार ने उस योजना को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो किन-किन संशोधनों के साथ ; और

(घ) इस योजना से रोजगार के कितने अवसर बढ़ जायेंगे ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (घ). तमिलनाडु सरकार ने 1968-69 तथा 1969-79 की वार्षिक योजनाओं में अनेक विभिन्न क्षेत्रों के प्रस्ताव रखे थे । बड़े तथा मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के अन्तर्गत 1968-69

की योजना जो कार्यान्वित की जानी थी में लगातार ढलाई करने वाला संयंत्र, सीमेंट संयंत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम था, राज्य सरकार ने 252.96 लाख रुपये की व्यवस्था इस क्षेत्र की योजनाओं के लिए की थी। 1969-70 के लिये राज्य सरकार ने 400 लाख रुपये की व्यवस्था निम्नलिखित बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए की है :

| | रु० लाखों में |
|---|---|
| **1. राज्य की औद्योगिक प्रायोजनाएं** | |
| (1) सेलम इस्पात कारखाने का प्रथम चरण खानों का विकास तथा पैलिटाइजेशन संयंत्र की स्थापना | 5.00 |
| (2) तूतीकोरन फर्टलाइजर्स ईक्विटी साझेदारी | —— |
| (3) नमक पर आधारित उद्योग | 1.00 |
| (4) कपड़े की मिलों आदि का आधुनिकीकरण आदि | 25.00 |
| (5) उद्योगों को प्रोत्साहन | 5.00 |
| **2. मद्रास राज्य उद्योग विकास निगम** | |
| (1) लगातार ढलाई करने का संयंत्र | 150.00 |
| (2) तमिलनाडु सीमेंट फैक्टरी अलंगुलम | 100.00 |
| (3) स्पन्ज आइरन संयंत्र | —— |
| (4) मशीन टूल सहायक | 1.00 |
| (5) मद्रास राज्य औद्योगिक विकास निगम | 60.00 |
| **3. राज्य वित्तीय निगम** | |
| मद्रास औद्योगिक विनियोजन निगम को शेयर पूंजी तथा ऋण | 50.00 |
| **4. मैट्रिक प्रणाली** | 6.00 |
| योग | 403.00 |

इन योजनाओं के विस्तृत विवरण तथा प्रत्येक उद्योग में स्थापित की जाने वाली क्षमता, और रोजगार प्रदायन की समर्थता का उल्लेख तमिलनाडु सरकार ने नहीं किया है।

(ग) तमिलनाडु सरकार के प्रस्तावों पर योजना आयोग के एक कार्यकारी दल ने विचार विमर्श किया था। 1969-70 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इस स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि कौन सी योजना 1969-70 में कार्यान्वयन के लिए रखी जायेगी।

**Misappropriation of Funds Granted for Hostel for Scheduled Castes in Gorakhpur, U.P.**

4244. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether any information regarding the misappropriation of grants and payment of wages has been received from Government of Uttar Pradesh in respect of a sum of Rs. 10,000 sanctioned and drawn for a hostel for Scheduled Castes in Gorakhpur vide item No. 13 of the list of business of Informal Consultative Committee meeting held on the 9th December, 1968 ; and

(b) if so, the details thereof and if not, reasons for the inordinate delay ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Law and the Development of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) :** (a) and (b). In the first two years of the Third Plan a scheme was launched for providing lodging facilities to the Scheduled Caste students. A grant of Rs. 10,000/- was sanctioned by the Uttar Pradesh Government under this scheme, to the Higher Secondary School, Bhidola Bazar, District Gorakhpur. The work is reported to have been completed. It is also reported that last year 20 Scheduled Caste and 8 other students were living there.

Enquiry into the allegations against the District Harijan and Social Welfare Officer is in progress.

The Uttar Pradesh Government took a policy decision on 15.2.1968 to transfer the management of all aided institutions to the voluntary organizations concerned. Accordingly, the management of a number of schools in the Gorakhpur District was made over to the 'Zila Samaj Kabjan Sansthan'. The said voluntary organization appointed teachers in, and transferred teachers to schools which had been ordered to be closed and grants to which had been stopped. Those teachers could not be paid salaries. Subsequently, however, the teachers were paid their salaries.

**Industrial Estates in U.P.**

4245. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1082 on the 18th November, 1968 and state :

(a) the time, labour and amount spent on the construction of Industrial Estates in Uttar Pradesh upto December, 1968 ; and

(b) further time and labour likely to be involved and amount likely to be spent to complete the construction of Industrial Estates ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Ministry of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) :** (a) The time taken and the amount spent on the Industrial Estates already constructed or under construction are as below :—

| Name of the Estate | Approximate time and amount spent | |
|---|---|---|
| 1. Sujroo (Muzaffarnagar) | 2 years | Rs. 2,24,635/-. |
| 2. Budaun | 1½ ,, | Rs. 2,36,000/-. |
| 3. Ranopali (Faizabad) | 3 ,, | Rs. 2,51,006/-. |
| 4. Ramnagar (Varanasi) | 3½ ,, | Rs. 2,59,634/-. |
| 5. Rampur | 3 ,, | Rs. 2,51,700/-. |
| 6 Hardoi | 3 ,, | Rs. 2,31,455/-. |
| 7. Haldwani | 3½ ,, | Rs. 2,61.915/-. |
| 8. Kalpi (Jalaun) | 3 ,, | Rs. 2,58,384/-. |
| 9. Fatehpur | 3 ,, | Rs. 1,99,322/-. |
| 10. Ghazipur Under Construction | (Upto June '68) | Rs. 1,58,705.73 |
| 11. Gonda Under construction | (Upto Oct. '68) | Rs. 55,083.98 |

(b) The Estimated cost of construction of Industrial Estates at Ghazipur and Gonda is Rs. 2,58,384/- each and they are expected to be compleled by the end of 1969-70.

**Applications by Scheduled Caste Students for Scholarships in Gorakhpur, U.P.**

**4246. Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4276 on the 12th December, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the application forms for scholarships for Scheduled Caste students in Gorakhpur, Uttar Pradesh, has since been obtained from the State Government ;

(b) if so, details thereof ; and

(c) if not, reasons for the delay ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) :** (a) Yes, Sir.

(b) The details are given in the attached statements A, B and C. [*Placed in Library. See* No. LT.—488/69.]

(c) Does not arise.

**लवण आयुक्त जयपुर के कार्यालय का गुजरात को स्थानान्तरण**

4247. **श्री रा० को० अमीन :** क्या औद्योगिक विकास, आँतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लवण आयुक्त के कार्यालय को जयपुर में ही रखा गया है हालांकि उसे गुजरात राज्य में ले जाने के लिए बार-बार माँग की गई है ; और

(ख) इस मांग को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं जबकि 60 प्रतिशत से अधिक नमक गुजरात राज्य में तैयार किया जाता है ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) और (ख). लवण आयुक्त का कार्यालय जयपुर में ही रखा गया है क्योंकि लाइसेंस प्रदान करने के अलावा लवण आयुक्त को अनेक प्रशासकीय कृत्यों को करना पड़ता है। फिर भी, एक सहायक लवण आयुक्त का कार्यालय जामनगर में है तथा लवण अधीक्षक का कार्यालय ध्रांगधारा में है।

**Theft of Goads from Railways**

**4248. Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total value of goods and articles stolen from the Railways and damaged while under the charge of Railways separately during the last two years ;

(b) the total amount of claims preferred against the Railways and the amount of the claims accepted by Government during the same period ; and

(c) the special steps Government propose to take to check such thefts etc. ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) The value of goods and

articles (booked consignments) stolen during the last two years was as under :

1966-67—Rs. 26,71,485
1967-68—Rs. 38,46,910

The value of goods and articles damaged (due to wet, breakage and leakage) during the last two years was as under :

1966-67—Rs. 91,06,779
1967-68—Rs. 1,08,34,172

(b) Total amount of claims preferred is not available. Total value of claims paid was as under :

1966-67—6,10,02,694
1967-68—7,99,74,438

(c) The following steps are proposed to be intensified to check such thefts and damages etc. :

(i) escorting by Railway Protection Force armed personnel of trains carrying veluable commodities in vulnerable sections.

(ii) Patrolling by armed Railway Protection Force personnel as well as Railway Protection Force Dog Squads in vulnerable and major yards ;

(iii) Strengthening of Crime intelligence and conducting of surprise raids by the staff of Central Crime Bureaus of Railways as well as of Railway Board, with a view to tracking down criminals and receivers of stolen property under the Railway Propery (Unlawful possession) Act, 1966 ;

(iv) Maintenance of close co-ordination between the Railway Protection Force, Government Railway Police and State Police Officials to deal with criminals and receivers of stolen property ;

(v) Further improvements in the basic security arrangements in important yards, goods sheds, transhipment points etc. by providing perimeter walls, look out posts and lighting arrangements etc. ;

(vi) Implementation of the recommendations of the High Powered Committee with a view to improving the effectiveness of Railway Protection Force ;

(vii) Proper packing and marking of packages and labelling of wagons ;

(viii) Rivetting and E.P. locking of wagons carrying valuable commodities ;

(ix) Insistence and provision of dunnage where required : and

(x) Pad locking of luggage vans, parcel vans etc.

**ओखला औद्योगिक क्षेत्र (दिल्ली) में किराये की किस्तों की बकाया राशि**

4249. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में कई उद्योगों पर किराये की किस्तें बकाया हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) और (ख). दिनांक 28-2-69 को ओखला औद्योगिक बस्ती के आवंटियों द्वारा

25.70 रुपये की राशि देय थी (इसमें से 3.65 लाख रुपये की राशि सरकारी/अर्द्ध सरकारी क्षेत्रों द्वारा देय थी । इसके अतिरिक्त आवंटियों ने 1.49 रुपये की राशि उद्योग निदेशालय दिल्ली पर जमानत के रूप में जमा करा दी । इसे घटा कर गैर सरकारी लोगों पर कुल बकाया 20.56 लाख रुपये है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन बकाया राशि को वसूल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहा है और प्रयत्नों में कुछ अंशों में सफलता भी मिली है । दिसम्बर, 1968 में समाप्त होने वाली तिमाही में 28823 रुपये की राशि वसूल हुई जबकि विगत 2 महीनों में 90433 रु० की वसूली हुई है । बाकीदारों को नियमित रूप से नोटिस दिये जा रहे हैं और किराये की बकाया राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज दण्ड स्वरूप लिया जा रहा है ।

**आन्ध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनें**

4250. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या चौथी योजना अवधि में राज्य का विकास करने के उद्देश्य से नई रेलवे लाइनें बिछाने का कार्य आरम्भ करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) से (ग). रेलों के विकास के काम पर राज्यों या क्षेत्रों के आधार पर विचार नहीं किया जाता बल्कि राष्ट्र हित में सम्पूर्ण विकास को ध्यान में रख कर विचार किया जाता है । फिर भी आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के सुझाव पर सिकन्दराबाद से नडिकुडे तक एक नयी बड़ी लाइन गुँटूर माचैला मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण करने और भद्राचलम् रोड-काब्बूर रेल सम्पर्क के लिए पहले किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अद्यतन करने का आदेश दिया गया है और ये काम किये जा रहे हैं । सर्वेक्षण पूरे होने और उनके परिणाम का पता लगने के बाद ही इन लाइनों के वास्तविक निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा ।

**आन्ध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनें**

4251. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में नई लाइनें खोलने के लिये 1962 से 1968 तक कितनी बार सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक सर्वेक्षण पर कितना व्यय किया गया है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) से (ग). रेल विषयक सूचना रेलवे-वार संकलित की जाती है, राज्यवार नहीं । रेलवे का विकास राज्य या क्षेत्र के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए सम्पूर्ण विकास की दृष्टि से किया जाता है । फिर भी 1962 से 1968 तक पूर्णतः या अंशतः आन्ध्र प्रदेश में पड़ने वाली नीचे लिखी नई लाइनों के लिए

सर्वेक्षण किये गये या किये जा रहे है । सर्वेक्षणों की अनुमानित लागत प्रत्येक लाइन के सामने दिखायी गयी है :

1. भद्राचलम रोड से कोव्वूर--99478 रु० की अनुमानित लागत से व्यावहारिकता एवं लागत अध्ययन किया गया ।

2. नडिकुडे-सिकन्दराबाद (गुंटूर-माचैर्ला खण्ड के आमान-परिवर्तन सहित)—सर्वेक्षण की मंजूरी दी गयी है और सर्वेक्षण जारी है। इसकी अनुमानित लागत 10.66 लाख रुपये है ।

3. दाँतेवाड़ा-भद्राचलम रोड अंतिम मार्ग-निर्धारण और यातायात सर्वेक्षण - अनुमानित लागत 15.45 लाख रुपये आयी ।

4. सुकमा-वराहा/पोलावरम-प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण पर अनुमानित लागत 11.27 लाख रुपये आयी है ।

5. गुन्तकल्लु से धर्मावरम तक अलग बड़ी लाइन (धर्मावरम-बैंगलूरु खण्ड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलना)—4.82 लाख रुपये की अनुमानित लागत के प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण नवम्बर, 1968 में मंजूर किये गये। इन सर्वेक्षणों का काम जारी है ।

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की सेवा अवधि का बढ़ाना**

4252. **श्री क० लकप्पा :**
**श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में 58 वर्ष की आयु के हो जाने पर सेवा निवृत होने वाले उनके मन्त्रालय के प्रथम श्रेणी के कितने कर्मचारियों की सेवा की अवधि बढ़ाई गई अथवा पुनः नियुक्ति की गई ;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या है ; और

(ग) उनकी सेवा की अवधि बढाने अथवा पुनः नियुक्ति करने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) एक

(ख) श्री बी० एल० श्रीवास्तव ।

(ग) श्री बी० एल० श्रीवास्तव, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष का निवर्तन 25 जुलाई 1968 को निहित था । उनकी सेवा अवधि 25 जुलाई, 1968 से तीन मास की अवधि के लिए या संघ लोक सेवा सेवा आयोग द्वारा नामित व्यक्ति के आने तक, जो भी पहले होने के लिए बढ़ाई गई । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित व्यक्ति ने 31 अगस्त, 1968 को कार्यभार संभाल लिया और श्री श्रीवास्तव ने उसी दिन अपरान्ह में कार्यभार सौंप दिया ।

### चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का अन्यत्र ले जाया जाना

4253. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन नगर से छः मील की दूरी पर है ;

(ख) क्या स्टेशन को नगर के टिकट लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है अथवा किसी प्रक्रम पर ऐसा कोई प्रस्ताव था ; और

(ग) यदि हां, तो अब प्रस्ताव पर किस प्रक्रम पर विचार हो रहा है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

### Chandigarh Railway Station

**4254. Shri Shri Chand Goyal :** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) when the Chandigarh Railway Station was built and what was the population of Chandigarh at that time ;

(b) whether it is a fact that the station was then built to serve the population and traffic available at that time ;

(c) whether it is a fact that the staff which was then appointed continues to remain the same whereas the population has multiplied fifteen times ; and

(d) if so, the reasons for the same ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) Chandigarh Railway Station was built in 1954, when the population of Chandigarh was 38400.

(b) Yes.

(c) No. The strength of staff in 1954 was 27, whereas the strength at present is 61,

(d) Question does not arise.

### यात्री सुविधाओं की व्यवस्था

4255. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965-66 से वर्ष 1668-69 तक वर्ष वार यात्रियों को सुविधायें देने के लिए निर्धारित पूरी राशि का पूरा उपयोग किया गया ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) एक विवरण सलंग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 489/69]

(ख) यात्री सुविधा की मद में कुल मिलाकर खर्च में कमी कुल अनुदान का केवल 3.4 प्रतिशत रही और इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(1) यात्री सुविधा सम्बन्धी कुछ निर्माण कार्यों को यार्डों के ढांचे में परिवर्तन और यातायात सम्बन्धी निर्माण कार्यों के साथ और विभिन्न चरणों में किया गया

ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। इसके फलस्वरूप कई बार उतनी प्रगति न हुई जितनी कि मूलतः आशा की गयी थी।

(2) कुछ मामलों में बहुत ऊंची निविदा दरें प्राप्त होने के कारण क्षेत्रीय ठेकों को देर से अन्तिम रूप दिया गया।

(3) सस्ते अभिकल्पों को अपनाने के कारण।

(4) कुछ सामानों को देर से मिलने के कारण।

**उत्तर गुजरात में ऊंझा टाउन में माल डिब्बों का सम्भरण**

4256. **श्री रा० की० अमीन :**

**श्री द० रा० परमार :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर गुजरात के ऊंझा नगर के प्रमुख नागरिक जब राजकोट डी० एस० ओ० से मिले तो उन्होंने ऊंझा के लिये प्रतिदिन 30 माल डिब्बों की मांग की ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के दो सदस्य और ऊंझा के एक व्यापारी दिसम्बर, 1968 में मंडल परिचालन अधीक्षक, पश्चिम रेलवे, राजकोट से मिले थे और उन्होंने ऊंझा से भेजे जाने वाले माल के परिवहन के लिए माल डिब्बों की अपनी जरूरतें उन्हें बतायी थीं।

(ख) ऊंझा स्टेशन से मुख्यतः जीरा और सौंफ का लदान होता है। यह एक मौसमी यातायात है जो फरवरी से जून तक रहता है। पश्चिम रेलवे के अधिकारियों और ऊंझा मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों के बीच 20-2-69 को जो बैठक हुई थी उसमें यह विनिश्चय किया गया था कि चालू मौसम में ऊंझा स्टेशन पर प्रतिदिन पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे सप्लाई करने का प्रबन्ध किया जायेगा और साथ ही इस स्टेशन से माल के लदान और निकासी पर विशेष निगाह रखी जायेगी। लदान के लिए जितना माल आता है उसकी निकासी यथासमय की जा रही है। वास्तव में, चालू मौसम में अब तक इस स्टेशन पर लदान के लिए जितना माल आया है वह अनुमान से कम रहा है।

**सौराष्ट्र एक्सप्रेस के विरामगाम-हावड़ा डिब्बे में भीड़**

4257. **श्री रा० की० अमीन :**

**श्री द० रा० परमार :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र एक्सप्रेस में विरामगाम-हावड़ा डिब्बे में स्थान प्राप्त करने के लिये भारी भीड़ रहती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मांग को पूरा करने के लिये रेलवे अधिकारियों द्वारा क्या अतिरिक्त सुविधाएं दिये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या अहमदाबाद तथा पटना, लखनऊ, कानपुर तथा गया आदि जैसे अन्य केन्द्रों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे का ऐसी ही सुविधाएं देने का विचार है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख), बीरमगाम/अहमदाबाद और हावड़ा के बीच यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस बढ़े हुए यातायात के लिए 15 दिसम्बर, 1968 से बीरमगाम और हावड़ा के बीच सीधा चलने वाले 3 टियर के आंशिक शयन यान को एक पूरे शयन यान में बदल दिया गया है। निकट भविष्य में बीरमगाम और हावड़ा के बीच सीधा चलने वाला एक अतिरिक्त सवारी डिब्बा भी चलाने का विचार है।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## नलों, रस्सों तथा तारो का निर्यात

4258. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में नलों, रस्सों तथा तारों आदि जैसी वस्तुओं की पर्याप्त फालतू क्षमता है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन वस्तुओं के निर्यात को विशेष प्रोत्साहन देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां। मन्दी के कारण कुछ उद्योगों जैसे पाइप,ताररस्से, केबल आदि में कुछ अप्रयुक्त क्षमता है।

(ख) निर्यात बढ़ाने के कुछ उपाय ढूढ़ें गये हैं और उन्हें काम में लाया जा रहा है। वे ये हैं :

(1) उद्योग द्वारा व्यावसायिक दल पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया, और अफ्रीका को, भारतीय तार रस्से और ढले लोहे के पाइपों आदि के लिए मण्डियां खोजने के लिए भेजा जाना।

(2) हाऊस सर्विस मीटरों तथा इलैक्ट्रोडों आदि वस्तुओं के लिए उद्योगवार निर्यात पूल तथा सामूहिक निर्यात मण्डियों का बनाना।

(3) दूर की मण्डियों को जहाज से भेजे जाने वाले भारी सामान जैसे रोल्ड स्टील, इस्पाती पाइप और ट्यूबें, तार के रस्से, और ढले लोहे के पाइपों को भेजने के काम में समन्वय करना जिससे विदेशों में हमारी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर जहाज के अधिक भाड़े का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(4) भारत सरकार तथा विदेशों के मध्य विपक्षीय व्यापार करार करते समय मन्दी से प्रभावित उद्योगों के उत्पादों को नियमानुसार निर्यात सूची में रखना।

(5) निर्यात विपणन सहायतार्थ विदेशों में भण्डार बनाना और अन्य कार्य ।

(6) निर्यात हेतु उत्पादन के लिए देशी तथा आयातित कच्चे माल की सम्भरण की वर्तमान प्रक्रिया में कुछ सुधार करना ।

**Attaching of Bogies Carrying Students to Express and Mail Trains**

**4259. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Om Prakash Tyagi : Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the bogies allotted to the groups of students from educational institutions who go on study-tours to various places in India are attached to passenger trains ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government would consider attaching these bogies to the Express and Mail trains in future ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) to (d). Subject to availability of room and operational considerations, such as adequacy of halts, etc.. movement of reserved coaches for students, is arranged by Mail/Express trains and is not confined to passenger trains. There is no general ban on the haulage of reserved coaches for students by Mail/Express trains.

**Hindustan Machine Tools, Hyderabad**

**4260. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Narain Swarup Sharma : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Hindustan Machine Tools Factory, Hyderabad, machinery worth 15 crores of rupees, which was imported from Czechoslovakia, has been found packed and untouched since 1956 ;

(b) whether it is also a fact that that machinery has now been declared useless ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) the names of the officers responsible for the loss ; and

(e) the action proposed to be taken against them ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :** (a) No, Sir. The project for the establishment of the Hindustan Machine Tool Factory, Hyderabad was approved by the Government in December, 1963. Machinery worth Rs, 35.5 lakhs only was imported from Czechoslovakia for the factory. The factory commenced trial production on 27th December, 1965 and since then, this machinery has been in operation.

(b) to (e). Do not arise.

**बम्बई की उपनगरीय गाड़ियों में तृतीय श्रेणी के डिब्बों में बैठने तथा खड़ा होने का स्थान**

4261. **रामस्वरूप विद्यार्थी : श्री बलराज मधोक : श्री नारायण स्वरूप शर्मा : कुमारी कमला कुमारी :**

**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

क्या रेलवे मन्त्री बम्बई की उपनगरीय गाड़ियों में तृतीय श्रेणी के डिब्बों में बैठने तथा खड़ा होने के स्थान के बारे में 17 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 789 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरीय परिवहन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या मध्य रेलये प्रशासन का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख). महानगरीय परिवहन दल द्वारा सुझाव के अनुसार बम्बई में क्वलार्ड स्टेट के पास एक तीसरे टर्मिनल की व्यवहारिकता और उसके आर्थिक पहलुओं का अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए 1969-70 के निर्माण कार्यक्रम में व्यवस्था कर दी गई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) मध्य रेलवे का प्रस्ताव यह है कि मुख्य उपनगरीय लाइन पर गाड़ियों में डिब्बों की संख्या को 12 तक बढ़ाकर और व्यस्त समय में कुछ अतिरिक्त गाड़ियां चला कर उपनगरीय यातायात के लिए अतिरिक्त क्षमता पैदा की जाय ।

**All India Railway Commercial Clerks Association**

4262. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Narain Swarup :**
**Kumari Kamla Kumari :**
**Shri Om Prakash Tyagi :**
**Shri Bal Raj Madhok :**
**Shri K. Sreedharan :**
**Shri K. Lakkappa :**
**Shri Shri Chand Goel :**
**Shri Yashpal Singh :**
**Shri Kikar Singh :**
**Shri Deven Sen :**
**Shri P. N. Solanki :**
**Shri D. R. Parmar :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri Ramchandra J. Amin :**

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 784 on the 17th December, 1968 and state :

(a) whether the representations of the All India Railway Commercial Clerks' Association have been examined ;

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ; and

(c) the action being taken in view of the decision taken ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) Yes.

(b) and (c). It has not been possible to accede to these demands ; however, the question of giving relief to staff who had been at the maximum of their pay scales for sometime is receiving attention of the Government.

### रेलवे के सफाई कर्मचारियों का कल्याण

4263. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस गांधी शताब्दी वर्ष में रेलवे के सफाई कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण तथा शिक्षा के लिये कोई कल्याण कार्यक्रम रेलवे द्वारा तैयार किया गया है ;

(ख) क्या रेलवे का विचार रेलवे शताब्दी स्मारक संस्थायें शुरू करने तथा पूर्वोत्तर रेलवे के जिला मुख्यालय समस्तीपुर में एक हाई स्कूल खोलने का है ; और

(ग) इस गांधी शताब्दी वर्ष के महत्व को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए रेलवे कर्मचारियों के निम्नतम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिये क्या रेलवे कर्मचारी कल्याण निधि को बढ़ाने का रेलवे का विचार है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

### Ban on Fresh Recruitment in Steel Plants

4264. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Molahu Prasad :**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether Government propose to totally ban further recruitment, for at least 5 years, in order to make up the loss being sustained in the three public sector Steel Plants ;

(b) if so, whether Government propose to recruit to the extent of 5 to 7 per cent from among the local residents and to transfer the surplus workers at Bhilai, Durgapur and Rourkela Steel Plants to the new plant being set up at Bokaro ; and

(c) if so, by when ?

**The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant)** : (a) to (c). Hindustan Steel Limited as taken up, in association with the Consulting and Applied Research Division of the Administrative Staff College of India, Hyderabad, certain studies for the revision of their existing incentive schemes which will also assist in the determination of staff requirements of the various Departments of the steel plants on a scientific basis. These will indicate the existence and extent of any surpluses. Pending the completion of these studies, HSL has been asked to freeze manpower at the existing levels. The question of transfering the surplus workers of Steel Plants under Hindustan Steel Ltd. to the Bokaro Steel Plant can arise only after the surpluses have been determined. So far as future recruitment is concerned, Government have already laid down a policy in this ragard whereby posts in lower categories are required to be referred to the employment exchanges functioning close to the project. Preferenee in recruitment to such posts is required to be given to those who have been displaced from the areas acquired for the project especially or Scheduled Castes and Scheduled Tribes (e.g. Adivasis) and those who, even if they come from a distance, have been or are about to be retrenched from Public Undertakings.

## पूर्वी रेलवे के धनबाद कोष में चोरी

4265. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री भरत सिंह चौहान :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के धनबाद कोष से 22 दिसम्बर, 1968 को 1.66 लाख रुपये की चोरी हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच कराई गई है ;

(ग) यदि हां, तो जांच का व्यौरा क्या है ; और

(घ) जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह :** (क) 20/21-12-68 की रात को डेहरी-आन-सोन में 1.66 लाख के रोकड़ की कमी पायी गयी, जबकि रकम भुगतान क्लर्क की अभिरक्षा में थी।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(घ) पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और रोकड़ कार्यालय के चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। रेल प्रशासन ने उन्हें मुअतल कर दिया है। इस सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई पुलिस की जांच पड़ताल विभागीय जांच पर निर्भर है।

## गुजरात में रेलवे लाइनें

4266. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख). भावनगर और तारापुर के बीच बड़ी लाइन के निर्माण का एक प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसके लिए पश्चिम रेलवे ने फिर से यातायात सर्वेक्षण किया है। रेलवे ने यातायात सर्वेक्षण की जो संशोधित रिपोर्ट दी है रेलवे बोर्ड उसकी जांच कर रहा है। रिपोर्ट की जांच पूरी हो जाने के बाद, इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव के अलावा, गांधीधाम से लखपत तक एक नयी लाइन बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। गाँधीधाम-लखपत रेल लाइन के सर्वेक्षण की मंजूरी शीघ्र ही दिये जाने की सम्भावना है। प्रस्तावित और इस समय जारी सर्वेक्षण के परिणामों की जानकारी हो जाने के बाद इन प्रस्तावों पर आगे विचार किया जायेगा, बशर्ते इनके लिए पर्याप्त रकम उपलब्ध हो।

**भद्रावती आयरन एन्ड स्टील लिमिटेड के बारे में पश्चिमी जर्मनी से करार**

4267. **श्री रा० बरूआ :**

**श्री नि० रं० लास्कर :**

**क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के भद्रावती आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड में, विशेष मिश्रित इस्पात के निर्माण के लिए, उसकी सहायता करने के करार के बारे में पश्चिमी जर्मनी तथा भारत के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम जर्मन सरकार को किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ; और

(ग) इससे अच्छे इस्पात के उत्पादन में सरकार को कहां तक सहायता मिलेगी ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृ० चं० पंत)** : (क) मैसूर आयरन एंड स्टील लिमिटेड ने अपनी विस्तार योजना के सम्बन्ध में पश्चिम जर्मनी के मैसर्स के० एफ० डब्लू० के साथ निम्न राशियों के लिये तीन ऋण करार किये हैं :

डी० एम० 60 मिलियन—22 अक्तूबर, 1964 को

डी० एम० 13 मिलियन—31 अगस्त, 1965 को

डी० एम० 14.9 मिलियन—25 नवम्बर, 1968 को

(ख) यह कम्पनी इन ऋणों से अलौह तथा विशेष इस्पात योजना और विद्युत् कच्चा लोहा विस्तार योजना से सम्बन्धित विदेशी मुद्रा के व्यय को पूरा कर सकेगी ।

(ग) यह कम्पनी इस सहायता से हल्के इस्पात के उत्पादन के स्थान पर अलौह तथा विशेष इस्पात का उत्पादन प्रारम्भ कर सकेगी जो एक अधिक लाभदायक परियोजना है ।

**निरमली (पूर्वोत्तर रेलवे) से कुनौली तक रेलवे लाइन**

4268. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर निरमली से कुनौली तक, जो नेपाल की सीमा पर है, नई रेलवे लाइन खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) क्या यह प्रस्ताव क्रियान्वित किये जाने पर भारत-नेपाल मन्त्री के लिये अधिक लाभप्रद होगा ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) यदि इस सुझाव को कार्यान्वित किया गया तो निःसन्देह यह रेलवे लाइन भारत-नेपाल सीमा के पास तक पहुँच जायेगी । लेकिन, इसकी व्यावहारिकता के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन किये बिना इसके लाभों का अनुमान लगाना कठिन है । चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए जो सीमित रकम और साधन उपलब्ध हैं उन्हें रक्षा कार्यों, बन्दरगाह और भारी औद्योगिक विकास तथा बढ़े हुए खनिज यातायात की अनिवार्य योजनाओं

के लिए सुरक्षित रखना होगा। इसलिए चौथी पंच वर्षीय योजना में निर्मली से कुनौली तक नया रेल सम्पर्क बनाने के प्रस्ताव को सम्भवत: उतनी प्राथमिकता नहीं मिल सकेगी और इसे सुविधा-जनक समय के लिए रख छोड़ना होगा।

**Dacoity, Loot and Murder in Running Trains**

**4269. Shri Bharat Singh Chauhan :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents of dacoity, loot and murder in running trains on the Western, North-Eastern and Central Railways during the last two years, separately ;

(b) the number of persons killed and the total value of the goods looted or stolen in such incidents as per information available with Government ; and

(c) the number of persons arrested in this connection, the number of persons against when prosecutions were launched and the number of persons convicted and the number of cases pending in Law Courts ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) to (c). A statement giving the required particulars is attached. [*Placed in Library. See* No. LT.—490/69.]

**Ticketless Travel on North Eastern and Eastern Railways**

**4270. Shri Bharat Singh Chauhan :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of passengers caught travelling without ticket on the North-Eastern and the Eastern Railways since 1st January, 1968 ;

(b) the amount of money realised by Government as fine including the fine realised on the spot ; and

(c) the action taken by Government to check ticketless travelling ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) 45,53,235 from 1.1.68 to 28.2.1969.

(b) The amount of fines recovered was Rs. 12,55,861.80. Fines for ticketless travel under Section 112 of the Indian Railways Act are imposed only by Courts of law.

(c) A very determined effort is being made by the Railway administrations to check ticketless travel. Apart from frequent snrprise checks on various sections, massive checks by mobilising a large number of ticket checking staff, R.P.F. and Government Railway Police personnel and accompanied by Railway Magistrates, are being conducted at important junction stations.

Instructions have also been issued to Railways to associate village elders, boy scouts, students and volunteers from Social Service Organizations with the checking of tieketless travelling.

**भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित इस्पात का मानक**

4271. **श्री बाबूराव पटेल : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 3 जनवरी 1969 को भारतीय मानक संस्था के महा-निदेशक, श्री ए० एन० घोष द्वारा दिये गये इस वक्तव्य के बारे में सरकार को जानकारी है कि यदि

इस्पात निर्माता भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित मानक अपनायें तो इस्पात का 23 प्रतिशत उत्पादन बच सकता है और भारतीय मानक संस्था ने इस्पात की 1500 विभिन्न किस्मों को घटा कर केवल 70 कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) भारतीय मानक संस्था के मानक अपनाकर हानि में चल रहे इस्पात व्यापार में 23 प्रतिशत की बचत करने पर आग्रह न करने के क्या कारण हैं ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) :** (क) जी, हां।

(ख) भारतीय मानक संस्था की सिफारिशों के अनुसार इस्पात की किस्मों का वैज्ञानिकन पहले ही किया जा चुका है और कुछ अन्य उपाय भी किये गये हैं। इस्पात बचत उप-समिति के निर्देशन के अनुसार इस्पात और भारी इन्जीनियरी मन्त्रालय में एक इस्पात बचत बोर्ड भी स्थापित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**Jhunjhunwala Jarvis Ltd., Bombay**

**4272. Shri Sharda Nand :**
**Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the date on which Jhunjhunwala Jarvis Limited, Bombay applied for a licence and when it start functioning ;

(b) the conditions in regard to the setting up of the company and the nature of articles being produced by it ; and

(c) its total production since its inception ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :** (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Honse.

**रेल डिब्बों में पंखे तथा बल्ब**

4273. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि पूर्वोत्तर रेलवे की यात्री गाड़ियों के अधिकांश डिब्बों में पंखे लगे होते हैं परन्तु वे चलते नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश डिब्बों में बल्ब नहीं लगे होते और जहां बल्ब होते हैं वह मद्धम रोशनी देते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में पहले दर्जे की बर्थों पर बल्ब लगाने की व्यवस्था तो होती है परन्तु उन स्थानों को या तो लकड़ी से बन्द किया होता है अथवा उनमें केवल खुली तारें होती हैं ; और

(घ) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) यद्यपि यह सच है कि अधिकांश डिब्बों में पंखे लगे हुए हैं लेकिन यह सच नहीं है कि वे सभी चालू हालत में नहीं हैं। कुछ पंखे तोड़-फोड़ तारों की चोरी, खराब उपस्कर आदि विभिन्न कारणों से खराब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की व्यवस्था मौजूद है।

(ख) यह सच नहीं है कि अधिकांश डिब्बों में बल्ब नहीं लगे हैं। लगे हुए बल्ब पूरी रोशनी देते हैं लेकिन ऐसे मामले भी हुए हैं जब बैटरियों की कमी या बाहरी हस्तक्षेप से जनित्र उपस्कर में पैदा की गई अन्य खराबियों के कारण रोशनी धीमी पड़ गयी।

(ग) सभी डाक और एक्सप्रैस गाड़ियों में शायिकाओं पर बल्ब लगाये गये हैं और सवारी गाड़ियों में लगाये जा रहे हैं।

(घ) गाड़ियों में रोशनी रहे, इस बात पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है और इसे सन्तोषजनक स्थिति में रखने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जा रहा है।

### वाराणसी-गोरखपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना

4274. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे पर भटनी जंकशन के रास्ते वाराणसी से गोरखपुर तक की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिये उसका सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) प्रस्तावित मीटर लाइन को बड़ी लाइन में कब परिवर्तित किया जायेगा ; और

(घ) ऐसे निर्माण पर कुल कितना व्यय होगा ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). भटनी के रास्ते वाराणसी (मंडुआ-डीह) से गोरखपुर तक मीटर लाइन के बदलाव सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस योजना सम्बन्धी इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण पहले ही मन्जूर किये जा चुके हैं और सर्वेक्षण के काम हो रहे हैं। सर्वेक्षण पूरे होने और रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण की रिपोर्ट की जांच किये जाने के बाद इन मीटर लाइनों के वास्तविक बदलाव के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया जायेगा।

(घ) इस समय जो सर्वेक्षण हो रहे हैं उनके पूरे होने पर ही इन मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने सम्बन्धी कुल लागत का पता चल पायेगा।

### उड़ीसा में फाटकों पर नीचे के पुल तथा उपरि पुल

4275. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रहणी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 तथा 1968-69 में उड़ीसा राज्य में फाटकों पर कितने नीचे के पुलों तथा उपरि पुलों का निर्माण शुरू किया गया है और उन स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ख) उक्त कार्य के लिये कितना धन निर्धारित किया गया तथा गत दो वर्षों में अब तक कितनी राशि व्यय की गई ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) 1967-68 और 1968-69 में उड़ीसा राज्य में कोई ऊपरी निचला सड़क पुल बनाने का काम शुरू नहीं किया गया है।

(ख) 1967-68 और 1968-69 के बजट में केसिंगा में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण सम्बन्धी लागत का रेलवे के हिस्से के क्रमशः एक लाख और 3 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पुल के स्थान और नक्शों को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण इस रकम का उपयोग नहीं किया जा सका।

## केरल में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

4276. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में लघु उद्योगों को निर्यात प्रधान उत्पादकों का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या प्रोत्साहन दिया गया है ; और

(ख) क्या कुछ केन्द्रीय और राज्य वित्त निकायों और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में समन्वय की वर्तमान प्रणाली को सुदृढ़ करना आवश्यक है ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) देश में उद्योगों को निम्नलिखित प्रोत्साहन किये जाते हैं : —

(1) पंजीकृत निर्यातकों द्वारा कच्चे माल, हिस्सों और फालतू पुर्जों का आयात किया जाना ;

(2) निर्यात करने वाले एककों को पूंजीगत वस्तुओं का आयात ;

(3) निर्यात करने वाले एककों को देशी कच्चे माल का नियतन करना ;

(4) नकद राज्य सहायता देना ;

(5) शुल्कों की वापसी ;

(6) रेलों का रियायती भाड़ा ;

(7) आयकर में छूट देना।

इनके अतिरिक्त लघु उद्योगों को निर्यात सहायता योजना के अधीन राज्य व्यापार निगम लघु उद्योगों के उत्पादों के लिए विदेशी मंडियों का पता लगाता है, लघु नियातकों की ओर सर आर्डर प्राप्त करता है, उपहार सम्बन्धी सामान की पैकिंग करने और उन्हें तैयार करने में सहायता प्रदान करता है, समुद्रपार के खरीदारों को ऋण देता है। और लघु उद्योगों विकास संगठन छोटे निर्माताओं को उत्पादिता बढ़ाने, उत्पादों की किस्म को ऊंचा उठाने तथा निर्यात मंडियों में उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार करने हेतु तकनीकी प्रबंधनीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) विभिन्न अभिकरणों के बीच अधिक से अधिक व्यावहारिक समन्वय बनाये रखने की आवश्यकता को सदैव ध्यान में रखा जाता है। जहाँ तक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का सम्बन्ध है उसका प्रमुख वित्तीय कार्य केवल कुछ सूती, जूट और मशीनी औजार उद्योगों को स्वीकृत ऋण का वितरण करने तथा विद्यमान ऋणों की वसूली करने तक सीमित है।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के मकानों के निर्माण के लिये अनुदान**

4277. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सहायता से चलाई जाने वाली राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के मकानों की निर्माण की योजना के लिये कितनी राशि की राज सहायता दी गई ; और

(ख) इस सहायता से अब तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों द्वारा उड़ीसा में वस्तुतः कितने मकान बनाये गये हैं ?

**विधि मंत्रालय समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुत्याल राव)** : (क) केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(रुपये लाखों में)

| वर्ष | अनुसूचित जातियाँ | अनुसूचित आदिम जातियां |
|---|---|---|
| 1966-67 | 0.185 | 0.125 |
| 1967-68 | 0.480 | 0.240 |
| 1968-69 | 0.180 | 0.120 |

(ख) 1966-68 में 139 मकान बनाये गये ; दो अधूरे बने मकानों का निर्माण पूरा किया गया तथा 29 एककों का निर्माण हो रहा था ।

**सामान बुक करने में रेलवे प्रशासन का दायित्व**

4278. **श्री ओंकार लाल बैरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुक हुए किन्तु मालिक के कब्जे में रखे सामान का रेलवे प्रशासन कितना दायित्व स्वीकार करता है ;

(ख) यदि बुक किया गया सामान, जो मालिक के पास रहता है, बाद में वजन में अधिक या कम पाया जाता है, तो क्या रेलवे प्रशासन वजन की गलती की जिम्मेदारी स्वीकार करेगा ; और

(ग) उक्त भाग (ख) के उत्तर के कारण क्या हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जैसी कि भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 75 में स्पष्ट व्यवस्था है, जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि मालिक के कब्जे में रहने वाला बुक किया हुआ सामान, रेल प्रशासन या इसके किसी कर्मचारी की लापरवाही अथवा अवचार के कारण खोया, नष्ट, क्षतिग्रस्त अथवा खराब हुआ था, तब तक रेल प्रशासन इस प्रकार के सामान के खोये जाने, नष्ट होने, क्षतिग्रस्त होने या खराब होने के लिए जिम्मेदार न होगा ।

(ख) और (ग). यदि गंतव्य स्थान पर या रास्ते में यह पता चले कि यात्री अपने साथ जो

सामान ले जा रहा है, वह बुक किये हुए वजन से अधिक है, तो उससे अधिक वजन के लिए भुगतान करने को कहा जायेगा। वजन में अधिकता प्रस्थान स्टेशन पर तोल में गलती के कारण या यात्रा के दौरान यात्री द्वारा और सामान मिला देने के कारण हो सकती है। यदि वजन, बुक किये गये वजन से कम पाया जाता है, तो ऐसा, प्रस्थान स्टेशन पर तौल की गलती के कारण या रास्ते में यात्री द्वारा अपना कुछ सामान कम कर देने के कारण हो सकता है। यदि यह सिद्ध किया जा सकता हो कि ऐसा, प्रस्थान स्टेशन पर तौल में गलती के कारण हुआ है, तो रेल प्रशासन देय भाड़ा प्रभार और वसूल किये गये भाड़ा प्रभार के अन्तर को वापस करने के प्रश्न पर विचार करने को तैयार होगा।

जहाँ तक सामान में कमी हो जाने के लिए दायिता का सम्बन्ध है, सामान की देख-भाल की जिम्मेदारी यात्री की है क्योंकि सामान उसी की अभिरक्षा में रहता है। धारा 75 में निर्दिष्ट दायिता के सिवाय रेल प्रशासन, ऐसी किसी कमी के लिए कोई दायिता स्वीकार नहीं कर सकता, जिसका यात्री को गंतव्य स्टेशन पर या रास्ते में पता चले।

## भारी इंजीनियरिंग निगम के चेयरमैन

4279. **डा० कर्णी सिंह :**

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

**क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरिंग निगम के चेयरमैन के रूप में श्री के० डी० मालवीय की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए हुई थी ;

(ख) क्या उनकी नियुक्ति मुख्य रूप से उनके एक राजनीतिज्ञ और प्रशासक होने के नाते उनके व्यापक अनुभव के आधार पर की गई थी ; और

(ग) तब उनकी नियुक्ति के थोड़े समय के बाद ही सरकार द्वारा उनको फूलपुर संसदीय चुनाव लड़ने की अनुमति देने के क्या कारण है ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) आरम्भत: श्री के० डी० मालवीय को 23-2-68 से एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था।

(ख) जी, हाँ।

(ग) श्री मालवीय ने 4 जनवरी 1969 से अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था, जो स्वीकार कर लिया गया था।

## मृत्यु दण्डादेश पर विधि आयोग की सिफारिश

4280. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत्यु दण्डादेश को जारी रखने के प्रश्न पर विधि आयोग द्वारा किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसने इस विषय पर क्या सिफारिशें की ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) :** (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). वह रिपोर्ट, जिस में विधि आयोग की सिफारिशें दी गई हैं, मुद्रणाधीन है और सम्यक् अनुक्रम में सदन के पटल पर रख दी जाएगी । सिफारिशों की परीक्षा अभी तक आरम्भ नहीं हुई है ।

**भारत हंगरी सहयोग**

4281. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
**श्री अविचन :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में खानों और उद्योगों के विकास में भारत तथा हंगरी के बीच अधिक सहयोग के बारे में उनकी हंगरी के धातु विज्ञान मन्त्री श्री गुइआला हारगस के साथ हाल में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम रहा ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) और (ख). हंगरी के धातु वार्षिक तथा मशीनी उद्योग मन्त्री डा० गुइआला होरगोस की अध्यक्षता में हाल ही में भारत आये शिष्ट मण्डल के साथ मन्त्रीस्तर तथा अधिकारी-स्तर पर बातचीत की गई थी । इस बातचीत में भारत में हंगरी के सहयोग से स्थापित किये गये उपक्रमों की प्रगति पर पुनः विचार किया गया और दोनों देशों के बीच पारस्परिक तथा आदान-प्रदान की भावना के आधार पर आर्थिक, औद्योगिक तथा व्यापार सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई । हंगरी की ओर से उपभोक्ता तथा परम्परागत वस्तुओं एवं इन्जीनियरी की वस्तुएं जैसे मालगाड़ी के डिब्बों और अधिक संख्या में भारत से आयात करने में रूचि दिखाई गई । हंगरी के शिष्टमण्डल ने डीजल की रेलगाड़ियों, बन्दरगाह के उपकरणों, तैरने वाली क्रेनों, विशिष्ट बसों, ट्रेलरों, ट्रेक्टरों और वातानुकूलित गाड़ियों आदि के निर्माण में ?

**राजस्थान में बड़ी रेलवे लाइनें**

4282. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री रा० कृ० बिड़ला :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान का आर्थिक विकास इस कारण रुका हुआ है कि राज्य के मुख्य खनन क्षेत्र इस समय राज्य के बड़े नगरों से बड़ी लाइन द्वारा नहीं मिले हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चौथी योजना के दौरान नई बड़ी लाइनें बिछाने के

कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है और क्या राजस्थान की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये उसमें आवश्यक व्यवस्था कर ली गयी है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). नयी लाइनों के लिए चौथी योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । रेलवे का विकास राज्य या क्षेत्र के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुये सम्पूर्ण विकास की दृष्टि से किया जाता है। राज्य के मुख्य खनिज केन्द्रों तक बड़ी लाइन की रेल सुविधा के अभाव में राजस्थान के आर्थिक विकास में किसी कठिनाई की जानकारी रेल प्रशासन को नहीं है । फिर भी राजस्थान में खेतड़ी तांबा परियोजना के लिए खेतड़ी तक नयी रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है और आशा है इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा ।

### डायमंड हार्बर रेलवे स्टेशन

4283. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के सियालदा डिवीजन पर डायमंड हार्बर स्टेशन पर न तो कोई यात्री शेड है और न ही वहां पर महिलाओं के लिये प्रतीक्षालय है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यात्रियों को यह सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए यदि कोई उपाय किये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं । डायमंड हार्बर के प्लेटफार्म पर 2990 वर्ग फुट का एक यात्री शैड और ऊंचे दर्जे का मिला-जुला एक प्रतीक्षालय है । महिलाओं के लिए अलग से एक प्रतीक्षालय की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि इस स्टेशन पर प्रतिदिन औसतन पहले दर्जे के केवल तीन यात्री होते हैं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

### हल्दिया में सहायक उद्योग

4284. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में सहायक उद्योगों का विकास करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल में हल्दिया और उसके निकट उद्योगों की संभावनाओं का अनुमान लगाने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगपतियों की एक बैठक बुलाई थी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उद्योगपतियों के साथ किस संदर्भ में बातचीत हुई थी ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल सरकार ने चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित

की जाने वाली प्रायोजनाओं में हल्दिया औद्योगिक क्षेत्र के विकास को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है। बड़े तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए किये जाने वाले योजना आवन्टन की सीमाओं के अन्दर हम प्रस्ताव को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है। अन्तिम निर्णय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर किया जायेगा।

(ग) और (घ). जानकारी को पश्चिमी बंगाल सरकार से एकत्र किया जा रहा है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

**पश्चिम बंगाल में उद्योगों के लिए लाइसेंस**

4285. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल के सदर और डायमंड हार्बर सब-डिवीजनों में बड़े पैमाने के मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना के लिए गत तीन वर्षों में औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) उक्त अवधि में कितने लाइसेंस दिये गये ; और

(ग) 24 परगना जिले के उक्त सब-डिवीज़नों में इस अवधि में वास्तव में कितने उद्योग स्थापित किये गये ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) पश्चिमी बंगाल से गत तीन वर्षों में 342 प्रार्थना पत्र उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुए।

24 परगना जिले के सदर और डायमंड हार्बर सब-डिवीजनों की अलग से प्रार्थना पत्रों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। 25 लाख रु० से कम निश्चित आस्तियों के मध्यम और लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) पश्चिमी बंगाल में स्थापित किये जाने वाले 131 उद्योगों के लिए 131 लाइसेंस प्रदान किये गये।

(ग) उन सभी मामलों में जहां लाइसेंस जारी किया जाता है सरकार उन पर उनकी कार्यान्वियन प्रगति के अर्धवार्षिकीय विवरणों के माध्यम से, जो लाइसेंसधारी को उपक्रम के स्थापित होने तक प्रस्तुत करना पड़ता है निगरानी रखती है। ऐसे मामलों में जहां लाइसेंसधारी बिना किसी उचित कारण के लाइसेंस का क्रियान्वयन नहीं करते हैं, लाइसेंस प्रतिसंहरण की कार्यवाही की जाती है। 131 जारी किये गये लाइसेंसों में से 5 लाइसेंस या तो रद्द कर दिये गये या लाइसेंन्सधारी द्वारा वापस कर दिये गये हैं। अन्य लाइसेंस या तो कार्यान्वित किये जा चुके हैं या उन के लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।

**ट्रेन क्लर्कों का चयन**

4286. **श्री स० कुण्डू :**
**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
**श्री पी० विश्वम्भरन :**
**श्री एस० एम० कृष्ण :**
**श्री के० लकप्पा :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1967 में उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में सरकार ने पुआइंटमैन, शंटर तथा स्विचमैन में से कुछ लोगों का ट्रेन क्लर्कों के पदों के लिए चयन किया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने ट्रेन क्लर्क चुने गये थे ; और

(ग) क्या गुणदोष के आधार पर उनका चयन किया गया था ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां, 1966-67 में।

(ख) गाड़ी क्लर्कों के पदों के लिए चार व्यक्ति चुने गये थे।

(ग) जिन व्यक्तियों ने चुनाव में अर्हता प्राप्त की, उन्हें सम्बन्धित नियमों के अनुसार वरिष्ठता-क्रम में पैनल पर रख लिया गया।

### Translation of Forms in Hindi in Railway Board

**4287. Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Beni Shanker Sharma : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of forms in use in use in Railway Board and each of the offices thereunder :

(b) the percentage of them printed in Hindi or in diglot form ;

(c) the steps taken to expedite this translation work and when the remaining forms would be printed in Hindi ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) and (b). A statement giving the requisite information is attached. [*Placed in Library. See* No. LT.—491/69.]

(c) General orders in regard to the introduction of Hindi-English bilingual forms were issued in June, 1961.

(d) While all efforts will be made to expedite translation and printing of forms as per extent policy, it is not possible to indicate precisely the time by which this work will be completed.

### Separate Cadre for Loco Drivers

**4288. Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had proposed to form a separate cadre regarding the seniority of those loco-drivers who had come forward first of all to receive diesel training at the time of introduction of the diesel engine in the country, whereas the senior loco drivers and supervisors were not prepared to take any risk to become new diesel drivers ;

(b) whether it is also a fact that loco drivers who were not prepared to take any risk at that time and who were afraid of any change, are now appointed Supervisors and Inspectors over those persons who had then entered this diesel field first of all and who have acquired seven years of experience by now in this field ;

(c) if so, the fate of the Central Railway Department circulars dated the 26th

September, 1962 and the 15th March, 1963, wherein some assurance had been given to the affected persons in these circumstances ; and

(d) whether Government have received any representation from the supervisors and Inspectors in the diesel field ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

### हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

4289. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को वर्ष प्रतिवर्ष भारी हानि होने के कारण क्या सरकार ने इस्पात कारखानों के प्रबन्धक कर्मचारियों में काफी परिवर्तन किये हैं ; जिससे समूचे प्रशासन में सुधार हो और हानि कम से कम हो ;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में क्या-क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ग) क्या वर्तमान प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिये सरकार ने कुछ विदेशी विशेषज्ञों/परियोजना प्रशासकों को नियुक्त करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) और (ख). जी, हां। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के नये अध्यक्ष ने 30 मई 1968 को कार्यभार ग्रहण किया था। एक पूर्ण कालिक उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई के नये महाप्रबन्धकों ने मार्च 1968 से जून 1968 की अवधि में कार्यभार ग्रहण किये थे। तीन कार्यकारी संचालकों की नियुक्ति के कुछ प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है और इन नियुक्तियों के शीघ्र ही किये जाने की सम्भावना है।

(ग) मौजूदा ढांचे में सुधार के लिए किसी विदेशी प्रायोजना—प्रशासक की नियुक्ति का बिचार नहीं है किन्तु परिचालन एवं संधारण के लिए विदेशी तकनीशियनों की नियुक्ति यथा-आवश्यकता की जाती है।

### पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित यातायात लेखा कार्यालय के फालतू कर्मचारी

4290. **श्री के० रमानी :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**
**श्री भगवान दास :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित यातायात लेखा कार्यालय के फालतू कर्मचारियों को, यन्त्रीकरण से अप्रभावित मदों के कार्य में हुई वृद्धि के अनुरूप उन्हें आवश्यक नौकरियां दी जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा।

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन

रेलवेमैन और आल इंडिया रेलवेमैन्स फैडरेशन को आश्वासन दिया गया है कि भारतीय रेलों के लेखा कार्यालयों में कार्य के सरलीकरण या यन्त्रीकरण के कारण किसी बेशी कर्मचारी की न छंटनी की जायेगी और न बिना उनकी सहमति के उनको वर्तमान स्टेशनों से स्थानान्तरित किया जायेगा। पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित यातायात लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को ही यह आश्वासन विशेष रूप से नहीं दिया गया है।

**बम्बई तथा आन्ध्र प्रदेश में हुए दंगों के परिणामस्वरूप रेल सम्पति को हुई क्षति**

4291. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
**श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
**श्री ईश्वर रेड्डी :**
**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 1969 के दूसरे सप्ताह में बम्बई और आन्ध्र प्रदेश में हुए दंगों में रेलवे सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ; और

(ख) कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई अथवा खराब हुई ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). महाराष्ट्र राज्य में खोयी/क्षति-ग्रस्त रेल सम्पत्ति की कीमत अनुमानतः 17.8 लाख रुपये है। इस अवधि में आन्ध्र प्रदेश राज्य में रेल-सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची।

**सरकारी परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब**

4292. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रूरकेला इस्पात कारखाने के महाप्रन्धक के उस वक्तव्य (24-1-1969 के इकनामिक टाइम्स) की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में व्यवहारिकता तथा परियोजना रिपोर्टों के तैयार करने में अत्याधिक विलम्ब, निर्माण प्रक्रम में अत्याधिक लापरवाही, अधिकारियों का अपरिवर्तनीय दृष्टिकोण तथा विदेशी सहयोगियों द्वारा सशर्त तकनीकी सहायता के कारण हानि होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विचार से सहमत है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विभिन्न संसदीय समितियों की रिपोर्टों में तथा प्रशासकीय सुधार आयोग की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विषय में दी गई रिपोर्ट में तथा अन्यथा, प्रायोजना प्रतिवेदनों के तैयार करने, उत्पादन लागत आदि के बारे में कई त्रुटियों का उल्लेख किया गया है। इन मामलों में सरकार ने मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त अनुदेश पहले ही जारी कर दिए हैं, जिनका उल्लेख सरकारी क्षेत्र-उपक्रम-ज्ञापन में किया गया है जो 28-2-69 को बजट के कागजों के साथ सदस्यों

को भेजा गया था। विदेशी तकनीकी सहायता राजनैतिक हस्तक्षेप अथवा अधिकारियों के दृष्टिकोण सम्बन्धी शिकायतों का कोई कारण नहीं है।

**रेलवे के संगचल कर्मचारियों को यात्रा भत्ता**

4293. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के कुछ डिवीजनों पर हाल में भारतीय रेलों के संगचल कर्मचारियों को यात्रा भत्ते के भुगतान के नये नियम लागू कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन नये नियमों को लागू करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या रेलवे कर्मचारियों और/अथवा उनके संगठनों से इन परिवर्तनों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे मन्त्रालय की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय रनिंग भत्ते से है, क्योंकि रनिंग कर्मचारियों को यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता। रनिंग भत्ते के पूरे विषय पर एक विभागीय समिति ने ब्यौरेवार विचार किया था और विशद रूप से छान-बीन कर के अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। श्रम संगठनों के परामर्श से इन सिफारिशों पर सविस्तार विचार किया गया और रनिंग कर्मचारियों को दिये जाने वाले रनिंग भत्ते की दरों में जहां कहीं आवश्यक था, समंजन करके संशोधन कर दिया गया। रनिंग भत्ते की नयी दरें लागू करने के बारे में रेल प्रशासनों को हिदायतें दे दी गयी हैं। पश्चिम रेलवे पर भी बाकी सभी रेलों की तरह ये दरें लागू कर दी गयी हैं। एक विवरण सलंग्न है जिसमें संशोधित दरों का ब्यौरा दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०492/69]**

(घ) संशोधित दरें लागू होने से अधिकांश रनिंग कर्मचारियों की परिलब्धियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और सामान्यतः इसका स्वागत हुआ है। फिर भी, कुछ व्यक्तियों से इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि गाड़ियों के प्रस्थान से पहले रुकने से सम्बन्धित प्रतीक्षा ड्यूटी भत्ता बन्द किये जाने के फलस्वरूप उनकी परिलब्धियों में कमी हो गयी है।

(ङ) इन व्यक्तिगत मामलों पर विचार किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

**उत्तर प्रदेश में मध्यावधि निर्वाचन के लिए रेलवे का विश्राम गृह**

4294. **श्री यशपाल सिंह** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्यावधि निर्वाचन प्रयोजनों के लिये उत्तर रेलवे स्टेशन का एक विश्राम-गृह मांगा था ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारियों ने विश्राम-गृह देने से मना कर दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

**विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम)** : (क) से (ग). सूचना संगृहीत की जा रही है।

**उत्तर बिहार में रेलवे में अपराधों में वृद्धि**

4295. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बिहार में रेलवे में अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या तत्कालीन रेलवे मंत्री ने यह कहा बताया जाता है कि चूंकि विधि और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है, इसलिए इस मामले में रेलवे विभाग सीधे रूप से कुछ भी नहीं कर सकता ;

(ग) क्या सरकार के इस उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण उत्पात मचाने वाले लोगों को और अधिक प्रोत्साहन मिला है और इस मामले में अपनी विवशता प्रकट करने की बजाय उनके मंत्रालय ने इसका हल खोजने के लिये राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर विचार-विमर्श क्यों नहीं किया ; और

(घ) यदि कोई बैठक बुलाई गई थी, तो उसमें किन-किन बातों पर विचार किया गया और उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

**रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह )** : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि कानून और व्यवस्था की समस्या राज्य सरकार/राज्य सरकार रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है तथापि आवश्यकता पड़ने पर रेल परिसरों के भीतर, जहां तक कानूनी तौर पर संभव होता है उनकी सहायता के लिये रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों का भी उपयोग किया जाता है। अपराध पर नियन्त्रण रखने के लिए हर समय सरकारी रेलवे पुलिस के साथ निकट सहयोग रखा जाता है और यदि कोई गंभीर अपराध होता है या किसी क्षेत्र या गाड़ी में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती हैं ती तुरन्त उनका ध्यान दिलाया जाता है ताकि उनकी रोकथाम के उपाय किये जा सकें और रात में चलने वाली सवारी गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस के पहरे की व्यवस्था की जा सके।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

(घ) अगस्त, 1968 में पुलिस अधिकारियों और पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों के बीच उच्च स्तर पर एक समन्वय बैठक में उत्तर बिहार की समस्या पर विचार विमर्श किया गया था। इसके बाद सितम्बर, 1968 में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक और बिहार सरकार के मुख्य सचिव के बीच एक बैठक हुई और फिर दिसम्बर 1968 में रेलवे सुरक्षा दल के महानिरीक्षक और बिहार पुलिस के महानिरीक्षक के बीच पटना में एक बैठक हुई। इन सभी बैठकों में बिहार सरकार के अधिकरियों ने यह आश्वासन दिया कि रेलवे में अपराधों की रोकथाम के लिए सुरक्षा के उपाय और कड़े किये जायेंगे। इस आश्वासन पर अमल करने के लिए बिहार सरकार ने गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के सशस्त्र अनुरक्षकों की संख्या बढ़ा दी है और प्रभावित क्षेत्रों

में रेलवे लाइन पर सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा गश्त लगाने की व्यवस्था है और रेलवे के संलग्न खंडों पर तैनात करने के लिए केन्द्रीय स्थानों पर सशस्त्र पुलिस के दस्ते रखे हैं। इस तरह बिहार सरकार ने अपराधों की रोकथाम के लिए अचानक कार्रवाई करने की व्यवस्था की है।

**रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करना**

4296. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के डाक्टरों पर यह प्रतिबन्ध है कि वे सावधिक तबादले के समय कर्मचारियों को, विशेष रूप से स्थानान्तरित कर्मचारियों के परिवारों के लोगों की गम्भीर बीमारी के सम्बन्ध में चिकित्सा प्रमाण पत्र सीधे न दिया करें ;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि इन सावधिक तबादलों में एक रूपता नहीं होती और जिन मामलों में भेदभाव बरता जाता है उनमें कर्मचारियों को उपयुक्त अधिकारियों के पास अपील करनी पड़ती थी और उन्हें उन डिवीजनल चिकित्सा अधिकारियों की राय लिये बिना ही, जिनसे उन्होंने इलाज करवाया था, जाने के लिये बाध्य होना पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो उत्तर रेलवे में ऐसे कितने कर्मचारी थे, जिन्हें तबादले के स्थान पर जाने के लिये बाध्य होना पड़ा था और उनके परिवारों के सदस्य किस प्रकार के रोगों से ग्रस्त थे ; और

(घ) उनकी शिकायतें एवं कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया गया ?

**रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) सवाल नहीं उठता।

**इस्पात कारखानों में इस्पात सिलों, पृष्ठ निक्षेपों और बिलेटों का निर्माण**

4297. **श्री मुहम्मद इमाम :**
**श्री हुकमचन्द कछवाय :**
**श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
**श्री छ० म० केदरिया :**
**श्री क० कृ० नायर :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :**
**श्री जे० एच० पटेल :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री द० रा० परमार :**
**श्री प्र० के० देव :**

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मुख्य इस्पात कारखानों के वस्तुएं बनाने वाले मिल अपनी-अपनी पूरी आयोजित क्षमता से काम कर रहे है ;

(ख) क्या गत 6 महीनों में प्रत्येक कारखाने में सिलों, पृष्ठ निक्षेपों (ब्लूम्स) और बिलेटों का निर्माण उनकी पूर्ण क्षमता के अनुरूप हुआ है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कारखानावार इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** । (क) और

(ख) अनुलग्नक 'क' के विवरण में कारखानों के पिण्ड, विक्रेय अर्द्ध तैयार इस्पात और तैयार इस्पात की छमाही क्षमता और उत्पादन दिखाया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी० 493/69]।

(ग] जहां तक क्षमता की तुलना में वास्तविक उत्पादन में कमी का सवाल है टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० की एक धमन भट्टी पुनश्चय के लिए बन्द रही और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कुछ श्रमिक अशान्ति रही। जहां तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन कारखानों का सम्बन्ध है, भिलाई की धमन भट्टियों और रेल तथा संरचनात्मक मिलों में भारी मरम्मत का काम हो रहा था तथा कारखाना निर्यात के लिए विशिष्ट विवरण के बिल्कुल अनुरूप माल तैयार करता रहा जिससे उत्पादन में कमी हुई। दुर्गापुर में श्रमिक अशान्ति तथा ब्लूमिंग और बिलेट मिलों में यान्त्रिक कठिनाइयां, कोक भट्टियों की मरम्मत जिससे कोक और गैस की कमी हुई, एक धमन भट्टी का पुनश्चयन आदि होते रहे थे। राउरकेला में विस्तार योजना की इकाइयों के क्रामिक चालू होने तथा परिणामी आरम्भिक कठिनाइयों, स्लैबिंग मिल, गर्म बेलित स्ट्रिप मिल, पिकलिंग लाइन की मरम्मत तथा एक धमन भट्टी के पुनश्चयन आदि के कारण उत्पादन में कमी हुई।

**निर्मित तथा अर्ध-निर्मित इस्पात का निर्माण**

4298. **श्री मोहम्मद इमाम :** **श्री हुकमचन्द कछवाय :**
**श्री जे० एच० पटेल :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री छ० म० केदरिया :**
**श्री द० रा० परमार :** **श्री क० कृ० नायर :**
**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री प्र० के० सह देव :**

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्मित' और 'अर्द्धनिर्मित' इस्पात में क्या-क्या वस्तुएं सम्मिलित हैं ;

(ख) प्रत्येक मुख्य इस्पात कारखाने में 'निर्मित' और 'अर्द्धनिर्मित' इस्पात की निर्माण-क्षमता कितनी-कितनी है।

(ग) वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक वर्षवार प्रत्येक कारखाने में कितनी-कितनी क्षमता का प्रयोग किया गया है और उपरोक्त अवधि में उनके उत्पादों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पर्याप्त क्रयादेश प्राप्त हुए हैं जिनसे वर्ष 1969-70 में प्रत्येक कारखाना अपनी पूर्ण क्षमता से प्रत्येक वस्तु का निर्माण करे ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या यह लाभदायक नहीं होगा कि रेल पटरियां बनाने वाले मिलों की बिलेट जैसे अर्ध-निर्मित माल को बनाने के लिये पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाये ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) 'सेमिस' के अन्तर्गत बिलेट, ब्लूम, स्लैब, टिन बार, ो बार, स्लीपर बार, शीटबार, और स्केल्प

बार आते हैं। 'फिनिश्ड स्टील' के अन्तर्गत बार, राड, स्ट्रक्चर्ल, स्केल्प शीट, स्ट्रिप और प्लेटें आदि आते हैं।

(ख) और (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है जिसमें विस्तार के पूर्व तथा विस्तारोपरान्त क्षमता तथा वर्ष 1964-65 से लेकर वर्ष 1968-69 तक का उत्पादन दिखाया गया है। **पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी० 494/69।

(घ) भिलाई की वायर राड मिल को छोड़कर, मोटे तौर पर आर्डरों की स्थिति सन्तोषजनक है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### भिलाई में इस्पात कारखाने में उत्पादन

4299. **श्री मुहम्मद इमाम :** **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :**
**श्री हुकमचन्द कछवाय :** **श्री जे० एच० पटेल :**
**श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्रीमती तारा सप्रे :** **श्री छ० म० केदारिया :**
**श्री द० रा० परमार :** **श्री क० कु० नायर :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

**क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भिलाई इस्पात कारखाने के महा-प्रबन्धक द्वारा पत्रकारों से एक भेंट, जिसके कुछ अंश 22 जनवरी, 1969 के बम्बई से प्रकाशित 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित हुए हैं, की ओर दिलाया गया है ;

(ख) रूसी विशेषज्ञों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा की गई सामान्य आलोचना का ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) भिलाई इस्पात संयंत्र का उत्पादन, जो 9 जनवरी को 18 लाख टन प्रति वर्ष या उसी वर्ष 15 जनवरी से 25 लाख टन की अधिष्ठापित क्षमता से बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ;

(घ) इस समय भिलाई इस्पात कारखाने की उत्पादन दर क्या है और आगामी महीनों में उसके किस क्षमता से काम करने की आशा है ; और

(ङ) क्या इससे कारखाना रीरोलर मिलों के लिये पहले की अपेक्षा अधिक इस्पात बिलेटों का उत्पादन कर सकेगा और यदि हां, तो आगामी कुछ महीनों में कितनी मात्रा में उत्पादन की आशा है ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण कान्त पंत) : (क)** जी, हां।

(ख) यह आलोचना का विषय नहीं था बल्कि भारत सरकार तथा श्री स्केचकोव के नेतृत्व में आये रूसी शिष्टमंडल द्वारा भिलाई इस्पात कारखाने के कार्यकरण के बारे मे संयुक्त रूप

से की गई समीक्षा थी जिसमें किये जाने वाले उपायों के बारे में कुछ सम्मत निर्णय लिए गए थे। मुख्य निर्णय निम्नलिखित के बारे में थे :

(क) धमन भट्टियों आदि की मरम्मत।

(ख) कोकिंग कोल के स्त्रोतों की संख्या में कमी और इसकी क्वालिटी में सुधार ; और

(ग) संशोधित प्रोत्साहन-बोनस योजना को लागू करना।

(ग) 2.5 मिलियन टन उत्पादन करने वाली कई इकाइयां 1968 के अन्त में तैयार थीं और यह देखने के लिए कि विभिन्न इकाइयां 2.5 मिलियन टन उत्पादन कर सकती है 9 से 15 जनवरी 1969 तक एक "अधिक-उत्पादन सप्ताह" मनाया गया। इस सप्ताह में निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया :—

(क) मशीनें बन्द न हों ;

(ख) गर्मी के कारण काम में देरी को कम किया जाए ;

(ग) सोख गड्ढों, पुर्नबेलन मिलों, इस्पात पिघलाने वाले कारखानों आदि में बेकार समय को कम से कम किया जाये।

(घ) आन्तरिक यातायात की कठिनाइयां दूर की जायें ;

(ङ) इस्पात कारखाने की विभिन्न इकाइयों में सम्पर्क बेहतर किया जाये।

(घ) इस समय भिलाई इस्पात कारखाना लगभग 1.8 मिलियन टन इस्पात पिण्ड का उत्पादन कर रहा है। आगामी वर्ष के लिये लगभग 2.2 मिलियन टन इस्पात पिण्ड के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

(ङ) वर्ष 1969-70 में 4,15,000 टन विक्रेय बिलेट का उत्पादन करने का विचार है जबकि निर्धारित क्षमता 3,15,000 टन है और वर्ष 1968-69 में फरवरी, 1969 तक वास्तविक उत्पादन 4,05,000 टन हुआ।

**Abolition of Adra Division of South-Eastern Railway**

4300. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have under consideration a proposal to abolish Adra Division of the South-Eastern Railway ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the name of the other Division with which the Adra Division is proposed to be merged after its abolition ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) No such proposal is under consideration.

(b) and (c). Do not arise.

**Delegation of All India Station Masters' Association**

4301. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation on behalf of the All India Station Masters' Association had met the then Railway Minister on the 2nd December, 1968 ;

(b) if so, the names of the persons who had constituted that delegation ;

(c) whether the delegation had presented any charter of demands to him ;

(d) if so, the details of their demands ;

(e) whether Government have considered them ; and

(f) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) to (f). Several representations have been made by and on behalf of the All India Station Masters' Association and Sarvashri Ramavtar Shastri and A.B. Vajpayee M.Ps. also are understood to have met the then Minister for Railways on 2.12.68.

The demands generally relate to revision of scales of pay, channel of promotion etc.

All these demands have been examined but could not be acceded to except that the question of laying down a unified channel of promotion for them is already being examined in consultation with the railway Administrations. Also the question of providing some relief to staff who may have reached the maximum of their scales of pay, is under examination.

**बड़े व्यापार-गृहों में वृद्धि के बारे में सर्वेक्षण**

4302. **श्री रा० कृ० सिंह :**

**श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय कार्य विभाग ने वर्ष 1963-64 से 1966-67 की अवधि में बड़े व्यापार गृहों में वृद्धि के बारे में हाल में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सर्वेक्षण की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

**औद्योगिक विकास, आँतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) समवाय-कार्य विभाग की ओर से ऐसा कोई सामान्य सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**Speculation Farm Commodities**

4303. **Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs : be pleased to state :**

(a) the names of the cities in the country where speculation of linseed, mustard and ground-nut has been permitted by Forward Markets Commission ;

(b) the amount of profit earned by Government every year therefrom ;

(c) the number of cities where permission for such a speculation has not been given now ; though in the past this trade used to be carried on in those very cities on a very large scale ;

(d) the reasons for which the speculation has been prohibited in Delhi and Agra ;

(e) the reasons for which the speculation has been permitted in one city and declared illegal in the other ;

(f) whether Government's attention has been drawn to the fact that speculation is

being carried on regularly in Delhi and Agra, though it has been declared illegal there ; and

(g) if so, the number of raids conducted by Government so far in this regard and the other action taken to check it ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):** (a) Futures or Hedge Trading in linseed is permitted in Bombay, Gwalior and Kanpur. Hedge trading in mustard seed is prohibited throughout the country. Hedge trading in groundnut is not being permitted at present.

(b) Nil.

(c) The number of centres at which futures trading was permitted previously in linseed, mustard seed and groundnut and in which there is no trading at present are as follows :—

| | | |
|---|---|---|
| Linseed | — | Nil |
| Mustardseed | — | 4 |
| Groundnut | — | 9 |
| Groundnut oil | — | 12 |

(d) Futures trading in mustard seed, groundnut oil and gur was permitted at Delhi and in gur and mustardseed at Agra. Due to shortage of supplies and high prices, futures trading in gur and mustardseed has been prohibited all over India. In groundnut oil, futures trading has not been permitted for the same reasons.

(e) Futures trading in a commodity is permitted only at such of these centres as satisfy certain essential criteria namely, adequate supply of the commodity, its susceptibility to large price variations, existence of tradition of forward trading, of different functionaries and the necessary trading facilities.

(f) Yes, Sir.

(g) Since 1966 ten raids at Delhi and one at Agra have been carried out involving 168 firms.

**Visit of Railway Accidents Enquiry Committee to Ajmer**

**4304. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Accidents Enquiry Committee had visited Ajmer, Rajasthan on or about the 20th January, 1969 ;

(b) if so, the decision taken by the Committee ; and

(c) the names of Members thereof who went there ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) Yes, Sir.

(b) The visit of the Committee was not with a view to taking any decisions. The Committee visited certain Railway installations and took the evidence of some Railway Officers and staff.

(c) Shri K.N. Wanchoo, Chairman Railway Accidents Inquiry Committee and Shri F.C. Bhadwrr, Member.

**Railway Wagon Manufacturing Factory, Bharatpur**

**4305. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that a railway-wagon manufacturing factory is situated in Bharatpur, Rajasthan ; and

(b) if so, the number of wagons for which orders were placed with the factory this year ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) Yes.

(b) No orders for wagons have been placed on this firm so far during 1969.

**Machine to Check Incoming and Outgoing Trains at Howrah Station**

**4306. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Government propose to instal a machine worth eighty lakhs of rupees at Howrah station to check incoming and outgoing trains ;

(b) if so, wherefrom this machine would be imported ; and

(c) the main features thereof including its capacity ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

**उत्तर रेलवे में स्टेनोंग्राफरों की वरिष्ठता**

4307. **श्री निहाल सिंह : श्री सूरज भान :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री श्रीचन्द गोयल :**
**श्री गार्डिलिंगन गौड़ :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेनोग्राफरों की वरिष्ठता एक करने के बारे में रेलवे बोर्ड के वर्ष 1963 के आदेश उत्तर रेलवे में क्रियान्वित नहीं किये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पदों का दर्जा बढ़ाने के रेलवे बोर्ड के आदेश होने पर भी उत्तर रेलवे में स्टेनोग्राफरों का चयन डिवीजन-वार वरिष्ठता के आधार पर कर दिया गया है जबकि इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के 1963 के आदेश स्पष्ट थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त परीक्षाओं में सब स्टेनोंग्राफरों को समान अवसर नहीं दिया गया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि चयन के बाद उत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड के 1963 के आदेश क्रियान्वित किये थे ;

(ङ) यदि हां, तो रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के बाद वरिष्ठता एक करने तथा रेलवे बोर्ड के आदेश क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार का विचार 1963 से पूर्व स्थिति के अनुसार कार्य करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**उत्तर रेलवे में अधिक वेतन क्रम के पदों पर जूनियर स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति**

4308. **श्री निहाल सिंह : श्री सूरज भान :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री श्रीचन्द गोयल :**

**श्री गाडिलिगन गौड़ :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में स्टेनोग्राफरों की वरिष्ठता मिलाने के बारे में रेलवे बोर्ड के वर्ष 1963 के आदेशों को क्रियान्वित न किये जाने के कारण सीनियर व्यक्तियों की उपेक्षा करके अधिक वेतन क्रम, अर्थात् 210-425 रुपये के वेतन क्रम, में जूनियर व्यक्ति पदोन्नत किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो डिवीजन-वार कितने सीनियर स्टेनोग्राफरों की उपेक्षा की गई है ;

(ग) डिवीजन-वार कितने जूनियर स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति की गई है ; और

(घ) उस अनियमितता को, जिससे बड़ी संख्या में सीनियर व्यक्तियों की पदोन्नति का अवसर नहीं मिला, दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**उत्तर रेलवे में स्टेरोग्राफरों का चयन**

4509. **श्री निहाल सिंह :**　　　**श्री सूरज भान :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**　　　**श्री श्रीचन्द गोयल :**
**श्री गाडिलिगन गौड़ :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में 210-425 रुपये के वेतन क्रम में स्टेनोग्राफरों के कुछ पदों के लिए चयन किया जाने वाला है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे बोर्ड के आदेशों के अनुसार वर्तमान कुछ खाली पदों की नियुक्ति के लिये नहीं लिया गया है और थोड़ा-थोड़ा करके चयन किया जा रहा है जिससे 130-300 रुपये के वेतन क्रम में कार्य कर रहे हैं बड़ी संख्या में स्टेनोग्राफर अधिक वेतन क्रम पाने के अवसर से वंचित हो रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में की जा रही उपचारात्मक कार्यवाही का व्यौरा क्या है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**अधिक वेतन क्रम के लिए स्टेनोग्राफरों का चयन**

4310. **श्री निहाल सिंह :**　　　**श्री सूरज भान :**
**श्री ओंकार लाल बरवा :**　　　**श्री श्रीचन्द गोयल :**
**श्री गाडिलिगन गौड़ :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में स्टेनोग्राफरों के चयन में

पक्षपात इतना बढ़ गया है कि एक खाली पद के लिए पदोन्नति के हेतु लगभग 12 स्टेनोग्राफरों को 'पेनल' बनाया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान नियमों के अनुसार भरे जाने वाले वर्तमान खाली पदों तथा उसके 25 प्रतिशत प्रत्याशित पदों के लिए पेनल बनाने की अनुमति है ; और

(ग) यदि हां, तो नियमों को उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं तथा इस अनियमितता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

### उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों के पदों का दर्जा बढ़ाना

4311. **श्री निहाल सिंह :**
**श्री सूरज भान :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री श्रीचन्द गोयल :**
**श्री गाडिलिंगन गौड :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वरिष्ठ वेतनमान वाले आशुलिपिकों के पदों का दर्जा बढ़ाने के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के जनवरी, 1965 के आदेशों को उत्तर रेलवे में अब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है ;

(ख) क्या उत्तर रेलवे में चयन खण्डशः किया जा रहा है और क्या 210-425 रुपये के वेतनमान वाले स्टेनों की कुल आवश्यकता का अनुमान वर्तमान नियमों के अनुसार नहीं लगाया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि केवल उन्हीं लोगों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जाता है जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बहुत से आशुलिपिक पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा सूची में पड़े हैं और खण्डशः चयन होने के परिणामस्वरूप उन्हें साक्षात्कार के लिये बुलाया जाना सम्भव नहीं है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार साक्षात्कार के लिये केवल उन्हीं लोगों को बुलाने का है जिन्होंने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और जो पदोन्नति के लिये प्रतीक्षा सूची में हैं ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उत्तर रेलवे ने इस भेदभावपूर्ण रवैये को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के छात्रों को मैट्रिकोपरान्त छात्रवृत्ति**

4312. **श्री ईश्वर पंरडी** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यार्डी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति देने की वर्तमान योजना में परिवर्तन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि नयी योजना के अन्तर्गत इन जातियों को 30 वर्ष के बाद छात्रवृत्तियां नहीं दी जायेंगी, यद्यपि समिति ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुत्यालराव)** : (क) से (ग). राज्य सरकारों तथा विभिन्न समितियों/सम्मेलनों/व्यक्तियों द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार इस योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है। शिक्षा के सम्बन्ध में उपयोगात्मक उपागम को बढ़ावा देने तथा छात्रवृत्ति योजना को जीविका का साधन समझाने की मनोवृत्ति को रोकने के लिए 30 वर्ष की उच्च आयु सीमा निर्धारित की गई है।

**रेलवे में स्टेनोग्राफरों के लिए प्रोत्साहन परीक्षा**

4313. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1960 में रेलवे बोर्ड ने सब रेल सेवा आयोगों को आदेश दिये थे कि योग्य उम्मीदवारों को प्रोत्साहन देने के लिए 130-300 रुपये के वेतन क्रम में स्टेनोग्राफरों की नियुक्ति के समय 80, 100 और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा ली जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद को छोड़ कर अन्य सब रेल सेवा आयोगों ने रेलवे बोर्ड के इन आदेशों को क्रियान्वित कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा रेलवे बोर्ड के आदेश क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि रेल सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1960 से अब तक नियुक्ति के समय 100 और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टेनोग्राफरों की परीक्षा न लेने के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में योग्य स्टेनोग्राफरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (क) से (घ) तक के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो रेलवे बोर्ड के आदेशों को क्रियान्वित न करने के लिये प्रशासन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा रेल सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा की गई इस अनियमितता के परिणामस्वरूप इस भेदभाव को ठीक करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां। रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद ने इन आदेशों को 1966-67 से क्रियान्वित किया।

(ग) से (ङ). असावधानी के कारण रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा जारी किये गये रोजगार नोटिसों में 1966-67 से पहले आशुलिपिकों की भर्ती के लिए 80 शब्द प्रतिमिनट की न्यूनतम गति निर्धारित की गयी थी और 100 और 120 शब्द प्रतिमिनट की उच्चतर गति से अर्हता प्राप्त करने वालों के लिए वेतन की उच्चतर दरें अनुबन्धित नहीं थी। लेकिन 1966-67 से आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापनों में यह गलती सुधार ली गयी।

1966-67 से पहले केवल 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से परीक्षा लेकर भर्ती किये गये आशुलिपिकों की कठिनाई दूर करने के लिए इन आशुलिपिकों को अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि देने के प्रयोजन से 100 और 120 शब्द की प्रति मिनट उच्चतर गति से अर्हता प्राप्त करने के लिए तीन अवसर देने (दूसरों के लिए केवल दो) की विशेष अनुमति दी गयी है।

**हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र**

4314, **श्री लोबो प्रभु :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री केशव देव मालवीय ने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष पद से किस आधार पर त्याग पत्र दिया है।

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : श्री मालवीय ने अपने त्याग पत्र में कोई कारण नहीं बताया था।

**राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का किराया-खरीद कार्यक्रम**

4316. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के किराया-खरीद कार्यक्रम में से हानि हुई है ;

(ख) अप्रयुक्त क्षमता वाले उद्योगों में उत्पादन के लिए किराया-खरीद व्यवस्था लागू करने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस प्रकार की किराया-खरीद प्रणाली के लिए वित्तीय और पुनार्वत की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) औद्योगिक उत्पादन को स्थिर रखने और उसमें वृद्धि करने के साधन के रूप में किराया-खरीद प्रणाली का विस्तार करने के बारे में विचार करने हेतु एक समिति नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) किराया-खरीद के सम्बन्ध में कुल कितनी माँग है और उसे पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) किराया-खरीद की सुविधाएं प्रसामान्य रूप से उन उद्योगों को नहीं दी जाती है जिनमें पहले ही पर्याप्त क्षमता अवस्थापित है।

(ग) निगम को अभी तक धनाभाव नहीं रहा है। फिर भी, अब मशीनों की मांग बढ़ रही है, यदि आवश्यकता होगी तो किराया खरीद की गतिविधियों के लिए अधिक धन राशि के प्रावधान के प्रश्न पर विचार करना होगा।

(घ) निगम का एक प्रमुख उद्देश्य किराया-खरीद के आधार पर मात्रा तथा गुण प्रकार की दृष्टि से उत्पादन में सुधार करने के लिए लघु उद्योगों को मशीनें प्राप्त कराना है। अतएव इस कार्य की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

(ङ) विगत पांच वर्षों में धनाभाव के कारण निगम ने एक भी आवेदन-पत्र अस्वीकृत नहीं किया।

**G. T. Express**

**4317. Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the time of departure of G.T. Express from New Delhi on 23rd February, 1968 and also the time of arrival at Gwalior and the reasons for late-running of the train in between ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** On 23-2-68 16 Up G.T. Express left New Delhi right time at 17.15 hours and arrived Gwalior at 22-30 hours or 8 minutes late. The late arrival of the train at Gwalior by 8 minutes was due to its having to pass via the loop line at Birla Nagar Station as the main line at this station was occupied by 348 Up Passenger.

**रेलवे में युद्ध सेवा कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करना**

4318. **श्री मयावन :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने 16 अगस्त, 1947 के बाद अस्थायी आधार पर नियुक्त और बाद में 2 मार्च, 1957 की पत्र संख्या (ई० एस०) 53 सी०पी०सी० 154 के पैरा के अनुसार स्थायी किये गये युद्ध सेवा उम्मीदवारों के वेतन नियत करने के बारे में अभी तक और आदेश जारी नहीं किये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं। रेलवे बोर्ड के 5-12-1959 के पत्र सं० ई० (एस) 1-53 सी० पी० सी०। 154-पार्ट 1 में आगे और आदेश जारी किये गये थे।

(ख) सवाल नहीं उठता।

**सहायक स्टेशन मास्टर**

4319. **श्री मयावन :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सहायक स्टेशन मास्टरों को जिन्हें युद्ध सेवा उम्मीदवारों

की ही भांति नियुक्त किया गया था दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा वरिष्ठता प्रदान किये बिना उस पदालि से बाहर रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख). सुरक्षित पदों पर भर्ती किये गये सभी युद्ध सेवा उम्मीदवारों को वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत वरिष्ठता दी गयी है।

**युद्ध सेवा वाणिज्यक क्लर्कों की सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों पर पदोन्नति**

4320. **श्री मयावन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों पर पदोन्नत किये गये कुछ युद्ध सेवा वाणिज्यिक क्लर्कों को उनकी युद्ध सेवा का बहाना लेकर अनुचित वरिष्ठता दी गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

**आरक्षित रिक्त स्थानों पर युद्ध सेवा कर्मशियल क्लर्कों की नियुक्ति**

4321. **श्री मयावन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के भूतपूर्व मद्रास यातायात जिले में आरक्षित स्थानों के लिये नियुक्त कुछ युद्ध सेवा कर्मशियल क्लर्कों को वरिष्ठता के लाभ से इन्कार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ;

**टायरों के मूल्यों में वृद्धि**

4322. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टायर निर्माताओं द्वारा दिसम्बर, 1968 में टायर के मूल्यों में वृद्धि किये जाने के एक पक्षीय निर्णय से पहले उनसे बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि मूल्यों में वृद्धि न्यायोचित है ; और

(ग) क्या अप्रैल, 1969 से मार्च, 1970 तक की अवधि में टायर की कीमत में और वृद्धि होगी ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) टायर बनाने वाली कंपनियों ने सरकार से पहले परामर्श किये बिना 20 नवम्बर, 1968 से विभिन्न प्रकार के टायरों, ट्यूबों, फ्लेपों के मूल्य बढ़ा दिए हैं।

(ख) टायर उद्योग ने टायरों, ट्यूबों और फ्लेपों के मूल्य इस आधार पर बढ़ाये हैं कि द्वारा देशी प्राकृतिक रबड़ की अधिकतम मूल्य सीमा हटा दी जाने के बाद से प्राकृतिक रबड़ के भाव काफी बढ़ गये थे। प्राकृतिक रबड़ के भाव अब भी अधिकतम मूल्य से नियंत्रण हटाये जाने से पूर्व अधिसूचित 4,150 रु० प्रति मी० टन से काफी अधिक हैं। टायरों के मूल्यों पर कोई कानूनी मूल्य नियंत्रण नहीं है।

(ख) इस अवस्था में कुछ कह सकना सम्भव नहीं है।

**भारतीय रेलवे की वाणिज्यिक शाखाओं के क्लर्कों की वाणिज्यिक निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति**

4323. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे को छोड़कर भारतीय रेलवे की अन्य वाणिज्यिक शाखाओं के कार्यालय क्लर्क वाणिज्यिक निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नत किये जाने के अधिकारी हैं ;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे में भी वर्ष 1948 तक ये क्लर्क इन पदों के लिये पदोन्नत के अधिकारी थे ;

(ग) वर्ष 1948 में पश्चिम रेलवे द्वारा नीति में परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) जब कि पश्चिम रेलवे के गुड्ज क्लर्क तथा बुकिंग क्लर्क 'ला-डिग्री' के बिना भी उपर्युक्त पदोन्नतियों के अधिकारी हैं, तो कार्यालय क्लर्कों के लिये, जिनके वेतनक्रम गुड्स क्लर्कों तथा बुकिंग क्लर्कों के वेतनक्रमों से अधिक हैं, ला-डिग्री, निर्धारित किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या पश्चिम रेलवे में कार्यालय क्लर्क रेट्स निरीक्षकों के पदों के लिए पदोन्नति के अधिकारी हैं किन्तु गुड्ज और बुकिंग क्लर्क इसके अधिकारी नहीं हैं ; और

(च) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) इस बारे में विभिन्न रेलों पर अलग-अलग परिपाटी अपनायी जाती है। इस सम्बन्ध में 25-2-1969 के अतारांकित प्रश्न 1115 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ख) पश्चिम रेलवे में 130-300 रुपये के वेतनमान के कानून की डिगरी वाले केवल वे कार्यालय क्लर्क, वाणिज्य निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति पाने के पात्र थे जो वाणिज्य एवं परिवहन शाखाओं में काम कर रहे थे।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) पदोन्नति सरणि की समीक्षा की जा रही है।

(ङ) दर सेक्शन में काम करने वाले कार्यालय क्लर्क तथा माल और बुकिंग क्लर्क सभी दर निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति पाने के पात्र हैं।

(च) सवाल नहीं उठता।

### सियालदह डिवीजन के केरिज और वैगन कारीगर कर्मचारी

4324. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में गाड़ी परीक्षक ग्रेड 'डी' के पद के लिये अर्हता प्राप्त कारीगर कर्मचारियों के एक वर्ग को, जिन्हें रिजर्व फिटर कहा जाता है, गाड़ी परीक्षक के रूप में काम पर लगाये जाने पर गाड़ी परीक्षक का न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) जब इस तरह के कारीगर कर्मचारियों से 14 दिन से अधिक की अर्हकर अवधि के लिए गाड़ी परीक्षक का काम लिया जाता है, तो उन्हें गाड़ी परीक्षक का वेतन दिया जाता है।

### हीरा सीमेंट फैक्टरी, बारगढ़

4325. **श्री चिन्तामणि पाणिग्राही** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुन्गरि चूना पत्थर खान से चूने के पत्थर की सप्लाई बन्द हो जाने के कारण बारगढ़ (उड़ीसा) हीरा सीमेंट फैक्टरी बन्द हो गयी है।

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये चूना पत्थर खान उड़ीसा खनिज निगम की है, जो कि एक अन्य सरकारी निगम है ; और

(ग) यदि हां, तो इस फैक्टरी को बिना विलम्ब चालू किये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) उड़ीसा में बारगढ़ स्थित हीरा सीमेंट फेक्टरी के दो भट्ठे 12-2-69 को बन्द किये गये थे क्योंकि उड़ीसा खनन निगम अपेक्षित मात्रा में चूने के पत्थर का सम्भरण नहीं कर पाया। चूने के पत्थर के विद्यमान स्टाक से एक भट्ठा 22-2.69 से कुछ दिनों के लिये चालू हो गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) इन्डस्ट्रियल डेवेलेपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड जो कि इस सीमेंट के कारखाने को चला रहे हैं ने सूचित किया है कि उड़ीसा सरकार ने हंगरी की चूना पत्थर की खानों को इन्डस्ट्रियल डेवेलेपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड को 1.4.1969 से हस्तान्तरित करने का निर्णय किया है ताकि निगम अपनी आवश्यकतानुसार चूना पत्थर निकालने में सक्षम हो सकें। इस के अनुरूप हस्तान्तरणी को अमल में लाने के लिए पग उठाए जा रहे हैं।

मनीपुर में लघु उद्योगों का विकास

4326. **श्री एम मेघचन्द्र :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने, संघ राज्य क्षेत्र, मनीपुर में लघु उद्योगों के विकास के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है ;

(ख) क्या मनीपुर सरकार ने लघु उद्योगों के विकास और उन्हें, वित्तीय सहायता दिये जाने के बारे में सुझाव दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार बड़े पैमाने के उद्योगों के समान लघु उद्योगों के विकास के लिए और उन्हें सहायता देने के बारे में अपने प्रस्तावों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) जी नहीं

(ख) जी हां

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में, मणिपुर प्रशासन ने लघु उद्योगों के विकास के लिये 74.46 लाख रुपये तथा औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए 12.00 लाख रुपये का प्रस्ताव किया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर में नालीदार लोहे की चादरों के मूल्यों में वृद्धि

4327. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनियंत्रण के पश्चात् मनीपुर में नालीदार लोहे की चादरों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो मनीपुर के बाजार में नालीदार लोहे की चादरे किस मूल्य पर बेची जाती हैं ;

(ग) विनियंत्रण के पश्चात् सरकार ने नालीदार लोहे की चादरों के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की अनुमति दी है ; और

(घ) क्या उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए, सरकार उसके मूल्यों में भारी वृद्धि को रोकने के बारे में विचार कर रही है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पुराने इंजन

4328. **श्री एम० मेघ चन्द्र :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलों में पुराने इंजनों का अधिक प्रयोग करने के बारे में कुंजरू समिति ने 1963 में ध्यान दिलाया था ;

(ख) क्या वांचू समिति ने यह सुझाव दिया था कि इस स्थिति में लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और मार्च, 1968 के अन्त तक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सब पुराने इंजन चल रहे थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हाँ ।

(ख) वांचू समिति ने कहा है कि कुंजरू समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद से बड़ी और मीटर लाइनों में गतायु रेल इंजनों की संख्या घट गई हैं। लेकिन समिति ने कहा है कि उत्तर रेलवे को छोड़ कर अन्य सभी रेलों में छोटी लाइन के गतायु रेल इंजनों की संख्या बढ़ गयी है। मार्च 1968 के अन्त में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में छोटी लाइन के सभी रेल इंजन गतायु थे ।

(ग) बदलाव—सम्बन्धी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए भाप रेल इंजनों की आयु 40 वर्ष मानी जाती है । लेकिन गतायु रेल इंजनों को वस्तुत: उनकी हालत के आधार पर और तभी हटाया जाता है जब उन्हें चलाते रहना बहुत खर्चीला हो जाता है और उनमें कार्य-क्षमता नहीं रहती । छोटी लाइन खण्डों के रेल इंजनों का इतना अधिक उपयोग नहीं होता जितना कि बड़ी मीटर लाइन खण्डों के रेल इंजनों का । अत: छोटी लाइन के इंजनों से अधिक समय तक काम लिया जा सकता है ।

छोटी लाइन के अधिकांश खण्डों का भविष्य अनिश्चित है । अत: छोटी लाइन खण्डों के गतायु स्टाक को तदर्थ आधार पर बदला जा रहा है और बदलाव मुख्यत: उन्हीं खण्डों तक सीमित है जिन्हें छोटी लाइन के रूप में बनाये रखने का विनिश्चय किया गया है ।

## रेलवे जोन

4329. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) जब एक राज्य की मांगों को पूरा करने के लिये रेलवे जोनों का विभाजन किया जाता है और एक पृथक जोन बनाया जाता है, तो अन्य राज्यों के लिए ऐसे जोन न बनाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या रेलवे ने अहमदाबाद की तरह भोपाल में भी विशेष कार्यालय खोले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) नये रेल क्षेत्र प्रशासन और परिचालन की आवश्यकतओं के आधार पर बनाये जाते हैं, प्रान्तों के आधार पर नहीं ।

(ख) वरिष्ठ वेतनमान के एक क्षेत्र अधिकारी (area officer) के अधीन भोपाल में एक संगठन है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

## रेलवे में विचाराधीन दावे

4330. **नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से भारतीय रेलों में वर्षवार भुगतान के लिए दावे के कितने मामले विचाराधीन थे और प्रत्येक जोन में अलग-अलग इनकी संख्या क्या थी ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने दावे के मामलों के बारे में 1968 में कोई निदेश जारी किये थे, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन निदेशों का कहाँ तक पालन किया गया ;

(घ) इसके क्या कारण हैं कि दावों का निबटारा नही होता है और, लोगों को न्यायालय में जाना पड़ता है रेलवे के विरुद्ध डिगरी लानी पड़ती है और इसके परिणामस्वरूप रेलवे को न्यायालय के खर्चे और कभी-कभी ब्याज भी देना पड़ता है ; और

(ङ) इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) अनुबन्ध 'क' के रूप में एक विवरण संलग्न है जिसमें 31 मार्च, 1966, 31 मार्च, 1967 और 31 मार्च, 1968 की, रेलवेवार अनिर्णीत दावों की संख्या दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 495/69]

(ख) दावों के निपटारे के विभिन्न पहलुओं के बारे में समय-समय पर निदेश किये जाते हैं । उन निदेशों का व्यौरा जो 1668 में जारी किए गए थे और जो प्रश्न के भाग 'क' को देखते हुए संगत लगते हैं, अनुबन्ध 'ख' के रूप में संलग्न विवरण में दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 495/69]

(ग) संलग्न विवरण में इन निदेशों के सारांश से यह देखा जा सकता है कि उनमें से एक में दावों के निवारण के महत्व पर बल दिया गया था और अन्य दो निदेशों में रेल प्रशासनों से दावों के शीघ्र निपटारे का पक्का बन्दोबस्त करने को कहा गया था। यह बताना वस्तुतः सम्भव नहीं है कि रेल प्रशासनों द्वारा की गयी कार्रवाई का कितना परिणाम निकला और किस हद तक इन निदेशों पर अमल किया जा रहा है।

चौथे निदेश में यह कहा गया था कि रेल प्रशासन रेल कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच सम्भाव्य सांठ-गांठ के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करें । रेल प्रशासनों द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) मामले से सम्बन्धित तथ्यों और विधि के अधीन रेलों के दायित्व के अनुरूप में क्षति-पूर्ति के दावों की ध्यानपूर्वक जांच की जाती है । कुछ मामले न्यायालयों में इसलिए ले जाये जाते हैं कि या तो रेल प्रशासन कुछ कारणों से, मुकदमे दायर करने की परिसीमित अवधि में अन्तिम फैसला करने में असमर्थ रहते हैं या दावादार किये गये फैसले से सन्तुष्ट नहीं होते, उनमें से कुछ मामलों में रेलवे के विरुद्ध डिगरी हो जाती है । लेकिन जो मामले न्यायालयों में जाते हैं उनका

अनुपात रेल प्रशासनों द्वारा निपटाये गये कुल मामलों की तुलना में बहुत कम होता है और यह बात भी नहीं है कि न्यायालय में उठाये गये प्रत्येक मामले में रेलवे के विरुद्ध फैसला होता है। उदाहरणतः 1967-68 में भारतीय रेलों में निबटाये गये दावों की कुल संख्या 721,090, न्यायालय में उठाये गये मामलों की संख्या 30,241 और जिन मामलों में रेलों के विरुद्ध डिगरी दी गयी उनकी संख्या 2,990 थी।

(ङ) जिन मामलों में रेलों के विरुद्ध डिगरी हो जाती है, उपयुक्त स्तरों पर उनकी जांच की जानी चाहिए, इस दृष्टि से आवश्यक होती है कि विभागीय स्तर पर उनके निपटारे में या न्यायालय में उन्हें ठीक तरह से हेंस्तुत करने में कोई लापरवाही तो नहीं हुई और जिस मामले में व्यक्तिगत जिम्मेदारी ठहरायी जा सकती है, उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

## भारतीय रेलों में पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

4331. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में 700 रुपये से अधिक वेतन वाले पदों की संख्या में वृद्धि की गई है या की जा रही है ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप वार्षिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) प्रति माह 700 रुपये से अधिक वेतन वाले 254 राजपत्रित पदों का दर्जा बढ़ा दिया गया है।

(ख) कार्यभार में वृद्धि और अधिकारियों द्वारा वहन किये जाने वाले उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर पदों का दर्जा बढ़ाया गया है। इससे सालाना लगभग 12 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे।

## लखनऊ और बम्बई के बीच सीधी गाड़ियाँ

4332. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ और बम्बई के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). अभी हाल में लखनऊ और बम्बई के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर कई बार विचार किया गया लेकिन मुख्यरूप से इस मार्ग पर फालतू लाइन क्षमता का अभाव होने के कारण इसे अमल में लाना इस समय व्यवहारिक नहीं है।

## Cost of Refrigeration Equipment

4333. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact Mr A. Jepsen, Managing Director of a firm in Denmark has said that the cost of refrigeration equipment in India is five-times more than that in Denmark ;

(b) if so, whether Government would import the said equipment from Denmark or manufacture the same in India : and

(c) whether Government would take into consideration the need for attaining self-sufficiency in the matter ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) :** (a) to (c). Presumably the reference is to the news item that appeared recently in one of the newspapers. Approval has been accorded for the collaboration between an Indian firm and a Danish firm for the manufacture of Refrigeration Controls. At present various types of Refrigeration Equipment are being manufactured in the country by a number of firms and the country is almost self-sufficient in various types of Refrigeration Equipment such as refrigerators, freezers, ice plants, cold storage plants for vegetables, fruit and other perishable articles. The question of importing any Refrigeration Equipment from Denmark or any other country does not, therefore, arise.

### Chakia Railway Station

4334. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the lavatory attached to First Class waiting room at Chakia station on Muzaffarpur-Narkatiaganj line on the North-Eastern Railway continues to be the same as during the British regime ;

(b) if so, the reasons for not improving the same in view of Chakia having a sugar Mill as also its being an industrial centre ;

(c) when the necessary improvement would be made there ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) Yes.

(b) to (d). In the absence of running water supply at Chakia provision of flush type latrine is not possible. However, provision of acqua privy Indian type lavatory in replacement of the existing commode type lavatory during this year is being considered.

### Halt Stations Between Kanti and Motipur Stations

4335. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Railways be pleased to state ;

(a) the reasons for which a halt station is not being provided at Nariyar village between Kanti and Motipur stations on the Muzaffarpur-Narkatiaganj section of the North Eastern Railway, inspite of the repeated requests of the residents of that area, when such a station has been provided at Kaparpura between Muzaffarpur and Kanti Stations on the same railway line, in view of the requirements of the public ; and

(b) when Government propose to provide a halt station at Nariyar village between Motipur and Kanti stations ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) and (b). The proposal for providing a train halt at Nariyar village between Motipur and Kanti stations has not been investigated so far, and will be examined now.

Kaparpura was opened on 31.12.1962 as a crossing station between Muzaffarpur and Kanti stations for operational purposes. The station was, also opened for booking of passengers, luggage, parcels and goods in smalls. A proposal to provide a crossing station between Kanti and Motipur stations to meet operational requirements during the Third Five Year Plan was also considered but as the anticipated traffic did not materialise the proposal was not pursued.

### Closure of Industrial Units in Madhya Pradesh

4336. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of industrial units which had to be closed down in Madhya Pradesh due to recession ;

(b) the number of such units as have since resumed production ;

(c) the details in regard to such units as are still lying closed ;

(d) whether such units as have resumed production are working to their full capacities or as before recession ; and

(e) the steps taken to restart closed units soon ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

### Departmental Canteen on Central Railway

4337. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that departmental canteens have been started at several Stations on the Central Railway and they have been running at loss for the last several years ;

(b) whether it is also a fact that at several Stations on the Central Railway contractors have been allotted canteens and they are making profits ;

(c) whether it is also a fact that Canteens are mostly run by contractors in Ratlam Division (Western Railway) in Madhya Pradesh and Licences are issued to more than one person for the purpose of selling eatables on the platform ;

(d) whether it is also a fact that the prices of eatables fixed by the Divisional Superintendent for the canteens in that Division are 50 to 60 per cent lesser than those fixed for the canteens at the railway stations on the Central Railway ; and

(e) if so, the reasons for this difference ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) Departmental catering exists at 9 stations on the Central Railway. The overall financial results of these units show profits for the last 9 years.

(b) 26 Refreshment Rooms and 298 Tea Stalls have been allotted to contractors on the Central Railway. The financial results of these contract managed establishments are not known.

(c) Yes.

(d) and (e). The rates for standard meals, vegetarian and non-vegetarian (both Indian and Western style) tea and coffee in pots and cups, are standardised on all India basis and are fixed by the Railway Board, excepting rates of tea and coffee sold in metropolitan cities which are fixed by the Railway Administration concerned. The rates for other items such as puris, sweets, a-la-carte items are fixed by the zonal Railway Administrations concerned taking into account all relevant factors including rates prevailing in the locality and are subject to revision from time to time. There is some difference in the prices of eatables fixed on the Ratlam Division as compared with those fixed for stations on the Central Railway but the former are not 50 to 60 per cent lower than the latter. Central Railway as well as other zonal Railway Administrations have been asked to review the prices so that there is no disparity in rates in contiguous areas.

### Shifting of Lavatory at Khirkiya Station

4338. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the lavatory near the waiting room at Khirkiya Railway Station, Central Railway, is being shifted to a place for which the residents of the town have an objection ;

(b) if so, whether it is also a fact that the attention of the management has been drawn to this repeatedly ;

(c) if so, whether Government propose not to shift this lavatory to the said place ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) to (d). An old type lavatory block existed on the down platform about 150 ft. away from the existing waiting room. There was a representation dated 21.7.1967 from the Sarpanch Gram Panchayat, Khirkiya for the dismantlement of this old latrine block and for construction of an improved latrine block on the Up platform. Accordingly the old type lavatory block has since been dismantled and a 3 seated acqua type latrine block has been constructed on the Up platform, and the work has been completed in December 1968.

### Non-availability of Wagons in Madhya Pradesh

4339. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is also a fact great difficulties are being experienced in getting wagons at the Railway Stations in Madhya Pradesh since April last ;

(b) whether it is also a fact that wagons have been made available one month after the submission of indents at Khandwa and Burhanpur railway stations on the Central Railway and hundreds of indents are still pending ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) No. However, when the quotas prescribed for movement via certain difficult points are absorbed fully by higher priority and essential traffic, there is some delay in the supply of wagons for lower priority traffic.

(b) and (c). No. Even during difficult months the average delay in supply of wagons has been less than 15 days. The number of indents outstanding at the end of February 1969 was only 59 at Khandwa and 42 at Burhanpur.

### एक सदस्यीय न्यायाधिकरण

4340. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में नियुक्त एक सदस्यीय न्यायाधिकरण के निदेश पद क्या हैं और इसको कौन-कौन से विवादास्पद मामले सौंपे गये हैं ;

(ख) क्या अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ और इससे सम्बद्ध संघ विवाद में शामिल हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ और इससे सम्बन्ध संघों को शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) एक सूची संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 496/69]

(ख) जी नहीं।

(ग) अधिकरण को वही मामले सौंपे गये हैं, जिन पर नैशनल फेडरेशन आफ रेलवे मैनूस और रेलवे बोर्ड के बीच समझौता नहीं हो सका था और जिन्हें अधिकरण को सौंपा जाना मान लिया गया था। इसलिये आल इंडिया रेलवेमैनूस फेडरेशन और इससे सम्बन्धित यूनियनों को सहयोजित करने का सवाल नहीं उठता।

### सोडियम नाईट्रेट का आयात

4341. श्री स० कुण्डू : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री 12 अगस्त, 1968 के आन्तरिक प्रश्न संख्या 3686 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का सोडियम नाइट्रेट आयात किया गया और उसमें से कितना सोडियम नाइट्रेट खाद बनाने के लिए नाइट्रिक तेजाब, शीशे तथा अन्य उद्योगों को दिया गया ;

(ख) उसमें से कितना आयातित सोडियम नाइट्रेट नाइट्रिक तेजाब बनाने वाले लघु उद्योगों को दिया गया ; और

(ग) क्या खाद के प्रयोजन के लिए प्रशुल्क मुक्त आयातित सोडियम नाइट्रेट की निरन्तर सप्लाई जारी रखकर छोटे पैमाने के उद्योगों को बचाने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

### सोडियम नाईट्रेट का मूल्य

4342. श्री स० कुण्डू : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3686 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी ग्रेड के कृत्रिम सोडियम नाइट्रेट और चिल्ली के प्राकृतिक उत्पादन वाले सोडियम नाइट्रेट में रासायनिक रचना और प्रयोग की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है ;

(ख) क्या भारत प्रशुल्क अधिनियम, 1934 की मद 35 (1) की बजाय उसी अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 28 के अन्तर्गत कृत्रिम सोडियम नाइट्रेट और प्राकृतिक सोडियम नाइट्रेट में अन्तर करना तथा श्रेणीबद्ध करना गलत है ;

(ग) सोडियम नाइट्रेट के मूल्य में 339 रु० प्रति टन से कृत्रिम सोडियम नाइट्रेट के तेजी से 1295 रु० प्रति टन हो जाने के कारण और छोटे रासायनिक कारखानों के सामने आये संकट के कारण क्या सरकार लघु उद्योगों द्वारा प्रयोग में जाये जाने वाले कृत्रिम सोडियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क न लगाने का विचार कर रही हैं ; और

(घ) देश में ही कृत्रिम सोडियम नाइट्रेट पैदा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**Rail Journey from Bikaner to Ahmedabad**

**4343. Shri Shri Gopal Saboo :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Rail journey for 786 kilometres from Ratangarh to Ahmedabad via Merta Road and Jodhpur takes about 28 hours ;

(b) whether it is also a fact that about 7 hours are taken in the haltage of trains at only three stations ;

(c) if so, the reasons for not changing the timings of the trains so that time is not wasted ; and

(d) the steps being taken by Government to reduce the time taken in the aforesaid journey ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) Yes.

(b) There is no direct train between Ratangarh and Ahmedabad. Suitable connections are, however, available at Merta Road and Marwar by Nos. 1 JRN/2 JRN Passengers, 95/96 Marwar Mails, for through passengers between Ratangarh and Ahmedabad. The stoppages of 95/96 Marwar Mails at two stations, viz. Merta Road and Jodhpur total 4 hours 45 minutes and 4 hours 51 minutes respectively.

(c) and (d). The present timings of 95 Up/96 Dn Mails have been framed to suit both the convenience of passengers and operational requirements. Since 95 Up/96 Dn. Marwar Mails have to maintain important connections both at Merta Road and Marwar Junction, it is not feasible to alter their timings at Bikaner and Marwar materially. Fairly long halts have therefore been provided at Jodhpur to suit the convenience of local passengers. The long halts at Merta Road have been provided because of the need to transfer a number of slip coaches from and to other trains.

**Rail Journey from Bikaner to Ahmedabad via Marwar Junction**

**4344. Shri Shri Gopal Saboo :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rail journey for 755 kilometres from Bikaner to Ahmedabad, via Marwar Junction takes more than 25 hours ;

(b) whether it is a fact that the stoppage of train at three stations only takes more than 6 hours ;

(c) if so, the reasons for not changing the timings of the trains so that time is not wasted ; and

(d) the steps being taken by Government to reduce the time taken in the aforesaid journey ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) Yes.

(b) There is no direct train from Bikaner to Ahmedabad. Suitable connections are, however, available at Marwar by No. 95 Up/96 Dn. Marwar Mails and 1 Up/2 Dn. Ahmedabad-Delhi Mails, for through passengers between Bikaner and Ahmedabad. The stoppages of 95/96 Marwar Mails at two stations, viz. Merta Road and Jodhpur total 4 hours 45 minutes and 4 hours 51 minutes respectively.

(c) and (d). The present timings of 95 Up/96 Dn. Mails have been framed to suit both the convenience of passengers and operational requirements. Since 95 Up/96 Dn.

Marwar Mails have to maintain important connections both at Merta Road and at Marwar Junction, it is not feasible to alter their timings at Bikaner and Marwar materially. Fairly long halts have therefore been provided at Jodhpur to suit the convenience of local passengers. The long halts at Merta Road have been provided because of the need to transfer a number of slip coaches from and to other trains.

### Confirmation of Railway Employees

4345. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the length of service after which Railways employees at Allahabad and Tundla Railway stations on the Northern Railway are confirmed ; and

(b) the condition laid down for their confirmation ?

**The Minister of Railways (Shri Ram Subhag Singh)** : (a) and (b) Confirmation depends upon availability of permanent posts and further fulfilment of certain prerequisites by the concerned employees viz. suitability, passing of obligatory examination like First Aid in certain cases, payment of security deposit etc. Subject to the conditions being fulfilled, staff are confirmed according to their seniority in the cadre in which they are borne, irrespective of the place of posting and their period of stay there. The staff are borne on either a Divisional Seniority or all-Railway Seniority.

### Transfer of Railway Employees after Expiry of Prescribed Period

4346. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of years for which employees are allowed to serve continuously at one particular Stations and after which it becomes necessary to transfer them under the rules, and the categories of such employees ;

(b) whether it is a fact that all employees are transferred after the expiry of the prescribed period ;

(c) the number of class III employees of Tundla Railway Station of the Northern Railway who have not been transferred after the expiry of the prescribed period and the difficulties of Government in trnnsferring them ; and

(d) the steps being taken by Government to transfer immediately those employees who have served at one station for the prescribed period ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) to (d). On the Raiiways there is a scheme of periodical transfers of staff under which Railway servants belonging to the caregories of Station Master/Asstt. Station Masters, Commercial Clerks (Booking, Goods and Parcel), Travelling Ticket Examiners/Special Ticket Examiners and Guards working on passenger and shuttle trains, who come in contact with public, are not allowed to stay at one station for more than 5 years, except in genuine cases of hardship or on grounds of administrative exigencies This seheme has, however, been held in abeyance upto 31.12'1969 with a view to effect economy in expenditure. Hence 27 employees of Tundla Railway Station have not been transferred on completion of 5 years stay.

### रामपुर से हलद्वानी तक बड़ी लाइन

4347. **श्री जुलफिकार अली खाँ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969-70 के रेलवे बजट में रामपुर और हलद्वानी के बीच बड़ी लाइन बिछाने की कोई व्यवस्था की गई है जिसके बारे में कुछ वर्ष पूर्व सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य कब आरम्भ कर दिया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या योजना हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) इस लाइन के लिए नए सिरे से यातायात सर्वेक्षण करने और पहले किये गये इंजीनियरिंग सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अद्यतन करने के लिए 1969-70 के बजट में 61,000 रुपये की रकम शामिल कर ली गयी है ।

(ख) सर्वेक्षण की मंजूरी 13-2-69 को दी गयी थी और यह काम हो रहा है । रेलवे द्वारा संशोधित रिपोर्टों के संकलन किये जाने और रेलवे बोर्ड द्वारा उनकी जाँच के बाद इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

**चौथी योजना में उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए धन का नियतन**

4348. **श्री जुल्फिकार अली खां :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए धन नियतन के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की जिलावार सूची क्या है और उनमें कितनी-कितनी पूंजी लगाये जाने का विचार है ; और

(ग) पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिले रामपुर में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की सूची क्या है और उनमें कितनी पूंजी लगाने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) से (ग). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसमें सम्मिलित की जाने वाली परियोजनाएं तथा उनके लिये निधि का आवन्टन अभी तय किया जाना है । अतः इस स्थिति में यह बता सकना कि कोई सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजना उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से रामपुर जिले में लगाई जायेगी या नहीं, सम्भव नहीं ।

**गुजरात में एक रेलगाड़ी के नीचे सत्याग्रहियों को कुचल दिया जाना**

4349. **श्री मधु लिमये :**
**श्री ओंकारलाल बेरवा :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री पू०न० सोलंकी :**
**श्री देवेन सेन :**
**श्री किंकर सिंह :**
**श्री द० रा० परमार :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जनवरी, 1969 के अहमदाबाद के "टाइम्स आफ इण्डिया" और "सन्देश" नामक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया हैं कि गुजरात में एक शाखा लाइन पर एक चलती हुई रेलगाड़ी ने सत्याग्रहियों का एक दल कुचल दिया था जो रेलगाड़ी को किसी विशेष स्थान पर रोकना चाहते थे ;

(ख) क्या यह सच है कि इस घटना के परिणामस्वरूप दो व्यक्ति मारे गये और अनेक व्यक्ति घायल हो गये ;

(ग) क्या यह घटना घटने के समय क्षेत्रीय अधिकारी श्री भार्गव इस रेलगाड़ी के साथ लगे हुए एक सैलून में यात्रा कर रहे थे ;

(घ) क्या उस क्षेत्रीय अधिकारी ने ही एक इंजन ड्राइवर को रेलगाड़ी न रोकने तथा पिछले दिन से सविनय अवज्ञा कर रहे सत्याग्रहियों को कुचलने के लिए कहा था ;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र अधिकारी को मुअत्तिल किया गया है और इस घटना की जांच का आदेश दिया गया है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) टीटोड़ा रेलवे स्टेशन पर कोई सत्याग्रही किसी गाड़ी द्वारा कुचला नहीं गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों में व्याप्त अव्यवस्था के कारण उनमें से 4 व्यक्ति जो रेलवे लाइन के किनारे खड़े थे, चलती गाडी के इंजन से टकरा गये । इनमें से एक को गहरी चोट आयी थी, जिस के कारण उसकी मृत्यु हो गयी । तीन अन्य व्यक्ति भी घायल हुए थे ।

(ग) जी हां, श्री एल० एन० भारद्वाज/श्री भार्गव नहीं । क्षेत्र अधिकारी मेहसाना अपने निरीक्षण यान में यात्रा कर रहे थे । जो इंजन के ठीक पीछे लगा था ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) और (च). पश्चिम रेलवे के सहायक अधिकारियों ने इस मामले की जांच की थी। जांच समिति को मालूम हुआ कि चार व्यक्ति जो रेलवे लाइन के किनारे खड़े थे, संयोगवश गाड़ी से टकरा गये थे और इसके लिये कोई रेल कर्मचारी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है ।

### City Booking Office in Sawai Madhopur

4350. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sawai Madhopur Junction (Western Railway) is at a distance of about 3 miles from Sawai Madhopur city and one has to pass through jungle, hillocks, rivers and rivulets in order to reach the Junction from the city ;

(b) whetner it is also a fact that there has been a persistent demand for a Booking Office in the city so that any person could purchase the ticket from the Booking Office at any time and come to the Station ;

(c) if so, the time by which the City Booking Office is proposed to be opened in the city ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) Yes. Sawai Madhopur town is about 3 miles from the railway station. There is a metalled road between the town and the station. It passes through hills and forest areas, but there are no impediments on route.

(b) Yes.

(c) There is no justification for a City Booking Office being opened.

(d) Even though the railway station is about 3 miles from the town, most of the traffic originates from offices and industries located fairly close to the station.

**Running of Delhi/Howrah/Delhi Deluxe Train**

4351. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to run the Deluxe train on the main line instead of via the Grand Chord line after introduction of Rajdhani Express on this line ;

(b) if so, when this proposal is likely to be implemented ; and

(c) the number of times in a week when the Deluxe train would be run ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) to (b). It has been decided to divert existing 81 Up/82 Dn. Howrah-New Delhi triweekly Air-conditioned Express to run via Patna once in a week with effect from 1st April 1969. The diverted weekly service, which will be renumbered as 103 Up/104 Dn. A. C. Express will leave New Delhi on Fridays and Howrah on Sundays.

**देसी ट्रैक्टर**

4352. **श्री शशि भूषण :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ट्रैक्टर निर्माताओं को कितने प्रतिशत अलग-अलग देशी पुर्जे लगाने । पूरा ट्रैक्टर जोड़ने में सफलता मिली है तथा उन पुर्जों का मूल्य कितना-कितना है जो बाहर से अर्थात सहायक उद्योगों से प्राप्त किये जाते हैं ; और

(ख) देश में प्रत्येक ट्रैक्टर निर्माता द्वारा अलग अलग कितने प्रतिशत और कितने-कितने मूल्य के पुर्जों/ट्रैक्टर जोड़ने के ढांचों का अब भी आयात किया जा रहा है ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) और (ख). 1968 में विभिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादित ट्रैक्टरों के वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| ट्रैक्टर उत्पादक का नाम और ट्रैक्टर का नाम | देशी अंतर्वस्तुएं | | आयातित अंतर्वस्तुएं | |
|---|---|---|---|---|
| | प्रतिशत | लागत बीमा भाड़ा रु० में मूल्य | प्रतिशत | लागत बीमा भाड़ा रु० में मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. मैसर्स इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स कं० इंडिया लि० बम्बई इंटरनेशनल बी—275 | 67.0 | 8,110 | 33.0 | 3,990 |
| 2. मैसर्स ट्रैक्टर्स एण्ड फर्म इक्विपमेंट लिमिटेड मद्रास मैसी फर्ग्युसन एम० एफ० 1035 | 74.0 | 11,313 | 26.0 | 3,937 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. मैसर्स ईशर ट्रैक्टर्स इंडिया लि० फरीदाबाद, ईशर | 68.0 | 9,400 | 32.0 | 4,300 |
| 4. मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लि० बडौदा । | | | | |
| हिन्दुस्तान–35 अश्व शक्ति | 54.0 | 7,743 | | 6,457 |
| —50 —वही— | 79.5 | 15,956 | | 3,544 |
| 5. मैसर्स एस्कोर्ट लिमिटेड, फरीदाबाद | | | | |
| एस्कोर्ट—37 | 65.0 | 7,200 | 35.0 | 4,000 |
| एस्कोर्ट—27 डब्ल्यू | 22.0 | 2,450 | 78.0 | 8,050 |

सहायक उद्योगों से प्राप्त किये जाने वाले पुर्जे हिस्सों के मूल्य के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

विभिन्न ट्रैक्टर उत्पादकों को ट्रैक्टरों के भविष्य में उत्पादन के लिए हिस्से पुर्जे संयोजनों के आयात करने के लिये दिये गए अधुनातन लाइसेंसों में आयातित वस्तुओं का प्रतिशत और मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

| ट्रैक्टर निर्माता का नाम और ट्रैक्टर का नाम | तैयार का मूल्य | आयातित अन्तर्वस्तुओं का प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. मैसर्स इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स कं० आफ इंडिया लिमिटेड बम्बई । | 3,750 रु० | 31 प्रतिशत |
| इंटरनेशनल—बी 275 | 3,500 रु० | 28.5 प्रतिशत |
| 2. मैसर्स ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, मद्रास | 3,300 रु० | 21.8 प्रतिशत |
| "मेसी फर्ग्युसन" | 3,000 रु० | 19.5 ,, |
| 3. मैसर्स आइकर ट्रैक्टर्स लिमिटेड फरीदाबाद "आइकर" | 2,450 रु० | 18.0 प्रतिशत |
| 4. मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड | | |
| हिन्दुस्तान—35 | 6,367 | 45 प्रतिशत |
| हिन्दुस्तान—50 | 2,925 | 15 प्रतिशत |
| 5. मैसर्स एस्कोर्ट लिमिटेड फरीदाबाद एस्कोर्ट—37 | 2,835 | 25 प्रतिशत |

### ट्रैक्टर उद्योग के लिये लाइसेंस की शर्त समाप्त करना

4353. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में ट्रैक्टर उद्योगों के लिए लाइसेंस की शर्त समाप्त करने की जो घोषणा की गई थी क्या उसके अन्तर्गत सभी प्रकार की अश्व शक्ति के कृषि ट्रैक्टर आते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो कितनी अश्व शक्ति के ट्रैक्टर उद्योग के लिए लाइसेंस समाप्त किये गये हैं और उसमें शेष अश्व शक्ति वाले कृषि ट्रैक्टरों को सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). सभी अश्व शक्तियों के पहिए वाले कृषि ट्रैक्टरों और विद्युत चालित हलों का उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 से मुक्त कर दिया गया है।

### पंढरपुर के यालेकारू सेवा संघ का अभ्यावेदन

4354. **श्री जार्ज फ़रनेन्डीज** : क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें रेलवे यात्रियों के कष्टों के बारे में पंढरपुर (जिला शोलापुर) के यालेकारु सेवा संघ की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ग) इस मामले में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन में जो सुझाव दिये गये हैं उनका व्यौरा संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है।

(ग) और (घ). यालेकारू सेवा संघ ने अपने अभ्यावेदन में जो सुझाव दिये हैं उनकी जांच की जा रही है और संघ को उत्तर भेज दिया जायेगा।

### विवरण

1. पूना-वाडी, पूना-मिरज, सांगली-कोल्हापुर और लातूर-मिरज खण्डों का दक्षिण मध्य रेलवे से मध्य रेलवे में अन्तरण।

2. (i) टिकट खिड़कियों की संख्या और उनके समय में वृद्धि।
   (ii) वापसी टिकट सभी स्टेशनों पर स्थायी तौर पर उपलब्ध किये जायें।
   (iii) किराया इतना रखा जाये कि साधारण जनता उसे आसानी से वहन कर सके।
   (iv) 100 किलोमीटर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को 50 प्रतिशत की रिआयत दी जाये।

3. (i) 15 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जाये और 21 वर्ष तक के बच्चों से आधा किराया लिया जाये।

(ii) यदि बच्चों के साथ मां-बाप यात्रा कर रहे हों, तो मुफ्त यात्रा घटाकर 12 वर्ष तक कर दी जाये ।

4. लातूर-मीरज (छोटी लाइन) खण्ड का आमान परिवर्तन करके उसे बड़ी लाइन बना दिया जाये ।

5. बीजापुर-चडचन-मंगलबेघा-पंढरपुर अकलूज-बारामती-घोंड के बीच एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण किया जाये ।

**नई दिल्ली क्षेत्र में रेलवे अधिकारियों के लिये गोदामों का आवंटन**

4355. **श्री राजदेव सिंह : क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के उच्च अधिकारियों को, उनकी सेवा निवृत्ति के बाद भी अपना सामान आदि रखने के लिये नई दिल्ली क्षेत्र के गोदामों का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितना स्थान आवंटित किया गया है और उनसे किस दर पर किराया प्राप्त किया जाता है ;

(ग) सेवा निवृत्ति के बाद ऐसे अधिकारियों को अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिये ये गोदाम आवंटित किये जाते हैं ;

(घ) क्या ऐसे किसी अधिकारी को भी रिहायशी मकान के अतिरिक्त गोदाम की सुविधा दी गई है जिसके पास दिल्लीं में बंगला है ; और

(ङ) क्या किसी अन्य स्टेशन पर भी इसी प्र ार की सुविधायें उपलब्ध हैं और क्या रेलवे के अन्य कर्मचारी भी इस प्रकार के स्थान प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) अलग-अलग अधिकारियों को दिये गये स्थान का क्षेत्रफल अलग-अलग होता है और सामान्य किराया प्रति 100 वर्गफुट प्रति मास 2 रु० 62 पैसे की दर से लिया जाता है । सेवा-निवृत्त अधिकारी से अगर वह सेवा-निवृत्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर जगह खाली नहीं कर देते तो दण्ड स्वरूप सामान्य किराये का दूना किराया लिया जाता है ।

(ग) सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद गोदाम नहीं दिये जाते, लेकिन सात अधिकारो जिन्हें सेवा निवृत्ति से पहले गोदाम दिया गया था, 6 महीने की अनुमेय अवधि बीत जाने पर भी गोदाम अपने कब्जे में रखे हुए हैं ।

(घ) यदि गोदाम उपलब्ध हों तो आवंटित रिहायशी मकान में जगह अपर्याप्त होने पर गोदाम की सुविधा दी जाती है ।

(ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**रेलवे क्वार्टरों में अतिरिक्त पंखे तथा नल आदि लगाना**

4356. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्वार्टरों में प्रदान की गई एक अतिरिक्त पंखे

और 'वाश बेसिन' तथा नल आदि की सुविधायें रेलवे के इसी प्रकार के क्वार्टरों में भी उपलब्ध कराने के बारे में विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आदेश कब जारी किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) इस समय रेलवे क्वार्टरों में जितने पंखे लगे हैं तथा सफाई व्यवस्था सम्बन्धी जो फिटिंग्स हैं वह पर्याप्त समझी जाती हैं।

**नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आयातित प्लेट प्यालों आदि का प्रयोग**

4357. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग ने विदेशों से आने वाले गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रयोग के लिये नई दिल्ली स्टेशन पर आयातित प्लेट प्याले आदि (क्राकरी) का काफी भंडार रखा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्राकरी की लागत कितनी है :

(ग) क्या यह सच है कि यह क्राकरी रेलवे अधिकारियों को उनके विवाह, जन्म-दिन आदि निजी समारोहों के अवसर पर प्रयोग के लिए उधार दी जाती है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या उनका मंत्रालय इसे समाप्त करने का विचार कर रहा है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) सवाल नहीं उठता।

**केरल में समाज कल्याण संस्थाओं को दिया गया धन**

4358. **श्री ई० के० नायनार** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने केरल में समाज कल्याण संस्थाओं को 1968-69 में अब तक कितनी धनराशि सीधे दी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिये केरल सरकार की राय पूछे बिना सीधे ही केरल की समाज कल्याण संस्थाओं से बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** : (क) केन्द्रीय सरकार केरल की समाज कल्याण संस्थाओं को सीधे अनुदानें नहीं देती हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 1968-69 में केरल की समाज कल्याण संस्थाओं को सीधे 3,65,888.00 रुपये की अनुदानें दी गई।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

### मैसूर में छोटी कार परियोजना

4359. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **औद्योगिक** विकास, **आन्तरिक** व्यापार **तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में छोटी कार बनाने के सम्बन्ध में मैसूर सरकार के पुनरीक्षित प्रस्ताव का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) और (ख) मैं० मैसूर स्टेट इन्डस्ट्रियल इन्वैस्टमैन्ट एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन के जापान के विदेशी सहयोग मैसर्स तोयोकोगयो पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रयोजना प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया है । उसका अध्ययन कर लिया गया है । प्रस्ताव का विवरण निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| कार का नाम | मेजदा 1000 |
| इंजन | जलशीतित 4 सिलेण्डर, अग्रभाग उन्नत 987 सी० |
| बैठने की क्षमता | पांच व्यक्ति । |
| दरवाजों की संख्या | चार |
| ईधन खपत | 23 किलोमिटर । लिटर |
| संयंत्र की उत्पादन क्षमता | 50,000 कारें प्रतिवर्ष दो पाली के आधार पर । |
| संयंत्र और मशीन पर विनियोजन तथा भूमि की कीमत | 21.85 करोड़ रुपये इसमें से 2.17 करोड़ विदेशी मुद्रा होगी । |
| कारखाने से निकलते समय मूल्य | 7950 रुपये । |

### काजू उद्योग की कठिनाइयाँ

4360. **श्री अदिचन :** क्या **औद्योगिक** विकास, **आन्तरिक** व्यापार **तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान काजू उद्योग की कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है जिससे निर्यात के लिये पैकेजिंग तथा आधुनिकीकरण से, जैसा कि 17 फरवरी, 1969 के "इकोनोमिक टाइम्स" के अनुपूरक अंक में बताया गया है, सम्बन्धित कठिनाइयाँ शामिल हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक समस्या के सम्बन्ध में इस उद्योग की मदद करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) :** (क) जी, हां ।

(ख) उद्योग की सहायता के लिए निम्नलिखित अभ्युपाय किए गए हैं :—

(1) केरल भूमि सुधार तथा बिक्री कर राज्य सरकार के विषय हैं और राज्य सरकार से निवेदन किया गया है कि वह इन पहलुओं की भी जांच करे ।

(2) काजू तथा अन्य कृषि फसलों के विकास तथा गवेषण पर लगने वाली पूंजी-गत लागत को पूरा करने के लिए उपकर लगाया गया है।

(3) काजू परिष्करण के वे एकक जिनके पास टीन के डिब्बे बनाने की अपनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वे व्यापारिक स्तर पर इन आवश्यकताओं की पूर्ति उन निर्माताओं से कर सकते हैं जिनके पास डिब्बे बनाने की सुविधाएं अर्थात काजू निर्यात के लिए उपकरण तथा क्षमता उपलब्ध है। देश में टीन की चादरों का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाई जा रही है तथा इन के निर्माताओं ने काजू उद्योग का इनका सम्भरण करने का आश्वासन दिया है।

(4) स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है और काजू निमाताओं को स्वच्छता के स्तर में सुधार करने का परामर्श दिया गया है। क्विलोन में आन्ध्र के काजू उत्पादकों को उन्नत परिष्करण का प्रशिक्षण दिया गया है।

पंजीबद्ध निर्यात नीति के अनुसार डिब्बों में बन्द काजू की गिरी के निर्यात करने के विशिष्ट आर्डरों को पूरा करने के लिए गत्ते के डिब्बों को आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

### मतदान आफिसरों के विरुद्ध शिकायतें

4361. **श्री समर गुह** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से जहाँ मध्यावधि निर्वाचन हुए हैं, मतदान आफिसरों द्वारा मतदान के समय मतदाताओं पर प्रभाव डालने के प्रयत्नों के बारे में शिकायतें मिली हैं और क्या निर्वाचन के दौरान, विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जाली वोट डाले गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मु० यूनस सलीम)** : (क) जी, हां।

(ख) दो विवरण, जिनमें शिकायतों के ब्योरे दर्शित किए गए हैं संलग्न हैं (उपाबन्ध-1 और 2 [पुस्तकालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० 497/69]। चूंकि शिकायतें संज्ञेय अपराधों के सम्बन्ध में है इसलिए उन्हें सम्बद्ध राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है और उनसे इन मामलों में आवश्यक जांच और समुचित कार्रवाई करने को कहा गया है।

### पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में डिवीजन बनाना

4362. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने डिवीजन बनाने के लिये कुछ योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित डिवीजन कौन-कौन से हैं ;

(ग) डिवीजन बनाने के मूलभूत सिद्धान्त क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि डिवीजन बनाने की इस योजना के विरुद्ध आसाम में आन्दोलन जोर पकड़ रहा है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) कटिहार, अलीपुरद्वार, लमडिंग और तिनसुकिया । लेकिन, तिनसुकिया उस समय तक परिवहन मण्डल रहेगा जब तक इसके कार्यभार को देखते हुए इसे पूरा मण्डल बनाना आवश्यक न हो जाये ।

(ग) परिचालनिक और प्रशासनिक कार्यकुशलता ।

(घ) और (ङ). कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रस्तावित योजना में परिवर्तन करने के सुझाव दिये गये हैं । लेकिन, फिलहाल कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है, क्योंकि इन अभ्यावेदनों में कोई ऐसी नयी बात नहीं कही गयी है जिस पर योजना बनाते समय विचार न किया गया हो ।

फिर भी यदि तायात में वृद्धि के कारण समीक्षा करने की आवश्यकता होगी, तो इस व्यवस्था की समीक्षा की जायेगी ।

## बिड़ला उद्योग समूह को लाइसेंस

4363. **श्री रवि राय** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जनवरी 1967 से 31 अक्तूबर, 1968 तक बिड़ला उद्योग समूह को कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये : और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). विचाराधीन अवधि में बिड़ला उद्योग समूह को 9 लाइसेंस जारी किए गए जिनमें से 4 पर्याप्त विस्तार से सम्बन्धित हैं, 4 नई वस्तुओं के उत्पादन से और एक नए उपक्रम की स्थापना से सम्बन्धित हैं । जारी किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा साप्ताहिक ' बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिज़ इम्पोर्ट लाइसेंसिज़ एण्ड एक्स्पोर्ट लाइसेंसिज़, "साप्ताहिक" इण्डियन ट्रेड जर्नल" तथा मासिक "जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किया जाता है और यह प्रकाशन संसद् के पुस्तकालय को भेजे जाते हैं ।

## माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के कारखाने में उत्पादन

4364. **श्री भगवान दास** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर में स्थित माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के कारखाने में असंतोषजनक उत्पादन होने का कारण यह भी है कि कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों द्वारा प्रबन्धकों को की गई सिफारिशों/सुझावों को कार्यान्वित नहीं किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी संघ के सुझावों को केवल इस कारण अस्वीकार किया जाता है कि उसे मान्यता प्राप्त नहीं है ; और

(ग) कर्मचारी संघ की मांग के अनुसार माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन के कार्य की विस्तारपूर्वक जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति आयोग स्थापित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । यूनियन के सुझावों पर उसी प्रकार विचार किया गया था जिस प्रकार अन्य स्रोतों से प्राप्त हुए सुझावों पर । यूनियन के सुझाव इस कारण से अस्वीकार नहीं किये गये थे कि यूनियन मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं थी ।

(ग) ऐसे किसी आगोग की आवश्यकता नहीं है । कम्पनी के कार्यकरण पर सतत नज़र रखी जाती है ।

**माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर**

4365. **श्री भगवान दास** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन दुर्गापुर ने अप उत्पादन आरम्भ करने के समय से अब तक गैर-सरकारी उद्योगों से कुल कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किये हैं ; और

(ख) उक्त कारपोरेशन को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों से प्राप्त हुए क्रयादेशों की प्रतिशतता कितनी-कितनी है ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन को गैर सरकारी उद्योगों से लगभग 1.10 करोड़ रुपये के निश्चित क्रयादेश और आश्य-पत्र प्राप्त हुये हैं ।

(ख) माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र से प्राप्त हुये क्रयादेशों में 20 और 1 का अनुपात है ।

**माईनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड में अधिक माल जमा होना**

4366. **श्री भगवान दास** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के पास बहुत अधिक मात्रा में माल जमा हो गया है जिसका मूल्य एक करोड़ रुपये से भी अधिक है ;

(ख) इतना अधिक माल जमा हो जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या गलत योजना बनाने और माल मंगाने के लिये किसी कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसके परिणाम-स्वरूप पूंजी रुकी पड़ी है ; और

(घ) फालतू माल को बेचने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत)** : (क) जी, नहीं । इस समय फालतू माल का मूल्य 22 लाख रुपये है ।

(ख) कारण है (i) रिहायशी और गैर रिहायशी भवनों के निर्माण में पर्याप्त कमी (ii) स्टैन्डर्ड किस्मों के कोयला-खनन उपकरणों के लिये क्रयादेश प्राप्त न होना और (iii) कारखाने का निर्माण कार्य तथा अधिष्ठापन कार्य-पूरे हो जाने से निर्माण-उपकरणों का फालतू हो जाना ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । मुख्य कारण यह है कि आर्थिक मन्दी के कारण पूर्व आशा के अनुसार कोयला खनन उद्योग से परम्परागत उपयोग में आने वाले खनन उपकरणों की माँग न हुई ।

(घ) ऐसे फालतू सामान को, जो किसी और काम में नहीं लाया जा सकता, सरकारी प्रायोजनाओं को सूची भेज कर, टेन्डरों द्वारा तथा सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेचा जा रहा है । अब तक 46 लाख रुपये का माल बेचा जा चुका है और 10 से 13 लाख रुपये का माल बेचा जा रहा है ।

### माईनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन के लिये पानी के मीटर

4367. **श्री भगवान दास** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के लिये 2 लाख रुपये के मूल्य के पानी के मीटर 1963 में खरीदे गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पानी के इन मीटरों का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया और जल शुल्क तदर्थ आधार पर लगाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) नवम्बर, 1965 में 1.39 लाख रुपये के मूल्य के 2099 पानी के मीटर खरीदे गये थे ।

(ख) और (ग). शुरू में यह निर्णय किया गया था कि बस्ती के सभी मकानों में पानी के मीटर लगाये जायं और निःशुल्क पानी को छोड़कर मीटर-वाचन के अनुसार पानी के पैसे लिये जायं । बाद में यह प्रतीत हुआ कि ऐसा करना मितव्ययी नहीं रहेगा क्योंकि व्यय आय से अधिक होगा । अतः इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया । मकान की श्रेणी के अनुसार पानी के पैसे समान दर से लिए जाते हैं । पानी के मीटरों को बेचने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

### पश्चिम बंगाल में ग्रामीण औद्योगिक विकास परियोजनाएं

4368. **श्री जुगल मंडल** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के लिये कितनी ग्रामीण औद्योगिक विकास परियोजनाएं मंजूर की की गई हैं ;

(ख) वे किन-किन स्थानों में शुरू की गई हैं ; और

(ग) क्या कुछ और परियोजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस ग्राम औद्योगीकरण कार्यक्रम के विस्तार के लिये चौथी योजना में कितना धन नियत किया गया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) चार ;

(ख) चौबीस परगना जिले से बागसेत, बरदवान जिले में दुर्गापुर दार्जिलिंग जिले में सिलीगुडी और मिदनापुर जिले में तमलुक ।

(ग) जी, नहीं ।

**पश्चिम बंगाल में नए उद्योग स्थापित करने के लिये आवेदन-पत्र**

4369. **श्री जुगल मंडल** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में नए उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिये पश्चिम बंगाल राज्य से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ; और

(ख) कितने आवेदनकर्ताओं को लाइसेंस दिये गये और किन-किन उद्योगों के लिये ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) पन्द्रह ।

(ख) दो, एक स्वचालित तथा ट्रकों पर जाने वाली क्रेनों के उत्पादन के लिए तथा दूसरा पेट्रोलियम उत्पादों के लिए ।

**पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एकक**

4370. **श्री जुगल मंडल** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बगाल में औद्योगिक बस्तियों में कुछ औद्योगिक एकक हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) इस समय पश्चिम बंगाल में कुल कितनी औद्योगिक बस्तियां हैं ;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में कोई नई औद्योगिक बस्ती स्थापित की गई है ; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**मैसर्स हिन्द गाल्वेनाईजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लि०**

4371. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** 18 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच स्थिति का पता लगा लिया है और अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रख दी है ;

(ख) क्या तकनीकी विकास महानिदेशक तथा ज्वाइंट प्लांट कमेटी ने मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के कृत्य का समर्थन किया है जिन्होंने इकतरफा व्यादेश प्राप्त करके ज्वाइंट प्लांट कमेटी पर रोक लगा दी थी कि वह 18 गेज की उन इस्पात की चादरों का समायोजन न करे जो उन्होंने 1966-67 में अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में प्राप्त कर ली थी ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा अगस्त, 1968 में व्यादेश प्राप्त किये जाने के तुरन्त बाद तकनीकी विकास महानिदेशक तथा ज्वाइंट प्लांट कमेटी द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस व्यादेश को हटाने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत न किये जाने के क्या कारण थे ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (घ). चूंकि पूर्ण जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, सही वैधानिक स्थिति तथा उससे सम्बन्धित पूर्ण विवरण, जिसे सुनिश्चित किया जा रहा है, सभा-पटल पर यथा समय रख दिया जायेगा ।

**बोलाराम बाजार स्टेशन (हैदराबाद) पर हमला**

4372. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
**डा० सुशीला नैयर :**
**श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छात्रों ने 27 फरवरी, 1969 को हैदराबाद के समीप बोलाराम बाजार स्टेशन पर हमला किया था और सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई थी और रेलवे स्टेशन से नकद धन लूटा था ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ङ) इस मामले में सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 67 रुपये।

(ग) से (ङ). सरकारी रेलवे पुलिस, सिकन्दराबाद ने दो मामले दर्ज किये हैं और उनकी अभी जाँच की जा रही है।

**समाज कल्याण गोष्ठी**

4373. **डा० सुशीला नैयर :**

**श्री ए० श्रीधरन :**

**क्या विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1969 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में एक समाज कल्याण गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस में किन-किन विषयों पर बातचीत हुई थी और क्या-क्या निर्णय किये गये थे ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फुलरेणु गुह) :** (क) जी हाँ।

(ख) सरकार को इस विषय पर कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**Industrialisation of Madhya Pradesh**

4374. **Shri G. C. Dixit** ; Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Madhya Pradesh has ebundant natural resources and that on the one hand, there is superabundance or minerals and forest wealth in the State and on the other, adequate facilities for industrialisation are also available there ;

(b) whether it is also a fact that various types of raw materials for setting up industries are available in that State but the means for their exploitation are lacking ;

(c) whether it is also a fact that the amount money asked for by the Madhya Pradesh Government during the first three Five Year Plans for industrialisation of the State have not been paid to that State, as a result of which Madhya Pradesh could not so far develop industrially as much as other States have done ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto and whether the Central Government propose to make arrangements therefor in the Fourth Five Year Plan ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :** (a) and (b). Keeping in view the natural resources, minerals and forest wealth of Madhya Pradesh considerable investments have been made in industries in that State during the Planning period which compare favourably with investments in some other States in the country.

(c) Out of the total investment of Rs. 2450 crores on central industrial projects during 1951-68 an investment of Rs. 459 crores has been made on such projects in

Madhya Pradesh, which is more than the investment made in any other State. A further investment of Rs. 153 crores is estimated to be made on these projects for their completion. In the State sector various Industrial schemes such as industrial areas, strengthening of the Industrial Development Corporation and promotion of industrial research and survey have been taken up during this period. An investment of Rs. 6.36 crores has been made on these schemes during 1951-68.

(d) The Fourth Five Year Plan, the projects to be included in it, and the allocation of funds for the, remain to be finalised and no definite details relating to these matters can, therefore, be furnished at present.

**अस्पृश्यता निवारण समिति के प्रतिवेदन में सेवाओं का अध्याय सम्मिलित किया जाना**

4375. **श्री प्र० र० ठाकुर** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता निवारण समिति ने प्रारम्भ में एक औपचारिक प्रस्ताव के द्वारा उनके विभाग से अनुरोध किया था कि समिति के निर्देश पदों में "सेवाओं" का मामला सम्मिलित किया जाये ;

(ख) क्या उस प्रस्ताव का अनुगमन करते हुए समिति ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में "सेवाओं" पर एक पृथक अध्याय सम्मिलित किया था जो समूचे प्रतिवेदन के आधे भाग से भी अधिक था ;

(ग) क्या उनके विभाग ने उस समय प्रतिवेदन में "सेवाओं" के मामले का उल्लेख किये जाने पर कोई आपत्ति न करते हुए पूरे प्रतिवेदन को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया था ;

(घ) क्या यह सच है कि अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने से पूर्व सभ्या को सरकार ने समिति के निर्देश पदों में "सेवाओं" का मामला सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति की थी ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(च) क्या हाल ही में प्रस्तुत किये गये समिति के अन्तिम प्रतिवेदन में "सेवाओं" का अध्याय सम्मिलित है ?

**विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुत्याल राव)** : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव न मिलने के कारण सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि समिति ने इस अध्याय को क्यों शामिल किया ।

(ग) हां, श्रीमान ।

(घ) तथा (ङ). समिति ने अपने निर्देश पदों को बढ़ाए जाने के लिए 23 जनवरी को, जबकि उसका कार्यकाल समाप्त होने में 2 दिन बाकी थे और इसे अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, कहा था । "सेवाओं" का विषय समाज कल्याण विभाग को नियत नहीं किया गया है, बल्कि यह गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत आता है । उस मन्त्रालय ने इस विषय पर विचार करने के लिए अप्रैल, 1967 में एक कार्यकारी दल (यार्डी दल) नियुक्त किया था, जिसने नवम्बर, 1967 में अपनी

रिपोर्ट दे दी थी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण से सम्बद्ध संसदीय समिति ने भी सेवाओं से सम्बन्धित प्रश्नों की जाँच करने का निश्चय किया है। यही कारण था कि इस विभाग ने अन्तिम समय पर समिति के निर्देश पदों को बढ़ाए जाने के, जिससे "सेवाएं" उनमें शामिल हो जाएं, अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

(च) हाँ, श्रीमान।

**कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण**

4376. **श्री के० आर० गणेश :**
**श्री शशि भूषण :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण उद्योग को लाइसेंस मुक्त किये जाने से लेकर अब तक कितनी तथा किस किस पार्टी ने ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए योजनाएं प्रस्तुत की हैं ;

(ख) प्रत्येक योजना में विदेशी सहयोगकर्त्ता कौन कौन हैं ;

(ग) प्रत्येक योजना में विभिन्न अश्व शक्ति के कौन कौन से मेक के ट्रैक्टर बनाये जाने का प्रस्ताव है ;

(घ) उनकी प्रस्तावित उत्पादन क्षमता क्या थी और प्रत्येक योजना पर कितनी पूंजी लगाई जायेगी ;

(ङ) सरकार ने किन किन योजनाओं को स्वीकार तथा किन-किन को अस्वीकार किया है ; और

(च) विचाराधीन योजनाओं पर सरकार द्वारा कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (च). ट्रैक्टर उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के लाइसेंसीकरण के उपबन्धों से मुक्त किये जाने के पश्चात कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण की 10 योजनाएं प्राप्त हुई हैं। उनका विवरण तथा वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी० 498/69]

**अमरीकी सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण**

4377. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में अमरीकी सहयोग से फोर्ड ट्रैक्टर बनाने की एक योजना सरकार को प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ट्रैक्टर कितनी अश्व शक्ति के होंगे, लागत बीमा भाड़ा क्या है, प्रस्तावित क्षमता क्या है, सहयोग की शर्तें क्या हैं, परियोजना पर कितनी लागत आयेगी और क्रमबद्ध कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसे किसी ट्रैक्टर को पहले आयात किया गया है और सरकारी स्टेशन पर इसका निरीक्षण किया गया है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि योजना में विदेशी सहयोग की व्यवस्था है और विदेशी सहयोगकर्त्ता इसमें धन भी लगायेगा और सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है और क्या ट्रैक्टर उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने के पश्चात किसी अन्य मामले में भी इसी प्रकार के वित्तीय सहयोग की अनुमति दी गई है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हां ।

(ख) मै० एस्कोर्ट्स लि०, फरीदाबाद ने अमरीका की फर्म मैसर्स फोर्ड मोटर्स कम्पनी के सहयोग से 6,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष की क्षमता तक 46 अश्व शक्ति के फोर्ड ट्रैक्टर के निर्माण का प्रस्ताव किया है। प्रायोजना की लागत लगभग 7 करोड़ रुपये होगी । प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम जैसा सरकार ने स्वीकृत किया है । निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| प्रथम वर्ष | 50 प्रतिशत देशीय अंश |
| द्वितीय वर्ष | 75 ,, ,, ,, |
| तृतीय वर्ष | जितना सम्भव होगा शत प्रतिशत |

फोर्ड ट्रैक्टर की लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य 17,631 रुपये हैं। विदेशी सहयोग की शर्तों को बताना वांछनीय नहीं समझा जाता है कि यह दोनों गैर-सरकारी पार्टियों के मध्य हुए समझौते का हिस्सा है ।

(ग) देश में फोर्ड ट्रैक्टर पहले आयात किये जाते थे । फिर भी इनका परीक्षण ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र बुदनी में अभी तक नहीं किया गया है । भारतीय कम्पनी को बता दिया गया है कि निर्माण के प्रस्तावित ट्रैक्टर का परीक्षण पहले बुदनी केन्द्र में करवाना होगा और वह और उसके सहयोगी को इसके लिये राजी होना चाहिए कि परीक्षण के परिणाम स्वरूप उस केन्द्र द्वारा सुझाए गए संशोधन को ट्रैक्टर में समाविष्ट करेंगे ।

(घ) योजना में अमरीकी फर्म मैसर्स फोर्ड मोटर्स कम्पनी के साथ विदेशी वित्तीय सहयोग भी है और उसको भी सरकार ने स्वीकृति दे दी है ।

ट्रैक्टर उद्योग को लाइसेंसीकरण से मुक्त किए जाने के पश्चात कोई ऐसी अन्य योजना स्वीकृत नहीं की गई है जिसमें विदेशी वित्तीय सहयोग हो ।

## विदेशी सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण

4378. **श्री के० आर० गणेश** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि ट्रैक्टर बनाने वाले उपक्रमों में विदेशियों को पूंजी लगाने की पहले कभी अनुमति दी है और क्या इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन उपक्रमों के नाम क्या हैं, विदेशी सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में विदेशी धन कितना कितना है ; और

(ग) देश में ट्रैक्टर निर्माण करने वाले उपक्रमों में विदेशी सहयोगकर्ताओं द्वारा भाग लेने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) और (ख). देश में कृषि क ट्रैक्टर के तीन निर्माताओं को धन लगाने के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति सरकार ने दे दी है। ट्रैक्टर निर्माण की एक और योजना, जिसमें विदेशी सहयोग का सम्बन्ध है, स्वीकार कर ली गयी है। आवश्यक विवरण इस प्रकार हैं :—

| भारतीय फर्म का नाम | विदेशी सहयोग कर्ता का नाम |
|---|---|
| **(क) वर्तमान निर्माता** | |
| 1. मैसर्स ईयर ट्रैक्टर इण्डिया लि० फरीदाबाद | मैसर्स ईयर आफ जर्मनी |
| 2. मैसर्स इंट्रनेशनल ट्रैक्टर आफ इंडिया लि० बम्बई | मैसर्स इंट्रनेशनल हार्वेसटर कम्पनी आफ अमरीका एण्ड यू० के० |
| 3. मैसर्स ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेंट लि० मद्रास | मैसर्स मैसीफरगुरशन आफ यू०के० |
| **(ख) नई योजनाएं** | |
| 4. मैसर्स इस्कोर्ट्स लि० फरीदाबाद | अमरीका की मैसर्स फोर्ड मोटरम कम्पनी |

(ग) विदेशी सहयोग कर्ता कम्पनियों द्वारा उन भारतीय कम्पनियों में न्यूनतम धन लगाने पर सरकार की वर्तमान नीति में कोई आपत्ति नहीं, जो पहिओं वाले कृषिक ट्रैक्टरों का निर्माण प्रारम्भ करती हैं।

### उत्तर रेलवे में टाईपिस्ट

4379. **श्री स० मा० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में स्टेनोग्राफर पदोन्नत किये गये टाइपिस्टों को 10 से 14 वर्ष के पश्चात् हैड टाइपिस्ट की पदोन्नति लेने के लिए स्टेनोग्राफरों से पुनः टाइपिस्ट बनने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या इससे टाइपिस्ट संवर्ग के कर्मचारियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे स्टेनोग्राफरों को दोहरा लाभ नहीं मिलेगा ;

(ग) स्टोर विभाग के क्लर्कों, ट्रेन क्लर्कों आदि के मामले की तरह उक्त टाइपिस्टों को स्टेनोग्राफरों के रूप में पदोन्नत करने से पूर्व लिखित रूप में उन की सहमति प्राप्त न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) इन स्टेनोग्राफरों को दस से चौदह वर्ष की सेवा के पश्चात भी इस संवर्ग में स्थायी न बनाये जाने के क्या कारण है ; और

(ङ) टाइपिस्ट के रूप में काम करने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री राम सुभग सिंह):** (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## दक्षिण रेलवे में हानि

4380. **श्री किरुतिनन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में रेलवे यातायात को अधिक आकर्षक बनाने के लिये गत दो वर्षों में विभिन्न उपाय किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन उपायों के बावजूद वर्ष 1967-68 और 1968-69 में हानि बहुत अधिक हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितनी कितनी हानि हुई और किन-किन कारणों से ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) नीचे लिखे कुछ महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं :—

(i) डाक, एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों की यात्रा में लगने वाले समय को कम करना ;

(ii) नयी गाड़ियाँ चलाना ;

(iii) अधिक संख्या में शयन यान चलाना ;

(iv) शीघ्र परिवहन सेवा चालू करना ;

(v) महत्वपूर्ण ट्रंक मार्गों पर सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियाँ चलाना ;

(vi) माल गाड़ियों को डीजल इंजन से चलाना ;

(vii) जहां कहीं अपेक्षित हो, माल यातायात के लिए कम दर लागू करना ;

(viii) व्यापारियों की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए उनसे निकट सम्पर्क स्थापित करना और तदनुसार रेल संचलन की व्यवस्था करना ;

(ix) परिचालन और अन्य पाबंदियों के बावजूद बेंगलूरु सिटी और साल्ट कोटर्स माल गोदाम को गारंटी के अनुसार माल डिब्बे सप्लाई करना ;

(x) मद्रास और बेंगलूरु के बीच 5 मीटरिक टन कंटेनर सेवा चालू करना ; और

(ix) मद्रास क्षेत्र और अन्य महानगरों के बीच सड़क यातायात का अध्ययन ताकि यातायात फिर रेल द्वारा होने लगे।

(ग) और (घ). 1966-67 में 11.02 करोड़ रुपये की हानि हुई थी जबकि 1967-68 में 14.29 करोड़ रुपये की हानि हुई। सबसे बाद के अनुमानों के अनुसार 1968-69 में 15.58 करोड़ रुपये की हानि होने की सम्भावना है।

इस रेलवे के समग्र वित्तीय परिणामों का मूल्यांकन करते समय विशेष रूप से इस रेलवे पर पेश आने वाली निम्नलिखित गम्भीर कठिनाइयों को ध्यान में रखना होगा :—

(i) मीटर लाइन का संचालन अधिक अनुपात में होता है जिस पर परिचालन की अधिक लागत आती है ;

(ii) यात्री यातायात की बहुलता जिससे आमतौर पर पूरी लागत नहीं निकलती ;

(iii) शाखा लाइनें अधिक अनुपात में हैं जिन पर यातायात का घनत्व कम रहता है ;

(vi) दक्षिण रेलवे अधिकाँशतः टर्मिनल रेलवे है जिस पर 'क्रास' यातायात नहीं होता ; और

(v) सड़क के साथ अत्यन्त कड़ी प्रतियोगिता है क्योंकि इस रेलवे के लगभग 95 प्रतिशत मार्ग किलोमीटर में समानान्तर सड़कें हैं ।

1966-67 और 1967-68 में भारतीय रेलों में भारतीय रेलों में माल यातायात में प्रत्याशित अतिरिक्त वृद्धि नहीं हुई ; अतः कुल मिलाकर भारतीय रेलों में घाटा हुआ । चालू वर्ष में फरवरी के अन्त तक दक्षिण रेलवे में प्रारम्भिक राजस्व यातायात 2 प्रतिशत गिर गया जबकि भारतीय रेलों में इस यातायात में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । दक्षिण रेलवे में प्रारम्भिक यात्री यातायात 9 प्रतिशत गिर गया जबकि भारतीय रेलों में इसमें 1 प्रतिशत की गिरावट आयी । आशा है, भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित प्रयासों से यातायात की गिरावट रुक जायेगी और जो यातायात सड़क के रास्ते होने लगा है, उसमें से कुछ फिर रेल के रास्ते होने लगेगा ।

जहाँ तक संचालन व्यय में वृद्धि का सम्बन्ध है, भारतीय रेलों की तरह दक्षिण रेलवे में भी कर्मचारियों पर अधिक लागत, भारतीय रेलों में उपयोग में आने वाले सामान की कीमतों में वृद्धि और अधिक पूंजी लागत के कारण खर्च बढ़ा है ।

### भरतीय मानक संस्था (इंडियन स्टैण्डर्ड इन्स्टीट्यूट)

4381. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आँतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था (इंडियन स्टैण्डर्ड इंस्टीट्यूट) ने अपने कार्य की वस्तुओं की अच्छी किस्म सुनिश्चित करने तक सीमित रखने के बजाय स्वयं को निर्यातक के रूप में रजिस्टर कराया है :

(ख) क्या इस के विरुद्ध खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं : और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रयिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) भारतीय मानक संस्था अपने एक प्रकाशन जिस का नाम "कन्वर्शन स्लाईडस्" है को बेचने के लिए 1965-66 में निर्यातक पंजीकृत हुई । इन स्लाइडों के लिये उसके पास एकमात्र पेटेंट अधिकार प्राप्त हैं । इन स्लाइडों को बेचना भारतीय मानक संस्था के कर्तव्यों में हैं ।

(ख) और (ग). 1 मार्च, 1969 को "ब्लिट्ज" में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिस में भारतीय मानक संस्था पर आरोप लगाए गए हैं । इन आरोपों की जांच की जा रही है ।

### छोटी कार परियोजना

4382. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने छोटी कार परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिये कोई नया प्रस्ताव किया है : और

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उक्त परियोजना को पुनर्जीवित करने की नवीन सम्भावनाएं क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटी कार परियोजना को संभाविष्ट करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

### हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन

4383. **श्री विरेन्द्रकुमार शाह :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन और उसके नियंत्रणाधीन चलने वाले इस्पात कारखाने के कार्य को सुधारने के सम्बन्ध में तत्कालीन इस्पात, खान तथा धातु मंत्री डा० चन्ना रेड्डी द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर क्या सरकार ने अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनके मुख्य सुझावों में से अभी तक एक भी प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिये सरकार अभी तक पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक नियुक्त नहीं कर पाई है ;

(घ) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि उक्त इस्पात कारखानों के कार्य को डा० रेड्डी के सुझावों को क्रियान्वित किये बिना ही सुधारा जा सकता है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक हो तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (ङ). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध पुनर्गठन की सरकार के निश्चय की घोषणा, 20 मार्च 1968 को सभापटल पर रखे गए इस्पात, खान और धातु मन्त्री के वक्तव्य में की गई थी। पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के संचालक-मण्डल को सशक्त करना था। इस उद्देश्य के लिए एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जा चुकी है और भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के महा-प्रबन्धकों को संचालक-मण्डल में पुनः शामिल कर लिया

गया है। संधालक-मण्डल में दो सरकारी और गैरसरकारी सदस्य पहले से ही है। कार्यकारी संचालकों की नियुक्ति का प्रस्ताव विचाराधीन है और इन नियुक्तियों के जल्दी ही किए जाने की आशा है। इस्पात कारखानों के कार्यकरण में सुधार एक लगातार चलने वाला काम है और 5 अप्रैल, 1968 को सभापटल पर रखी गई "हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड" नामक पुस्तिका में उल्लिखित कई उपायों पर अमल किया जा चुका है और कुछ पर अमल किया जा रहा है।

**शराब के कारखाने के लिए लाइसेंस**

438?. **श्री अविचन**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शराब के कारखाने स्थापित करने के लिए हाल में सात लाइसेंस जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी लाइसेंस शुदा क्षमता तथा अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कार्यवाही सरकार की सात वर्षों में पूर्ण मद्य-निषेध प्राप्त करने की हाल में घोषित नीति के किस हद तक संगत हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

**पुनर्बेलन (रि-रोलिंग) उद्योग के लिए इस्पात के बिलेटों की कमी**

4385. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्बेलन उद्योग ने भारत सरकार से यह शिकायत की है कि इस्पात के बिलेटों, जो पुनर्बेलन उद्योग के लिये कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आती है, का अत्यधिक अभाव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्योग को पर्याप्त मात्रा में बिलेट उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या गत दो वर्षों में बिलेटों का निर्यात किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इनका निर्यात करने के क्या कारण हैं, जबकि उद्योग बिलेटों की कमी के बारे में शिकायत कर रहा है ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) कमी को देखते हुए संयुक्त संयंत्र समिति उपलब्ध मात्रा का साम्यिक वितरण

करती है। विक्रेय बिलेटों के अधिकतम उत्पादन के लिए इस्पात कारखानों को प्रेरित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : बिलेट का निर्यात केवल 1967-68 में आरम्भ किया गया था जबकि उपलब्धि आन्तरिक मांग से अधिक थी तथा उत्पादक बिलेट का स्टाक देश में ही बेच पाने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे। बिलेट की प्राप्ति में वर्तमान कमी को देखते हुए यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में बिलेट का निर्यात विदेशी क्रेताओं के साथ पहले से किए गए समझौतों तथा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा तदर्थ आधार पर निर्यात के लिए थोड़ी मात्रा के लिए दी गई अनुमति तक ही सीमित रखा जाय।

### दार्जिलिंग हिमालय सेक्शन को पुनः खोलना

4386. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मार्च, 1969 को 'पेट्रियट' में पश्चिम बंगाल के सांझा मोर्चे के आदिम जाति कल्याण मंत्री की धमकी के बारे में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि यदि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के दार्जिलिंग-हिमालय सेक्शन को तत्काल न खोला गया तो बड़े पैमाने पर आन्दोलन आरम्भ कर दिया जायेगा और सिलीगुड़ी में रेलवे लाइन पर धरना दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) सवाल नहीं उठता क्योंकि दार्जिलिंग-हिमालय रेलवे को पुनःस्थापित करने का काम शुरू करने के बारे में पहले ही विनिश्चय किया जा चुका है। यह रेलवे अक्टूबर, 1968 में उत्तर बंगाल में आयी बाढ़ से गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी थी।

### दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रैक्टरों के पुर्जों के बजाय ईंटों का रखा जाना

4387. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

**श्री ग० च० दीक्षित :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन के भंडार गृह में पटना से दिल्ली की किसी पार्टी के लिए हाल में क्रेटों में बुक किये गये ट्रैक्टर के पुर्जों के बजाय ईंटें रख दी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो ट्रैक्टर के पुर्जे कितने मूल्य के थे ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह)** : (क) जी नहीं। एक पार्टी ने पटना से अपने नाम

पर पेटियां बुक करायी थीं और दिल्ली माल गोदाम में खुली सुपुर्दगी लेते समय उन पेटियों में ईंटें पायी गयीं। ये ईंटें पटना के अखबारों में लपेटी हुई थीं।

(ख) परेषक ने जो व्यापार-बीजक पेश किया है उसके अनुसार ट्रेक्टर के पुर्जों की कीमत 1,57.580 रुपये है।

(ग) दिल्ली की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409/420 के अन्तर्गत 1-3-69 की प्रथम सूचना रिपोर्ट नं० 157 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया है।

(घ) और (ङ) मामले की जाँच पड़ताल अभी जारी है।

**Import of Steel**

4389. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) the kinds of steel being imported from abroad for the manufacture of machine tools, precision machine parts, aeroplane parts, ball-bearings, springs, cutlery, safety razor blades, surgical instruments, sheets for automobile bodies and other such material, the names of exporting countries and the quantity of each kind of steel being imported ;

(b) the efforts being made to produce steel indigenously for the manufacture of the above items and the quantity thereof :

(c) whether it is a fact that mainly sheets are being manufactured at Rourkela Steet Plant and even then many types of sheets are being imported ; and

(d) the difficulty in the way of manufacture of such sheets at Rourkela and the steps being taken to remove these difficulties ?

**The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) :** (a) The particular categories of steels which are being imported for the industries mentioned, are "Tool and Alloy Steels (including stainless steel)" and "Sheets and Plates of various types (including Tin plates)". These are being imported mainly from USA, USSR, UK, West Germany, Japan, Italy, Czechoslovakia, etc. depending on the availability of foreign exchange from each source. The imports of these types of steels were as follows :

| | April 67—March 68 | April 68—Oct. 68 |
|---|---|---|
| | (in tonnes) | |
| (i) Tool and Alloy Steels (including Stainless Steels) | 81704 | 40347 |
| (ii) Plates and Sheets (including Tinplates) | 248656 | 114387 |

(b) The installed capacity of all tool, alloy steel producers in the country is about 2,00,000 tonnes a year and that for plates and sheets (including tin plates) is 12.34 lakhs tonnes per year. Efforts are being made by the various units to reach their rated capacities.

(c) Yes, Sir.

(d) One of the two pickling line essential for production of cold rolled sheets at Rourkela is not yet commissioned and the other is under major repairs. Both are expected to be ready for production by September 1969.

### रेलवे में सहशिक्षा वाले स्कूलों में शिक्षा-शुल्क की प्रतिपूर्ति

4390. **श्री किरुतिनन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के उन कर्मचारियों ने स्कूल बस के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है जिनके बच्चे रेलवे के (अंग्रेजी माध्यम) सहशिक्षा वाले स्कूलों में पढ़ रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और खर्च की प्रतिपूर्ति करेगी ; और

(ग) क्या सरकार राज्य सरकारों की निःशुल्क शिक्षा की नीति के समान ही शुल्क न लेने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकारी स्कूलों की तदनरूपी कक्षाओं के शिक्षा-शुल्क की दर पर की जाती है । चूंकि तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में शिक्षा निशुल्क है, अतः शिक्षा-शुल्क की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं है ।

(ग) जी नहीं, क्योंकि एंग्लो-इंडियन स्कूलों की विनिमय-संहिता में निःशुल्क शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है ।

### Late Running of Passenger Train on Jhansi-Manikpur Branch Line

4391. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Railways be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that only one engine has been coming and also bringing back the passenger train for some days in the Jhansi-Manikpur Branch Line of the Central Railway ; if so, the reasons therefor ;

(b) whether it is also a fact that the above passenger train comes late by two or three hours daily and also leaves late since the above arrangements are made ;

(c) the right time of arrival and departure of that train separately, recorded at Banda Station since the 1st March, 1969 ; and

(d) whether it is also a fact that the passengers are not now in a position to catch the connected trains and thus a great difficulty is being experienced by them on the said line ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) Yes, to achieve better utilisation of the locomotives.

(b) No.

(c) During the period from 1st March, 1969 to 15th March, 1969, 521 Dn. arrived Banda right time on 3 days while the other three trains arrived late on all days.

(d) While the scheduled connections at Banda have been generally maintained, the maintenance of connections at Jhansi has not been satisfactory on account of late running. Late running of these trains has been caused by a variety of factors including heavy incidence of alaram-chain pulling.

### विशेष रेलगाड़ियों का देर से चलना

4293. **श्री कंवरलाल गुप्त :** **श्री मधुलिमये :**
**श्री ए० श्रीधरन :** **श्री श्रीचन्द गोयल :**

**श्री अटलबिहारी वाजपेयी :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य भारत के स्टेशनों से दिल्ली की ओर चलने वाली विशेष गाड़ियां देरी से चलती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप 40,000 रुपये के मूल्य के फल प्रतिदिन खराब हो जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे रेल गाड़ियां निश्चित समय में गंतव्य स्थानों पर पहुंच सकें ।

**रेलवे-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ग) 1 जनवरी से 10 मार्च, 1969 तक मध्य भारत के स्टेशनों से केले और संतरे की 48 स्पेशल गाड़ियां नई दिल्ली स्टेशन पर आयीं जिनमें से 80 प्रतिशन गाड़ियां ठीक समय पर पहुंचीं । इस यातायात के संचलन पर दिन-प्रति दिन विशेष रूप से निगरानी रखी जाती है ।

(ख) जी नहीं ।

### हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची

4393. **अर्जुन सिंह भदोरिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री 17 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4749 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची द्वारा वर्ष 1967-68 में प्राप्त कार्य आदेशों के बारे में पूछी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** (क) जी, हाँ ।

(ख) (i) वर्ष 1967-68 में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड को 135 कार्य आदेश प्राप्त हुए (14,981 टन) ।

(ii) उपर्युक्त 135 आर्डरों में से वर्ष 1967-68 में 4 आर्डरों का पूरा और 1 का कुछ मात्र सप्लाई किया गया । (क्रमश: 143 टन और 17 टन) ।

(iii) इस अवधि में मिले शेष आर्डरों का मार्च, 1968 के अन्त में माल सप्लाई होना बाकी था अर्थात् 130 का पूरा और एक का आंशिक ।

(vi) 31 दिसम्बर, 1968 तक इनमें से 10 और आर्डरों का माल सप्लाई कर दिया गया था ।

विलम्ब होने के सामान्य कारण ये थे :—

(क) फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट का देरी से पूरा होना और इसके परिणामस्वरूप इस कारखाने से गढ़ी और ढली वस्तुओं का देरी से सप्लाई किया जाना ;

(ख) 1967-68 में हुए नागरिक उपद्रव ; और

(ग) आरम्भ में अपेक्षा कृत कम उत्पादन जिसका कारण यह था कि बहुत सी वस्तुयें देश में पहली बार तैयार की जा रही थीं।

एकक मामलों में देरी के विशिष्ट कारण ये थे :

(i) ग्राहकों से बेसिक ड्राइंग्स की प्राप्ति में देरी और

(ii) आयात किये जाने वाले संघटकों की प्राप्ति में देरी।

### केरल में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं

4394. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : श्री पी० पी० एस्थोस : श्री अ० कु० गोपालन : श्री प० गोपालन : श्री के० एम० अब्राहम : श्री वासुदेवन नायर :**

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री 3 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2980 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में चार और ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देने सम्बन्धी केरल राज्य के अनुरोध पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, हाँ।

(ख) धनाभाव के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में मंत्रालय नई प्रायोजनाऐं नहीं चला रहा है। तदनुसार केरल सरकार का चार और प्रायोजनाओं का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

### गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों के लिये चन्दे

4395. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में गैर-सरकारी कम्पनियों ने मध्यावधि चुनावों में राजनीतिक दलों को चंदे दिये थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो किस-किस कम्पनी ने किस-किस दल को कितना-कितना चन्दा दिया ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) वर्तमान में कम्पनियों के लिये, राजनैतिक दलों को चन्दे के रूप में धन देने का विवर्जन नहीं है। अतः यह संभव है कि कुछ प्राइवेट क्षेत्र की कम्पनियों ने, मध्यावधि चुनावों में, अंशदान दिया होगा।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि के लेखे, अभी प्राप्त करने हैं।

### दिल्ली-समस्तीपुर बोगी की देखभाल

4396. **श्री शिव चन्द झा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम मेल रेलगाड़ी में लगने वाली दिल्ली-समस्तीपुर बोगी की देखभाल केवल दिल्ली स्टेशन पर की जाती है और समस्तीपुर स्टेशन पर नहीं की जाती ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली-समस्तीपुर बोगी की देखभाल के लिए क्या-क्या कार्य किये जाते हैं और स्टेशन के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में क्या आवश्यक अनुदेश जारी किये गये हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं । असम मेल में लगने वाली दिल्ली-समस्तीपुर बोगी की देखभाल दिल्ली समस्तीपुर दोनों ही स्टेशनों पर की जाती है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली-समस्तीपुर बोगी की प्राथमिक और बाद की देखभाल के लिए क्रमश: दिल्ली और समस्तीपुर स्टेशनों को पहले से ही हिदायतें दी गयी हैं । इसमें दोनों स्टेशनों पर भीतरी फिटिंग्स, धुलाई और सफाई और डिब्बों के निचले गियर के पुर्जों की जांच भी शामिल है ।

### कुष्ठ रोगियों का कल्याण

4397. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या विधि और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ रोगियों की इस समय कुल और राज्यवार संख्या कितनी कितनी है ;

(ख) सरकार ने उनके कल्याण के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ग) अब तक इस दिशा में कितनी सफलता मिली है ;

(घ) कुष्ठ रोगियों के कल्याण कार्यों के लिये अब तक कुल कितनी और राज्यवार कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना में उनके कल्याण के लिये बनायी गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

**विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह)** : (क) कच्चे अनुमानों के अनुसार देश में कुष्ठ रोग के लगभग 25 लाख रोगी हैं। राज्यवार बटवारा उपलब्ध नहीं है ।

(ख) से (ङ). भारत सरकार ने निरोग्यता प्राप्त करने वाले कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्रों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की थी । इन प्रस्तावों को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

### उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन

4398. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1801 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु इंजीनियरी और अन्य उद्योगों द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियम)

अधिनियम, 1951 के उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में किया जा रहा पुनर्विलोकन पूरा हो गया है ; और

(ख) क्या इस प्रकार के नियमोल्लंघन को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). मामला अभी सरकार के विचाराधीन है। इस प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिये उठाए जाने वाले पगों का निर्णय पुनर्वीक्षण के पूर्ण होने के पश्चात किया जायेगा ;

**हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर दक्षिण भारत के भोजन की बिक्री**

4399. **श्री किरुतिनन** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर दक्षिण भारत के भोजन की बिक्री के लिए थिरू विजय राघवन को अनुमति दी गई थी अथवा लाइसेंस जारी किया गया था और इसको बाद में रद्द कर दिया गया था ;

(ख) एक बार जारी किए जाने के बाद इसको फिर रद्द करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया गया है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) ऐसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर विभागीय कैंटीन शुरू न करने के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). जी हाँ। हरिद्वार में 1968 में जो अर्ध कुंभ मेला हुआ था, उस दौरान मद्रासी धर्मशाला, हरद्वार के मैनेजर श्री एम० विजय राघवन को 30.4.68 तक परिचालन क्षेत्र में दक्षिण भारतीय भोजन बेचने के लिए अस्थाई तौर पर 27-3-68 को अनुमति दी गयी थी। इस अवधि के समाप्त होने पर श्री राघवन ने परिचलन क्षेत्र में उन्हें पहले से अलाट की हुई दूकान के अलावा प्लेटफार्म पर स्थायी स्टाल लगाने की अनुमति मांगी। 29-5-68 को मंडल अधीक्षक, मुरादाबाद ने यात्री जनता के लिए दक्षिण भारतीय भोजन बेचने की अनुमति दे दी और इस काम के लिए विशुद्ध अस्थायी तौर पर जून से अगस्त, 1968 तक के तीन महीनों के लिए एक उपयुक्त स्थान पर मेज रख दिया गया। उत्तर रेलवे के प्रधान कार्यालय ने इस व्यवस्था का अनुमोदन नहीं किया और 12-6-1968 को उसे रद्द कर दिया क्योंकि हरद्वार में भोजनालय के ठेकेदार को पहले से ही दक्षिण भारतीय भोजन बेचने का अधिकार दिया गया था और श्री एम० विजय राघवन को दी गयी अस्थायी अनुमति का यह फलितार्थ निकलता था कि दो ठेकेदार एक ही चीज बेचने लगे। इस प्रकार की दोहरी व्यवस्था वर्जित है।

(ग) जी हां, उनको दी गयी अनुमति रद्द करने के विरुद्ध श्री एम० विजय राघवन ने अभ्यावेदन दिया था लेकिन उत्तर के भाग (क) और (ख) में बतायी गयी परिस्थितियों में यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका।

(घ) रेल प्रशासन की वर्तमान नीति यह है कि जहां तक सम्भव हो, विभागीय खानपान का विस्तार न किया जाये बल्कि वर्तमान सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जाये। हरद्वार में खाने-पीने

की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की बिक्री की पहले से पर्याप्त व्यवस्था है और जब अभी जनता की मांग को देखते हुए इस व्यवस्था में विस्तार करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि कुंभ मेले के अवसर पर, तो इसमें विस्तार किया जाता है।

**Promotion of Scheduled Caste Employees in Railways**

**4400. Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Allahabad Division of the Northern Railway has received the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 1/12/67—Ests (c), dated the 11th July, 1968 regarding promotion of Scheduled Caste employees ;

(b) if so, action taken to employ with the orders contained therein particularly for the promotion of T.T.Es., Ticket Collectors and Reservation and Inquiry Clerks ; and

(c) the reasons for not declaring such employees permanent in the existing grades so far ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) Railway Board's instructions issued to Railway Administrations on this subjeet have been received by the Allahabad Division.

(b) No selection has been held on the Allahabad Division since the receipt of these instructions.

(c) Does not arise.

**पूर्वोत्तर रेलवे का डिवीजनों में बांटा जाना**

4401. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे को समस्तीपुर तथा वाराणसी डिवीजनों में बांट दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह डिवीजन पद्धति कब लागू होगी ?

(ग) क्या गरहारा यार्ड समस्तीपुर डिवीजन के बजाये वाराणसी डिवीजन के साथ मिला दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि गरहारा यार्ड समस्तीपुर से केवल 48 किलोमीटर है और वाराणसी से इसकी दूरी 200 किलो मीटर है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) पूर्वोत्तर रेलवे में मण्डल प्रणाली शुरू करने का विनिश्चय किया गया है। इसके मण्डल मुख्यालय आइज़टनगर, लखनऊ, वाराणसी और समस्तीपुर में होंगे।

(ख) शीघ्र ही।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

**रेलवे बोर्ड के लेखापालों द्वारा कब्जे में लिये नये क्वार्टर**

4402. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के सतर्कता संगठन में काम कर रहे कुछ लेखापालो ने अभी तक रेलवे क्वार्टरों पर कब्जा किया हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे दांडिक किराया दे रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

### मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड भद्रावती

4403. श्री जे० एच० पटेल : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमेटेड, में भद्रावती घाटे में चल रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने घाटे के कारणों की जांच की है ; और

(ग) क्या यह सच है कि यह कम्पनी किसी गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग को बेचे जाने की सम्भावना है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) वर्ष 1967-68 में कम्पनी को पहली बार घाटा हुआ । घाटा मुख्यतः नये इस्पात कारखाने की विस्तार योजना के कारण है जो पूर्ण होने वाली है और अभी पूर्ण उत्पादन नहीं कर रही है । इस समय भी कम्पनी की पुरानी इकाइयां लाभ में हैं ।

(ख) वर्ष 1967-68 का वर्षिक हिसाब-किताब निदेशक मण्डल की 19 अगस्त 1968 को हुई बैठक में रखा गया था । निदेशक मण्डल में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय और इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय के प्रतिनिधि करते हैं । निदेशक मण्डल ने घाटे के कारणों की जांच की थी । आम सभा में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये जाने के पूर्व नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक ने भी हिसाब-किताब का पुनर्विलोकन किया था । सरकार को वार्षिक रिपोर्ट विधान सभा में प्रस्तुत करने हेतु भेजी जाती है ।

(ग) जी, नहीं ।

### माल उतारने तथा चढ़ाने के काम पर कमीशन

4404. श्री स० कुन्डू : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशन अधिकारियों को कमीशन पर माल उतारने अथवा चढ़ाने का काम सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यों के लिये वे किस दर पर कमीशन लेते हैं ;

(ग) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के स्टेशन पर यह प्रणाली प्रचलित है ;

(घ) गत दो वर्षों में रूपसा स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर ने कमीशन के रूप में कितनी धन राशि वसूल की है ;

(ङ) रूपसा स्टेशन के कुलियों (हम्माल) को माल उतारने तथा चढ़ाने के लिए किस दर से धनराशि दी जाती है ; और

(च) क्या इस प्रणाली को समाप्त करने तथा श्रम सहकारी समितियों द्वारा काम कराने का कोई प्रस्ताव है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). जी नहीं। स्टेशन प्राधिकारियों को कमीशन के आधार पर माल-सम्हलाई के काम पर नहीं लगाया जाता। लेकिन कुछ स्टेशनों पर, जहाँ इस काम के लिए विशिष्ट रूप से रेलवे के कोई मजदूर नहीं रखे गये हैं या जहाँ इतना यातायात नहीं है कि प्राइवेट ठेकेदारों को लगाया जाये, वहां स्टेशन मास्टर माल सम्हलाई के काम के लिये पदेन माल सम्हलाई ठेकेदार के रूप में कार्य करते हैं जिसमें माल का चढ़ाना-उतारना भी शामिल है। रुप्सा स्टेशन पर यही प्रणाली है।

(घ) 1967 और 1968 में रुप्सा के स्टेशन मास्टर को माल सम्हलाई प्रभार के रूप में क्रमश: 19,433.33 रुपये और 19,823.33 रुपये दिये गये थे।

(ङ) रेल प्रशासन ने रुप्सा स्टेशन पर माल चढ़ाने-उतारने के लिए हम्मालों को भुगतान की कोई दर निर्धारित नहीं की है। लेकिन, यह मालूम हुआ है कि रुप्सा के स्टेशन मास्टर मजदूरों को नीचे लिखी दर पर मजदूरी दे रहे हैं :—

| | दर<br>——<br>रु० |
|---|---|
| (1) **निम्नलिखित वस्तुओं के यानांतरण के लिए** : | |
| (i) कोयला, स्लीपर और जलाने की लकड़ी | 10.50 प्रति मालडिब्बा |
| (ii) सीमेंट | 12.00 प्रति मालडिब्बा |
| (iii) सबाई घास और बीड़ी का पता | 4.50 प्रति मालडिब्बा |
| (iv) लोहे का सामान | 10.50 प्रति मालडिब्बा |
| (v) बोरों में बन्द परेषण | 12.60 प्रति 400 क्विंटल |
| (2) **माल चढ़ाने उतारने के लिये** : | 16.00 प्रति 400 क्विंटल |

(च) वैकल्पिक एजेंसियों को, जिनमें कोई सदाशयी श्रम सहकारी समिति भी हो सकती है, यह काम सौंपने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।

**मेरठ सिटी स्टेशन के पत्र व्यवहार क्लर्क पर आक्रमण**

4405. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरीय रेलवे मजदूर संघ, मेरठ सिटी स्टेशन शाखा के कुछ सदस्यों ने जनवरी, 1969 में मेरठ शहर के स्टेशन मास्टर के एक पत्र व्यवहार क्लर्क पर आक्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना की कोई जांच कराई गई है ;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दूसरे संघ के कुछ सदस्यों को मेरठ सिटी से तबदील कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि रेलवे पुलिस से प्राप्त सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक ने उत्तरी रेलवे के मजदूर संघ के कुछ सदस्यों को मेरठ सिटी से तबदील करने के आदेश जारी किये थे ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इन आदेशों पर डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) मेरठ सिटी के स्टेशन मास्टर के पत्र-व्यवहार क्लर्क ने इस सम्बन्ध में 14-1-69 को पुलिस स्टेशन, रेलवे रोड मेरठ में एक रिपोर्ट की थी ।

(ख) चूंकि पुलिस को रिपोर्ट कर दी गयी थी इसलिए रेलवे द्वारा जाँच करने का सवाल नहीं उठता ।

(ग) से (ङ). रेलवे द्वारा कुछ कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश दे दिये गये थे या देने का विचार था लेकिन अभी तक उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है । मामला अभी विचाराधीन है ।

### Auditing of Stores in Lucknow Division (Northern Railway)

**4406. Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the detailed account of the stores worth one lakh of rupees approximately relating to Kumbh Mela held in 1965, 1966 and 1967 and which was under the charge of Electrical Chargemen and Divisional Electrical Engineers of Lucknow division (Northern Railway) ;

(b) when and in what manner its audit was done and whether any serious misappropriation was detected ;

(c) if so, the action taken in regard thereto ; and

(d) whether any special audit of the stores referred to in part (a) above would be conducted and a statement laid on the Table ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) to (d). Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

### Divisional Electrical Engineers and Electrical Chargemen of Lucknow Division

**4407. Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the particulars of the entire period of stay at one place in Lucknow of the Divisional Electrical Engineers and Electrical Chargemen of Lucknow Division of the Northern Railway ;

(b) the maximum limit of stay at one place, as laid down in the Rules, in respect of such officers and the names and designations of such officers out of them who have exceeded this limit ; and

(c) the particulars of the complaints received against such officers during the last three years and action taken thereon ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

**Late Arrival of Parcels of Tomatoes Booked in Shuttle Train**

**4408. Shri Tukaram Gavit :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1696 on the 5th March, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that according to his statement, the parcels in question reached Ajmer at 5.30 the next day and were kept there for four days for being carried by 14 Dn. ;

(b) whether it is also a fact that there are about 10 passenger trains daily which leave Ajmer for Delhi ;

(c) if so, the reasons for keeping the Parcels for four days for being carried by 14 Dn. only on the 7th April, 1966 and in not sending by any other train earlier ;

(d) whether keeping of Parcels for four days is not a negligence on the part of the Railways ;

(e) whether it is a fact that the Railway Administration themselves assessed the loss at 80 per cent ; and

(f) the reasons for not accepting the Assessment Certificate issued by the Railways and the resultant liability ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) This is not a fact. The parcel van carrying the consignments arrived at Ajmer at 5 10 hours on 4.4 1966 and met onward despatch by 14 Dn. on the same day. It was not detained for four days at Ajmer but was detained in the yard at Delhi for two days.

(b) No. There are 3 Mail/Express and 2 passenger trains daily which leave Ajmer for Delhi.

(c) In view of reply to part (a), the question does not arise.

(d) No detention of four days took place at any stage. The delay of two days in the yard at Delhi may have involved some negligence but this cannot be positively varified at this stage.

(e) Yes.

(f) Assessment is done only to ascertain and varify the extent of damage to the goods as at the time of delivery. The extent of damage is only a question of fact. Grant of assessment delivery and issue of a certificate showing the extent of damage does not amount to acceptance of liability, which has to be determined later by the authority dealing with the claim and in the light of the facts of the case and the law on the subject.

In this case, despite the two days' detention in the yard at Delhi the transit time of consignments was not excessive taking into account the distance involved and hence liability was not accepted.

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### पश्चिमी बंगाल विधान परिषद का उत्सादन करने के बारे में पश्चिमी बंगाल विधान सभा का संकल्प

**श्री सु० कु० तापड़िया** (पाली) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर

विधि मन्त्री का ध्यान दिलाता हूँ और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पश्चिमी बंगाल विधान परिषद का उत्सादन करने के लिए पारित संकल्प।"

**विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्,

संविधान के अनुच्छेद 169 (1) के अधीन, यदि किसी राज्य की विधान सभा, विधान परिषद् वाले राज्य में विधान परिषद् के उत्सादन के लिए अथवा वैसी परिषद् से रहित राज्य में वैसी परिषद् के सृजन के लिए, संकल्प पारित करती है, तो संसद विधि द्वारा, यथास्थिति, परिषद के उत्सादन अथवा सृजन के लिए उपबन्ध कर सकेगी। कोई भी ऐसी विधि, संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

उस संकल्प के प्राप्त होने पर, जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि पश्चिमी बंगाल राज्य की विधान सभा ने उसे पारित किया है, सरकार यथोचित कार्यवाई करने के लिए इस मामले को अपने हाथ में लेगी।

**श्री सु० कु० तापड़िया** : संविधान सभा ने जब केन्द्र तथा राज्यों के लिए द्विसदनीय प्रणाली की व्यवस्था की तो उस समय इसके बारे में सर्वत्र बहुत ऊंचे विचार थे। परन्तु राजनीतिज्ञों के व्यवहार के कारण उच्च सदन एक उपहास का विषय बन गया है। अब इन सदनों की अनुपयोगिता सिद्ध हो गई है। पश्चिम बंगाल में प्रस्तुत प्रस्ताव का कांग्रेस दल ने भी समर्थन किया था। क्या कांग्रेस उन राज्यों में जहाँ सत्ता उसके हाथ में है तथा यहां अभी भी दूसरे सदन विद्यमान हैं, अपनी ओर से उनके उत्सादन के प्रस्ताव रखेगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप अन्य राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं।

**श्री गोविन्द मेनन** : और पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ नहीं कह रहे।

**श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्णनगर)** : अब जबकि पश्चिम बंगाल विधान सभा ने विधान परिषद के उत्सादन का प्रस्ताव पारित कर दिया है, संसद कब तक इस बारे में प्रस्ताव पारित करेगी, जिससे कि पश्चिम बंगाल की विधान परिषद को उत्सादित की जा सके ?

**श्री गोविन्द मेनन** : पश्चिम बंगाल विधान सभा से अधिकृत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ऐसा किया जा सकेगा।

**Shri Deven Sen (Asansol)** : It is mentioned in the report :

"It is felt in New Delhi that there may be some other States wanting to abolish their upper Houses and it will be better to wait for their reaction."

I want the Government to take immediate action regarding the West Bengal proposal.

**श्री गोविन्द मेनन** : पश्चिमी बंगाल को मिलाकर नौ राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं। हम पश्चिम बंगाल के बारे में बिना विलम्ब किये कार्यवाही करेंगे।

**Shri Shiv Chandra Jha (Madhubhani)** : The upper house is a superficial body which creates hinderances in the constructive works of the popular house and it has

become necessary to do away with it. This type of matter came before the British House of Commons when Mr. Atlee came before the House with his Bill an Steel Nationalization Strong measure were adopted to make the line clear for this radical measure to the decesion of the West Bengal Government is democratic, revolutionary and Constitutional. Will the Government place a copy of the reply sent to the West Bengal Government on the table on the House ? Will the Government take steps to abolish the Rajya Sabha ?

**अध्यक्ष महोदय :** मन्त्री महोदय ने बताया है कि अधिकाधिक सूचना प्राप्त होने पर वह कार्यवाही करेंगे। राज्य सभा के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**Shri Madhu Limaye :** We had been agitating for long for the abolition of upper Houses which are formed as a result of indirect elections. I welcome the move of the West Bengal Government and call upon the Government to convene a conference of all the Chief Ministers and also the representatives of the opposition parties in order to abolish the upper Houses in the entire Country.

**श्री गोबिन्द मेनन :** संविधान में राज्यों को ही यह अधिकार दिया गया है कि वे विधान सभाओं के उत्सादन का प्रस्ताव करें। भारत सरकार राज्यों के ऐसे प्रस्तावों में बाधा नहीं बनेगी।

## ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

### RE. CALLING ATTENTION—NOTICE

**श्रीमती गायत्री देवी** (जयपुर) : राजस्थान के विरोधी दलों के विधान सभा के सदस्यों के धरने पर लाठी चार्ज किया गया है। जबकि वे विधान सभा के समक्ष धरना दे रहे थे।

राजस्थान के गृह मन्त्री ने कहा था, क्योंकि आयोग कि नियुक्ति राष्ट्रपति के शासन काल में हुई थी इसलिए वर्तमान राजस्थान सरकार के लिए उसे स्वीकार करना आवश्यक नहीं। दूसरे इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस सम्बन्धित है, अतएव वहां की सरकार को लिखा गया था परन्तु कोई उत्तर नहीं आया। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति शासन में होने के कारण केन्द्र का उत्तरदायित्व है। इसलिए मैं गृह मन्त्रालय से अनुरोध करती हूँ कि वे आयोग की सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार करने के लिए राजस्थान सरकार से आग्रह करें।

**Shri Atal Behari Vajpayee** (Balrampur) : I request the Home Minister to give a statement on the situation in Rajasthan to afford an opportunity to the house to discuss the matter.

**अध्यक्ष महोदय :** दो तीन ध्यानाकर्षक सूचनाएं आवश्यक हैं। दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की विद्यमानता, जिसकी राज्य सरकार को कोई सूचना नहीं। यह आवश्यक विषय है। मैं इसे स्वीकार कर रहा था। कल गृह मंत्रालयों के अनुदानों पर बहस होगी। सदस्य उन मांगों को अस्वीकार कर सकते हैं। वे सरकार को पदच्युत भी कर सकते हैं। इसलिए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जा रहे।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : इस पर हम सरकार की निन्दा नहीं कर सकते।

**अध्यक्ष महोदय :** ध्यानाकर्षक सूचना को मैंने परसों के लिए स्वीकार कर लिया है। बेरी

आयोग के बारे में गृह मन्त्री से कहा था कि यह प्रसन्न होंगे यदि राजस्थान सरकार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करले ।

धरने के बारे में मुझे जानकारी है। परन्तु विधान सभाएं उतनी स्वायत्त है जितना कि यह सदन । गृह मन्त्रालय के अनुदानों पर चर्चा के समय सदस्य इस प्रश्न को ले सकते हैं ।

परन्तु दुर्गापुर में केन्द्रीय पुलिस का प्रयोग राज्य सरकार की अनुमति के बिना किया गया और कुछ लोगों को गोली भी लगी । मुझे विश्वास है कि गृह मन्त्री अपने वक्तव्य में स्थिति स्पष्ट करेंगे ।

हमें राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

**श्रीमती गायत्री देवी :** राजस्थान के गृह मन्त्री ने आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से इंकार कर दिया है ।

**अध्यक्ष महोदय :** राजस्थान सरकार पर संसद का कोई नियन्त्रण नहीं, अपितु राज्य की विधान सभा उस पर नियन्त्रण रखती है।

**श्री पीलु मोदी (गोधरा) :** गृह मन्त्रालय की मांगों को अस्वीकार कर हम राजस्थान सरकार को च्युत नहीं कर सकते इसलिए चर्चा की आवश्यकता है ।

**अध्यक्ष महोदय :** इस सदन में चर्चा द्वारा भी राजस्थान सरकार को च्युत नहीं किया जा सकता ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) :** मेरे विचार में दुर्गापुर के सम्बन्ध में चर्चा परसों की अपेक्षा कल करना युक्त है ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह विषय कल लिया जायगा ।

---

## विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

### RE : QUESTION OF PRIVILEGE

**अध्यक्ष महोदय :** 3 मार्च, 1969 को, श्री नम्बियार द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर मुझे 'महाराष्ट्र टाइम्स' के सम्पादक से निम्न आशय का पत्र प्राप्त हुआ है :

'महाराष्ट्र टाइम्स' के 20 फरवरी का सम्पादकीय लिखते समय सदन की पूरी कार्यवाही का विवरण उपलब्ध न हो पाया था । पूरा विवरण देवा कर हमें सन्तोष है कि श्री रामामूर्ति ने सारी मराठी जनता को दंगो के लिए दोषी नहीं बताया । इस दिशा में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई है ।

इस प्रकार आप स्वीकार करेंगे कि सदस्य के कथन के गलत रूप में प्रस्तुत करने का अथवा उनके आशय का गलत अर्थ निकालने का मेरा कोई इरादा प्राप्त नहीं था । मैं लोक सभा के सदस्यों और आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान किया ।

**श्री रंगा** (श्री काकुलम) : उन्होंने क्षमा याचना नहीं की। अध्यक्ष को उन्हे चेतावनी देनी चाहिए।

**Shri Atal Behari Vajpayee** (Balrampur) : He has admitted his fault. I feel that the matter should end here.

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में मामला समाप्त किया जाय और सम्पादक से कहा जाय कि वह अपने समाचार पत्र के अगले अंक में वास्तविक स्थिति प्रकाशित करदें।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### कम्पनी अधिनियम के कार्यचालन और प्रवर्तन के बारे में वार्षिक प्रतिवदन

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार, समवाय-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भानू प्रकाश सिंह)** : मैं श्री फ० अ० अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अधीन 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष के उक्त अधिनियम के कार्य चालन और प्रवर्तन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 478/69]

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1966-67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) वर्ष 1966-67 के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षिक की टिप्पणियां।

(दो) उपयुक्त दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

### खादी तथा ग्रामोद्योग का वार्षिक प्रतिवेदन

**श्री भानू प्रकाश सिंह** : मैं रघुनाथ रेड्डी की ओर से निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्कालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 479/69]

(3) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधियिनम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन वर्ष 1967-68 के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा सांख्यकीय विवरण। [**पुस्कालय में रखा गया देखिये**। संख्या एल० टी० 480/69]

### राज्य सभा से संदेश

### Message from Rajya Sabha

**सचिव** मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि लोक सभा द्वारा 18 मार्च, 1969 को पास किये गये विनियोग (रेलवे)

विधेयक, 1969 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 21 मार्च, 1969 को पास किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1969 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(तीन) कि लोक-सभा द्वारा 19 मार्च, 1969 को पास किये गये विनियोग विधेयक, 1969 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(चार) कि लोक-सभा द्वारा 19 मार्च, 1969 को पास किये गये विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1969 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

## प्राक्कलन समिति
## पैंसठवां प्रतिवेदन

### ESTIMATES COMMITTEE SIXTY-FIFTH REPORT

**श्री पी० वेंकटासुब्बया** (नन्दयाल) : मैं पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रायल—पेट्रो-कैमिकल्स-के बारे में प्राक्कलन समिति के 48वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के विषय में प्राक्कलन समिति का 65वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

———

## लोक-लेखा समिति च्वालीसवां प्रतिवेदन

### PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE FORTY-FOURTH REPORT

**श्री दत्तात्रेय कुन्टे** (कोलाबा) : मैं सीमा सड़क संगठन सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1967 पर लोक लेखा समिति के 18वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के विषय में लोक लेखा समिति का 44वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

———

## सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक
## संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, साक्ष्य तथा ज्ञापन

### GOVERNMENT (LIABILITY IN TORT) BILL
### REPORT OF JOINT COMMITTEE, EVIDENCE AND MEMORANDA

**श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी** (बर्दवान) : मैं दुष्कृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उससे संसक्त कतिपय मामलों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ तथा

(2) दुष्कृति में सरकार के दायित्त बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उससे संसक्त कतिपय मामलों का उपबन्ध करने के लिये विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति ; तथा

(3) दुष्कृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उससे संसक्त कतिपय मामलों का उपबन्ध करने लिये विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति को प्राप्त ज्ञापनों की प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूँ।

## संविधान (बाइसवां संशोधन) विधेयक-जारी

## CONSTITUTION (TWENTY SECOND AMENDMENT) BILL—*Contd.*

**अध्यक्ष महोदय :** अब संविधान (बाइसवां संशोधन विधेयक) पर आगे विचार किया जायेगा। सभा को यह विधेयक आज ही पारित करना है। मैं इस बारे में सभा का मत जानना चाहता हूँ कि उक्त विधेयक पर मतदान किस समय किया जाये।

**Shri Atal Behari Vajpayee** (Balrampur) : Voting should take place at 5 o'clock.

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है। इस पर पांच बजे मतदान होगा ताकि छः या साढ़े छः बजे तक यह विधेयक पारित हो जाये। मंत्री महोदय साढ़े चार बजे के आस-पास उत्तर देंगे। अब श्री ओमप्रकाश त्यागी अपना भाषण कुछ ही मिनटों में पूरा कर लें।

**Shri O. P. Tyagi** (Moradabad) : Mr. Speaker. Sir. While speaking on the constitution (22nd Amendment) Bill I said that by bringing this Bill the problems facing our country will become more complicated. The policy of the present Government is flexible. They bow down to agitation, wherever it takes place and change their policy accordingly. That is why they had to make amendment in the Constitution several times. We committed a blunder by reorganizing the States in our country on lingual basis. Similarly the other blunder will be committed when they will accept the principle of State within a State. This disease like epidemic will break out throughout the country. This time it is a question of hilly areas of Assam, next time the question of Jharkhande and Telangana will come up on the same lines.

It does not mean that we have got no sympathy with those who live in those hill districts. We want that their condition should be improved. But the way suggested for bringing this improvement will not solve the problem of Assam. I want that such a solution should be found out as may solve the problems of hill districts of Assam as well as the problems of NEFA, Manipur, Mizo hills and Mikir hills.

For this purpose I would like to suggest that a high-power commission should be set up till this commission submits its report. Districts Council should be given more powers. On the basis of the Report thus received a permanent solution should be found, which will fit in economic and defence structure of our country and will remove the social backwardness of the hilly areas. Such a solution will be conducive to national integration. With these words I conclude. Thank you.

**श्री विश्वनारायण शास्त्री** (लखीमपुर) : अध्यक्ष महोदय, संविधान (22वां संशोधन) विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसके पारित हो जाने पर सरकार को वह शक्ति प्राप्त हो जायेगी जिसके आधार पर वह एक अन्य विधेयक ला सकेगी, जिसके अनुसार आसाम में राज्य में एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकेगी। गत 15 वर्षों की अवधि में इस सम्बन्ध में जो बातचीत हुई या विचार विमर्श हुआ, उसी के परिणामस्वरूप यह विधेयक लाया गया है। पाटस्कर समिति, मेहता समिति आदि ने जो समाधान सुझाये थे, उनसे तैयार किया गया एक समन्वित समाधान इस विधेयक में प्रस्तुत किया गया है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED TILL FOURTEEN OF THE CLOCK

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर दो मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई ।

THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT TWO MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK

[ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन** हुए ]

[**Mr. Deputy-Speaker** in the Chair]

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री शास्त्री अपना भाषण पूरा करें ।

**श्री विश्वनारायण शास्त्री** : छटी अनुसूची के भाग 'क' में चार पहाड़ी जिलों और सात जिला परिषदों का उल्लेख है जिनमें से संयुक्त खासी-जयन्तिया पहाड़ियां और गारो पहाड़ियों से मिलकर अब आसाम राज्य के अन्तर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य बन जायेगा । स्वायत्त शासी राज्य में एक मंत्रिमंडल और एक विधान सभा होगी तथा दोनों के क्षेत्राधिकार सीमित होंगे । स्वायत्त शासी राज्य का उपबन्ध एक नया उपबन्ध है । अब हमारे संविधान में केवल राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र का ही उपबन्ध है । हमें इसकी सफलता की कामना करनी चाहिए । स्वायत्तशासी राज्य की संकल्पना नयी तो अवश्य है, परन्तु एक दम अपरिचित नहीं है । मुस्लिम शासन काल में भी ऐसी व्यवस्था विद्यमान थी ।

इस उपबन्ध के अनुसार उस क्षेत्र में तिहरा प्रशासन होगा । एक जिला परिषद का प्रशासन, दूसरा स्वायत्त राज्य का प्रशासन और तीसरा आसाम राज्य का प्रशासन । यह स्वीकार किया जा सकता है कि प्रशासन-व्यवस्था जटिल हो जायेगी, परन्तु ऐसे मामलों में लोगों को शंकालु होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जहां चाह होती है वहां राह तो मिल ही जाती है । अत: मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ ।

राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी पहाड़ी राज्य की मांग रखी गई थी । मेरे विचार से से यह मामला सम्बद्ध क्षेत्र के पिछड़ेपन या निरक्षरता से सम्बन्धित नहीं है । यह एक राजनीतिक मामला है जिसका समाधान भी राजनीतिक ही होना चाहिए । इस विधेयक में राजनीतिक राज-नीतिक समाधान का उपबन्ध किया गया है । यद्यपि इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं तथा सब लोग इससे संतुष्ट भी नहीं है, परन्तु यह व्यवस्था आसाम की सारी जनता को प्राय: स्वीकार्य है ।

विधेयक में यह व्यवस्था है कि संसद कानून बनाकर राज्य सूची और समवर्ती सूची के कुछ विषयों को स्वायत्त राज्य को दे देगी । साथ ही राज्य की कार्यपालिका को कुछ शक्तियां भी स्वायत्तशासी राज्य को दे दी जायेंगी । अत: यह संविधान में संशोधन करना है और इसके लिए अनुच्छेद 368 का अनुसरण किया जायेगा । बाद में आने वाले विधेयक, जो आसाम राज्य के पुनर्गठन से सम्बद्ध होगा, के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जायेगी । उक्त विधेयक के खंड 3 और

उप-खंड 4 कानूनी दृष्टि से ठीक है, क्योंकि ऐसा उपबन्ध संविधान में है। परन्तु उपखंड चार मेरे विचार से उचित नहीं है। उसमें यह कहा गया है कि इस अनुच्छेद में जिस कानून का उल्लेख है उसे अनुच्छेद 368 के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जायेगा, चाहे उसमें संविधान का संशोधित करने वाला उपबन्ध ही क्यों न हो।

सरकार को आसाम के लोगों के मन से यह भय दूर करना चाहिए कि इस व्यवस्था से आसाम राज्य का स्तर ज्यों का त्यों बना रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

**श्री बसुमतारी** (कोकरझार) : इस विधेयक पर बोलने के लिए आसाम के सदस्यों को अधिक समय दिया जाये, क्योंकि इसका सम्बन्ध आसाम राज्य से है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आसाम के अधिक से अधिक सदस्यों को इस पर बोलने का अवसर दूंगा। परन्तु सदस्यों को अपना भाषण 10 मिनट तक ही सीमित रखना चाहिए। क्योंकि आज 5 बजे विचारार्थ प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त करनी है।

**श्री गणेश घोष** (कलकत्ता दक्षिण) : इस विधेयक के माध्यम से सरकार यह गलत धारणा फैलाना चाहती है कि केन्द्रीय सरकार आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अत्यन्त इच्छुक है। वस्तुतः इसमें 'फूट डालो और राज्य करो' नीति की गंध आती है। इससे तो राज्य की स्वायत्तता का मजाक उड़ाया गया है। पहाड़ी लोगों ने जो आन्दोलन किया, वह सरकार की उनका पिछड़ापन निरन्तर बनाये रखने की नीति के विरुद्ध था। उन्हें कुछ रियायत दी जा रही है, उन्हें शोषित करने और उन पर अत्याचार करने की शक्ति तो अब भी केन्द्रीय सरकार के हाथ में ही रहेगी। इस विधेयक से पहाड़ी लोगों की ावश्यकता पूरी न होगी। वे तो भारत संघ के अन्तर्गत एक वास्तविक स्वायत्त राज्य चाहते हैं।

सरकार का यह दावा कि आसाम राज्य के अन्तर्गत स्वायत्तशासी जिलों का एक स्वायत्तशासी राज्य बनाया जा रहा है, धोखा मात्र है। हमारे देश में राज्यों की स्वायत्तता नाम की तो कोई चीज विद्यमान ही नहीं है। केन्द्रीय द्वारा राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप, जिसके परिणामस्वरूप गैरकांग्रेसी सरकारें उखड़ गई, राज्यों की सीमित वित्तीय शक्तियां, जिनके कारण राज्यों को केन्द्र पर आश्रित रहना पड़ता है, आदि से यह सिद्ध होता है कि राज्यों की स्वायत्तता नाममात्र की है। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर भी यहां कई बार चर्चा हुई है। पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य भी इस बात की शिकायत करते हैं कि उनके पास अपने राज्यों की समस्याओं का हल करने के लिए पर्याप्त शक्तियां नहीं है। फिर आसाम राज्य के अन्तर्गत बनाये जाने वाले स्वायत्तशासी राज्य अपनी स्वायत्तता का किस प्रकार प्रयोग करेंगे। कांग्रेस दल राज्य-स्वायत्तता के पक्ष में नहीं है। आसाम के पहाड़ी लोगों की मांग जनतान्त्रिक और उचित है। मैदानी क्षेत्र के लोग उनका शोषण करते हैं और कांग्रेस सरकार ऐसा प्रयास कर रही है जिससे उनका निरन्तर शोषण होता रहे।

**श्री बसु मतारी** : यह वस्तु स्थिति से परिचित नहीं हैं। मैं नहीं समझता कि चारों ओर से इस उत्तम निर्णय पर ऐसा भाव क्यों प्रकट किया जा रहा है।

**श्री गणेश घोष** : ऐसा जान पड़ता है कि इस विधेयक से असम के शोषित पर्वतीय लोगों के प्रति दिल्ली के शासकों की आशंकाएं स्पष्ट हो जाती हैं तथा उनका कुटिल व्यवहार व्यक्त हो जाता है। पर्वतीय निवासियों के लिए बराबर की स्थिति को मानते हुए केन्द्रीय सरकार के वक्ताओं के वक्तव्य के सम्बन्ध में मैं कहता हूँ कि पर्वतीय लोगों के शक्तिशाली आन्दोलन के कारण ही सरकार ने यह वक्तव्य दिया तथा बाद में सरकार अपने निहित स्वार्थों के कारण अपने वचन से पीछे हट गई है और उन पर्वतीय निवासियों के मन में शंका हो गई है कि कांग्रेस सरकार उनके साथ कपटपूर्ण नीति अपना रही है।

राज्य में जब सरकार कानून तथा व्यवस्था तथा प्रशासन सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ हो गई तो सरकार ने बहुत चातुरी से बराबरी का दर्जा देने का आश्वासन दिया, परन्तु जैसे ही यह आन्दोलन शान्त हुआ तो काँग्रेस सरकार एक ओर तो अपने वचन से फिर गई तथा दूसरी ओर आन्दोलन को निष्फल बनाने का प्रयत्न करने लगी तथा आपस में फूट डालकर शासन करने की नीति अपनाली। परन्तु सरकार की यह नीति सफल नहीं होगी। पर्वतीय क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति सरकार की इस क्रूर नीति के कारण है।

यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी केन्द्रीय शासकों के उद्देश्यों में अपनी आशंका प्रकट करते हैं तो वह केवल काँग्रेसी सरकार के द्वारा अपने निहित स्वार्थों के लाभ के लिए नीति का दृढ़पूर्वक पालन करना है। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को सन्तुष्ट रखने के लिए तथा इसका व्यापक हल ढूंढने के लिए ही इस नीति का खण्डन किया है। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की महत्वाकांक्षाओं की सन्तुष्टि के लिए उन्हें असम के दूसरे क्षेत्रों के निवासियों के बराबर का दर्जा देकर स्वाप्त्त सत्ता दे दी जाए। इस विधेयक के अन्तर्गत नये राज्य की स्थापना से उन्हें ग्राम पंचायत से बढ़कर और कोई सत्ता नहीं मिलेगी। भारत सरकार ने जो असम के पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं तथा इस राज्य के अन्य क्षेत्रों के निवासियों की भलाई के लिए जो आवश्यकता पर जोर दिया है वह तो केवल कुछ नेताओं की जीतने तथा पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के मन में दुविधा उत्पन्न करने के लिए यह छोटी सी छूट दी है। वैसे देखा जाय तो यह असम के मैदानी क्षेत्र के निवासियों की भलाई वास्तव में वहां के लोगों के निहित स्वार्थों की भलाई मात्र है। पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों की भलाई के लिए तो वक्तव्य में किंचित मात्र भी उल्लेख नहीं है। अतः इससे स्पष्ट है कि शासक दल की इच्छा है मैदानी क्षेत्र के ऊंचे स्तर के लोग इन पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का शोषण करते रहें। इस विधेयक से मैदानी क्षेत्र के सामान्य लोगों की भी कुछ सहायता नहीं होती।

अतः असम के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों तथा मैदानी लोगों की एकता तभी बनी रह सकती है जब कि इन निहित स्वार्थों के विरुद्ध सतत प्रयत्न जारी रखा जाए तथा शोषण को दूर किया जाए। तभी आन्ध्र आदि दूसरे राज्यों की भाँति पर्वतीय क्षेत्र के निवासी भी एक हो कर इन स्वार्थों के विरुद्ध उठकर भारत गणतन्त्र में रहते हुए ही अपना प्रान्त ले सकते हैं।

भाषा तथा साम्प्रदायिकता के आधार पर राज्य बनाने की विभिन्न माँगों की जो आजकल विविध क्षेत्रों में आवाजें उठ रही हैं, ये समयानुसार स्वाभाविक है। इस प्रकार की मांगें विनाशक तथा प्रतिक्रियावादी नहीं हैं तथा इन पर सहानुभूति पूर्वक तथा गम्भीरता के विचार करना

चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो फूट डालने वाली प्रवृतियां उभरती जायेगी। आन्ध्र, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा राज्यों के निर्माण से कोई प्रलय तो नहीं आ गई। इस प्रकार के बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णयों से प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न ही हुआ है। परन्तु ऐसे निर्णय लेने से पूर्व क्यों इतने मनुष्यों की जान ली जाती है यह किसी ने नहीं पूछा। अतः इससे कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार को कुछ सीखना चाहिए। मुझे सन्देह नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्र के शोषित तथा तिरस्कृत लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जरूर अग्रसर होंगे।

**श्री रा० बरुआ :** मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की यह समस्या कोई नई नहीं है। इस समस्या का समाधान बहुत काल से नहीं हो रहा था। परन्तु 11 सितम्बर का दिन बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक है कि इस दिन इस निर्णय की घोषणा की गई तथा असम के विभिन्न वर्गों और राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों ने इस का स्वागत किया है। मैं पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने 11 सितम्बर के इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया है। प्रश्न इस बात का था कि 11 सितम्बर की इस घोषणा के निर्णय को संवैधानिक रूप देने के लिए ही इस विधेयक के लाने की आवश्यकता हुई।

असम के सभी क्षेत्रों में एकता लाने की आवश्यकता है। सारे क्षेत्रों के मानव-सम्बन्धों तथा उनके सामाजिक-राजनीतिक स्वरूप पर विशेष विचार की आवश्यकता है। भारत के इतिहास में पश्चिम से तो भारत पर आक्रमण के सम्बन्ध में हमने पढ़ा है, परन्तु भारत की पूर्वी सीमा पर भी चीन ने आक्रमण किया तथा इस आक्रमण के पश्चात से हमारी पूर्वी सीमा भी एक सजीव प्रश्न बन गई है। अतः इस क्षेत्र के निवासी चाहे वे नेफा, नागालैंड आदि में रहते हैं अथवा असम में उनके लिए विशेष विचार की आवश्यकता है। इस प्रश्न को सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए और तत्सम्बन्धी महत्वपूर्ण समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इसके साथ ही यहां रहने वाले विभिन्न वर्गों को संगठित करने के लिए उन्हें वैयक्तिक स्वाधीनता देना भी आवश्यक है।

कोई सन्देह नहीं कि इस दिशा में मतभेद चल रहे थे परन्तु यह हर्ष की बात है कि अन्ततोगत्वा समझौता हुआ तथा उस क्षेत्र के कल्याण के लिए हम लोग सहमत हो गए। आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि 11 सितम्बर की घोषणा के पश्चात उस पर्वतीय अथवा मैदानी क्षेत्र में प्रदर्शन अथवा हिंसा का एक भी उदाहरण नहीं मिला। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे पता चलता है कि इस योजना का प्रत्येक वर्ग ने समर्थन किया तथा किसी भी ओर से इसका विरोध नहीं किया। पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्र के निवासी मिलकर काम करते हैं तथा राज्य के सभी अंगों की एकता को सुदृढ़ कर रहे हैं।

किसी ने कहा है कि इससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है और इससे असम के गौरव की हानि होगी यह धारणा गलत है। क्योंकि अनुच्छेद उसके अनुसार संसद् वैधानिक रूप से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, क्षेत्रों को घटा और बढ़ा सकती है। यह कहना गलत होगा कि जो भी संविधान में प्रतिष्ठित कर दिया जाये तो वह सब सदा के लिए पावन हो जायेगा। हम गतिशील संसार में रह रहे हैं तथा हमें समस्याओं के उपाय खोजने तथा उनके विकास के लिए जुट जाना चाहिए।

यह उपराज्य हैं तथा जिनका हम निर्माण कर रहे हैं ? जब संविधान बनाया गया और असम को संगठित किया गया। तो भारत के राजनीतिक ढांचे के साथ पर्वतीय क्षेत्रों को मिलाने के लिए हमको संविधान की छटी अनुसूची में विशेष उपबंध करने पड़े थे। इससे स्पष्ट विदित होता है कि यह विशेष समस्या है और इसे संविधान रचयिताओं ने भी मान्यता दी थी। श्री गोपीनाथ बारदोलोई प्रतिवेदन के अन्तर्गत इन क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता समझी गई थी। भारतीय जीवन में उन्हें संगठित करने का आशय था। आज हम उसी स्थिति तक पहुंचे हैं जिसकी व्यवस्था उस समय की गई थी। आज भी इन क्षेत्रों को वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्राप्त है, हम तो उसे नया रूप दे रहे हैं तथा कुछ और अधिक अधिकार दे रहे हैं ताकि वे अपने आपको आश्वस्त अनुभव करें।

यह व्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा है कि यह जो संशोधन किया जा रहा है वह भारत के हितों के लिए हानिकर है और इसके लिए बहुत से वैधानिक बहाने बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विधि ही सर्वोपरि नहीं है, विधि को समय की कसौटी तथा परिस्थितियों के उपयुक्त होना चाहिए। अतः जब समय आता है तथा इसकी आवश्यकता समझी जाती है तभी हम ऐसा कार्य करते हैं। संविधान की रचना के समय राज्य सभाओं तथा परिषदों की व्यवस्था की गई थी। परन्तु आज पश्चिमी बंगाल के निवासी, यहां की सरकार तथा विधान सभा इस की आवश्यकता नहीं समझती, सम्भव है दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण करें। अतः इस को गलत कहना ठीक नहीं है। इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। देश के कल्याण तथा मनुष्यों की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यदि संविधान में संशोधन लाया जाए तो मैं समझता हूँ यह उचित दिशा में उचित पग ही है।

एक समय हम भाषा के आधार को राज्यों के गठन का लक्ष्य मानते थे परन्तु आज यह स्थिति नहीं है। आप देखेंगे कि भाषा के आधार पर देश में एकता नहीं होती परन्तु पर्वतीय निवासियों के पारस्परिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध उनके एकता का निर्धारण करते हैं। जैसे नागालैंड में 37 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं और फिर भी वहां के निवासियों में एकता है, पिछले चुनावों में वहां की एकता तथा अनुशासन सराहनीय रूप में देखने को मिला। जो एकता उन लोगों में आज देखने में आ रही है। वह भाषा के आधार पर नहीं है बल्कि सांस्कृतिक तथा सामाजिक तत्वों के आधार पर है। इसी प्रकार खासी पहाड़ियों तथा गारों पहाड़ियों के विषय में यह कहना गलत है कि वहाँ भाषा के आधार पर एकता है। इस विधेयक से केवल संविधान में आवश्यक संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। जिससे 11 सितम्बर की घोषणा को कार्यान्वित किया जा सके।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को मैं पढ़ चुका हूं। उसमें कुछेक विमति टिप्पण हैं। निश्चय ही श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा श्री हेम बरुआ ने अपने विरोधी टिप्पणों में बताया है कि इससे विघटन के बीजारोपण होंगे। दूसरे विरोधी टिप्पणों से स्पष्ट होता है कि यह बहुत बड़ी समस्या है। परन्तु इस समस्या का समाधान उस समझौते से ही हो सकता है जिसे हम तय कर सकते हैं।

अन्त में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों तथा मैदानी क्षेत्र के निवासियों से मेरा अनुरोध है कि वे इस समस्या के समाधान के लिए उपाय सोचें। मेरा अनुरोध उन विपक्षी सदस्यों से भी है

कि उनको ऐसी भाषा में नहीं बोलना चाहिए तथा पर्वतीय क्षेत्रों तथा मैदानी क्षेत्रों के बीच विषमता का निर्माण नहीं करना चाहिए। हम शान्ति प्रिय हैं तथा शान्ति से रहेंगे। तथा मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि असम की युवक पीढ़ी पर्वतीय क्षेत्र तथा मैदानी क्षेत्रों के मेल से एक नए असम की स्थापना करेगी।

**Shri S. M. Joshi** (Poona): I rise to support this Bill. I thank Government and the Hill people for having arrived at this consensus, by setting this issue unanimously. In my opinion there would be no harm if this new autonomous statics also given powers to maintain law and order.

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**]

[**Shri Vasudevan Nair** in the Chair]

Those who oppose the Bill are of the opinion that it is harmful from the defence point of view of the Country. But the security and defence of the country cannot be maintained by the army only. This could bb possible if the people of the area are Unitedly prepared for the defence of the country. We should pay special attention to the people living in the borders of the Country and we should see that they do not remain discontented. We have not paid any heed to this so far. I support the proposal made by the Hon. Prime Minister that this problem should be solved under Federal Formula.

It is strange that we lay much emphasis on democratic decentralization but we do not fulfil our words on the question affects rights of the people of lower classes. Big and rich people are enjoying powers for centuries together and they have become habitual. They do not want to share this power with other people. These rich and high class people oppose, for they do not want to give powers to poor people. Therefore I support democratic decentralization, but when this decentralization is opposed by those poor and down trodden, we should think over this problem. In his last speech in the Constituent Assembly Dr. Ambedkar had said that we have been able to achieve political equality and it was is guaranteed in the Constitution but we have not so far been able to achieve social and economic equality. We should take such steps so as to bring social and economic equality in the country. If we do not take such steps we shall not do Justice to the down trodden and poor people and the political equality shall prove useless.. Therefore amendment in the Constitution is necessary keeping in view the present pay situations.

Regarding Telangana, the people, there were told that if the Telugu speaking people live in our State it will be in the interests of the country and this decision was taken after fulfilling some conditions, but this was implemented. Therefore the people are not satisfied. When we assure people of something we should at least fulfil. Our commitments, even if we have to amend the Constitution and for this we should not think it a disrupture Act. We can not run at the point of bullet. If it is so there will be no meaning of integrity. It is stated that this Bill will not solve this problem. We should go in this direction slowly and step by step. We should adopt democratic process to solve this problem. Regarding North-Eastern frontiers for Assam it is said that there should be a provision of Commission for recommendations as to what should we discuss about it; but it is not so much limited. The mattor would go ahead. It is not a wrong and disrupture step, rather it is in the interest of the unity and integrity of the country. Therefore I support the Constitution (22nd amendment) Bill, we want to bring unity in diversity and for this we must try.

**श्री जो० मा० हजारिका** (डिब्रुगढ़) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, परन्तु मैं इस बात से असन्तुष्ट हूँ कि असम के लोगों को सांझे प्रशासन से वंचित रखा गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि एक बहुत लम्बे समय से हो रहे प्रयत्न तथा कुछ कटुता के पश्चात सरकार इस प्रकार की उलझनों से बच गई, क्योंकि सारे राज्य में बहुत कटुता फैली हुई थी। अब इसका उपाय तलाश कर लिया गया है जो लगभग सबको मान्य है। परन्तु ऐसा लगता है कि संविधान की आत्मा कुछ सीमा तक कलुषित हो गई है, क्योंकि इसका आशय था कि पर्वत प्रदेश के प्रशासन का स्तर दूसरे क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर के बराबर लाया जाए न कि वहां के आर्थिक विकास आदि के लिए पृथक प्रबन्ध हो। अतः यह प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है। आर्थिक विकास की समस्या को लेकर यह प्रश्न देश के सामने कई बार आया था। वर्ष 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने पृथक्करण के विचार का खण्डन किया था। 1960 में जब असम का राज भाषा सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत हुआ तो सर्व दलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन ने इस मांग को पुनः दोहराया था। 1961 में प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने इसको अस्वीकार कर दिया था। उनका मत था कि इससे कई जटिल समस्याएं उत्पन्न हो जायेगी। 1962 में सर्व दलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन ने अपने ज्ञापन में प्रधान मन्त्री से पूर्वी सीमा राज्य बनाने की मांग की। 1963 में प्रधान मन्त्री ने पर्वतीय नेताओं से कई बार चर्चा की तथा उस क्षेत्र को स्वायत्त सत्ता देने का निर्णय किया। 1964 में प्रधान मन्त्री ने राज्य में एकता बनाये रखने पर बल दिया, परन्तु इसके अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता देने की माँग भी थी। इस समझौते के आधार पर गृह मन्त्रालय ने पाटस्कर आयोग की नियुक्ति की कि पर्वतीय प्रदेश के प्रशासन का किस प्रकार पुनर्गठन हो। डेढ़ वर्ष के पश्चात आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि शेष असम के साथ इस पहाड़ी क्षेत्र का प्रशासन एक नाम से नहीं होना चाहिए। अब 10 वर्ष के प्रयत्न के पश्चात पर्वतीय क्षेत्रों को प्रशासनिक स्वायत्तता दी जा रही है। परन्तु उस समय इस समस्या को राजनीतिक तूल दे दिया गया और सरकार ने इस राजनीतिक समस्या को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

संविधान में इन पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या के लिए इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया गया है। संविधान में केवल यह कहा गया है कि उनकी एकता के लिये उनका आर्थिक विकास किया जाये। इस विधेयक के पारित हो जाने से समान्यः आसाम के लोग अब तक लागू प्रशासन व्यवस्था से वंचित रह जायेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए एक पृथक राज्य बनाये जाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करते समय मैदानी क्षेत्रों में भी अन्य समस्याएं पैदा हो गई थी। हमें भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हम देख चुके हैं कि गोलपाड़ा के जिले के बादोस, रबास आदि जाति के लोगों ने उप चुनाव के दौरान लड़ने झगड़ने का रवैया अपनाया है। वे लोग भी पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की तरह ही स्वायत्तता की मांग की थी। काम रूप, राजवंसिस और कोच लोग भी स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। मुत्तोक के जाति के लोग तथा अहोय ताई संस्था भी स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आसाम में अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार को अल्पसंख्यक लोगों की मांगों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। गारो पहाड़ी जिले की एक तिहाई जनसंख्या गैर-गारो लोगों की है। वे लोग पृथक राज्य बनाये जाने के पक्ष में नहीं हैं। उनके नेताओं ने इस बारे में सरकार के सामने अपने विचार

स्पष्ट कर दिये थे किन्तु उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था । गारो पहाड़ी क्षेत्र के राज्य सभा में संसद् सदस्य ने भी अपनी विमति टिप्पणी में यह स्पष्ट कहा था कि खासिस लोग अन्य जातियों से बहुत उन्नत हैं। इसलिए यदि गारो पहाड़ियों और युनाइटेड खासी तथा जयन्तिया पहाड़ियों को मिलाकर एक स्वायत्तशासी राज्य बनाया तो वह गारो तथा अन्य पिछड़ी जातियों के हित में नहीं होगा । मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता द्वारा दिये सुझाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए थी । अशोक मेहता ने विकास तथा प्रगति के आधार पर क्षेत्रों को मिलाकर राज्य बनाने के बारे में सुझाव दिया था । इस विधेयक में एक स्वायत्तशासी राज्य बनाने का उपबन्ध है और भविष्य में भी यदि इस प्रकार की मांग की गई तो हमें उस पर करना चाहिए । हमें सभी क्षेत्रों के लोगों को समान समझना चाहिए और उनकी मांगों पर समान दृष्टि से विचार करना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

**श्री रंगा** (श्री काकुलम) : मैं माननीय सदस्य श्री हजारिका के इस बिचार से सहमत हूँ कि अन्य क्षेत्रों के लोगों के यह अवसर खुला रहना चाहिए कि वे जब चाहें इसमें शामिल हो जायें । मुझे एक माननीय सदस्य से यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस विधेयक के द्वारा द्वितीय श्रेणी की नागरिकता बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । मैं तो समझता हूं कि इससे नागरिकता की श्रेणी और भी अधिक बढ़ायी जा रही है । मैं समझता हूँ कि वह माननीय सदस्य मार्क्सवादी साम्यवादी दल के हैं ।

यदि पाटस्कर आयोग तथा अशोक मेहता आयोग नियुक्त न किये होते और इस समस्या को हल करने के हेतु संभावित उपायों पर विचार विमर्श करने के निमित्त विभिन्न वर्गों के लोगों को विचार विमर्श करने के लिये इन आयोगों को जो कठिनाई हुई हैं उनसे अनुभव प्राप्त करने के बाद यदि उन्होंने सुझाव न दिये होते तो गृह कार्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री यह फार्मूला निकाल सकने तथा इसके लिये लोगों को सहमत कराने में सफल नहीं होते । बहुत प्रयत्नों के बाद यह एक ऐसा हल निकल पाया है जो कि सभी पक्षों को लगभग मान्य सा है : यही संभावित हल इस समस्या का हो सकता था ।

माननीय सदस्य श्री हजारिका ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस समस्या का समाधान करने के लिए किये गये विभिन्न प्रयत्नों का उल्लेख किया है । वर्ष 1936 में आल इण्डिया एक्सक्लूडेट एरियाज और पर्टिक्यूलरली एक्सक्लूडेट एरियाज नामक संस्था स्थापित की गई थी । आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व संसद सदस्य स्वर्गीय श्री कोथण्डा रमैया ने यह संस्था स्थापित की थी और वे इन लोगों के लिये कार्य करते रहे थे । वह इसकी स्थापना से संविधान सभा के समय तक संस्था के अध्यक्ष रहे थे । नई दिल्ली में मेरे निवास स्थान पर राजेन बाबू की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई थी, श्री हजारिका भी उस बैठक में उपस्थित थे । इस बैठक के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में द्वारा अल्पसंख्यक समिति तथा आदिम जातीय समिति नियुक्ति की गई थी । इन समितियों ने अपने प्रतिवेदन दिये थे जिसके परिणामस्वरूप विशेष जिला परिषदें बनाने के लिये उपबन्ध किये गये थे ।

अंग्रेज लोग भारत में फूट डाल कर शासन करने की नीति पर चल रहे थे । वे इन लोगों

को शेष भारत से पृथक रखना चाहते थे। हमने इसके लिये संघर्ष किया। हम चाहते हैं कि संविधान के अंतर्गत इन लोगों को पूरी सुविधाएं दी जाएं और उन्हें देश के अन्य लोगों के स्तर पर लाया जाए। कांग्रेस सरकार भी स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह प्रयत्न करती रही कि देश में राजनैतिक विकास में इन लोगों को भी साथ लिया जाये और वे भी अन्य लोगों की ही भांति उन्नत बनें। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस सम्बन्ध में प्रत्याशित सफलता नहीं मिल पाई है। माननीय सदस्य श्री बरुआ आदि का यह कहना सही है कि यह एक राजनैतिक प्रश्न बन गया है। हमें इस राजनैतिक समस्या का उपयुक्त समाधान करना है और इसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है। किन्तु खतरा इस बात का है कि यदि यह मांग मान ली जाये तो भविष्य में तेलंगाना, कोंकण, विदर्भ तथा सौराष्ट्र के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की मांगें की जायेंगी। सरकार को इन सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह समझता हूँ कि इन क्षेत्रों की स्थिति देश के अन्य भागों की स्थिति से भिन्न है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण देश की सुरक्षा की दृष्टि स इन क्षेत्रों का विशेष महत्व है। इन क्षेत्रों का विकास देश की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाना चाहिए। अतः मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर इस प्रकार की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे आशा है कि देश भक्त होने के कारण देशवासी इस प्रकार की कोई बात नहीं उठायेगे। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से वे इसका समर्थन करें। देश की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें अधिक से अधिक अधिकार और विशेषाधिकार दिये जा रहे हैं।

अनेक मामलों में सरकार संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। वह किसी मामले में निर्णय करने में काफी समय लगाती है। इस मामले में भी निर्णय करने में काफी विलम्ब हुआ है किन्तु यह प्रसन्नता की बात है कि यह निर्णय सोच समझ कर अच्छे ढंग से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के हित में किया गया है। गृह कार्य मन्त्री का कार्य बड़ा कठिन होता है। यह कार्य उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है जिसके लिये वह बधाई के पात्र हैं।

माननीय सदस्य श्री लोबो प्रभु ने इस सम्बन्ध में एक संशोधन दिया है। क्या इस सम्बन्ध में नामजदगी आवश्यक है ? क्या इसके लिए दो तिहाई बहुमत होना आवश्यक है तथा क्या इसके लिये दो तिहाई सदस्यों का उपस्थित रहना और मत देना आवश्यक है। मन्त्री महोदय तथा सभा को इस मामले पर विचार करना चाहिए। माननीय सदस्य श्री लोबो प्रभु इस पर बाद में बोलेंगे।

इसे सफल बनाने के लिये सभी वर्गों को संयम से काम लेना चाहिए। यह बड़ा कठिन कार्य है। इसे सफल बनाने के लिये सभी वर्गों को परिश्रम करना पड़ेगा। हम एक बड़े राज्य के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति डिगाल भी यूरोप में साझा बाजार योजना को सफल बनाने में सफल नहीं हो पाये थे यद्यपि उनके पास हम से अधिक अनुभव था। हमें इसे सफल बनाने के लिये आसाम के आदिम जातियों तथा अन्य लोगों के हितों को ध्यान में रख कर कार्य करना है। इसे सफल बनाने में पहाड़ी क्षेत्रों की लोगों की तुलना में आसाम के लोगों को अधिक कठिनाई होगी क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों के लोग अधिक उन्नत और शिक्षित हैं। हमें इन सब बातों का कटु अनुभव है। हम मध्य प्रदेश में इस प्रकार का अनुभव

प्राप्त कर चुके हैं। किन्तु मैं यह चाहता हूँ कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग तथा आसाम के लोग सहयोग से काम करे जिससे हमें किसी गंभीर स्थिति का सामना न करना पड़े।

हमें इसकी सफलता की कामना करना चाहिए। आशा है सरकार इस मामले में व्यापक दृष्टिकोण से काम करेगी और एक दिन ऐसा आयेगा जब कि रानी गायदालो भी इस कार्य में अपना योगदान करेगी। मिजो लोगों को भी इस स्वायत्तशासी राज्य के अन्तर्गत बिना किसी विघ्न बाधा पैदा किये यथाशीघ्र लाया जाये।

**श्री वेद व्रत बरुआ** (कलियाबोर) : मैं इस बात को एक बड़ी सफलता मानता हूँ कि सरकार पहाड़ी क्षेत्र के लोगों तथा आसाम के लोगों को एक समझौते के लिये सहमत कर पायी है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रायः सभी वर्गों के नेताओं ने इसका समर्थन किया है। माननीय सदस्य श्री गणेश घोष ने अभी अपने भाषण में कहा कि हम में सामान्यतः यह भावना रहती है कि हमें गलत समझा जाता है। लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं कि अपने को वामपन्थी समाजवादी अथवा साम्यवादी समझने वाला हमें गलत न समझें। जहाँ तक मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, यह प्रश्न शोषण का नहीं है। मैं पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। उदाहरणार्थ, माननीय सदस्य ने मैदानी क्षेत्र में जमीदारों और निहित स्वार्थों का उल्लेख किया है। जहाँ तक मैं समझता हूं कि आसाम घाटी में अथवा समूचे आसाम में जमींदार हैं ही नहीं। इसलिये शोषण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

स्वायत्तशासी राज्य की पचायत को कानून और व्यवस्था के अतिरिक्त विकास सम्बन्धी अधिकार दिये गये हैं। हम अब तक यही सुझाव देते रहे हैं कि इस समस्या का नए आधार पर हल किया जाये। पहाड़ी क्षेत्रों की अपनी विशेष समस्याएं हैं; इसीलिये उन्हें स्वायत्तता दिये जाने की आवश्यकता है। न केवल आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों की अपितु देश के सभी पहाड़ी क्षेत्रों की विकास सम्बन्धी अपनी समस्याएं हैं जो कि मैदानी क्षेत्रों की समस्याओं से भिन्न हैं। हमें आज केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की समस्याओं के साथ साथ इन समस्याओं का भी सामना करना है।

जब हम आज ढाँचे की बात सोच रहे हैं तो हम केवल दो ढांचों राज्य का ढांचा और संघ राज्य क्षेत्र का ढांचा— के बारे में नहीं सोच सकते हैं। हम इस सारे मामले पर विस्तार पूर्वक विचार करना होगा। हम समझते हैं कि नागालैंड में नया राज्य बनाकर हमने नागालैंड की समस्या हल कर दी है।

क्या यह पद्धति भारत के प्रत्येक जिले पर लागू की जा सकती है ? क्या भारत में इतने पिछड़े और जिले नहीं हैं ? इस समस्या का हल तो प्रशासनिक पुनर्गठन है। यदि प्रत्येक तालुक के लिये मुख्य मंत्री नियुक्त कर दिया जाये तो इससे यह समस्या हल नहीं होगी। इसलिये हमें इस पर आपत्ति है।

वर्तमान स्वायत्तशासी व्यवस्था में लोगों को स्वायत्तता दी गई है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु स्वायत्तता के नाम पर नौकरशाही नहीं लादी जानी चाहिये। वर्तमान व्यवस्था में तो नौकरशाही की ही चाँदी दिखाई देती है।

श्री रंगा ने दो-तिहाई की बात कही। यदि पहाड़ी जिलों को पृथक कर दिया जाये तो एक

बिल्कुल ही भिन्न स्थिति उत्पन्न हो जायेगी परन्तु जब तक पहाड़ी जिले पृथक नहीं किये जाते हैं, संसद् में साधारण बहुमत से राज्य की शक्तियों की पुनः परिभाषा कैसे की जा सकती है ?

क्या कोई अन्य राज्य इससे सहमत हो जायेगा ? दो-तिहाई बहुमत पर्याप्त सुरक्षा नहीं है । मेरा स्वतंत्र दल के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे ऐसी समस्या उत्पन्न न करें । यह ठीक है कि इस विधेयक को साधारण बहुमत से पास करने के बारे में सहमति हो गई है परन्तु मेरा गृह मंत्री से निवेदन है कि यह विधेयक जो समझौता हुआ है उसके अनुकूल होगा और उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो उस समझौते के विरुद्ध जाती हो क्योंकि उससे हम सब के लिये अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है ।

महाराष्ट्र में जिस तरह की जिला स्वायत्तता प्राप्त है उस तरह की स्वायत्तता से ही सुरक्षा गारंटी की जा सकती है । वह सफल रही है और सब राज्यों के लिये वह एक आदर्श होनी चाहिये । जिला स्वायत्तता से लोगों पर कोई भार नहीं पड़ेगा जोकि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र बनाने से उन पर पड़ता है । इस प्रकार व्यय वहन करने में जनता नितान्त असमर्थ हो जायेगी ।

हम चाहते हैं कि विधेयक की शुरुआत अच्छी हो और आसाम के पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों के लोग मित्रता से रहें । हमारे इतिहास में आसाम में पहाड़ी तथा मैदानी लोगों के बीच कभी भी तनाव या मतभेद नहीं रहे हैं ।

मुझे आशा है, कि मैदानी तथा पहाड़ी दोनों ही वर्गों के लोग जो समझौता हुआ है उसपर चलते रहेंगे और अपने क्षेत्र के अधिक तेजी से विकास की दिशा में शुरुआत करेंगे क्योंकि विकास का प्रश्न ही सबसे महत्वपूर्ण है । जहाँ तक सुरक्षा का सम्बन्ध है यदि उस क्षेत्र का अन्य क्षेत्रों की तरह विकास किया जाता हैं और वहाँ के लोग उससे संतुष्ट हैं तो सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है । परिवहन समस्याएं जो विभाजन के कारण उत्पन्न हुई हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हल किया जाना चाहिए और आसाम के लोगों पर ही उनका सारा भार नहीं डाला जाना चाहिये ।

मैं द्रविड़ मुनेत्र कजघम के माननीय सदस्य का आभारी हूँ कि उन्होंने आसाम की आर्थिक स्थिति का चित्र खींचा । मुझे आशा है, और माननीय सदस्य आसाम जायेंगे और देखेंगे कि वहां क्या हुआ है उन्हें पता लग जायेगा कि असाम का आर्थिक विकास बिल्कुल नहीं हुआ है । आसाम को अधिक ऋण तथा अनुदान दिये जाने चाहिये जिससे कि उसका समग्र रूप से विकास हो सके और उस राज्य की आर्थिक समस्यायें हमेशा के लिये हल हो जायें ।

**श्री धीरेश्वर कलिता** (गोहाटी) : इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक विवादास्पद विधेयक है । आसाम के पुनर्गठन के बारे में मैदानी तथा पहाड़ी लोग आन्दोलन करते रहे हैं । यह एक बड़ी समस्या है और स्वर्गीय प्रधान मंत्री तथा उनके उत्तराधिकारियों ने इस समस्या को हल करने हेतु कई आयोग नियुक्त किये परन्तु इसे हल नहीं किया जा सका । मैं मानता हूँ कि इन दो वर्षों में काफी परिवर्तन हुआ है और उसमें इस संसद तथा भारत सरकार का काफी योगदान रहा है । अन्त में हल निकल आया है और इससे आसाम में तनाव कम करने में मदद मिली है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को तुरन्त पास कर दिया जाये ताकि आसाम में विघटनकारी शक्तियों को दबाया जा सके ।

इस विधेयक में नई बात यह है कि पहाड़ी नेता आसाम में रहने के लिए तैयार हो गये हैं

जब वे इसके लिए तैयार हो गये हैं तो इसकी व्यवस्था करनी होगी और संविधान में उचित संशोधन करना होगा। यह प्रसन्नता का विषय है कि सरकार का भी यही विचार है और वह यह संविधान संशोधन विधेयक ला रही है।

मेरे मार्क्सवादी साथी श्री गणेष घोष ने कहा कि वे एक पृथक् राज्य चाहते हैं। हम भी पृथक् राज्य बनाने के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु इस समय इस समस्या के हल के लिए कुछ उपाय करने जरुरी हैं। हमारे और उनके दृष्टिकोण में यही अन्तर है। मुझे आशा है कि हमारी और उनकी विचारधारा में कोई और अन्तर नहीं है। जहां तक व्यावहारिक दृष्टिकोण का सम्बन्ध है मेरे मार्क्सवादी मित्र भी वर्तमान हल से सहमत होंगे।

यहां पर यह डर व्यक्त किया गया है कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद झारखण्ड के लिए मांग की जायेगी। यह डर भी व्यक्त किया गया है कि उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी राज्य की माँग की जा सकती है। ये सब आशंकाएं ठीक हो सकती हैं परन्तु भारतीय संविधान में आसाम को एक विशेष दर्जा दिया गया है। वह है छठी अनुसूची। संविधान ने, कुछ परिषदों की व्यवस्था की है। उनसे धीरे-धीरे लोकतंत्रात्मक विचारधारा का विकास हुआ है। और इस विकास को संसद को तसलीम करना चाहिए।

यदि झारखण्ड, पृथक तेलंगाना आदि की मांग की जाये तो इसमें आपत्ति ही क्या है? इस तरह से देश विखण्डित नहीं होता। लोगों को अधिक स्वायत्तता देने से भारत कमजोर नहीं होगा। इसके विपरीत वह शक्तिशाली बनेगा।

**श्री बसुमतारी** : यह बड़े दुख की बात है कि हमारे राज्य का एक भाग हमसे अलग किया जा रहा है। परन्तु उनकी इस राजनीतिक मांग को हमें स्वीकार करना पड़ा। मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के नेताओं की आसाम तथा दिल्ली में हुई वार्ताओं के परिणामस्वरूप जो निर्णय लिया गया है उसे ही इस विधेयक में मूर्तरूप दिया गया है। हालांकि मैं इसके विरुद्ध हूँ फिर भी सदस्यों की एकमत राय को देखते हुए मेरे लिए इसका समर्थन करने के सिवाय अन्य कोई चारा नहीं है।

मैं एक बात का विरोध करता हूं चूंकि कुछ लोग अपनी मांग पर अडे हुए हैं इसलिए हमारा दृष्टिकोण उनके सामने घुटने टेक देने का नहीं होना चाहिए और हमें अन्य पहलुओं को नहीं भुला देना चाहिए। श्री स्वैल कहते हैं कि अन्य लोग पिछड़ें हुए हैं। हमारा यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। हम भारतीय हैं और हमें इकट्ठे रहना चाहिए। इसलिए उन्हें इस तरह के विचार को त्याग देना चाहिए।

मैं तो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहता था जिसके अधीन पहाड़ों तथा मैदानों के लोग एक दूसरे के शोषण का शिकार बने बिना इकट्ठे रह सकें।

श्री गणेश घोष ने कहा कि मैदान के लोग पहाड़ी लोगों का शोषण कर रहे हैं। परन्तु पाटस्कर आयोग के प्रतिवेदन को हम देख सकते हैं। उसमें कहा गया है कि आसाम के लोगों ने किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया। इसलिए इस प्रतिवेदन का विरोध किया गया।

मुझे अफसोस है कि श्री घोष को उस क्षेत्र के आदिम जातीय लोगों अथवा मैदानी लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे लोग शोषण करना नहीं जानते हैं। उनका तो स्वयं शोषण

हो रहा है। पंडित नेहरु ने तो यहां तक कहा था कि आसाम के लोगों ने बंगाली समुदाय के विरुद्ध इसलिए विद्रोह किया क्योंकि उनका चिरकाल से शोषण हो रहा था पंडित नेहरु नागालैंड को तो एक पृथक् राज्य बनाना चाहते थे परन्तु खासी और गारो पहाड़ियों को नहीं। वह कहते थे कि यह भौगोलिक दृष्टि से भी सम्भव नहीं है।

मेरे कुछ मित्रों ने कहा था कि खासी और गारो पहाड़ियों के लोगों की भाषा भिन्न है तथा वे भी नागालैंड के लोगों की तरह पृथक रह सकते है परन्तु सभा को यह पता ही है कि भारत में विभाजन भाषा के आधार पर ही किया जाता है।

जहाँ तक विधेयक का सम्बन्ध है श्री शास्त्री उस बारे में विस्तार से बोल चुके हैं तथा मेरी इस सम्बन्ध में यही प्रार्थना हैं कि उन्हें इस बारे में निर्णय करने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि देरी करने में कई बार काफी हानि भी होने का डर रहता है। कुछ लोग जोश में आ जाते हैं और कई व्यक्तियों को जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है।

अब प्रश्न यह है कि आसाम के लोगों को शोषक कह कर नहीं पुकारा जाना चाहिए। हम सब देशवासियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सबको मिल जुल कर रहना चाहिए।

**श्री हेम बरुआ** (मंगलदायी) : संविधान (बाइसवां) संशोधन विधेयक, 1968 का एक निश्चित उद्देश्य है। इसका उद्देश्य वर्तमान आसाम राज्य का पुनर्गठन करना हैं। इस समय मैं संशोधनों के बारे में कुछ न कहता हुआ केवल इस विधेयक के राजनीतिक पहलू के बारे में ही कुछ शब्द कहूंगा। इस विधेयक से 11 सितम्बर, 1968 को गृह मन्त्री द्वारा की गई घोषणा की भावना का द्योतक नहीं होता है। मैं यह समझता हूँ कि यदि यह विधेयक पास हो गया तो देश के टुकड़े टुकड़े होने का डर हैं। इस लिये जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय एकीकरण में विश्वास रखता है वह इस विधेयक का विरोध करेगा।

इस मामले को राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने भी उठाया गया था। उस आयोग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह लोगों की भावना को जानता था। परन्तु हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि आसाम एक सीमावर्ती राज्य है क्या सामरिक दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण राज्य है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि हमारे पड़ौसी राज्य चीन और पाकिस्तान नागा तथा मिजो विद्रोहियों को शस्त्रास्त्र देकर राज्य में तोड़फोड़ की गतिविधियां बढ़ा कर आसाम के लोगों के जीवन को अस्तव्यस्त करना चाहते हैं। इस लिये मैं समझता हूँ कि हमारे लिये सबसे अच्छी बात यह होगी कि हम सारे पूर्वोत्तर को एक संघ में बांध दें। इससे हमारे शत्रु हमारे पर आँख रख सकेंगे।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस बिधेयक में आपको भाषायी शोषण का एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। कचार बंगाली भाषायी क्षेत्र है तथा वहां के लोग जिला स्तर पर बंगला भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इस के अलावा आसाम के पहाड़ी लोग जिस भाषा को वे पसन्द करें उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं भी भाषायी शोषण नहीं हो रहा है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप यह कहना चाहते हैं कि ब्रह्मपुत्र घाटी जिलों में भी आसामी भाषा को राज भाषा के रूप में प्रयोग नहीं करने देना चाहिये जहां 75 प्रतिशत लोग आसामी भाषा बोलते हैं। मैं यह बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मैं इसे सहन नहीं

कर सकता कि ब्रह्मपुत्र घाटी के लोगों को अपनी मातृ भाषा का प्रयोग करने से वंचित रखा जाये । मैं इसके लिये अपना जीवन न्योछार कर दूंगा ।

इस के अलावा अर्थिक शोषण का भी उल्लेख किया गया है । इस बारे में भी मैं यह स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि अर्थिक शोषण बिल्कुल नहीं हुआ है । पहाड़ी क्षेत्रों में साक्षरता की प्रतिशतता 1951 से 1961 तक 16.49 से बढ़कर 28.26 हो गई जबकि उसी 'अवधि' में मैदानी इलाके में यह 18.49 से बढ़कर केवल 27.23 प्रतिशत हुई है । उसी दशाब्दी में पहाड़ी क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या 4.21 से बढ़कर 11.21 हो गई जबकि पहाड़ी जिलों में यह वृद्धि 4.69 से 5.92 ही हुई । दूसरी तरफ सरकारी खजाने में पहाड़ी क्षेत्रों का प्रति व्यक्ति अंशदान मैदानी जिलों के अंशदान से बहुत कम रहा है । अतः मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आर्थिक शोषण का मामला है ?

संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार जिला परिषदें बनाई गई हैं । 1960 में रामाकृष्णा मिशन ने एक कालेज बनाने के उद्देश्य से शिलांग में उप-आयुक्त के निवास स्थान के पांच मील के क्षेत्र के बाहर एक प्लाट के लिये आवेश्रित किया था परन्तु उस क्षेत्र की जिला परिषद् की कार्यकारी समिति ने इसकी अनुमति नहीं दी । इसके अलावा और भी कई उदाहरण हैं । सात पहाड़ी जिला परिषदें हैं तथा उनकी आय केवल एक करोड़ रूपये है। परन्तु उनका बजट 9 करोड़ रुपये का होता है । इसलिये मैं पूछना चाहता हूँ कि शेष 8 करोड़ रुपये की राशि कहां से आयेगी ? उनके लिये आसाम सरकार 5 करोड़ रुपये देती है तथा केन्द्रीय सरकार 3 करोड़ रुपये । इन जिला परिषदों के लेखों की सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा कभी लेखापरीक्षा नहीं होने दी जाती । अब भी आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों मे लोगों को आय-कर अथवा सम्पति कर नहीं देना पड़ता हालांकि उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ गई है । मैं समझता हूं कि इसके लिये अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त लोग उत्तरदायी हैं ।

जहां तक सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन के विशिष्ट नेता का सम्बन्ध है उनकी माता तथा उनके पिता अमरीकी हैं तथा उनके भाई और बहन अमरीकी नागरिक हैं ।

**श्री स्वैल** : यह जो माननीय सदस्य ने कहा है आपत्तिजनक हैं । मैं उस सम्मेलन का नेता हूँ तथा क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं इंग्लैण्ड अथवा अमरीका का रहने वाला हूँ । उनके माता तथा पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं ।

**सभापति महोदय** : यदि श्री स्वैल किसी बात का खण्डन करना चाहें तो वह अपने भाषण के दौरान कर सकते हैं । इसके साथ ही साथ मैं श्री हेम बरुआ से भी प्रार्थना करुंगा कि अपने वह भाषण को उचित तथ्यों तक ही सीमित रखा करे ।

**श्री हेम बरुआ** : आसाम राज्य के पुनर्गठन के बारे में गृह मन्त्री ने जनवरी 1967 में घोषणा की थी । इस घोषणा के कुछ सप्ताह पश्चात् ही शिलांग में बसे हुए नेपालियों को बाहर निकाल दिया गया था तथा उनके मकानों को आग लगा दी गई थी । जब मैं उन्हें गोहाटी में मिला तो उन्होंने मुझे अपने दुख भरे अनुभव बताये । मेरा निवेदन यह है कि आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में दो लाख नेपाली, बंगाली, आसामी तथा अन्य हिन्दी भाषी लोग रहते हैं ।

सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन, शिलांग के अध्यक्ष द्वारा जयपुर में काम करने वाले एक रेलवे अधिकारी को लिखे गये पत्र से पता चलता है कि वहां के कुछ लोग गृह मन्त्री द्वारा की गई घोषणा से संतुष्ट नहीं हैं। यह पत्र घोषणा के बाद 2 सितम्बर को लिखा गया था।

अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मैदानों में रहने वाले लोग अथवा नेता लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि नेता लोग ऐसा कर रहे हैं। मुझे ऐसे नेताओं का पता है जिन्होंने अपने घर अन्य लोगों को किराये पर दिये हुए हैं। मुझे ऐसे नेताओं का भी पता है जिन्हें आय-कर नहीं देना पड़ता है कुछ नेता लोग आसाम सरकार से लाइसेंस आदि प्राप्त कर लेते हैं और उनसे काफी मुनाफा कमाते हैं। इस प्रकार के भ्रष्टाचार की निन्दा की जानी चाहिये। आपको यह भी पता होना चाहिये कि सभी कोयला खानों के लाइसेंस आदिम जातीय लोगों के पास हैं तथा कोई भी लाइसेंस मैदानों में रहने वाले भारतीय लोगों के पास नहीं है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि जनसंख्या का अनुपात 1:9 है परन्तु 40 प्रतिशत कर्मचारी पहाड़ी क्षेत्रों से लिये गये हैं। मेरे पास समय कम है वरना मैं यह बता सकता हूँ कि मैदानी लोगों ने पहाड़ी लोगों का शोषण नहीं किया है।

चूंकि इस विधेयक को देखते हुए देश के अन्य भाग भी वैसी ही मांग कर रहे हैं इसलिये हमें इस बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए अन्यथा देश के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे।

**श्री पें वेंकटासुब्बया** (नन्दयाल) : मैं गृह-कार्य मंत्री के इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं इस विधेयक का समर्थन इसलिये कर रहा हूँ क्योंकि इस विधेयक को देश का बहुमत प्राप्त हुआ है। दूसरे, इससे आसाम के आदिम जातीय लोगों के आर्थिक हित को संरक्षण मिलता है।

आसाम के आदिम जातीय लोगों के नेताओं ने तथा आसाम के लोगों ने जो मित्रता की भावना प्रकट की है मैं उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूँ। यह विधेयक गृह-कार्य मन्त्री के प्रवास से लाया गया है क्योंकि उन्होंने उन लोगों के साथ बातचीत करके यह निष्कर्ष निकाला है। मैं अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होने वर्तमान स्थिति को समझकर इस विधेयक को प्रस्तुत करने में एक समझौते कराने में योगदान दिया है।

विधेयक के बारे में कुछ मित्रों ने कहा है कि इससे पृथक्करण की प्रवृत्तियां बढ़ जायेंगी। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि इसक उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरण के तौर पर पहले भी तेलंगाना को आन्ध्र प्रदेश से पृथक् करने की मांग की गई है। विदर्भ को भी पृथक् करने की माँग की गई है। इसी तरह से झारखंड राज्य बनाने की माँग भी की गई है। इस प्रकार से बहुत सी अन्य मांगें भी की गई हैं। इसलिये मेरी इस माननीय सभा से प्रार्थना है कि इस विधेयक को किसी अन्य दृष्टिकोण से देखना चाहिये। हमने देखा है कि विगत काल में इन आदिम जातीय क्षेत्रों के लोगों के हित की रक्षा करने के उद्देश्य से विशेष बल दिया गया है। संविधान बनाते समय भी इन आदिम जातीय लोगों के लिये संविधान में पृथक् अथवा विशेष स्थिति रखने की वांछनीयता के बारे में कुछ सन्देह व्यक्त किया गया था। आसाम में अदिम जातीय लोगों के बारे में विचार करने के लिये संविधान सभा ने एक उप-समिति बनाई थी। उसने भी यह मत व्यक्त किया है कि उन लोगों को विशेष अधिकार तथा विशेषाधिकार दिये जाने चाहिये।

इस बारे में विचार करने के लिये कई समितियाँ नियुक्त की गई थी। पहले पाटसकर समिति नियुक्त की गई थी। उसके बाद अशोक मेहता समिति नियुक्त की गई थी तथा इन बातों से पता चलता है कि आदिम जातीय लोगों के मन में यह आकांक्षा थी कि वे उस तरह से काम करें जो उनके हित में हों तथा उससे देश के हित को कोई ठेस न पहुंचें।

मैं समझता हूं कि अधिकांश लोगों के मन में अब भी यह भावना घर कर गई है कि "देश से ऊपर समुदाय तथा समुदाय से ऊपर वे स्वयं हैं।" मैं समझता हूँ कि इसके लिये कोई एक जाति के लोग उत्तरदायी नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे नेता लोग इससे लाभ भी उठाना चाहें परन्तु हमें जहाँ तक संभव हो, लोगों की भावना पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये।

उदाहरण के लिये नागालैंड का मामला ले लीजिये। अनेक बार सदस्यों ने आशंका व्यक्त की थी कि नागालैंड बनाने से अनेक उलझनें पैदा होंगी। अब हम देखते हैं कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू कितने दूरदर्शी थे। यह राज्य अब शत्रु से देश की रक्षा के लिये एक स्थायीकरण शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। हमें स्थिति को इस दृष्टिकोण से देखना है। आसाम के लोगों ने बड़ी राजमर्मज्ञता का परिचय दिया है और वे बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं। अपने राज्यों के लोगों से मेरी अपील है कि वे प्रथक् तेलंगाना राज्य के मामले को इससे न जोड़ें। हम इसे उदाहरण नहीं मान सकते हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (बलरामपुर) : यह उदाहरण क्यों न हो ?

**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** ऐतिहासिक रूप में स्थिति भिन्न है। वहाँ पर आर्थिक पहलू, प्रादेशिक असन्तुलन और पिछड़ेपन का प्रश्न है। मुझे पूर्ण सन्देह है कि पृथक् राज्य बनाने से ये प्रश्न तो हल हो जायेंगे क्योंकि सभी राज्यों में पिछड़े हुए क्षेत्र है।

आँध्र में तेलंगाना क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ और उन्नति के लिये हमें भरसक प्रयत्न करने चाहिए। लेकिन आन्ध्र में अन्य पिछड़े तथा उपेक्षित क्षेत्र भी हैं। श्री काकुलम उतना ही पिछड़ा क्षेत्र है जितना कि रायलसीमा और रायलसीमा उतना ही पिछड़ा क्षेत्र है जितना कि तेलंगाना। हमें इस प्रसंग में विचार करना है।

इसे नये स्वायत्तशासी राज्य के निर्माण को भिन्न दृष्टिकोण से देखना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि सभी माननीय सदस्य इसका सर्वसम्मति से समर्थन करेंगे और एक नया अध्याय शुरू होगा और यह नया राज्य लोकतंत्र को सुदृढ़ करने, हमारे राष्ट्र की प्रभुसत्ता की एकता को कायम करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

**श्री स्वैल** (स्वायत्तशासी जिले) : यह देखकर मुझे प्रसन्नता हुई कि इस विधेयक के आधार सिद्धान्त का सामान्य रूप में समर्थन किया गया है और स्वागत की सामान्य भावना है कि इस देश की एक विकट समस्या आखिर में वह भी सामरिक महत्व के क्षेत्र में हल होने जा रही है। वह भी जबरदस्ती नहीं बल्कि सन्बन्धित लोगों की की एक सामान्य सहमति के अनुरूप हल की गई है। मैं जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा अन्य मित्रों का आदर करता हूँ, जिनका कुछ सिद्धान्तों के आधार पर मुझसे मतभेद है। जनसंघ के मेरे मित्रों ने कहा कि सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत करने में जल्दबाजी से काम लिया है और उस क्षेत्र की प्रतिरक्षा की

आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया है और इसलिये सरकार को पूर्वोत्तर भारत के समूचे प्रश्न पर अधिक व्यापक रूप में नये सिरे से विचार करने के लिये एक प्रतिरक्षा-प्रधान आयोग नियुक्त करना चाहिए । मेरा निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्रों का प्रश्न नया नहीं है, 1954 में पर्वतीय लोगों ने राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भारत के अंग के रूप में एक पृथक राज्य की इच्छा व्यक्त की थी। 1957 में उन्होंने इस आधार पर चुनाव लड़ा और उन्हें बहुत अधिक स्थान प्राप्त हुए।

1960 में असमिया भाषा को आसाम-राज्य की एकमात्र राजकीय भाषा बनाने के प्रस्ताव की घोषणा किये जाने पर सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन संस्था बनी, जिसने पृथक राज्य की मांग को लेकर 1962 में चुनाव लड़ा और उसे 72 प्रतिशत मत प्राप्त हुए । 1967 में इस दल ने गारो तथा खासी-जयन्तिया पहाड़ियों में सभी स्थानों पर विजय पायी । पूर्वोत्तर भारत ने 1962 में चीनी आक्रमण का और 1965 में पाकिस्तान के अघोषित युद्ध का सामना किया। मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि जहाँ उसने विद्रोहियों के प्रति सख्ती से काम लिया वहां कानून-प्रिय, देशभक्त जनता के राजनीतिक प्रतिनिधियों के प्रति समझौते का रुख अपनाया है। प्रधान मंत्रियों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों ने पर्वतीय क्षेत्रों का दौरा किया है अनेक समितियां नियुक्त की गई हैं और अन्त में यह योजना तैयार की गई है जिसके आधार पर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने यह निर्णय करने तथा यह योजना बनाने से पहले प्रतिरक्षा तथा सूचना अधिकारियों से पूर्ण परामर्श किया है। हमारी सीमाओं पर संतुष्ट और देशभक्त लोगों का होना, जो महसूस करते हैं कि सारा राष्ट्र उनसे प्रेम करता है, उनका मान करता है, विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सर्वोत्तम गारन्टी है ।

**श्री स्वैल** : मैं यह बात अवश्य कहना चाहता हूं कि यह सर्वोत्तम हल नहीं है, परन्तु भारत के पूर्वोत्तर भाग में शान्ति का सबसे अधिक महत्व है। इसी भावना से आल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेंस ने इस योजना को प्रयोग पत्र में स्वीकार कर लिया है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन** हुए]

[**Mr. Deputy-Speaker** in the Chair]

मैं इस अवसर पर सभा को तथा देश को बताना चाहता हूँ कि हम पहाड़ी क्षेत्रों के लोग इस देश से प्यार करते हैं । हम कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे इस देश की शक्ति कम हो ।

एक और तर्क यह दिया गया है कि यदि यह विधेयक स्वीकार कर लिया जाये तो इससे देश में अस्वस्थ प्रतिक्रिया शुरू हो जायेगी तथा तेलंगाना, बिहार के आदिवासी क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा । क्या हम यह चाहते हैं कि पाकिस्तान की भान्ति यहाँ भी सारी बातों का विस्फोट हो जाये । संविधान में भी आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष स्थिति को स्वीकार किया गया है और इसी कारण संविधान में छटी अनुसूची रखी गई है जो केवल उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होती है, यह कहना कि इससे अन्य समस्याओं को भी शीघ्र निपटाना अनिवार्य हो जायेगा, इसलिये इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जाना चाहि , प्रतिगामी कार्यवाही है और इससे देश के उस भाग में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठेगी ।

विधेयक की धारा 2 के खण्ड (3) में कहा गया है कि इस विधेयक के पारित होने के

बाद पुनर्गठन विधेयक के किसी संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी । मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस उपबन्ध को समाप्त किया जाये ।

**श्री जयपाल सिंह** (खुन्टी) : एक आदिवासी होते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ । यह एक आंशिक हल है । श्री हेम बरुआ ने विघटन की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है । परन्तु वह भूल रहे हैं कि मध्य प्रदेश को भी दो अथवा तीन राज्य में बांटना अनिवार्य हो गया है । झारखण्ड क्षेत्र में शान्ति के लिए झारखण्ड राज्य बनाना भी आवश्यक है । कांग्रेस सरकार ने कुर्ग को मैसूर में साथ मिलाकर सब से बड़ी गलती की है ।

श्री बादलोई तथा श्री ठाकुर बप्पा ने चाय बागानों के 25 लाख आदिवासियों को सामान्य सूची में रखने का षड़यन्त्र किया । क्या यह शोषण नहीं है, आसाम के निहित स्वार्थों द्वारा 30 लाख आदिवासियों का शोषण किया गया है ।

**श्री हेम बरुआ** : श्री जयपाल सिंह आदिवासियों के नाम पर उनका शोषण कर रहे हैं, वह उनके नाम पर संसद सदस्य बनना चाहते हैं ।

**श्री स्वैल** : क्या माननीय सदस्य ऐसा कह सकते हैं । यह बहुत ही आपत्तिजनक है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह उचित नहीं है ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : उपाध्यक्ष महोदय को आग्रह करना चाहिये कि इसे वापिस लिया जाये ।

**श्री जयपाल सिंह** : इस प्रकार के व्यवहार के कारण ही पहाड़ी लोग आसाम से पृथक होना चाहते हैं ।

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

**[Mr. Speaker in the Chair]**

**श्री लोबो प्रभु** (उदीपी) : इस सम्बन्ध में जो विकल्प रखे गये थे उनमें सबसे अच्छा यह प्रस्ताव है । मेरा दल देश के विखण्डन के पक्ष में नहीं है परन्तु इस प्रस्ताव के बिना कोई चारा भी नहीं है ।

यदि मैदानी क्षेत्रों के लोगों ने 1960 में उचित रवया अपनाया होता और भाषा विधेयक रोक दिया होता तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती । यह सौभाग्य की बात है कि इन क्षेत्रों ने नागालैंड जैसा रवैया नहीं अपनाया और वे अब भी आसाम के भाग के तौर पर रह रहे हैं ।

मैं आपका ध्यान इस विधेयक में कुछ त्रुटियों की ओर दिलाना चाहता हूँ । इसमें शुरू में ही कहा गया है कि :

"निर्वाचित अथवा आंशिक नाम निर्देशित तथा आंशिक निर्वाचित निकाय ।"

मैं पूछना चाहता हूँ कि आंशिक निर्वाचित तथा आँशिक नामनिर्देशित निकाय बनाने की क्या आवश्यकता है । यदि आप किसी को नामनिर्देशित करते हैं तो न केवल चुने जाने वाले व्यक्तियों का बल्कि निकाय का भी महत्व कम करते हैं । दूसरे नाम निर्देशन कौन करेगा, आसाम राज्य प्रस्तावित स्थापनशासी राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार ?

आपने अभी तक यह निर्णय नहीं किया है कि स्वायत्तशासी राज्य का विधान मण्डल होगा अथवा मन्त्री परिषद । मैं चाहता हूं कि "अथवा" शब्द के स्थान पर "और" शब्द रखा जाये ।

संविधान के संदर्भ में इसे राज्य मानने में कई जटिलतायें उत्पन्न होंगी क्योंकि उसमें न तो न्यायपालिका पृथक् है, न ही लोक सेवा आयोग । श्री चन्द्रशेखरन के विमत्ति टिप्पणी में यह बताया गया था ।

संशोधन दो-तिहाई बहुमत से नहीं बल्कि साधारण बहुमत से किया जाना चाहिए । यदि वध साधारण बहुमत से पारित हो सकती है तो संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत होना ठीक नहीं है । मेरा सुझाव यह है कि स्वायत्तशासी राज्य स्थापित करने का विधेयक तुरन्त लाया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिये क्योंकि इस क्षेत्र से सारे देश का सम्बन्ध है न कि केवल आसाम का ।

**Shri Abdul Gani Dar** (Gurgaon) : Mr. Speaker, Sir, it was a bad day when the Hindus and Muslims were treated as separate nations and our leaders accepted the partition of the country.

It has been argued that the people of the plains of Assam did not treat hill people well and as a result of this the demand has been made. I see no sense in such partitions in the country. The father of the nation never wanted such a division of the country. It was better if Shri Chaliha had offered Shri Swell to be the Chief Minister of Assam and had, thereby, avoided this partition. Such divisions are harmful for the country. It will lead to divisions in Andhra Pradesh and creation of Telangana, Moplistan and even another Pakistan. It is not something on which we can congratulate the Home Minister. We are now introducing regionalism, lingualism and communalism at every stage.

Pandit Nehru had committed Himalayan blunders and appointed Boundary Commission. He himself brought lingualism and communalism to this country. History will prove that this is an another blunder.

**गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : अधिकांश सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है । हम जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने पहाड़ी लोगों को देश के शेष भाग से पृथक रखने का प्रयत्न किया । उन्होंने विभाजन करने तथा शासन करने की नीति अपनाई ।

परन्तु संविधान सभा ने इन क्षेत्रों को आसाम के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन में लाकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया ।

इसके तुरन्त पश्चात पहाड़ी लोगों की महत्वाकांक्षायें उभरने लगीं । मैं नहीं कहता कि इस का कारण भाषा था अथवा कोई और । इस समस्या के हल के बारे में मतभेद थे । लगातार बातचीत से समस्या का हल मिल गया । यह विधेयक 11 सितम्बर, 1968 की घोषणा की भावना के अनुसार है । 'आसाम टरिब्यून' में प्रकाशित समाचार के अनुसार श्री हेम बरुआ ने कहा था कि आसाम में स्वायत्तशासी पहाड़ी राज्य बनाने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय को आसाम के लोगों के विभिन्न भागों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध लाने की दृष्टि से आज़माया जाना चाहिये ।

हमारे देश का पूर्वी भाग एक विशेष महत्व रखता है और देश की एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सबका कर्तव्य है । सामाजिक दृष्टि से भी इस का विशेष स्थान है । मैं श्री रंगा

की बात से सहमत हूँ । जहां देश की अखण्डता और सुरक्षा का प्रश्न है हम सब एक हैं । उसमें राजनैतिक मतभेद की बात नहीं है ; इस प्रकार के निर्णय राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर किये जाते हैं । मैं जानता हूँ कि जनसंघ वाले जो मित्र मत व्यक्त कर रहे हैं, देश के प्रति प्रेम और लगन की भावना से कर रहे हैं । परन्तु हमें आसाम और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को बता देना चाहिए कि यह निर्णय समूचा राष्ट्र कर रहा है । इससे सभी को उत्साह मिलेगा । इस योजना को कार्यरूप देना सरल कार्य नहीं है । फिर भी हमें अपनी ओर से इसे सफल करना है ।

नई योजना के अन्तर्गत आसाम राज्य और पहाड़ी राज्य को मिला कर आगे बढ़ना होगा । उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिये । इस बारे में दोनों क्षेत्रों के नेताओं को अपने मतभेद समाप्त कर देने चाहियें ? एकता से दोनों पक्षों को बल मिलेगा । वह क्षेत्र प्रगति कर सकेंगे । इस समाधान पर पहुंचने में हमें दोनों पक्षों से सहायता मिली है । दोनों ने राष्ट्रीयता का परिचय दिया है । मेरा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सभी इस विधेयक को पारित करने में सहायता दें और सभी इसके समर्थन में मतदान करेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पर विचार किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

THE LOK SABHA DIVIDED

पक्ष में 265 : विपक्ष में 19

Ayes 265 : Noes 19

**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

THE MOTION WAS ADOPTED

**खण्ड 2**

**श्री लोबो प्रभु :** मैं संशोधन संख्या 3 और 5 प्रस्तुत करता हूँ ।

**श्री शिव चन्द्र झा :** मैं संशोधन संख्या 6,7 और 8 प्रस्तुत करता हूँ ।

**श्री गणेश घोष :** मैं संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूँ ।

**श्री श्रीनिवास मिश्र :** मैं संशोधन संख्या 15,16,17,18,19,20,21 और 22 प्रस्तुत करता हूँ ।

**श्री लोबो प्रभु :** मेरी बात का माननीय मन्त्री ने उत्तर नहीं दिया । मैं चाहता हूँ कि नाम निर्देशन शब्द हटा दिया जाये । मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में दो तिहाई की शर्त समाप्त कर दी जायेगी ।

**Shri Shiv Chander Jha** : My contention is that all the Tribal people of Assam should be given some sort of autonomy. This piecemeal solution will not do. The Mizo and Cachar areas have not been brought under this scheme.

I am against the system of nomination. It is not democratic. It should not be adopted. The condition of two-thirds majority should be waived in this matter. This should be passed by simple majority.

**श्री गणेश घोष** : मैंने अपने संशोधन में पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों और आसाम में रहने वाले व्यक्तियों के लिये स्वायत्त राज्य की स्थापना करने का सुझाव दिया है।

**श्री श्रीनिवास मिश्र** (कटक) : मेरा संशोधन राज्य या राज्यों को स्वायत्तशासी बनाने सम्बन्धी है। इस बात की संविधान में व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि संसद् चाहे तो इस प्रकार एक के राज्य या राज्यों की व्यवस्था कर सकती है। संशोधन संख्या 15 से 21 में यह उल्लेख किया गया है। यदि आप धारा 368 का प्रयोग संशोधन के लिये नहीं कर रहे हैं, तो यह दो तिहाई बहुमत की व्यवस्था क्यों की गई है। संविधान के उपखंड (3) और (4) इसके विरुद्ध हैं धारा 368 में दो बातों की व्यवस्था की गई है कुल सदस्यों का सामान्य बहुमत और उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत और मतदान। उप खंड (4) के बारे में मुझे भारी आपत्ति है।

भारतीय संविधान की धारा 14 से 31 को संविधान में शामिल किया गया है। जब श्री गोलकनाथ का मामला देश में कानून के रूप में माना जा रहा है तो यह नहीं कहा जा सकता कि संसद् को 14 से 31 तक अनुच्छेद में परवर्तन करने का अधिकार है। यदि श्री नाथ पाई के विधेयक को पारित कर दिया जाता है तब हम ऐसा कर सकते हैं। मैं माननीय गृह-मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करें।

**श्री हेम बरुआ** (मंगलदायी) : मैंने कुछ संशोधन भेजे थे। राज्य पुनर्गठन के बारे में अशोक मेहता समिति की सिफारिशें सबसे अच्छी थी क्योंकि उन सिफारिशों में विभिन्न पहाड़ी जिलों को स्वायत्तता देने और उसके साथ साथ उनकी अखंडता बनाये रखने की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिशों में विषयों को स्पष्ट किया गया है। 55 विषयों में 50 विषयों को स्वायत्तशासी क्षेत्र को 5 राज्य सरकार को दिये गये हैं।

उपखंड (3) में दो तिहाई बहुमत का उल्लेख किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 368 के विरुद्ध है। अतः इस पर विचार किया जाना चाहिये।

उप खंड (4) को समाप्त किया जाना चाहिए। हमें संविधान के उप बन्धों का उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : इस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा विधान सभा को बनाने आसाम और स्वायत्तशासी राज्यों के बीच अधिकारों आदि का वितरण करने के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। हम स्वायत्त राज्यों की विधान सभा बना रहे हैं जिसके कुछ सदस्य कार्यानिर्देशित होंगे। जब हम पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा करेंगे तब हम इस विषय पर निर्णय ले सकते है कि सदस्यों का नाम निर्देशन किया जाये अथवा नहीं ? अल्प संख्यकों के लिये बाद में संशोधन न लाने पड़े इसलिए अब यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

सदस्यों के नामनिर्देशन के तरीके के बारे में पुनगर्ठन विधेयक पर विचार करते समय चर्चा की जायेगी। मेरे विचार से इसको संविधान में शामिल करना समझदारी होगी।

जहां तक दो तिहाई बहुमत का सवाल है वह आवश्यक है क्योंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य कार्यकारी और वैधानिक अधिकारों का स्वायत्तत राज्य और आसाम राज्य में वितरित करना है। यह निर्णय सम्बद्ध दलों की राय के अनुसार लिया गया है यदि हम साधारण बहुमत की व्यवस्था करते हैं तो उनकी राय का कोई मूल्य नहीं रह जाता। अतः हम साधारण बहुमत से अधिक बहुमत की व्यवस्था कर रहे हैं।

**श्री लोबो प्रभु** : क्या संसद में विधान बनाने के लिये इस बहुमत की व्यवस्था की गई है।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : नहीं, यह व्यवस्था केवल विधान सभा के लिए है।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

**संशोधनों को मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुए**
THE AMENDMENT WERE PUT AND NEGATIVED

**अध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ**
THE LOK SABHA DIVIDED

**अध्यक्ष महोदय** : मतदान का परिणाम इस प्रकार है :—

पक्ष में 248 विपक्ष में 13
Ayes 248 : Noes 13

प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत से पारित नहीं हुआ।

**अध्यक्ष महोदय** : सरकार का क्या प्रस्ताव है। क्या वह अन्य खण्डों पर भी चर्चा करना चाहती हैं। खन्ड 2 पर सरकार की हार हुई।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : विधेयक के प्रथम मत विभाजन में विधेयक को पर्याप्त बहुमत प्राप्त हुआ था। यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे...(अंतरबाधाएं)

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : यदि यह पारित नहीं होता तो स्वायत्तता सरकार विधेयक को पुनः पुरः स्थापित करेगी।

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : इससे सरकार के कार्य का भान होता है। जहां तक हमारे सहयोग देने का प्रश्न था हमने अपना पूरा सहयोग दिया है लेकिन सत्तारूढ़ दल का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे सदन में अपने सदस्यों का बहुमत रखें।

**श्री शिवाजी राव देशमुख** (परमसी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मत विभाजन में गलत प्रणाली का अनुकरण किया गया है। संविधान सम्बन्धी संशोधन पर निर्णय नियमित मत विभाजन द्वारा किया जाता है मौखिक मतदान द्वारा नहीं।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं ।

**श्री शिवाजी राव देशमुख :** प्रक्रिया में यह भी व्यवस्था है कि खंडों का संशोधन केवल मत विभाजन द्वारा किया जा सकता है । चूं कि संशोधन को मौखिक मतदान द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है अतः यह गलत निर्णय लिया गया है । अतः इस विषय पर फिर से निर्णय किया जाना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि मैं उन पर भी मत विभाजन करता तो स्थिति और भी खराब होती और सरकार को 200 मत भी नहीं मिलते क्योंकि सदन खाली था ।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : Ruling party is not considering the seriousness of the situation arising out of the recent voting. The Government have a mere majority of 48 votes in the House. The Government, should, therefore, seriously consider that problem. Will this incident not have the bad effect on the people of Assam and the people of hilly areas.

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : सरकार ने संविधान में संशोधन करने के लिए नोटिस दिया था और हमें पता था कि इस पर किसी दिन चर्चा की जायेगी । हमने सरकार को पूरा सहयोग दिया । सरकार का यह मुख्य कर्तव्य है कि वह इस बात का सुनिश्चिन करे कि उसके दल के सदस्यों का सदन में बहुमत हैं । इस बात से यह विदित होता है कि सरकार का सदन में बहुमत नहीं हैं । सरकार हमारे सहयोग के बावजूद भी आधे से अधिक सदस्यों का मत प्राप्त करने में असमर्थ रही । सरकार ने समस्या को हल करने की बजाय समस्या पैदा की है। अतः इस मामले में मैं आपका निदेश जानना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप इस विषय में अपना विनिर्णय दें ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस बारे में अपना विनिर्णय पहले ही दे चुका हूँ ।

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi Sadar) : This incident was unprecedent Government have the opportunity to reconsider this matter and try to solve the problem so that the unity may remain in the country.

**संसद कार्य नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रमैया) :** सभा में जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्य पूर्ण था लेकिन इसके आधार पर यह कहना कि सरकार का सभा में बहुमत नहीं है, उचित नहीं ।

**श्री रंगा** (श्री काडलय) : हमने सरकार को इस मामले में पूर्ण सहयोग दिया । लेकिन अब न केवल उनके अनुशासन बल्कि उनकी नैतिकता में भी गिरावट आ गई । यह ठीक है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ ऐसा दूसरी बार हुआ है लेकिन पहले अवसर पर हमने विरोध किया था लेकिन इस अवसर पर हम उनका समर्थन करने का प्रयास कर रहे थे ।

**श्री बलराज मधोक** (दक्षिण-दिल्ली) : हम संविधान में इस प्रकार संशोधन कर रहे हैं जैसे कि वह साधारण कानून हो । यदि इस संशोधन के बारे में सरकार ने सब दलों का विश्वास प्राप्त कर लिया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती अतः भविष्य में सरकार को इस प्रकार संशोधन नहीं प्रस्तुत करने चाहिए....(**अन्तरबाधाएं**)....

**अध्यक्ष महोदय :** यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संशोधन पारित नहीं हुआ। जिस समय संशोधन प्रस्तुत किया गया उस समय 265 सदस्य सभा में उपस्थित थे। लेकिन उसके 15 मिनट बाद केवल 248 सदस्य रह गये। अब इस विषय पर चर्चा समाप्त की जाती है। (**अन्तरबाधाएं**)

**श्री श्रीनिवास मिश्र** (कटक) **:** मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपको नियमों का पालन करना चाहिए। विधेयक का क्या हुआ। एक खन्ड पर हार हुई लेकिन अन्य खंडों का क्या होगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने अगले विषय पर चर्चा आरम्भ कर दी है। वह दूसरा संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं।

**श्री श्रीनिवास मिश्र :** वह ऐसा नहीं किया जा सकता। अगले विषय पर चर्चा करने से पूर्व इसे अवश्य वापिस लिया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** गृह मन्त्री इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि सरकार ने वह विधेयक वापिस ले लिया और उसको पुनः पुरस्थापित किया जायेगा।

---

## भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद विधेयक

### INDIAN MEDICINE AND HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL BILL

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : मैं प्रस्तुत करता हूँ :

> "कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 25 फरवरी, 1969 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 26 फरवरी, 1969 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद के गठन तथा भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने का तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित 22 सदस्य नामनिर्देशित किये जायें, अर्थात् :—
>
> श्री अर्जुन सिंह भदौरिया, श्री बी० एन० भार्गव, श्रीमती ज्योत्सना चन्दा, श्री पी० पी० एस्थोस, श्री एम० कमलानाथन्, नवाबजादा सैय्यद जुल्फिकार अली खाँ, श्री जी०पी० मंगलाथुमाडम, श्री कमला मिश्र 'मधुकर', श्री ब० सू० मूर्ति, श्री नरदेव स्नातक, श्री प्रताप सिंह, श्री मृत्युञ्जय प्रसाद, श्री पी० गंगा रेड्डी, श्री स० चं० सामन्त, श्री अ० त्रि० शर्मा, श्री शम्भू नाथ, पंडित शिव शर्मा, श्री यज्ञ दत्त शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार तापड़िया, श्री वेंकटरावतारोदेकर, श्री मं० गं० उइके, श्री रामचन्द्र वीरप्पा"।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 25 फरवरी, 1969 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 26 फरवरी, 1969 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद् के गठन तथा भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने का

तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित 22 सदस्य नामनिर्देशित किए जायें, अर्थात् :

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया, श्री बी० एन० भार्गव, श्रीमती ज्योत्सना चन्दा, श्री पी० पी० एस्थोस, श्री एम० कमलानाथन्, नवाबजादा सैय्यद जुल्फिकार अली खाँ, श्री जी० पी० मंगलाथुमाडम्, श्री कमला मिश्र 'मधुकर', श्री ब० सू० मूर्ति, श्री नरदेव स्नातक, श्री प्रताप सिंह, श्री मृत्युञ्जय प्रसाद, श्री पी० गंगा रेड्डी, श्री स० चं० सामन्त, श्री अ० त्रि० शर्मा, श्री शम्भू नाथ, पंडित शिव शर्मा, श्री यज्ञ दत्त शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार तापड़िया, श्री वेंकटराव तारादेकर, श्री मं० गं० उइके श्री रामचन्द्र वीरप्पा ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**THE MOTION WAS ADOPTED**

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 26 मार्च, 1969 5 चैत्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 26th March, 1969/5 Chaitra, 1891 (Saka).**

आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6 ।

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]